

Hkkj r ds fu; =&d&egkys[kki j h{kd
dk i fronu
tu jy , oa l ks' ky l DVj
31 ekpl 2016 dks l ekIr gq o"kl ds fy,

mRrj i ns' k l j dkj
i fronu l a[; k 02 & o"kl 2017

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राककथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय 1 प्रस्तावना		
बजट की रूपरेखा	1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
सतत् बचतें	1.3	2
भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	1.4	3
उपभोग प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये	1.5	3
राज्य की आर्थिक स्थिति	1.6	4
लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन	1.7	4
निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति शासन की अभिरुचि का अभाव	1.8	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	1.9	6
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति शासन का रुझान (आलेख्य प्रतिवेदन प्रस्तरों पर)	1.10	6
अध्याय 2 निष्पादन लेखापरीक्षा		
प्राथमिक शिक्षा विभाग		
उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	2.1	7
खाद्य एवं रसद विभाग		
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण पर सूचना प्रणाली	2.2	49
अध्याय 3 लेन—देनों की लेखापरीक्षा		
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग		
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का कार्यान्वयन	3.1	77
न्याय विभाग		
अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण	3.2	99
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उपकरण प्रबन्धन	3.3	109
कृषि विभाग		
स्वतंत्र फीडर लाइन के निर्माण में विलम्ब	3.4	121
यमुना एक्सप्रेस—वे प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरित भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने के कारण बीज उत्पादन की हानि	3.5	122

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग		
अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास के निर्माण में निष्फल व्यय	3.6	123
गृह विभाग		
ट्रूप कैरियर का अविवेकपूर्ण क्रय	3.7	125
रेलवे से ₹ 34.44 करोड़ की वसूली प्राप्त न होना	3.8	126
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग		
₹ 32.60 करोड़ को राज्य रोजगार गारण्टी निधि में जमा किया जाना	3.9	127
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग		
रॉयल्टी की वसूली न होना (₹ 444.82 करोड़)	3.10	129
प्रतिशतता प्रभार की वसूली में विफलता	3.11	130
ठेकेदार को ₹ 6.89 करोड़ का अधिक भुगतान	3.12	131
अति-दोहित विकास खण्डों में नलकूपों का अनियमित निर्माण	3.13	134
डुलाई की उच्च दर को लागू किये जाने से ₹ 2.56 करोड़ की हानि	3.14	135
बढ़ा चढ़ा कर प्राक्कलन तैयार करने से शासन को क्षति	3.15	135
श्रम विभाग		
समारोहों के आयोजन पर परिहार्य व्यय	3.16	137
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग		
राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की क्रियाशीलता	3.17	138
स्थायी विद्युत प्रभार का परिहार्य व्यय	3.18	139
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग		
निम्न दर की निविदाओं को अस्वीकृत करने के कारण ₹ 1.04 करोड़ की हानि	3.19	140
₹ 5.94 करोड़ का अलाभकारी व्यय	3.20	141
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं वक्फ विभाग		
पॉलीटेक्निक भवन निर्माण पर निष्फल व्यय	3.21	143
लोक निर्माण विभाग		
ठेकेदारों को अनधिकृत भुगतान	3.22	144
वेट मिक्स मैकेडम की अधिक खपत	3.23	146
मार्ग के निर्माण पर ₹ 12.72 करोड़ का अधिक व्यय	3.24	148
ठेकेदार को ₹ 2.62 करोड़ का अधिक भुगतान	3.25	149
राजस्व विभाग		
आवासीय भवनों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय	3.26	151
समाज कल्याण विभाग		
अनुसूचित जाति की बालिकाओं के छात्रावास के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.27	152
प्राविधिक शिक्षा विभाग		
पॉलीटेक्निक भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.28	154
व्यावसायिक शिक्षा विभाग		
आई0टी0आई0 भवन के निर्माण में किया गया निष्फल व्यय	3.29	155

परिशिष्ट		
संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.1.1	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य क्रियाकलापों का विवरण	159
2.1.2	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के पूर्ण होने की समयसीमा	160
2.1.3	शिक्षा का अधिकार अधिनियम की निष्पादन लेखापरीक्षा के मापदण्ड का विवरण	160
2.1.4	गोरखपुर, कानपुर देहात, पीलीभीत, रामपुर एवं सोनभद्र जनपदों के नमूना चयनित विद्यालयों में जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आँकड़ों एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण के आँकड़ों में भिन्नता का विवरण	161
2.1.5	एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, कार्ययोजना एवं विद्यालयों की संख्या के दो समूहों के आँकड़ों में भिन्नता का विवरण	161
2.1.6	उपभोग प्रमाणपत्रों एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदित व्यय के आँकड़ों में अन्तर का विवरण	162
2.1.7	सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सम्बन्धी मार्गस्थ निधियों की वर्षावार स्थिति	162
2.1.8	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कई बैंक खातों के संचालन का विवरण	163
2.1.9	विद्यालय भवन के निर्माण हेतु प्राप्त निधियों के संदिग्ध दुर्विनियोजन का विवरण	164
2.1.10	जनपद सुलतानपुर में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाये गए अद्विनिर्मित भवन एवं अतिरिक्त कक्षा कक्ष का विवरण	165
2.1.11	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के कम नामांकन का विवरण	165
2.1.12	प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अधिक नामांकन का विवरण	165
2.1.13	नमूना चयनित जनपदों में बच्चों के चिन्हांकन और नामांकन का विवरण	166
2.1.14	बच्चों के विद्यालय से बाहर रहने के कारणों का विवरण	167
2.1.15	वर्ष 2011–16 की अवधि में विद्यालय न जाने वाले चिन्हित एवं नामांकित बच्चों का विवरण	168
2.1.16	वर्ष 2010–16 की अवधि में 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के नामांकन का विवरण	168
2.1.17	निजी और सरकारी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि/गिरावट का विवरण	168
2.1.18	वर्ष 2010–16 की अवधि में उपस्थिति हेतु लक्ष्य और उसके सापेक्ष प्राप्ति का विवरण	169
2.1.19	2010–11 के दौरान त्रुटिपूर्ण एवं अधोमानक कागज प्रयुक्त करने वाले उन प्रकाशकों के नामों का विवरण जिनके साथ 2015–16 के दौरान अनुबंध किया गया	169
2.1.20	वर्ष 2012–16 के दौरान अधिक पाठ्य पुस्तकों के क्रय का विवरण	170

2.1.21	नमूना चयनित जनपदों में पुस्तकों के परिवहन का विवरण	171
2.1.22	वर्ष 2010–16 के मध्य निःशुल्क पुस्तकों की आपूर्ति एवं वितरण में विभिन्न स्तरों पर हुए विलम्ब का विवरण	175
2.1.23	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक घटक पर आवंटन, व्यय एवं बच्चों के आच्छादन का विवरण	175
2.1.24	छात्रों को विलम्ब से यूनिफार्म की आपूर्ति का विवरण (सम्पूर्ण राज्य)	176
2.1.25	बच्चों को यूनिफार्म वितरण में विलम्ब का विवरण (चयनित जनपदों में)	177
2.1.26	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की वर्षवार स्थिति का विवरण	177
2.1.27	विद्यालयों का निर्माण न होने के कारणों का विवरण	178
2.1.28	भवनविहीन, किराये के भवन में एवं जर्जर भवन में संचालित विद्यालयों का विवरण	179
2.1.29	एक ही भवन में संचालित कई विद्यालयों का विवरण	180
2.1.30	चयनित जनपदों में कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण की स्थिति का विवरण	180
2.1.31	अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण में मानकों के उल्लंघन एवं अनियमितताओं का विवरण	181
2.1.32	चयनित जनपदों में अवरुद्ध धनराशि का विवरण	182
2.1.33	शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में 2010–16 के मध्य छात्र शिक्षक अनुपात का विवरण	183
2.1.34	विद्यालयों में अधिक शिक्षकों की तैनाती का विवरण	183
2.1.35	विद्यालयों में कम शिक्षकों की तैनाती का विवरण	184
2.1.36	2010–16 के मध्य शैक्षिक दिवस प्राप्ति का विवरण	184
2.1.37	नमूना चयनित जनपदों में कंप्यूटर की उपलब्धता एवं उनके उपयोग का विवरण	185
2.1.38	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष नामांकित बालिकाओं की संख्या का विवरण	186
2.1.39	विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर किये गये परिहार्य व्यय का विवरण	186
2.1.40	मदरसा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का विवरण	187
2.1.41	राष्ट्रीय आविष्कार अभियान—पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन न होने का विवरण	189
2.1.42	बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बाल—अधिकार के क्रियान्वयन के अनुश्रवण का विवरण	190
2.1.43	अवधि 2010–16 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 7.11 में उल्लिखित निर्धारित बैठकों के मानक के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न वास्तविक बैठकों का विवरण	190
2.1.44	कार्यकारिणी समिति द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू न किये जाने का विवरण	191
2.1.45	2010–15 के दौरान किये गये शोध अध्ययनों, जिन्हें कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, का विवरण	192

2.1.46	विकास खण्ड तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा मानकों के सापेक्ष किये गये अनुश्रवण का विवरण	193
2.2.1	भारत सरकार द्वारा मदवार स्वीकृत धनराशि एवं प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि	194
2.2.2	जिलावार धनराशि का आवंटन एवं व्यय, प्रतिशत व्यय के साथ	195
2.2.3	हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर सामग्रियों की अधिक खरीद	198
2.2.4	जिला, ब्लॉक और गोदामों में हार्डवेयर सामग्रियों का विलम्ब से वितरण	198
2.2.5	नमूना जांच जिलों में राज्य द्वारा आवंटित खाद्यान्न एवं जिलों द्वारा आबंटित खाद्यान्नों में अन्तर	199
2.2.6	लाभार्थियों के मोबाइल पर एस.एम.एस. अलर्ट	199
3.1.1	चयनित जनपदों में प्रपत्र-बी में पूर्ण सूचना न उपलब्ध कराना	200
3.1.2	चयनित जनपदों में अपंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं के फेल सैम्पलों की संख्या	201
3.1.3	केन्द्रीय लाईसेंस शुगर इकाई द्वारा मोलाईसेस हेतु लाईसेंस	201
3.1.4	10 चयनित जनपदों में वर्षवार निर्गत किये गये पंजीकरण एवं लाईसेंस धारकों का सावधिक निरीक्षण	202
3.1.5	विश्लेषण हेतु जिलेवार लिये गये सैम्पलों का विवरण	205
3.1.6	कम फीस लिये जाने का विवरण	205
3.1.7	चयनित राजकीय प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमी का विवरण	206
3.1.8	रेफरल लैब कोलकाता को प्रेषित प्रकरण जिनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	207
3.1.9	अभिहीत अधिकारियों द्वारा जब्त की गयी सामग्री का विवरण	208
3.1.10	चयनित जिलों में सलाहकार समिति की बैठक	209
3.2.1	भौतिक प्रगति सुनिश्चित किये बिना जारी किये गए निधियों का विवरण	210
3.2.2	अर्जित ब्याज की धनराशि को शासकीय राजस्व में जमा नहीं किये जाने का विवरण	211
3.2.3	चयनित जनपदों में कार्यों में लागत वृद्धि	215
3.2.4	लागत में पुनरीक्षण के कारणों का विवरण	216
3.2.5	चयनित जनपदों में अपर्याप्त सर्वेक्षण के प्रकरण	218
3.2.6	चयनित जनपदों में अवरोध रहित स्थल की अनुपलब्धता के प्रकरण	219
3.2.7	चयनित जनपदों में मानचित्रों के विलम्ब से अनुमोदन के प्रकरण	220
3.2.8	चयनित जनपदों में 2011–16 के मध्य लिये गये कार्यों का विवरण	221
3.2.9	चयनित जनपदों में 2011–16 के मध्य सार्वजनिक श्रेत्र के उपक्रमों को बगैर अनुबंध/सहमति पत्र के सौंपे गये कार्यों का विवरण	223
3.2.10	चयनित जनपदों में समय वृद्धि के प्रकरणों का विवरण	225
3.3.1	चिकित्सकीय विभागों में शिक्षण उपकरणों की कमी	227
3.3.2	विभागवार शिक्षण उपकरणों की कमी (गैर-चिकित्सकीय)	229
3.4	शासन को प्रतिशतता प्रभार पर ब्याज की हानि का विवरण	230
3.5	शासन द्वारा अक्टूबर 2014 में प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद अति-दोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में नलकूपों के निर्माण का विवरण	231

3.6	दर अनुसूची में ढुलाई की उच्च दर का प्राविधान किये जाने के कारण किये गये अधिक भुगतान का विवरण	232
3.7	अंतिरिक्त ढुलाई, लदाई, उतरवाई, चट्ठा लगाने एवं त्रुटिपूर्ण परिवर्तन दर के कारण अधिक भुगतान की गणना	233
3.8	विद्युत भार को पुनरीक्षित कराने में असफल रहने के कारण परिहार्य भुगतान का विवरण	235
3.9	न्यूनतम दरों की निविदाओं को निरस्त कर उच्च दरों पर अनुबन्ध निष्पादित करने से हानि का विवरण	237
3.10	ठेकेदार को बिटुमिन के अधिक प्रयोग के लिये किये गये भुगतान का विवरण	238
3.11	एरच—गुरसहाय—मऊरानीपुर मार्ग (एम0डी0आर0—31), किमी 01.00 से किमी0 71(180) (कुल 71.00किमी) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए अधिक जी0एस0बी0 की गणना का विवरण	240
3.12	बिटुमिनस मैकेडम के समतुल्य में दोनों चैनेजों की आवश्यकता के सापेक्ष ओवरले का विवरण	241
3.13	उच्च विशिष्टियों के अपनाने एवं कैरेक्टरिस्टिक डिफलेक्शन के त्रुटिपूर्ण आगणन का विवरण	241

प्राककथन

यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत, मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश शासन के जनरल एवं सोशल सेक्टर/आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कार्यरत विभागों यथा कृषि, पिछड़ा वर्ग कल्याण, बेसिक शिक्षा, गृह, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, सिंचाई एवं जल संसाधन, न्याय, श्रम, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, परिवार कल्याण, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, लोक निर्माण, राजस्व, समाज कल्याण, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2015–16 की अवधि के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित न हो सके प्रकरणों तथा वर्ष 2015–16 की अवधि के पश्चात् के प्रकरणों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का निष्पादन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु जनरल एवं सोशल सेक्टर पर आधारित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में शासन के चयनित कार्यक्रमों एवं विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों के साथ-साथ शासकीय विभागों/स्वायत निकायों, समितियों आदि के वित्तीय संव्यवहारों को सम्मिलित करते हुये एक निष्पादन लेखापरीक्षा (उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन), एक सूचना एवं प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण) एवं तीन लेखापरीक्षाओं (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006', अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा एवं उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उपकरण प्रबन्धन) एवं 26 प्रस्तरों के निष्कर्ष सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित किए जाने हेतु की जाती है कि शासन के कार्यक्रमों के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति न्यूनतम लागत पर की गयी थी एवं अपेक्षित लाभ लक्षित लाभार्थियों को प्राप्त हुआ था।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा, वर्ष 2000–01 में, सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने हेतु संशोधित (मार्च–2011) किया गया तथा इसे अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मुख्य संवाहक बनाया गया। वर्ष 2010–16 की अवधि में उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु ₹ 47,403.24 करोड़ का व्यय किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नवत हैं:

अर्ह बसावटों हेतु विद्यालय

अधिनियम के क्रियान्वयन के छह वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, राज्य में 2055 बसावटों में कोई विद्यालय नहीं था। अग्रेतर, 230 बसावटों में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं था। परिणामस्वरूप, उन बसावटों में रहे रहे 1.79 लाख बच्चों को पड़ोस का विद्यालय उपलब्ध नहीं हो सका।

(प्रस्तर 2.1.8.1)

गरीब/वंचित वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश

क्रियान्वयन सोसाइटी और जिला नियोजन अधिकारियों के मध्य सामंजस्य की कमी के परिणामस्वरूप समाज के गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों का अत्यन्त कम नामांकन हुआ। विभाग द्वारा कराये गये हाउस होल्ड्सर्व में, भारत सरकार द्वारा कराये गये सर्वे में चिह्नित

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के 75 प्रतिशत/9 प्रतिशत/67 प्रतिशत ही चिन्हित किये जा सके। परिणामस्वरूप, समाज के इन वर्गों हेतु योजनाओं का पर्याप्त क्रियान्वयन नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

बच्चों का नामांकन

सम्प्रेक्षण द्वारा एकत्रित जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के ऑकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि औसतन प्रतिवर्ष 20 लाख ड्रॉप-आउट बच्चे थे। परन्तु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों के अनुसार वर्ष 2011–16 की अवधि में बच्चों का औसत ड्राप आउट 0.63 लाख प्रतिवर्ष था।

विद्यालयों से बच्चों के कुल ड्राप आउट की तुलना में कक्षा 5 से कक्षा 6 में अन्तरण के समय ड्राप आउट अत्यधिक था। ये सम्बन्धित वर्षों में कुल ड्रॉप-आउट के 38 प्रतिशत (2013–14) से 100 प्रतिशत (2011–12) तक विस्तारित था। ऐसा बच्चों को घरेलू और कृषि कार्यों, पारम्परिक शिल्पों में नियोजन और गरीबी इत्यादि के कारण था।

वर्ष 2012–16 के दौरान राज्य के 75 जनपदों में से 71 से 74 जनपदों में अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए उसी कक्षा में बच्चों को रोके रखा गया।

(प्रस्तर 2.1.8.2)

विद्यालयों के लिये आधारभूत संरचना

निधियों की उपलब्धता के बावजूद राज्य में 1,366 विद्यालय बिना उचित भवन/फूस की छत/किराये के भवन/जर्जर भवन में संचालित थे।

राज्य के 1.60 लाख विद्यालयों में से, 2,978 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा और 1,734 विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध नहीं थे। लगभग 50,849 एवं 35,995 विद्यालयों के पास क्रमशः खेल के मैदान तथा पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अग्रेतर, वायरिंग/विद्युत फिटिंग पर ₹ 64.22 करोड़ व्यय किये जाने के बावजूद 34,098 विद्यालयों में विद्युत संयोजन नहीं था।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

विद्यालयों की जी.आई.एस. मैपिंग

निधियों की उपलब्धता के बावजूद बच्चों के लिए पड़ोस के विद्यालय को चिन्हांकित करने हेतु मात्र 30 प्रतिशत विद्यालयों की जी0आई0एस0 मैपिंग की गई।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

बच्चों को पुस्तकों एवं यूनिफार्म का वितरण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2012–16 की अवधि में राज्य में 6.22 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध नहीं करायी गयी, यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पर्याप्त निधियाँ प्राप्त हुई थी। अग्रेतर, विलम्बित निविदा प्रक्रिया और परिवहन प्रकरणों के कारण निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एक से तीन माह के विलम्ब से उपलब्ध करायी गयी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पर्याप्त निधि प्राप्त होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2012–16 की अवधि में 97 लाख बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि, प्रतिवर्ष अप्रैल/जुलाई से शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने नवम्बर माह तक यूनिफार्म

की आपूर्ति की तिथि निर्धारित की। ये और इसके साथ वितरण में देरी के परिणामस्वरूप वर्ष 2010–16 की अवधि में प्रत्येक शैक्षिक सत्र में नवम्बर के बाद यूनिफार्म का वितरण हुआ।

(प्रस्तर 2.1.8.2)

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे

विशिष्ट आवश्यकता वाले उन बच्चों को भी लाभान्वित किया गया जिनके पास विकलांगता प्रमाण—पत्र नहीं था।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

शिक्षकों की योग्यता

अधिनियम प्रवृत्त होने के 6 वर्ष पश्चात भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त 18,119 शिक्षकों और 30,730 शिक्षकों के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहीं थी।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

निधि प्रबंधन

मार्च 2016 तक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किये जा रहे लेखाओं में ₹ 39.20 करोड़ असमाशोधित रहे। इनमें से ₹ 1.82 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से समाशोधन हेतु लम्बित थे। पुनः, राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी ने अनुमन्य तीन बैंक खातों के सापेक्ष 10 बैंक खातों का रखरखाव किया था।

(प्रस्तर 2.1.7.3)

नियोजन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु किया गया नियोजन न तो व्यापक था और न ही इसमें सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की गयी थी। हाउस होल्ड सर्वे करने के लिए कोर्टीमों का गठन नहीं किया गया था और विद्यालय प्रबन्ध समितियों ने विद्यालय विकास योजना नहीं बनाई थी।

(प्रस्तर 2.1.6.1)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विद्यमान समस्याओं जैसे खाद्यान्न का रिसाव और विवर्तन, फर्जी और बोगस राशन कार्ड, समावेश और अपवर्जन की त्रुटि और प्रणाली में पारदर्शिता की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण की संकल्पना की गई थी। योजना के प्रमुख कार्यों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस का डिजिटाइजेशन; आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण; पारदर्शी पोर्टल और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना सम्मिलित थी। 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अन्तर्गत अनुपात (50:50) के आधार पर भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2012 में योजना के लिये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार द्वारा राज्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 108.53 करोड़ अनुमोदित किया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना में, मार्च 2016 तक कुल ₹ 54 करोड़ व्यय किया गया था। यद्यपि, योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि (अक्टूबर 2013) को जून 2015 तक विस्तारित किया गया था, तथापि योजना में परिकल्पित कोई भी प्रमुख क्रियाकलाप पूर्ण नहीं हुआ था।

योजना की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

परियोजना नियोजन, कार्यान्वयन और प्रचालन

भारत सरकार के साथ सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब, राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के विलम्ब से गठन एवं प्रमुख कार्यकलापों का निष्पादन न करने के कारण परियोजना नियोजन विलंबित और त्रुटिपूर्ण रहा।

(प्रस्तर 2.2.8.1 एवं 2.2.8.2)

विभाग द्वारा विसंगत रणनीति अपनाने के कारण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण के लिये निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं हुआ।

(प्रस्तर 2.2.8.4)

राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यकलाप के सभी पहलुओं का समाधान करने में असफल रहा, जिसके कारण मैनुअल प्रक्रिया भी प्रचलित थी। न तो अनुप्रयोगी सॉफ्टवेयर का प्रलेखन सुनिश्चित किया गया और न ही राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ सेवा स्तर अनुबंध गठित किया गया।

(प्रस्तर 2.2.8.6)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण

डाटाबेस में त्रुटिपूर्ण मास्टर कोड की मैपिंग तथा लाभार्थियों के डुप्लीकेट रिकॉर्ड विद्यमान होने के कारण हितधारकों और लाभार्थियों के डाटाबेस के डिजिटाइजेशन में कमियां थीं।

(प्रस्तर 2.2.9.1)

सब्सिडी का समुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से दूसरे डाटाबेस से प्रतिसत्यापन कराकर और लाभार्थियों का बैंक खाता और आधार संग्रहण करके सभी बोगस लाभार्थी और एक से अधिक बार लाभ लेने वाले लाभार्थियों का विलोपन करके फर्जी और बोगस राशन कार्ड हटाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि डाटाबेस का समुचित सत्यापन और अद्यतनीकरण नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.2.9.2)

लाभार्थी डाटाबेस में मौजूद राशन कार्ड की संख्या के आधार पर खाद्यान्न आबंटन आदेश की प्रक्रिया स्थापित न होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं था।

(प्रस्तर 2.2.9.3)

पारदर्शी पोर्टल पर, खाद्यान्न वस्तुओं के वास्तविक उठान, राज्य गोदामों का मुख्य स्टॉक रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर का विवरण उपलब्ध नहीं था। नमूना जाँच किये गये जनपदों में उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न की उपलब्धता के बारे में पहले से पंजीकृत सभी लाभार्थियों को मोबाइल एस.एम.एस. एलर्ट के द्वारा सूचित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.2.9.4)

प्रशिक्षण

दैनिक प्रक्रिया में शामिल कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रभावी प्रशिक्षण योजना तैयार नहीं की गई थी।

(प्रस्तर 2.2.10)

अनुश्रवण

प्रणाली प्रमाणीकरण और टीपीडीएस अनुप्रयोग माड्यूल की सुरक्षा लेखापरीक्षा के अभाव में कम्प्यूटरीकरण की प्रणाली असुरक्षित थी।

(प्रस्तर 2.2.11)

अनुपालन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा में, जोखिम भरे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियाँ पाई गई जो राज्य सरकार की प्रभावकारिता को प्रभावित करती हैं। शासन के कुछ विभागों एवं उनकी क्षेत्रीय इकाइयों के वित्तीय लेन-देनों की नमूना चयनित लेखापरीक्षा में, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में विफलता, पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय किए जाने एवं निरीक्षण तथा प्रशासनिक नियन्त्रण की विफलता के प्रकरण पाए गए। मुख्य लेखापरीक्षा बिन्दुओं की चर्चा नीचे की गई है:

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का कार्यान्वयन

मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की स्थापना (अगस्त 2006) की गयी तथा उसके अधीन मई 2011 में नियम व विनियम बनाये गये जिन्हे सम्पूर्ण भारत में 5 अगस्त 2011 से प्रभावी किया गया तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को पूर्णरूपेण क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तिया निम्न है:

जनपदों में व्यापार संचालित कर रहे खाद्य कारोबारकर्ताओं की वास्तविक संख्या आकलित करने के लिए पहचान हेतु अभिहीत अधिकारियों द्वारा वर्ष 2011-16 के दौरान सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 3.1.3.1)

अभिहीत अधिकारियों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं से विश्लेषण हेतु संग्रहीत किये गये नमूने के 1250 प्रकरणों की लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की गयी तथा पाया गया कि 335 (27 प्रतिशत) खाद्य कारोबारकर्ता बिना वैध लाइसेंस/पंजीकरण के खाद्य व्यापार संचालित कर रहे थे और 844 खाद्य कारोबारकर्ताओं (68 प्रतिशत) में लाइसेंस/पंजीकरण के सम्बन्ध में अभिहीत अधिकारियों के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

(प्रस्तर 3.1.3.4)

विभाग द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं से नमूना संग्रहण हेतु कोई प्रक्रिया, मानक तथा अवधि निर्धारित नहीं की गयी थी जिसके कारण नमूना संग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी तथा पर्याप्त आश्वासन प्रदान नहीं किया।

(प्रस्तर 3.1.4.2)

वर्ष 2011-16 की अवधि में वरिष्ठ खाद्य विश्लेषक के स्वीकृत पद के सापेक्ष 63 प्रतिशत पद और प्रयोगशाला तकनीकी के 78 प्रतिशत पद रिक्त थे।

(प्रस्तर 3.1.5.2)

वर्ष 2012-16 की अवधि में राज्य प्रयोगशाला और चयनित जिलों में ढांचागत संरचना की कमी के बावजूद मशीनों का क्रय, प्रयोगशाला के उच्चीकरण आदि हेतु पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत आवंटित धनराशि ₹ 20.20 करोड़ (58 प्रतिशत) निविदा की प्रक्रिया का अन्तिमीकरण न किये जाने के कारण समर्पित कर दिया गया।

(प्रस्तर 3.1.5.4)

छ: राज्य प्रयोगशालाओं में से पाँच प्रयोगशालायें बिना एन.ए.बी.एल से मान्यता प्राप्त किये कार्यरत थीं और इन प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरणों की भारी कमी के कारण खाद्य पदार्थों की सभी प्रकार की निर्दिष्ट परीक्षण करने में सक्षम नहीं थीं।

(प्रस्तर 3.1.6.1)

विभाग की अक्रियाशीलता के कारण वर्ष 2011-16 की अवधि में दोषी खाद्य कारोबारकर्ताओं पर न्याय निर्णय अधिकारी द्वारा आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 15.70 करोड़ की वसूली अवशेष थी। यह न केवल दोषी कारोबारकर्ताओं को अदेय सहयोग में विस्तार था बल्कि शासकीय राजस्व की हानि भी थी।

(प्रस्तर 3.1.7.2)

अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा

भारत सरकार द्वारा न्यायपालिका में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना 1993-94 में प्रारम्भ की गयी। शासन द्वारा 2011-16 की अवधि में न्यायालय कक्षों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासों के निर्माण हेतु ₹ 827.50 करोड़ व्यय किया गया।

लेखा परीक्षा के दौरान पायी गयी मुख्य कमियाँ निम्नवत हैं:

राज्य सरकार द्वारा 2011-16 के मध्य न्यायालय कक्षों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासों के निर्माण हेतु बजट आबंटन के 33 प्रतिशत (₹ 401.00 करोड़) का उपयोग नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.2.2.2)

सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 31 मार्च 2016 तक मात्र 37 प्रतिशत न्यायालय कक्षों एवं 28 प्रतिशत आवासों का निर्माण ही पूर्ण हो सका था। अपर्याप्त सर्वेक्षण, मानचित्रों की विलम्ब से स्वीकृति एवं कार्य की धीमी प्रगति आदि न्यायालय कक्षों एवं आवासों के निर्माण में विलम्ब के मुख्य कारण थे।

(प्रस्तर 3.2.3.1)

सरकार द्वारा ₹ 234.83 करोड़ के 43 कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को नामित कर के दिये गये थे। चयनित जनपदों में इन कार्यों को बिना निविदा आमंत्रित किये एवं बिना कोई अनुबंध/समझौता ज्ञाप निष्पादित किये हुये दिया गया। परिणामस्वरूप कार्यदायी संस्थाओं का उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

(प्रस्तर 3.2.3.5)

ई-कोर्ट स्कीम के अन्तर्गत चार चयनित जनपदों में आपूर्ति 468 थिन क्लाइंट मशीनों में से ₹ 27.87 लाख मूल्य की 208 मशीनें (44 प्रतिशत) विगत पाँच वर्षों से भी अधिक समय से बिना उपयोग के निष्क्रिय पड़ी थीं।

(प्रस्तर 3.2.4.1)

उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उपकरण प्रबन्धन

यद्यपि शासन द्वारा पर्याप्त निधियों का प्राविधान किया गया था, परन्तु राजकीय मेडिकल कालेजों ने चिकित्सकीय एवं शिक्षण उपकरणों का क्रय नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उपकरणों का अभाव था।

(प्रस्तर 3.3.2.1)

राजकीय मेडिकल कॉलेज कैसर/हृदय रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा प्रदान करने में असफल रहे क्योंकि उपकरण जैसे कोबाल्ट टेलिथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी यूनिट, लेफ्ट वेन्ट्रीक्यूलर एसीस्ट डिवाईस इत्यादि चिकित्सकों/तकनीकी कर्मचारियों/अवसंरचना के अभाव के कारण चिकित्सालयों में क्रियाशील नहीं थे। राजकीय मेडिकल कॉलेजों ने उपकरणों हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा निष्पादित नहीं की थी। परिणामस्वरूप मशीनें क्रियाशील नहीं थीं एवं सर्विक्स कैसर, गर्भावस्था मॉनीटरिंग, प्रीनेटल डायगोनसिस, बायोकेमिकल एवं हारमोनल जॉर्चें आदि किये नहीं जा सके।

(प्रस्तर 3.3.3.3 एवं 3.3.3.4)

राजकीय मेडिकल कॉलेजों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं का अनुचित पक्षपात करते हुए उपकरणों का क्रय एवं अधिक दर पर उपकरण का क्रय करके सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

(प्रस्तर 3.3.3.5)

राजकीय मेडिकल कॉलेजों का वित्तीय प्रबन्धन पर्याप्त नहीं था क्योंकि पी0एल0ए0 में लम्बी अवधि तक निधियों का अवरोधन, निधियों के व्यावर्तन आदि के प्रकरण थे। इससे न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ अपितु रोगियों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल से भी वंचित रखा गया क्योंकि आवश्यक उपकरणों का समय से क्रय नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 3.3.2.1 एवं 3.3.2.2)

वित्तीय लेन-देनों के लेखापरीक्षा प्रस्तर

ताप विद्युत गृहों को आपूर्ति जल पर रॉयल्टी की वसूली में विफलता के कारण शासन को ₹ 444.82 करोड़ की हानि।

(प्रस्तर 3.10)

अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन कर मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-5, बिजनौर द्वारा ठेकेदार को ₹ 6.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया जाना।

(प्रस्तर 3.12)

शासनादेश का उल्लंघन करते हुए अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस एवं कासगंज के जनपदों में पाँच अति-दोहित खण्डों में 22 नलकूप तथा दो क्रिटिकल खण्डों में छः नलकूप के निर्माण पर ₹ 3.13 करोड़ (क्रमशः ₹ 2.69 करोड़ तथा ₹ 0.44 करोड़) का अनियमित व्यय किया गया।

(प्रस्तर 3.13)

बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभार्थियों को ₹ 20.58 करोड़ के चेक वितरण करने हेतु 69 जिलों में समारोहों के आयोजन पर ₹ 15.06 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया जबकि बेरोजगारी भत्ते को लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाना था।

(प्रस्तर 3.16)

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ में आवश्यक तकनीकी मानवशक्ति के अभाव एवं रसायनों की खरीदारी में विफलता के कारण विगत छः वर्षों से किसी भी दवा के नमूनों का परीक्षण नहीं हो सका जिससे प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण पर व्यय की गयी धनराशि ₹ 1.78 करोड़ अलाभकारी रही।

(प्रस्तर 3.17)

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, हमीरपुर द्वारा 26 चेकड़ेम के निर्माण हेतु न्यूनतम निविदाओं को अस्वीकृत कर उच्च दर पर अनुबन्धों के क्रियावन्यन के कारण शासन को ₹ 1.04 करोड़ की हानि।

(प्रस्तर 3.19)

प्रान्तीय खण्ड, मऊ और वाराणसी द्वारा इण्डियन रोड कॉग्रेस के मानदण्डों और प्रमुख अभियन्ता के आदेशों का उल्लंघन कर सड़क के सुदृढ़ीकरण में डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम की परत डालने में, अधिक बिटुमिन कन्टेंट का उपयोग करने के कारण ठेकेदारों को ₹ 2.35 करोड़ का अनाधिकृत भुगतान किया जाना।

(प्रस्तर 3.22)

विभाग के आदेशों के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग के दो खण्डों द्वारा 71 कि०मी० मार्ग के निर्माण में ड्रेनेज लेयर के रूप में 150 मि०मी० ग्रेनुलर सबबेस बिछाये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 12.72 करोड़ का परिहार्य व्यय।

(प्रस्तर 3.24)

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु आगरा में विश्वविद्यालय परिसर में छात्रावास के संचालन में विफलता तथा बिजनौर में दूरस्थ क्षेत्र में छात्रावास भवन का निर्माण करने एवं आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करने के कारण ₹ 1.47 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा क्योंकि दोनों ही छात्रावासों में विगत क्रमशः 11 एवं 6 वर्षों से अनुसूचित जाति की छात्राओं द्वारा अधिनिवासन नहीं किया जा रहा था।

(प्रस्तर 3.27)

अध्याय १

प्रस्तावना

अध्याय 1 — प्रस्तावना

1.1 बजट की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश राज्य में 65 विभाग हैं। वर्ष 2011–16 की अवधि में राज्य सरकार का वर्षवार बजट अनुमान एवं उसके सापेक्ष वास्तविक व्यय की स्थिति सारणी 1 में दी गई है:

सारणी 1: वर्ष 2011–16 की अवधि में राज्य सरकार का बजट अनुमान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	बजट अनुमान	वास्तविक								
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवायें	52,787.37	52,946.92	62,175.69	59,906.72	64,697.36	61,983.49	74,325.18	64,305.73	80,923.25	72,227.92
सामाजिक सेवायें	51,259.27	47,390.94	59,081.49	53,300.32	65,749.29	60,756.28	75,478.78	60,905.78	84,969.91	82,486.46
आर्थिक सेवायें	20,290.65	18,292.21	23,639.78	21,337.36	26,393.20	25,710.72	36,582.55	34,885.24	39,686.37	47,881.29
सहायता अनुदान एवं अंशदान	5,308.25	5,255.10	6,244.67	6,179.24	9,777.74	9,696.38	11,038.37	10,930.57	10,176.65	10,140.28
योग (1)	1,29,645.54	1,23,885.17	1,51,141.63	1,40,723.64	1,66,617.59	1,58,146.87	1,97,424.88	1,71,027.32	2,15,756.18	2,12,735.95
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	25,959.72	21,573.96	26,147.20	23,834.29	30,052.82	32,862.65	55,986.16	53,297.28	63,154.26	64,422.72
ऋण एवं अग्रिम संवितरण	1,240.15	975.57	1,167.73	1,003.24	1,779.71	1,473.34	1,909.67	1,872.64	2,792.99	9,117.91
लोक ऋणों का पुनर्भुगतान	8,397.88	8,287.61	8,821.50	8,909.04	8,097.86	8,166.74	19,383.88	9,411.21	20,983.89	17,672.76
आकस्मिकता निधि	-	309.64	-	262.45	-	86.55	-	203.15	-	44.07
लोक लेखा संवितरण	-	1,30,970.76	-	1,29,471.51	-	2,20,459.29	-	2,28,014.45	-	2,64,293.87
अंतिम रोकड़ शेष	-	13,446.70	-	15,172.42	-	4,020.63	-	(-)401.32	-	-200.21
योग (2)	- 1,75,564.24		- 1,78,652.95		- 2,67,069.20		- 4,85,819.01		- 3,55,351.12	
कुल योग (1+2)	- 2,99,449.41		- 3,19,376.59		- 4,25,216.07		- 6,56,846.33		-	

(स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के व्याख्यात्मक मेमोरेण्डम)

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

कुल बजट परिव्यय ₹ 2,81,703 करोड़ के सापेक्ष कुल व्यय ₹ 2,86,277 करोड़ था। वर्ष 2015–16 की अवधि में राज्य का कुल व्यय¹ ₹ 2,26,197 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,86,277 करोड़ हो गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय वर्ष 2014–15 के ₹1,71,027 करोड़ से 24 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2,12,736 करोड़ हो गया। वर्ष 2011–16 की अवधि में आयोजनेतर राजस्व व्यय ₹ 1,01,269 करोड़ से 67 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,69,485 करोड़ हो गया तथा पूँजीगत व्यय ₹ 21,574 करोड़ से 199 प्रतिशत बढ़कर ₹ 64,423 करोड़ हो गया।

¹ कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

वर्ष 2011–12 में राज्य में हुए कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 84 प्रतिशत था जो वर्ष 2015–16 में घटकर 74 प्रतिशत हो गया जबकि 2011–16 की अवधि में पूँजीगत व्यय 15 से 23 प्रतिशत रहा। वर्ष 2011–16 की अवधि में हुए कुल व्यय में औसत वृद्धि दर 17 प्रतिशत थी जबकि राजस्व प्राप्तियों में औसत वृद्धि दर 15 प्रतिशत थी।

1.3 सतत बचतें

विगत पाँच वर्षों में 16 अनुदानों से संबंधित 18 प्रकरणों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की सतत बचतें हुईं। सतत बचतों का विवरण सारणी 2 में दिया गया है:

सारणी 2: सतत बचतें दर्शाने वाले अनुदान

क्र. सं.	अनुदान सं०	अनुदान का नाम	बचतों की धनराशि					(₹ करोड़ में)
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
राजस्व—दत्तमत								
1	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	766.37	644.92	596.10	425.39	438.74	
2	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	134.31	103.79	201.09	399.75	208.61	
3	14	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	211.63	907.53	462.21	2,368.27	3,117.69	
4	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	145.70	403.79	471.31	672.14	938.53	
5	37	नगर विकास विभाग	625.51	238.51	654.69	2,762.12	1,390.72	
6	42	न्याय विभाग	172.36	178.52	223.31	330.65	329.12	
7	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	636.11	372.97	271.58	370.04	1,058.88	
8	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	238.54	681.45	1,041.27	1,265.68	1,384.03	
9	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	888.00	1,865.81	2,567.23	4,390.54	3,229.85	
10	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	582.87	1,276.77	874.11	787.75	918.15	
11	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	745.76	816.09	348.28	422.39	278.80	
12	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	792.46	1,762.10	1,315.74	2,509.94	2,306.78	
13	94	सिंचार्इ विभाग (निर्माण)	504.35	198.79	738.76	745.95	766.33	
योग			6,443.97	9,451.04	9,765.68	17,450.61	16,366.23	
पूँजीगत—दत्तमत								
14	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	100.86	177.73	470.53	286.17	533.67	
15	26	गृह विभाग (पुलिस)	488.36	363.24	126.51	110.84	282.44	
16	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	373.36	164.73	148.22	640.44	635.44	
17	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	415.46	588.84	524.04	1,634.76	1,357.70	
योग			1,378.04	1,294.54	1,269.30	2,672.21	2,809.25	
पूँजीगत—भारित								
18	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा एवं अन्य व्यय)	9,999.25	9,934.16	9,840.02	9,971.46	3,711.90	
योग			9,999.25	9,934.16	9,840.02	9,971.46	3,711.90	

(प्रोत: संदर्भित वर्षों के विनियोग लेखे)

1.4 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण सारणी 3 में दिया गया है:

सारणी 3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयोजनेत्तर अनुदान	4,396.73	4,341.00	7,933.79	6,808.88	8,273. 90
राज्य योजनाओं के लिए अनुदान	6,813.40	5,518.39	6,595.22	6,576.02	1,933.17
केन्द्रीय योजनाओं के लिए अनुदान	212.45	12.31	225.90	17.37	16.30
केन्द्र पुरोगतिधानित योजनाओं के लिए अनुदान	6,337.44	7,466.09	7,650.26	19,289.20	21,637.97
कुल योग	17,760.02	17,337.79	22,405.17	32,691.47	31,861.34
पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि / कमी की प्रतिशतता	15.07	(-)2.38	29.22	45.91	(-) 2.54
राजस्व प्राप्तियाँ	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	13.57	11.88	13.32	16.90	14.03

(स्रोत: संदर्भित वर्षों के वित्त लेखे)

1.5 उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये

राज्य सरकार नियम (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर 396 एच) में निर्दिष्ट है कि यदि विशिष्ट प्रयोजन हेतु अनुदान धनराशि स्वीकृत की जाती है तो संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ता से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने चाहिए जिनका सत्यापन कर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रसारित किया जाना चाहिए। उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किये जाने से यह सुनिश्चित करना मुश्किल था कि अवमुक्त धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु किया गया है। 31 मार्च 2016 तक अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्र की स्थिति सारणी 4 में दी गयी है।

सारणी 4: अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्र

अवधि	प्रतीक्षित उपभोग प्रमाण–पत्र की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2013–14 तक	3,61,489	1,00,539.80
2014–15	18,440	19,914.15
2015–16	19,630	25,847.63
योग	3,99,559	1,46,301.58

(स्रोत: वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे)

सारणी 4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 के अंत तक पर्याप्त धनराशि से संबंधित उपभोग प्रमाण–पत्र बड़ी संख्या में अवशेष थे।

उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किये जाने के प्रमुख प्रकरण सामाजिक कल्याण विभाग (49,349 प्रकरण—₹ 22,104 करोड़), प्राथमिक शिक्षा विभाग (45,107 प्रकरण—₹ 19,818 करोड़), पंचायती राज (10,937 प्रकरण—₹ 18,287 करोड़), विद्युत विभाग (186 प्रकरण—₹ 18,065 करोड़), तथा सामाजिक कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण (29,767 प्रकरण—₹ 14,181 करोड़) से संबंधित हैं। ये कुल अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्रों का 63 प्रतिशत हैं।

नमूना जाँच (सितम्बर 2016) के दौरान कृषि एवं सामाजिक कल्याण विभाग में उपभोग प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न किये जाने के दृष्टांत देखे गये। विभाग द्वारा बताया गया कि उपयोग प्रमाण—पत्रों के संग्रहण का कार्य प्रक्रिया में है। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने उपभोग प्रमाण—पत्रों के संग्रहण एवं उन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को नियत समय के भीतर प्रेषित किए जाने के कार्य का अनुपालन नहीं किया।

1.6 राज्य की आर्थिक स्थिति

राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति के निर्धारण के लिए विभिन्न मानक जैसे राजकोषीय घाटा एवं राजकोषीय देयताएँ, महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। वर्ष 2011–16 की अवधि में इन मानकों के साथ उनकी विकास दर की स्थिति सारणी 5 में दी गयी है।

सारणी 5 राज्य की आर्थिक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,24,049	8,22,903	9,44,146	10,43,371	11,53,795
राजस्व प्राप्तियाँ	1,30,869	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076
राजकोषीय घाटा (-)	(-) 15,433	(-) 19,238	(-) 23,680	(-) 32,513	(-) 58,475
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.13	(-) 2.34	(-) 2.51	(-) 3.12	(-) 5.07
राजकोषीय घाटा की विकास दर (प्रतिशत में)	13 (1,23,885)	25 (1,40,724)	23 (1,58,147)	37 (1,71,027)	80 (2,12,736)
राजकोषीय देयताएँ	2,43,229	2,59,621	2,81,709	3,07,859	3,67,252
राजकोषीय देयताएँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	34	32	30	30	32
राजकोषीय देयताएँ की विकास दर (प्रतिशत में)	8	7	9	9	19
राजकोषीय देयताएँ/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	186	178	167	159	162

(ज्ञात: संदर्भित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2015–16 की अवधि में राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के 5.07 प्रतिशत था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3 प्रतिशत से 2.07 प्रतिशत अधिक था। राजकोषीय घाटा की वृद्धि दर वर्ष 2011–12 के मात्र 13 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015–16 में 80 प्रतिशत थी जो बढ़े हुए राजकोषीय असंतुलन को दर्शाती है। राजकोषीय घाटे के उच्च स्तर का कारण था— उच्च राजस्व व्यय एवं आर्थिक सेवाओं के आवंटन में हुई वृद्धि जो मुख्यतः यू.डी.ए.वाई. योजना की देयताओं को पूरा करने से हुई थी। ₹ 58,475 करोड़ का राजकोषीय घाटा बढ़ी हुई बाजार उधारियों तथा वित्तीय संस्थानों आदि से ऋणों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था। 2011–15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों से राजकोषीय देयताओं के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी जो वर्ष 2011–12 के 186 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 159 प्रतिशत रही। यद्यपि, वर्ष 2015–16 में यह अनुपात थोड़ा बढ़कर 162 प्रतिशत हो गया था तथापि उच्च राजस्व प्राप्तियों के कारण बेहतर ऋण संवहनीयता को दर्शाता है।

1.7 लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न विभागों/स्वायत्त निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं आदि में निहित व्यय, क्रियाकलापों की निर्णयाकता/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण करने, हितधारकों के प्रयोजनों एवं विगत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधित कर जोखिम के आकलन करने से प्रारम्भ होती है। इस जोखिम आकलन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति एवं उसका क्षेत्र निर्धारित किया जाता है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा के निष्कर्षों सहित कार्यालय प्रमुख को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि निष्कर्षों के उत्तर एक माह के अन्दर प्रस्तुत किए जायें। उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को या तो निस्तारित किया जाता है अथवा उसके अनुपालन हेतु अग्रेतर कार्यवाही का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाये गये लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रसंस्कृत रूप में सम्मिलित करके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2015–16 की अवधि में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के 1,651 आहरण एवं वितरण अधिकारियों एवं 139 स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा (उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन), एक सूचना एवं प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण) एवं तीन लेखापरीक्षाओं (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006², अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा एवं उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उपकरण प्रबन्धन) हेतु भी लेखापरीक्षा निष्पादित की गई थी।

1.8 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति शासन की अभिरुचि का अभाव

प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश शासन के विभागों का समय–समय पर निरीक्षण कर, लेन–देनों की नमूना–जाँच द्वारा सत्यापित करते हैं कि महत्वपूर्ण लेखा एवं अन्य अभिलेखों के रख–रखाव निर्धारित नियमों एवं पद्धति के अनुसार किया गया है। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। लेखापरीक्षा के दौरान पायी गई महत्वपूर्ण अनियमिततायें जब लेखापरीक्षित इकाइयों के स्तर पर निस्तारित नहीं हो पाती हैं, तब उन निरीक्षण प्रतिवेदनों को निरीक्षित कार्यालय के प्रमुखों को प्रेषित किया जाता है, जिनकी एक प्रति उनके उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित की जाती है।

कार्यालय के प्रमुख एवं उनके उच्च अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर अनुपालन आख्या कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) को प्रेषित किया जाना चाहिए। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) द्वारा प्रमुख सचिव (वित्त) को भेजे गये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अद्वैतार्थिक रिपोर्ट के माध्यम से गम्भीर अनियमितताएँ, विभागों के प्रमुखों के संज्ञान में लायी जाती हैं।

लेखापरीक्षा जाँच के परिणामों के आधार पर 8,145 निरीक्षण प्रतिवेदनों² में निहित 31,638 लेखापरीक्षा निष्कर्ष 31 मार्च 2016 तक लम्बित थे। वर्ष 2015–16 में लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित की गई थीं जिसमें कोई भी निरीक्षण प्रतिवेदन निस्तारित नहीं किये गये तथा 15 प्रस्तर निस्तारित किये गये थे।

विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित निष्कर्षों पर निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यवाही नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

² 30 सितम्बर 2014 तक निर्गत एवं 31 मार्च 2015 तक लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रस्तर सम्मिलित हैं।

इस सम्बन्ध में यह संस्तुति की जाती है कि शासन को प्रकरण की जाँच करनी चाहिए जिससे कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति तत्काल एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली की प्रक्रिया के नियमानुसार, प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित होने वाले सभी लेखापरीक्षा प्रस्तरों एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्यवाही करने की पहल करनी चाहिए, चाहे वे लोक लेखा समिति द्वारा जाँच हेतु लिए जाते हैं अथवा नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित विस्तृत टिप्पणी एवं उनके द्वारा उठाये गये उपचारी कदम या प्रस्तावित कदम के साथ प्रस्तुत करने थे। हालांकि, 31 मार्च 2015 के अंत तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों के संदर्भ में 683 एकशन टेकेन नोट की प्राप्तियाँ 31 अगस्त 2016 तक लम्बित थीं।

1.10 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति शासन का रुझान (आलेख्य प्रतिवेदन प्रस्तरों पर)

विगत कई वर्षों से लेखापरीक्षा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता में कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित/सूचित गया है जो कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसका उद्देश्य विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं का लेखा-परीक्षण करना तथा कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्यवाही करने एवं नागरिकों को सुपुर्द सेवाओं में सुधार लाने के लिए उचित सुझाव देना था।

लेखापरीक्षा एवं लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के नियमन, 2007 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित आलेख्य प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों पर अपने प्रत्युत्तर एक माह के अंदर प्रेषित किये जाने की अवश्यकता थी। यह उनके व्यक्तिगत संज्ञान में लाया गया था कि प्रस्तरों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित कर राज्य विधायिका के समक्ष रखा जायेगा तथा इंगित प्रकरणों पर उनके द्वारा टिप्पणी भेजा जाना वांछित था। उन्हें आलेख्य प्रतिवेदनों पर प्रधान महालेखाकार के साथ परिचर्चा किए जाने हेतु भी सुझाव दिया गया था। प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित आलेख्य प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों को संबंधित विभागों के मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके प्रत्युत्तर हेतु अग्रसारित किया गया था।

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा (उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन), एक सूचना एवं प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण) एवं तीन लेखापरीक्षाओं (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006', अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा एवं उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उपकरण प्रबन्धन) की आलेख्य प्रतिवेदन एवं 26 आलेख्य प्रस्तरों को संबद्ध विभाग के प्रशासनिक सचिवों को प्रेषित किया गया था तथा सभी प्रकरणों पर शासन के साथ परिचर्चा भी हुई किन्तु लेखापरीक्षा में बाबबार अनुरोध किये जाने के बावजूद प्रमुख सचिवों द्वारा उपस्थिति की पुष्टि न किये जाने की स्थिति में आलेख्य प्रस्तर 3.8 पर परिचर्चा नहीं हो सकी।

अध्याय 2 – निष्पादन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के प्रारम्भ से अन्त तक कम्प्यूटरीकरण' की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं।

प्राथमिक शिक्षा विभाग

2.1 उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा, वर्ष 2000–01 में, सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने हेतु संशोधित (मार्च–2011) किया गया तथा इसे अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मुख्य संवाहक बनाया गया। वर्ष 2010–16 की अवधि में उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु ₹ 47,403.24 करोड़ का व्यय किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नवत हैं:

नियोजन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियोजन न तो समग्र था और न ही उसमें सामुदायिक सहभागिता का समावेश था। हाउसहोल्ड सर्वेक्षण हेतु कोर्टीमों का गठन नहीं किया गया था तथा विद्यालय प्रबन्ध समितियों द्वारा विद्यालय विकास योजनाओं को तैयार नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.6.1)

निधि प्रबंधन

वर्ष 2010–16 की अवधि में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निधियों के अपने अंशों को पूर्णरूपेण न दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 11,176.84 करोड़ (32.1 प्रतिशत) एवं ₹ 2,765.41 करोड़ (13.9 प्रतिशत) की धनराशियाँ कम अवमुक्त हुईं।

(प्रस्तर 2.1.7.1)

वर्ष 2002–16 की अवधि से सम्बन्धित कुल ₹ 39.20 करोड़ की निधि राज्य क्रियान्वयन सोसायटी के लेखाओं में मार्गस्थ निधियों के रूप में प्रदर्शित की जा रही थी।

(प्रस्तर 2.1.7.3)

अर्ह बसावटों हेतु विद्यालय

राज्य सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार, 2,055 और 230 अर्ह बसावटों को क्रमशः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अभी भी प्रदान किये जाने शेष थे।

परिणामस्वरूप, इन बसावटों में रहने वाले 1,79,054 बच्चों को पड़ोस के विद्यालय उपलब्ध नहीं थे।

(प्रस्तर 2.1.8.1)

नमूना चयनित जनपदों गोरखपुर, मऊ, सुल्तानपुर एवं झाँसी में 465 निजी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित थे।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

बच्चों का नामांकन

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकित बच्चों की संख्या, जो वर्ष 2012–13 में 3.71 करोड़ थी, वर्ष 2015–16 में घटकर 3.64 करोड़ रह गयी।

वर्ष 2010–16 की अवधि में शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन में कमी (18.6 प्रतिशत) हुई जबकि निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि (36.5 प्रतिशत) हुई।

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली एवं हाउसहोल्ड सर्वेक्षण के आँकड़ों की तुलना से यह स्पष्ट हुआ कि औसत रूप से ड्राप आउट बच्चों की संख्या 20 लाख प्रतिवर्ष थी। परन्तु, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2011–16 की अवधि में ड्राप आउट बच्चों की संख्या औसतन 0.63 लाख प्रतिवर्ष थी।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किये गए 428 विद्यालयों में, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दिन 51,649 नामांकित बच्चों के सापेक्ष केवल 13,861 (27 प्रतिशत) बच्चों की उपस्थिति थी।

(प्रस्तर 2.1.8.2)

बच्चों को पुस्तकों एवं यूनिफार्म का वितरण

वर्ष 2012–16 की अवधि में लगभग 6.22 लाख बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी गयी। अग्रेतर, नमूना जांच के जनपदों में वर्ष 2010–16 की अवधि में क्रय की गयी 18.35 करोड़ पुस्तकों के सापेक्ष 5.91 करोड़ पुस्तकें (32.21 प्रतिशत) बच्चों को अगस्त या उसके बाद के माहों में वितरित की गयीं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011–12 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों को मात्र एक सेट यूनिफार्म दिया जबकि कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा दो सेट यूनिफार्म की स्वीकृति दी गयी थी तथा तदनुसार निधियां अवमुक्त की गयी थीं। वर्ष 2011–16 की अवधि में 10.06 लाख बच्चों को यूनिफार्म वितरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से 20 से 230 दिनों तक के विलम्ब से उपलब्ध कराये गए। अग्रेतर, पर्याप्त निधि उपलब्ध होने के उपरांत भी 0.97 करोड़ अर्ह बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध नहीं कराये गये।

(प्रस्तर 2.1.8.2)

शिक्षकों की तैनाती एवं उनकी शैक्षिक योग्यता

शिक्षकों के स्वीकृत 7.60 लाख पदों के सापेक्ष 1.75 लाख शिक्षकों की कमी थी। अग्रेतर, शिक्षकों की तैनाती भी तार्किक नहीं थी क्योंकि 17,732 प्राथमिक एवं 1,349 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जिनमें नामांकन 150 छात्र से ज्यादा था, छात्र–शिक्षक अनुपात प्राप्त नहीं हुआ जबकि 7,264 प्राथमिक एवं 2,377 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जिनमें नामांकन 50 छात्र से कम था, छात्र–शिक्षक अनुपात अधिक था।

अधिनियम (अप्रैल 2010) में अपेक्षित था कि सभी शिक्षकों को, जिनके पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं थी, उन्हें इसे पाँच वर्ष (मार्च 2015) के अन्दर प्राप्त कर लेना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम के प्रभावी होने के छः वर्षों के उपरान्त भी, प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 18,119 शिक्षकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 30,730 शिक्षकों के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहीं थी।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

गरीब/वंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश

वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की अवधि में गरीब एवं वंचित वर्ग के क्रमशः 6.16 लाख तथा 6.46 लाख बच्चों की प्रवेश क्षमता के सापेक्ष मात्र 108 एवं 3278 बच्चों को ही विद्यालयों में प्रवेश दिया गया।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

विद्यालयों की जी.आई.एस. मैपिंग

राज्य सरकार सभी विद्यालयों की जी.आई.एस. मैपिंग पूर्ण करने में असफल रही। निधियों की उपलब्धता के बावजूद मात्र 30 प्रतिशत विद्यालयों की ही मैपिंग की गयी।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

विद्यालयों हेतु भवन

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण की स्वीकृति में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित मानकों का अनुपालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप अपर्याप्त स्थान वाले विद्यालय भवनों का निर्माण हुआ।

नमूना जांच के 15 जनपदों में 428 विद्यालयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 111 विद्यालयों में 272 कक्षा कक्ष कम एवं 166 विद्यालयों में 442 कक्षा कक्ष अधिक थे।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

नमूना जांच के जनपदों, महराजगंज, सोनभद्र एवं सुल्तानपुर, की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्यालय भवन एवं अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण में कुल ₹ 52.51 लाख का संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया था। जनपद सोनभद्र में आठ विद्यालयों के निर्माण हेतु ₹ 19.25 लाख की धनराशि का आहरण (वर्ष 2003–04) किया गया परन्तु विद्यालय निर्मित/पूर्ण नहीं किये गये।

(प्रस्तर 2.1.7.3)

बच्चों के लिए सुविधायें

राज्य के 1.6 लाख विद्यालयों में से 50,849 में खेल के मैदान नहीं थे, 57,107 में चहारदीवारी नहीं थी, 35,995 में पुस्तकालय सुविधा नहीं थी, 2,978 विद्यालयों में पेयजल सुविधा नहीं थी एवं 1734 विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक—पृथक शौचालय नहीं थे।

34,098 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत संयोजन नहीं था यद्यपि इन विद्यालयों के निर्माण के समय इनके आतंरिक विद्युतीकरण (वायरिंग/विद्युत फिटिंग) पर ₹ 64.22 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण

पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु आदेशों के निर्गमन के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई पद्धति पारदर्शी एवं उचित रूप से प्रतिस्पर्धात्मक नहीं थी। निविदा आमंत्रण की सूचना और/या निविदा प्राप्तियों में मुद्रकों को पुस्तकों के मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु मात्राओं/जनपदों की संख्या के वितरण का मापदण्ड इंगित नहीं किया गया था। चूंकि लगभग सभी निविदादाताओं को, जिन्होंने न्यूनतम दर (एल-1) पर आपूर्ति हेतु सहमति प्रदान की थी, उन्हें पुस्तकों की आपूर्ति हेतु पैनल में सम्मिलित कर लिया गया; अतः जिन निविदादाताओं द्वारा न्यूनतम दर दी गयी थी उनके लिये कोई प्रतिस्पर्धात्मक तनाव नहीं था जो उन्हें दरों को नीचे लाने हेतु बाध्य कर सके।

(प्रस्तर 2.1.8.2)

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे

वर्ष 2010–16 की अवधि में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में नामांकित 18.76 लाख बच्चों में से मात्र 2.09 लाख बच्चों के पास विकलांगता प्रमाण—पत्र था फिर भी सभी बच्चों को अर्ह मानते हुए ₹ 287.88 करोड़ व्यय किया गया।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

अनुश्रवण

योजना का अनुश्रवण प्रभावी नहीं था क्योंकि अधिनियम के क्रियान्वयन के तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् राज्य सलाहकार परिषद् का गठन किया गया था। इसी प्रकार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के लागू होने के सात वर्ष उपरांत राज्य बाल—अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था और इसे मार्च 2016 तक मात्र पांच शिकायते प्राप्त हुई थी।

(प्रस्तर 2.1.10)

2.1.1 प्रस्तावना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (अधिनियम) 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) पूर्ण होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा¹ का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2011 में शिक्षा का अधिकार नियमावली प्रख्यापित की गयी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000–01 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने हेतु संशोधित (मार्च–2011) किया गया तथा इसे अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मुख्य संवाहक बनाया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य प्रावधानों को परिशिष्ट 2.1.1 में दिया गया है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय—सीमा को परिशिष्ट 2.1.2 में दिया गया है।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर, अधिनियम के क्रियान्वयन का सम्पूर्ण दायित्व सचिव, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन में निहित है। उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद जो सर्व शिक्षा अभियान हेतु ‘राज्य क्रियान्वयन सोसायटी’ के रूप में कार्य करती है, राज्य

¹‘अनिवार्य शिक्षा’ का अर्थ है उपयुक्त सरकार का दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक उनका नामांकन सुनिश्चित करे और उन्हें निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराये।

में अधिनियम के क्रियान्वयन की भी देखरेख करती है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति, अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु निर्देश एवं दिशा-निर्देश प्रदान करती है। राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के सदस्य सचिव थे। राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में राज्य परियोजना कार्यालय अधिनियम के समग्र क्रियान्वयन की देखरेख करता है। जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा समिति समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु तथा जिला परियोजना अधिकारी² अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी थे।

2.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलित करने हेतु की गयी कि क्या:

- विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित एक समग्र कार्य-योजना बनायी गयी थी एवं उसे कुशल एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया गया था;
- अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित वित्तीय संसाधनों का समुचित मूल्यांकन किया गया था, उसे समय से अवमुक्त किया गया था तथा उसका प्रभावी तरीके से उपभोग किया गया था;
- अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया था तथा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को पूर्ण करने की निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन किया गया था;
- अधिनियम के क्रियान्वयन ने सामाजिक एवं लैंगिक अंतराल और विषमताओं को पर्याप्त रूप से कम किया था तथा प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को सुनिश्चित किया था; एवं
- अनुश्रवण पर्याप्त और प्रभावी था तथा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का आवधिक मूल्यांकन, इसके प्रभाव और अतिरिक्त अन्तःक्षेपों की आवश्यकता के आंकलन हेतु किया गया था।

2.1.4 लेखापरीक्षा का मापदंड

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के आंकलन हेतु इसके प्रावधान, इसके अधीन निर्मित नियमावली तथा समय-समय पर निर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देश लेखापरीक्षा के मापदंड थे। लेखापरीक्षा के विस्तृत मापदंडों को परिशिष्ट 2.1.3 में सूचीबद्ध किया गया है।

2.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि

दिनांक 4 अप्रैल 2016 को सचिव, बेसिक शिक्षा के साथ 'प्रारंभिक गोष्ठी' आयोजित की गयी जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा के मापदंड तथा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गयी एवं सहमति व्यक्त की गयी। दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा के साथ 'समापन गोष्ठी' आयोजित की गयी।

निम्नलिखित कार्यालयों के वर्ष 2010–16 की अवधि के अभिलेखों का परीक्षण किया गया:

² बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी के पद को धारित करते हैं।

सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ; उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ; राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ; बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ; राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ, राज्य शैक्षिक प्रोटोग्रामी संस्थान लखनऊ एवं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद।

विस्तृत परीक्षण हेतु आकार के आधार पर बिना प्रतिस्थापन के समानुपातिक प्रायिकता विधि द्वारा, राज्य के 75 जनपदों में से 16 जनपदों³ के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय चयनित किये गये।

बिना प्रतिस्थापन के सामान्य रैंडम चयन प्रणाली द्वारा प्रत्येक जनपद में चार विकासखंड (तीन ग्रामीण एवं एक शहरी) चयनित किये गये। चयनित विकासखंडों में क्रमशः 16 एवं चार शासकीय/विशिष्ट संवर्ग के विद्यालय और साथ ही, आठ तथा दो शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, क्रमशः ग्रामीण तथा शहरी विकासखंडों से चयनित किये गये। चयनित जनपदों के जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान को भी लेखापरीक्षण से आच्छादित किया गया।

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली और हाउसहोल्ड सर्वेक्षण के ऑकड़ों का वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (कार्ययोजना) के ऑकड़ों के साथ विश्लेषण करने के अतिरिक्त प्रत्येक चयनित जनपदों⁴ के चयनित विद्यालयों एवं निर्माण कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया। अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रभावकारिता के आंकलन हेतु लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया गया।

2.1.6 नियोजन

अधिकार आधारित नियोजन की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि योजनाओं को व्यापक रूप से समुदाय की भागीदारी के साथ बॉटम-अप दृष्टिकोण का पालन करते हुए तैयार किया जाये।

2.1.6.1 समुदाय आधारित विकेन्द्रीकृत नियोजन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 21 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सहभागी, विकेन्द्रीकृत एवं आवश्यकता आधारित एक विद्यालय विकास योजना बनायी जाएगी जो कि सरकार द्वारा बनायी जाने वाली योजनाओं और अनुदानों के लिए आधार होगी। सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति मैनुअल में, हाउसहोल्ड सर्वेक्षण के द्वारा बच्चों का चिन्हांकन एवं विद्यालयों में उनके नामांकन की स्थिति जानने, समुदाय के साथ विचार विमर्श करने एवं उनकी शिक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु बसावट, विकासखंड एवं जनपद स्तर पर नियोजन दल⁵ का गठन किया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–16 की अवधि में नमूना चयनित जनपदों में किसी भी स्तर पर नियोजन दलों का गठन नहीं किया गया था। अग्रेतर, नमूना चयनित जनपदों के किसी भी चयनित विद्यालय में विद्यालय विकास योजना नहीं

³ बहराइच, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, झौसी, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, महराजगंज, मऊ, पीलीभीत, रामपुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर एवं उन्नाव। पीलीभीत एवं रामपुर का चयन राज्य सरकार के अनुरोध पर किया गया।

⁴ फर्रुखाबाद के दो विद्यालयों, गाजियाबाद के तीन विद्यालयों, गाजीपुर के चयनित सभी 30 विद्यालयों, गोरखपुर के 14 विद्यालयों, कानपुर देहात का एक विद्यालय, पीलीभीत का एक विद्यालय एवं उन्नाव का एक विद्यालय का, ग्रीष्म कालीन अवकाश, वार्षिक परीक्षा इत्यादि हेतु बन्द होने के कारण संयुक्त भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

⁵ सदस्यों के रूप में पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम शिक्षा समितियों, समुदाय के अग्रणी व्यक्तियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से मिलकर गठित।

बनायीं गयी। इससे यह प्रदर्शित होता है कि सहभागी, विकेन्द्रीकृत और आवश्यकता आधारित नियोजन प्रक्रिया, जिसकी अपेक्षा अधिनियम एवं सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय प्रबन्धन एवं अधिप्राप्ति मैनुअल के अंतर्गत की गयी थी, का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, विद्यालय न जाने वाले बच्चों की पहचान में विसंगति, विद्यालयों में शिक्षकों की अतार्किक तैनाती, अधिक पुस्तकों का क्रय, अधिक कक्षा-कक्षों का निर्माण एवं विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव जैसी विसंगतियाँ परिलक्षित हुयीं, जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.1.8 में की गयी है।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को स्वीकार किया गया और कहा गया कि जनपदों को सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए विद्यालय विकास योजना बनाने हेतु निर्देशित कर दिया जाएगा।

2.1.6.2 नियोजन में प्रयुक्त आँकड़ों की विश्वसनीयता

सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय विकास योजनाओं के अभाव में जनपदों द्वारा मुख्य रूप से जिला शिक्षा सूचना प्रणाली पर उपलब्ध आँकड़ों, परियोजना प्रबन्धन सूचना प्रणाली पर उपलब्ध आँकड़ों एवं शिक्षकों द्वारा किये गये हाउसहोल्ड सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र आँकड़ों के आधार पर कार्ययोजना को तैयार किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा कार्ययोजना को बनाने में प्रयुक्त आँकड़ों की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए कानपुर देहात, गोरखपुर, पीलीभीत, रामपुर और सोनभद्र जनपदों के 134 विद्यालयों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। विश्लेषण में यह ज्ञात हुआ कि लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन (**परिशिष्ट 2.1.4**) में एकत्र किये गये आँकड़ों की तुलना में जिला शिक्षा सूचना सूचना प्रणाली में प्रदर्शित बच्चों का नामांकन, शौचालयों की उपलब्धता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, पुस्तकालयों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त रूप से अधिक प्रदर्शित की गयी थी और तैनात शिक्षकों की संख्या को कम प्रदर्शित किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आँकड़ों के दो समूहों (**परिशिष्ट 2.1.5**) में भिन्नता थी, जिसका विवरण निम्नवत है:

वर्ष 2010–14 के मध्य कार्ययोजना में दिए गये विद्यालयों की संख्या से जिला शिक्षा सूचना प्रणाली में दिए गये विद्यालयों की संख्या 2,799 से लेकर 42,032 तक अधिक थी, जबकि वर्ष 2014–16 के मध्य जिला शिक्षा सूचना सूचना प्रणाली में दिए गये विद्यालयों की संख्या 94 से 3,853 तक, कार्ययोजना में दिए गये विद्यालयों की संख्या से कम थी; एवं वर्ष 2011–16 के मध्य हाउसहोल्ड सर्वेक्षण में संकलित नामांकित बच्चों के आकड़े जिला शिक्षा सूचना प्रणाली में नामांकित बच्चों के आकड़ों से 1.14 लाख से 3.32 लाख तक अधिक थे।

यह प्रदर्शित करता है कि आँकड़े विश्वसनीय नहीं थे जिन्होंने नियोजन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

शासन ने उत्तर दिया कि जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आँकड़ों को शुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है।

संस्कृतियाँ : (i) बच्चों के चिन्हांकन और विद्यालयों में उनके नामांकन की स्थिति जानने के लिए नियोजन दलों का तुरन्त गठन किया जाना चाहिए और विद्यालय प्रबन्ध समिति को समुदाय की भागीदारी के साथ विद्यालय विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

(ii) शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ययोजना को बनाने में विश्वसनीय आँकड़ों का प्रयोग किया जाये।

2.1.7 वित्तीय प्रबन्धन

2.1.7.1 वित्तपोषण प्रतिरूप

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के उद्देश्य से, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2010–15 एवं 2015–16 की अवधि में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः 65:35 एवं 60:40 के अनुपात में निधियों उपलब्ध करायी गयी थीं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010–15 की अवधि में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा भी निधियों उपलब्ध करायी गयी थीं।

निधियों की अवमुक्ति

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत एवं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य निधियों की भागीदारी की जानी थी।

सर्व शिक्षा अभियान/शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष आयोजना घटक (अनुदान सं0–83) तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आयोजना घटक (अनुदान सं0–81) के अन्तर्गत सहायता अनुदान अवमुक्त करती है। वर्ष 2010–16 की अवधि में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं उसके सापेक्ष भारत सरकार, तेरहवें वित्त आयोग एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी निधियों की वर्षवार स्थिति सारणी 1 में प्रदर्शित है:

**सारणी 1: वर्ष 2010–16 की अवधि में अनुमोदित परिव्यय
एवं अवमुक्त निधियों की वर्षवार स्थिति**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल अनुमोदित परिव्यय	तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त निधियाँ	भारत सरकार			उत्तर प्रदेश सरकार		
			अपेक्षित अंश	वास्तविक अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि में कमी [(4)–(5)]	अपेक्षित अंश	वास्तविक अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि में कमी [(7)–(8)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2010–11	6,794.64	723.00	3,946.57	3,104.63	841.94	2,125.07	1,600.00	525.07
2011–12	9,408.05	871.00	5,549.08	2,636.83	2,912.25	2,987.97	1,355.68	1632.29
2012–13	10,427.46	1,027.00	6,110.30	3,754.76	2,355.54	3,290.16	2,085.95	1204.21
2013–14	9,178.31	1,192.00	5,191.10	4,666.98	524.12	2,795.21	2,512.99	282.22
2014–15	8,784.38	1,227.00	4,912.30	4,498.68	413.62	2,645.08	2,067.88	577.20
2015–16	15,139.52	0.00	9,083.71	4,954.34	4,129.37	6,055.81	7,511.39	(–)1455.58
योग	59,732.36	5,040.00	34,793.06	23,616.22	11,176.84	19,899.3	17,133.89	2,765.41

(प्रोतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2010–16 की अवधि में भारत सरकार द्वारा ₹ 11,176.84 करोड़ एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹ 2,765.41 करोड़ की धनराशियाँ कम अवमुक्त की गयीं।

शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

निधियों के अवमुक्तीकरण में विलम्ब

सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय प्रबन्धन एवं अधिप्राप्ति मैनुअल के अनुसार, अनुमोदन विचाराधीन होने की स्थिति में, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में प्रथम

किश्त, जो राज्य क्रियान्वयन सोसायटी द्वारा विगत वर्ष में वास्तविक रूप से उपभोग की गयी धनराशि के अधिकतम 50 प्रतिशत तक हो, निर्गत की जानी थी। केन्द्रांश की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर राज्यांश को अवमुक्त किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य क्रियान्वयन सोसायटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–16 के लिए कार्ययोजना मार्च एवं मई⁶ के मध्य प्रस्तुत की गयी तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदन पत्र सम्बन्धित वित्तीय वर्षों के मई/जून⁷ माह में निर्गत किये गये। वित्तीय वर्ष 2010–16 की अवधि में भारत सरकार ने दो से 19 किस्तों तक, कई किस्तों में निधियों अवमुक्त कीं। अग्रेतर, राज्य क्रियान्वयन सोसायटी को वर्ष 2010–16 की अवधि में प्रथम किश्त 20 से 331 दिनों के विलम्ब से अवमुक्त की गयी। तदनुरूपी राज्यांश भी, सात से 304 दिनों⁸ के विलम्ब से अवमुक्त किया गया। निधियों के विलम्ब से अवमुक्तीकरण ने उनके समायान्तर्गत उपभोग को बाधित किया तथा परिणामस्वरूप, लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके, जैसाकि प्रस्तर 2.1.7.2 और 2.1.8.2 में उल्लिखित है।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया कि भारत सरकार द्वारा निधियों के विलम्ब से अवमुक्त किए जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा निधियों को अवमुक्त करने में विलम्ब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य क्रियान्वयन सोसायटी द्वारा कार्ययोजना को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा निधियों हेतु अनुमोदन प्रदान करने तथा उन्हें अवमुक्त किये जाने में विलम्ब हुआ। अतः विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निधियों को समय से अवमुक्त एवं व्यय नहीं किया गया।

मार्च में निधियों का प्रचुर अवमुक्तीकरण

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के प्रस्तर 56(3) में प्राविधानित है कि व्यय की अधिकता को, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम माहों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010–16 की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में अवमुक्त की गयी कुल निधि ₹ 17,133.89 करोड़ में से ₹ 7,385.79 करोड़ (43.1 प्रतिशत) की धनराशि मार्च माह में अवमुक्त की गयी। इसमें से ₹ 3,869.12 करोड़ (52.4 प्रतिशत) की धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्तिम तीन दिनों में अवमुक्त की गयी⁹। अतः राज्य क्रियान्वयन सोसायटी द्वारा ₹ 303.14 करोड़ (अनुदान सं0–83) एवं ₹ 36.20 करोड़ (अनुदान सं0–81) की धनराशि को कोषागार से आहरित नहीं किया जा सका जिससे उक्त धनराशियों व्यपगत हो गयीं। वित्तीय वर्षों के अन्त में निधियों को प्रचुरता के साथ अवमुक्त किया जाना, इनके व्यावर्तन, दुरुपयोग तथा निधियों को अवरुद्ध किये जाने के जोखिम से परिपूर्ण था, जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.1.7.2 में की गयी है।

शासन ने बताया कि राज्य क्रियान्वयन सोसायटी, केन्द्रांश की प्राप्ति के पश्चात् राज्यांश की मांग उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करती है। शासन ने यह भी अवगत कराया कि शिक्षा विभाग, वित्त विभाग इत्यादि विभिन्न स्तरों पर प्रस्ताव के परीक्षण के कारण

⁶ मार्च (वर्ष 2010–11, 2014–16 हेतु कार्ययोजना), अप्रैल (वर्ष 2013–14 हेतु कार्ययोजना) एवं मई (वर्ष 2011–12, वर्ष 2012–13 हेतु कार्ययोजना)।

⁷ वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 की कार्ययोजना, भारत सरकार द्वारा क्रमशः पत्र दिनांक 06.05.2010, 02.06.2011, 05.06.2012, 31.05.2013, 22.05.2014 एवं 28.05.2015 के माध्यम से अनुमोदित की गयीं।

⁸ केन्द्रांश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अवमुक्त किए जाने की आवश्यकता के सापेक्ष।

⁹ यहाँ तक कि, मार्च 2016 में अवमुक्त की गयी ₹ 5,717.62 करोड़ की धनराशि में से ₹ 3,799.12 करोड़ की धनराशि 31 मार्च 2016 को अवमुक्त की गयी।

राज्यांश के अवमुक्तीकरण में और अधिक विलम्ब होता है। फिर भी तथ्य यथावत है कि प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में निधियों के प्रचुर अवमुक्तीकरण की समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया था।

2.1.7.2 निधियों का उपभोग

राज्य क्रियान्वयन सोसायटी द्वारा उपलब्ध निधियों का उपभोग

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध निधियों के सापेक्ष उपभोग की स्थिति का वर्षवार विवरण सारणी 2 में दर्शाया गया है:

सारणी 2: उपलब्ध धनराशियों के उपभोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त धनराशि ¹⁰	कुल उपलब्ध धनराशि	उपभोग की गयी धनराशि ¹¹	अप्रयुक्त अवशेष धनराशि (स्तम्भ 4 का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010–11	612.10	5,481.63	6,093.73	5,202.08	891.65 (14.6)
2011–12	891.65	5,228.46	6,120.13	5,482.34	637.79 (10.4)
2012–13	637.79	7,258.83	7,896.62	7,181.45	715.17 (9.1)
2013–14	715.17	8,803.47	9,518.64	8,830.97	687.67 (7.2)
2014–15	687.67	8,017.66	8,705.33	8,020.00	685.33 (7.9)
2015–16	685.33	12,908.11	13,593.44	12,686.39	907.05 (6.7)
योग	47,698.16	51,927.89	47,403.23		

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

इस प्रकार, वर्ष 2010–16 की अवधि में उपलब्ध धनराशि ₹ 51,927.89 करोड़ के सापेक्ष, राज्य क्रियान्वयन सोसायटी ने वर्ष 2015–16 के अन्त तक ₹ 47,403.23 करोड़ (91.3 प्रतिशत) की धनराशि के उपभोग और ₹ 907.05 करोड़ की अव्ययित अवशेष धनराशि को सूचित किया।

निधियों के उपभोग से सम्बन्धित लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि:

मार्च 2016 को, राज्य क्रियान्वयन सोसायटी एवं जिला स्तरीय क्रियान्वयन अभिकरणों¹² के पास क्रमशः ₹ 454.75 करोड़ तथा ₹ 434.07 करोड़ की प्रचुर धनराशि रोकड़ एवं बैंक अवशेष के रूप में पड़ी हुई थी।

अनुदान संख्या 81 तथा अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत निधियाँ अवमुक्त करते समय उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु उपभोग किए जाने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य क्रियान्वयन सोसायटी द्वारा लक्षित वर्गों के कल्याण हेतु इन अनुदानों का उपभोग किये जाने के प्रमाण के रूप में किसी अभिलेख का रख-रखाव नहीं किया गया।

वर्ष 2014–15 की तुलना में, वर्ष 2015–16 में उपभोग की गयी धनराशि में 58.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि मार्च 2015 तक अध्यापक के रूप में

¹⁰ भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अवमुक्त धनराशि, शिक्षा निदेशक (बेसिक) से प्राप्त धनराशि (2013–14 : ₹ 5.00 करोड़, 2014–15 : ₹ 2.57 करोड़), व्याज, अन्य आय एवं विगत वर्ष के असमायोजित अवशेष।

¹¹ वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि एवं वर्तमान वर्ष की असमायोजित अग्रिम की धनराशि।

¹² जिला परियोजना अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मण्डलीय सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा।

नियमित किए गए 1.36 लाख शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान में होने वाले व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई थी।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया कि भविष्य में निधियों का समुचित उपभोग सुनिश्चित किया जाएगा।

विद्यालय प्रबन्ध-समितियों द्वारा अनुपयोजित निधियाँ

जैसाकि लेखापरीक्षा में पाया गया तथा राज्य क्रियान्वयन सोसायटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु नियुक्त¹³ किए गए शासपत्रित लेखाकारों के प्रतिवेदनों से भी साक्षात्कृत है, ब्लाक संसाधन केन्द्रों/विद्यालय प्रबन्ध समितियों द्वारा निधियों का वास्तविक उपभोग किया जाना सुनिश्चित किये बिना ही, जिला परियोजना अधिकारियों को निधियां हस्तांतरित कर दी गयी थीं। चयनित जनपदों के 428 विद्यालयों की लेखापरीक्षा से भी सुनिश्चित हुआ कि विद्यालय प्रबन्ध समितियों के खातों में, मार्च 2016 के अन्त तक कुल ₹ 1.00 करोड़¹⁴ की धनराशि अनुपयोजित अवशेष थी जो यह दर्शाता है कि उपभोग प्रमाणपत्र वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं थे। परिणामस्वरूप विगत वर्षों से सम्बन्धित निधियाँ ब्लाक संसाधन केन्द्रों एवं विद्यालय प्रबन्ध समितियों के बैंक खातों¹⁵ में अनुपयोजित पड़ी थीं। तथापि, ब्लाक संसाधन केन्द्रों/विद्यालय प्रबन्ध समितियों के पास पड़ी निधियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना राज्य क्रियान्वयन सोसायटी के पास उपलब्ध नहीं थी।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया कि भविष्य में निधियों का समुचित उपभोग सुनिश्चित किया जाएगा।

निधियों का व्यावर्तन

किसी ऐसी मद में व्यय हेतु निधियों का व्यावर्तन, जो कि स्वीकृत बजट अनुमानों में प्रावधानित न की गयी हो, अनुमन्य नहीं होता है¹⁶ जब तक कि ऐसा व्यावर्तन कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड¹⁷ द्वारा अनुमोदित न किया गया हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में क्रमशः ₹ 5.30 करोड़ तथा ₹ 85.61 करोड़ (कुल ₹ 90.91 करोड़) की आधिक्य निधियों को, सर्व शिक्षा अभियान से प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में व्यावर्तित किया गया। अग्रेतर, वर्ष 2012–16 की अवधि में सर्व शिक्षा अभियान के अध्यापकों के वेतन की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 92.17¹⁸ करोड़ की धनराशि का व्यावर्तन, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की अनुमति प्राप्त किए बिना, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम से सर्व शिक्षा अभियान में किया गया।

वास्तविक व्यय से अधिक व्यय प्रतिवेदित किया जाना

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि वर्ष 2010–16 की अवधि में भारत सरकार को प्रतिवेदित कुल व्यय की गयी धनराशि ₹ 47,403.24 करोड़ थी, जबकि राज्य क्रियान्वयन सोसायटी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित व्यय की गयी धनराशि ₹ 45,797.05 करोड़ थी, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.1.6 में प्रदर्शित है। उपभोग प्रमाणपत्रों में व्यय की अधिक प्रतिवेदित धनराशि (₹1606.19 करोड़) का मुख्य

¹³ राज्य क्रियान्वयन समिति द्वारा योजना का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु।

¹⁴ 136 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की कुल धनराशि ₹ 43.85 लाख को शामिल करते हुए।

¹⁵ विद्यालय/अतिरिक्त कक्ष बनाने हेतु विद्यालय अनुदान, शिक्षक अनुदान, अनुरक्षण अनुदान इत्यादि।

¹⁶ सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय प्रबन्धन एवं अधिग्राहित मेनुअल का प्रस्तर 88.2 तथा 88.3।

¹⁷ नियोजन एवं मूल्यांकन नियमावली का प्रस्तर 4.10.1.2 तथा 4.10.1.3।

¹⁸ 2012–13: ₹ 26.14 करोड़, 2013–14: ₹ 5.17 करोड़, 2014–15: ₹ 54.86 करोड़, और 2015–16: ₹ 6.00 करोड़।

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु वित्त पोषण 2013–14 से बन्द कर दिया गया।

कारण उपभोग को वास्तविक व्यय के आधार पर प्रतिवेदित न किया जाकर, स्थानान्तरित¹⁹ धनराशि के आधार पर प्रतिवेदित किया जाना था।

शासन ने उपरोक्त टिप्पणी को स्वीकार किया तथा यह आश्वस्त किया कि विद्यालय प्रबन्ध समितियों के स्तर पर पड़े अव्ययित अवशेष का उपभोग प्रमाणपत्र, वास्तविक उपभोग के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा।

संस्तुति: उत्तर प्रदेश सरकार को ब्लाक संसाधन केन्द्रों, ग्राम शिक्षा समितियों एवं विद्यालय प्रबन्ध समितियों के पास अनुपयोजित निधियों के आवधिक संसूचन हेतु एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में राज्य क्रियान्वयन सोसायटी के लेखाओं में, इन निधियों की समग्र स्थिति को प्रदर्शित करना चाहिए।

2.1.7.3 निधियों का लेखांकन

निधियों का समाशोधन

वित्तीय प्रबन्धन एवं अधिप्राप्ति मैनुअल के प्रस्तर 79.7 के अनुसार विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी²⁰ को राज्य (राज्य क्रियान्वयन सोसायटी) तथा जिला (जिला परियोजना अधिकारी) स्तर पर संरक्षित रोकड़ बही की दैनिक लेखाबन्दी करने के साथ-साथ उनकी प्रविष्टियों का बैंक विवरण के साथ मासिक मिलान करना चाहिए। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार धोखाधड़ी से आहरण एवं प्रमाणकों में प्रक्षेप से बचने के लिए समाशोधन विवरण तैयार किया जाना चाहिए।

तथापि, यह पाया गया कि मार्च 2016 तक कुल ₹ 39.20 करोड़ की निधियाँ असमाशोधित थीं, जैसाकि नीचे वर्णित हैं:

वर्ष 2002–16 की अवधि के 'सर्व शिक्षा अभियान', 'प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' एवं 'कस्तूरबा गौड़ी बालिका विद्यालय' के लेखाओं से सम्बन्धित कुल ₹ 29.58 करोड़ की निधियों राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा स्थानान्तरित की गयी थीं परन्तु सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा प्राप्त नहीं की गयीं। इसी अवधि की ₹ 7.73 करोड़ की निधियाँ, बिना उनका स्रोत जाने, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त की गयीं। अग्रेतर, इन्हीं लेखाओं से सम्बन्धित, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त ₹ 1.42 करोड़ तथा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा स्थानान्तरित ₹ 0.30 करोड़ की धनराशि खोजी नहीं जा सकी। उक्त धनराशियाँ (₹ 39.03 करोड़) राज्य क्रियान्वयन सोसायटी के लेखाओं में मार्गस्थ निधियों के रूप में प्रदर्शित (मार्च 2016) हैं, जिनका विवरण परिषिष्ट 2.1.7 में दिया गया है। अग्रेतर, चयनित जनपद फर्स्टचाबाद में, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के बैंक खाते की पासबुक में 7 फरवरी 2011 को प्रारम्भिक अवशेष ₹ 59.14 लाख था। लगभग एक वर्ष के अन्तराल के बाद पासबुक के पुनर्मुद्रण पर उसी तिथि (7 फरवरी 2011) को प्रारम्भिक अवशेष ₹ 42.04 लाख प्रदर्शित हुआ। बैंक अवशेष में ₹ 17.10 लाख की भिन्नता का कारण ज्ञात नहीं था। अग्रेतर, रोकड़ बही की प्रविष्टियाँ समाशोधित नहीं की गयी थीं। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बैंक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु एक पत्र लिख दिया था।

¹⁹ वित्तीय प्रबन्धन एवं अधिप्राप्ति मैनुअल के प्रस्तर 74.1 के अनुसार जनपद एवं उप जनपद स्तर की इकाइयों द्वारा अमुक्त की गयी समस्त निधियों का वर्णकरण अग्रिम के रूप में तथा समायोजन प्राप्त उपभोग प्रमाणपत्रों के आधार पर किया जाय। सुलतानपुर जनपद में वर्ष 2014–16 की अवधि में कुल ₹ 62.63 लाख की निधियाँ, वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में, 5 चौकों के द्वारा आहरित करके संरक्षित की गयीं और रोकड़ बही में धनराशि व्यय प्रदर्शित कर दी गयीं।

²⁰ जिला परियोजना अधिकारी के प्रकरण में बेसिक शिक्षा अधिकारी।

शासन ने मार्गस्थ निधियों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया कि मार्गस्थ निधियों के प्रकरणों के निपटान हेतु एक समिति का गठन किया जा चुका है। फर्लखाबाद जनपद में बैंक अवशेष में कमी के सम्बन्ध में शासन ने उत्तर दिया कि प्रकरण की जांच की जा रही है तथा तथ्यों की प्राप्ति के उपरान्त उचित कार्यवाही की जाएगी।

यद्यपि लम्बी अवधि से चल रही मार्गस्थ निधियों को खोजने और उनका समाशोधन किए जाने हेतु समिति का गठन किया जाना स्वागतयोग्य कदम है, परन्तु विसंगतियों की जांच हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं, जैसे बैंक—अवशेषों का रोकड़ बही के साथ समाशोधन आदि, को लागू किया जाना आवश्यक है, जिससे निधियाँ लम्बे समय तक मार्गस्थ न रहें तथा उन्हें खोजकर समय से सम्बन्धित खाते में क्रेडिट किया जा सकें।

संस्तुति : यह सुनिश्चित करने हेतु कि निधियों का व्यावर्तन या दुर्विनियोजन नहीं किया गया है, तीन माह से अधिक मार्गस्थ निधियों के प्रकरणों की जांच की जानी चाहिए।

विभिन्न बैंक खातों का संचालन

वित्तीय प्रबन्धन एवं अधिप्राप्ति मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, लेखा सिद्धान्तों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु, वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में राज्य क्रियान्वयन सोसायटी की लेखा शाखा का उत्तरदायित्व होता है। यह सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु प्रत्येक के लिए एक, अर्थात् केवल तीन बचत बैंक खातों के संचालन की स्वीकृति प्रदान करता है।

तथापि, यह संज्ञान में आया कि राज्य क्रियान्वयन सोसायटी द्वारा दस बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था, जिसमें सात बैंक खातों का अवशेष ₹ 1.36 करोड़ से 356.72 करोड़ के मध्य विस्तारित था, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.1.8 में दिया गया है।

शासन ने बताया कि एकल बैंक खाते के संचालन हेतु पहले से ही निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासकीय निर्देशों का पालन नहीं किया गया था और नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य तीन बैंक खातों के संचालन के सापेक्ष राज्य क्रियान्वयन सोसायटी में दस बैंक खाते संचालित थे। अग्रेतर, नियमों के विपरीत इतने अधिक खातों के संचालन हेतु सम्बन्धित कर्मचारी (वित्त नियंत्रक) के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

वित्तीय लेनदेनों के अभिलेखों का रखरखाव न किया जाना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2011 में निर्गत शासनादेश के अनुसार निधियों के लेखाओं के रखरखाव तथा विद्यालयों द्वारा प्राप्ति एवं व्यय की निगरानी हेतु विद्यालय प्रबन्ध समितियाँ²¹ उत्तरदायी थीं।

चयनित जनपदों के 428 चयनित विद्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

184 विद्यालयों (43 प्रतिशत) में रोकड़ बही का रखरखाव नहीं किया गया था। 127 विद्यालयों (29.7 प्रतिशत) में व्यय के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध नहीं थे।

420 विद्यालयों (98.1 प्रतिशत) में मासिक बैंक समाशोधन नहीं किया गया था, एवं

255 विद्यालयों (59.6 प्रतिशत) में भंडार पंजिकाओं का रखरखाव नहीं किया गया था।

²¹15 सदस्यों वाली, जिसमें बच्चों के 11 माता-पिता/अभिभावक, एक सहायक नर्सिंग मिडवाइफ, एक जिलाधिकारी द्वारा नामित लेखपाल और एक प्रधान शिक्षक – प्रभारी (पदेन सदस्य–सचिव) को सदस्यों के रूप में होना था।

उपरोक्त उदाहरण अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र का संकेत करते हैं तथा शासकीय निधियों के गबन के जोखिम में वृद्धि करते हैं।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और बताया कि अभिलेखों के उचित रखरखाव हेतु जनपद स्तरीय प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया था।

संस्तुति: शासन द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि निधियों का गबन या दुर्विनियोजन नहीं किया गया है, तत्काल प्रकरणों की जांच की जानी चाहिए तथा निधियों का समय से समाशोधन न किए जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

विद्यालयों/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण में निधियों का संदिग्ध दुर्विनियोग

विद्यालय प्रबन्ध समितियों द्वारा विद्यालयों/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण सम्बन्धित वर्षों में दो से पाँच माह²² के अन्दर करा लिया जाना चाहिए। अगस्त 2010 में निर्गत आदेश के अनुसार विद्यालयों एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किया जाना था। प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक, जो ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सचिव थे, विद्यालयों एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु उत्तरदायी थे। तथापि, लेखापरीक्षा में निधियों के आहरण के कई वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी विद्यालयों/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण न कराए जाने के प्रकरण पाये गये, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.1.9 में दिया गया है तथा चर्चा नीचे की गयी है:

सुलतानपुर एवं सोनभद्र जनपद में क्रमशः छ: विद्यालयों और एक विद्यालय के निर्माण हेतु कार्यप्रभारी अध्यापकों द्वारा बैंक से वर्ष 2008–09 (₹ 14.46 लाख) तथा वर्ष 2011–12 (₹ 36.04 लाख) में कुल धनराशि ₹ 50.50 लाख का आहरण किया गया, परन्तु विद्यालयों का निर्माण नहीं कराया गया।

जनपद महराजगंज में एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के निर्माण हेतु सम्पूर्ण धनराशि ₹ 2.01 लाख आहरित किए जाने की तिथि से तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी, संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि निर्माण कार्य नहीं कराया गया था।

सोनभद्र जनपद में आठ विद्यालयों के निर्माण हेतु ₹ 19.25 लाख की धनराशि आहरित (2003–04) की गयी परन्तु मार्च 2016 तक विद्यालयों का निर्माण पूर्ण नहीं कराया गया। विभाग ने पाया (फरवरी 2006) कि निर्माण प्रभारी द्वारा ₹ 15.03 लाख की धनराशि गबन कर ली गयी।

सोनभद्र जनपद के प्रकरण में सम्बन्धित विकास खण्डों के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने निर्माण प्रभारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत (नवम्बर 2008) करायी थी, परन्तु सुलतानपुर एवं महराजगंज जनपद में पाए गए प्रकरणों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी (मार्च 2016)।

शासन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया कि प्रकरणों की जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी।

संस्तुति: विद्यालय प्रबन्ध समितियों को अवसुक्त की गयी धनराशियों का अनुश्रवण सुदूरढ़ किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों के व्यावर्तन, दुर्विनियोजन या गबन तो नहीं हुआ है, निधियों के आहरण के उपरान्त विद्यालयों/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण में असामान्य विलम्ब के समस्त प्रकरणों की जांच की जानी चाहिए।


²² 2010–11 : 2 माह, 2011–12 : 3 माह, 2012–13 : 5 माह और 2014–15 : 4 माह। वर्ष 2013–14 और 2015–16 में कोई अतिरिक्त कक्षा-कक्ष स्वीकृत नहीं थे।

2.1.8 शिक्षा का अधिकार अधिनियम का आच्छादन

2.1.8.1 असेवित बसावटें

अधिनियम की धारा 6, सरकार से मार्च 2013 तक, पड़ोस की सीमा के अंतर्गत, जैसा कि निर्धारित की जाय, विद्यालय की स्थापना करने की अपेक्षा करती है। शिक्षा का अधिकार नियमावली की धारा 4, उन बसावटों में, जहाँ एक किलोमीटर के अंतर्गत कोई विद्यालय न हो तथा कम से कम 300 की आबादी हो, प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किये जाने का प्रावधान करती है। इसी प्रकार उन बसावटों में जहाँ तीन किलोमीटर के अंतर्गत कोई विद्यालय न हो तथा कम से कम 800 की आबादी हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किये जाने का प्रावधान करती है।

यद्यपि, उपर्युक्त निर्धारित लक्ष्य को मार्च 2013 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु यह पाया गया कि मार्च 2016 तक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया, जो आच्छादित बसावटों में कमी को दर्शाता है जैसा कि नीचे चार्ट 1 में दर्शाया गया है:



इस प्रकार, अधिनियम प्रवृत्त होने के 6 वर्ष पश्चात भी क्रमशः 2055 और 230 अहं बसावटों में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप, इन बसावटों में रहने वाले 1,79,054 बच्चों को पड़ोस के विद्यालय उपलब्ध नहीं थे।

तथापि, यह देखा गया कि यद्यपि मार्च 2015–16 तक अहं बसावटों को आच्छादित करने हेतु 2,285 विद्यालयों (प्राथमिक विद्यालय: 2,055 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय: 230) की आवश्यकता थी, परन्तु कार्ययोजना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मात्र 1,744 विद्यालयों (प्राथमिक विद्यालय: 1546 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय: 198) की ही मांग की गयी थी।


इसका कारण, जैसा कि लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ, निर्धारित भौगोलिक दूरी के संदर्भ में विद्यालयों की मैपिंग (जी.आई.एस. मैपिंग²³) और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों,

²³ भौगोलीय सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) जो पृथ्वी की सतह पर स्थितियों से सम्बन्धित आंकड़ों को एकत्रित करने, भण्डारित करने और प्रदर्शित करने की एक कम्प्यूटर प्रणाली है। भौगोलीय सूचना प्रणाली, मानचित्र पर विभिन्न प्रकार

विकलांग बच्चों, कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों सहित सभी बच्चों का चिन्हांकन, जैसा कि नियमों में प्रावधानित था, नहीं किया गया था। अग्रेतर यह भी पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा सूचित सेवित एवं असेवित बसावटों की संख्या सही नहीं थी। उदाहरणस्वरूप वर्ष 2016–17 की कार्य योजना में जनपद सुलतानपुर की सभी बसावटों को प्राथमिक विद्यालयों से सेवित दर्शाया गया था। तथापि यह पाया गया कि दो प्राथमिक विद्यालय वास्तव में निर्मित नहीं कराए गये थे, तीन प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय आंशिक रूप से निर्मित थे (परिशिष्ट 2.1.10) तथा विद्यालय प्रबंध समितियों द्वारा अन्य 48 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं कराया गया था।



आंशिक रूप से निर्मित प्राथमिक विद्यालय
खरबुजही, लम्हा, सुलतानपुर



आंशिक रूप से निर्मित उच्च प्राथमिक विद्यालय धरियामऊ, लम्हा, सुलतानपुर

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि यद्यपि असेवित बसावटों के आच्छादन हेतु कार्ययोजना में प्रस्ताव दिया गया था, विद्यमान विद्यालयों की जीआईएस मैपिंग पूरी होने तक कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड ने इसके अनुमोदन पर रोक लगा दी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीआईएस मैपिंग को समयान्तर्गत पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का था और अधूरे प्रस्ताव को शामिल किये जाने के कारण कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं किया गया था।

2.1.8.2 विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (अ) (ii) ने छ: वर्ष से चौदह वर्ष के सभी बच्चों के अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौंपा है।

बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन

उत्तर प्रदेश सरकार प्रति वर्ष छ: वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चों के चिन्हांकन हेतु 'हाउस-होल्ड सर्वेक्षण' कराती है। वर्ष 2011–16 की अवधि में ऐसे चिन्हांकित एवं नामांकित बच्चों का वर्षवार विवरण सारणी 3 में दर्शाया गया है।

सारणी 3: में बच्चों की जनसंख्या तथा उनके नामांकन की स्थिति का विवरण

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
हाउस होल्ड सर्वेक्षण में चिह्नित किये गये बच्चे (06–14 वर्ष)	3,88,31,718	3,93,40,217	3,86,56,969	3,80,17,300	3,76,30,382
जिला शिक्षा सूचना प्रणाली आंकड़ों के अनुसार नामांकित बच्चे (प्रतिशत में)	3,54,04,745 (91.17)	3,70,98,904 (94.30)	3,67,26,500 (95.01)	3,68,38,720 (96.90)	3,64,25,633 (96.80)
बच्चों की संख्या जिनका नामांकन नहीं हुआ (प्रतिशत में)	34,26,973 (8.83)	22,41,927 (5.70)	19,30,469 (4.99)	11,78,580 (3.10)	12,04,749 (3.20)

(स्रोत: हाउस होल्ड सर्वेक्षण एवं जिला शिक्षा सूचना प्रणाली पर उपलब्ध आंकड़े)

के आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकती है। यह लोगों को अवलोकन करने, विश्लेषण करने तथा पैटर्न व सम्बन्धों को सरलता से समझने योग्य बनाता है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा हेतु चिन्हित बच्चों की संख्या वर्ष 2012–13 में 3.93 करोड़ से घटकर वर्ष 2015–16 में 3.76 करोड़ रह गयी। परिणामस्वरूप, नामांकित बच्चों की संख्या भी वर्ष 2012–13 में 3.71 करोड़ से घटकर वर्ष 2015–16 में 3.64 करोड़ रह गयी। यह भी देखा गया कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के लिये नामांकित नहीं हुये बच्चों की संख्या भी वर्ष 2011–12 में 8.83 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में 3.20 प्रतिशत रह गयी। दो चयनित जनपदों (पीलीभीत और रामपुर) में 59 शिक्षकों और 53 अभिभावकों के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, 30 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि वे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विषय में नहीं जानते, जबकि 34 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि वे शिक्षा में बच्चों के अधिकार से परिचित नहीं हैं। 10 प्रतिशत और 25 प्रतिशत शिक्षकों ने क्रमशः कहा कि बच्चों के नामांकित न होने और उनके विद्यालय न जाने का मुख्य कारण घरेलू कार्य था।

अग्रेतर, शिक्षा का अधिकार नियमावली की अपेक्षा के अनुसार प्रत्येक बच्चे का नामांकन, उनकी उपस्थिति और शैक्षिक उपलब्धि को सुनिश्चित करने हेतु उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध करायी जानी थी। तथापि यह पाया गया कि विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी।

आंकड़ा विश्लेषणात्मकों के माध्यम से जिला शिक्षा सूचना प्रणाली व हॉउस होल्ड सर्वे के आंकड़ों की तुलना करने पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2011–16 की अवधि में 31.36 लाख से लेकर 58.89 लाख के मध्य कम नामांकन पाया गया (*परिशिष्ट 2.1.11*)। ‘हाउस–होल्ड सर्वे’ में चिन्हित बच्चों की संख्या के सापेक्ष जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों में 2010–16 की अवधि में प्राथमिक विद्यालयों में 19.31 लाख से लेकर 24.62 लाख के मध्य अधिक नामांकन पाया गया (*परिशिष्ट 2.1.12*)। इसमें अंतर्निहित है कि या तो 6–10 वर्ष के बच्चों के संबंध में हाउस होल्ड सर्वे के आंकड़े अल्पानुमानित थे अथवा जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों में नामांकित किये गये बच्चों की संख्या को पर्याप्त रूप से अधिक प्रदर्शित किया जा रहा था। इस तथ्य की चयनित जनपदों में दोनों आंकड़ों की तुलना करने पर भी पुष्टि हुई जिसका विवरण *परिशिष्ट 2.1.13* में दिया गया है। प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट पहचान संख्या देकर एवं उनकी प्रगति का अनुगमन कर इस स्थिति से बचा जा सकता था।

सरकार ने लेखापरीक्षा के आपत्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट पहचान संख्या देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने यह भी बताया कि जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों को ठीक किया जा रहा है ताकि वे सही स्थिति प्रदर्शित कर सकें।

संस्कृति: जैसाकि शिक्षा का अधिकार नियमावली में वर्णित है, नामांकन, झ्राप आउट तथा सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किये जाने के प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रत्येक बच्चे के नामांकन को विशिष्ट पहचान संख्या से जोड़ा जाना चाहिये।

स्कूल न जाने वाले बच्चों एवं बीच में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों का नामांकन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा–4 प्रावधानित करती है कि जहाँ छ: वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चे का किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ हो (विद्यालय न आने वाले बच्चे) या प्रवेश होने के बाद वह अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सका हो (झ्राप आउट बच्चे), उस बच्चे को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा तथा उसको अन्य बच्चों के समकक्ष लाने के लिये विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा और उसे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जायेगी।

झाप आउट बच्चे

उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011–16 की अवधि में झाप आउट बच्चों की संख्या 0.24 लाख से 1.10 लाख (औसत 0.63 लाख) प्रतिवर्ष के मध्य थी, यद्यपि आलोच्य अवधि में कुछ जनपदों²⁴ में कम झाप आउट, शून्य से 166 के मध्य था। तथापि, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि राज्य में झाप आउट बच्चों की संख्या 11.56 लाख से 27.45 लाख के मध्य थी, जैसाकि सारणी 4²⁵ में दिया गया है।

सारणी 4: वर्षावार झाप आउट बच्चों की संख्या का विवरण

वर्ष	कक्षा-2	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5	कक्षा-6	कक्षा-7	(संख्या में) कुल झाप आउट
2010–11	1,85,557	1,13,278	3,03,338	2,58,912	14,09,806	6,052	22,76,943
	(8)	(5)	(13)	(11)	(62)	(0)	
2011–12	0	0	0	0	11,56,279	0	11,56,279
	(0)	(0)	(0)	(0)	(100)	(0)	
2012–13	1,28,642	1,16,769	2,58,003	2,23,176	11,64,294	0	18,90,884
	(7)	(6)	(14)	(12)	(62)	(0)	
2013–14	4,12,276	3,15,771	4,94,010	4,71,762	10,51,380	0	27,45,199
	(15)	(12)	(18)	(17)	(38)	(0)	
2014–15	2,64,532	1,24,026	2,68,218	2,17,419	9,72,134	0	18,46,329
	(14)	(7)	(15)	(12)	(53)	(0)	
2015–16	2,95,777	2,02,991	3,98,289	3,53,512	9,63,454	0	22,14,023
	(13)	(9)	(18)	(16)	(44)	(0)	

कोष्ठक में दी गयी संख्या, उस कक्षा में संबंधित वर्ष के कुल झाप-आउट के सन्दर्भ में प्रतिशतता को प्रदर्शित करती है।
(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 से 2015–16 की अवधि में कक्षा 2 से 5 तक के बच्चों का झाप आउट संबंधित वर्ष के कुल झाप-आउट के 8 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के मध्य था, जबकि कक्षा 5 से कक्षा 6 में अंतरण के दौरान झाप आउट संबंधित वर्ष के कुल झाप-आउट के 38 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक था। हाउस होल्ड सर्वे में कक्षा 5 के पश्चात बच्चों की पढ़ाई छोड़ने के मुख्य कारण, घरेलू कार्यों/कृषि कार्यों/पारंपरिक शिल्पों में बच्चों का नियोजन, छोटे बच्चों की देखभाल, विपन्नता इत्यादि पाए गये (परिशिष्ट 2.1.14)।

राज्य सरकार ने बताया कि प्रकरण की समीक्षा की जा रही है तथा झाप आउट की वास्तविक स्थिति को संज्ञान में लेने के उपरान्त उचित कार्यवाही की जायेगी।

स्कूल न जाने वाले बच्चे

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2011–16 की अवधि में चिह्नित किये गये स्कूल न जाने वाले (जिसमें झाप आउट बच्चे भी सम्मिलित हैं) 0.24 लाख से 1.10 लाख (औसतन 0.63 लाख) प्रतिवर्ष के मध्य विस्तारित बच्चों (परिशिष्ट 2.1.15) के सापेक्ष वर्ष 2011–16 की अवधि में झाप आउट बच्चों की संख्या 11.56 लाख से 27.45 लाख (औसतन 20 लाख) प्रतिवर्ष थी (सारणी 4)। कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड ने कार्ययोजना पर विचार करने के दौरान इन आंकड़ों के

अच्छी परिपाटी : लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनपद मिर्जापुर ने नक्सल प्रभावित होने के पश्चात भी एक ही कक्षा में पुनरावृत्ति करने वाले (2013–16) और विद्यालय छोड़ने वाले (2013–16) बच्चों की संख्या के संबंध में अच्छे परिणाम दिये और यह प्रदेश में इनकी सबसे कम संख्या वाले तीन जनपदों में सम्मिलित था। जनपद में शिक्षा की दर भी 2010–11 में 55.30 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 में 70.38 प्रतिशत हो गयी।

²⁴ 2011–12: बहराइच, कानपुर, कानपुर देहात, 2012–13: औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, 2013–14: कानपुर देहात, कौशाम्बी, मिर्जापुर, 2014–15: कन्नौज, महोबा, मिर्जापुर, 2015–16: कुशीनगर, मिर्जापुर, बहराइच।

²⁵ सारणी में शून्य मान, नामांकन में कमी न होने की स्थिति इंगित करता है।

कम सूचित करने को संज्ञान में लेते हुये, राज्य सरकार को विद्यालय न जाने वाले बच्चों से संबंधित आंकड़ों की सत्यता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की बार बार (2011–12, 2012–13 एवं 2016–17) सलाह दी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया जिससे परिणामस्वरूप आंकड़ों में भिन्नता आयी।


लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2010–16 की अवधि में 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 19.50 लाख एवं 12.41 लाख के मध्य बच्चों का प्राथमिक शिक्षा हेतु नामांकन हुआ जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.1.16** में दिया गया है, जिससे इंगित होता है कि विद्यालय न जाने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु समुचित प्रयास नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हित कर नामांकित करने का प्रयास किया जा रहा है।

शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन में गिरावट

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि 2011–16 की अवधि में बच्चों के नामांकन में सामूहिक रूप से वृद्धि हुई परन्तु शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 2010–16 की अवधि में नामांकन में 18.6 प्रतिशत की कमी हुई जबकि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में उक्त अवधि में 36.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यद्यपि इसमें पर्याप्त रूप से अधिक निजी विद्यालयीय व्यय²⁶ निहित था। इसे **परिशिष्ट 2.1.17** तथा चार्ट 2 में दर्शाया गया है।

चार्ट-2: शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन की स्थिति



लेखापरीक्षा द्वारा चयनित विद्यालयों (पीलीभीत व रामपुर जनपद) में अक्टूबर, 2016 में किये गये 169 बच्चों के लाभार्थी सर्वेक्षण में पाया गया कि बच्चों को समय से पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गयी थीं (29 प्रतिशत), बच्चों को अध्ययन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगाया गया था (6 प्रतिशत), तथा कक्षाओं का वातावरण पठन–पाठन हेतु

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा (सितम्बर 2012) सभी चार भौगोलिक क्षेत्रों को आवरित करते हुये दस जनपदों के 240 विद्यालयों में, प्रति विद्यालय दो अभिभावकों से किये गये अध्ययन में स्पष्ट हुआ कि बेहतर शैक्षिक वातावरण (60 प्रतिशत) बेहतर शिक्षा सुविधाएं (44 प्रतिशत), बेहतर परिणाम (42 प्रतिशत) बेहतर अनुशासन (40 प्रतिशत) शिक्षकों की बेहतर शैक्षणिक योग्यताएं तथा उनकी लगनशीलता (30 प्रतिशत), शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों को प्राथमिकता देने के मुख्य कारण थे।

²⁶ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जनवरी से जून 2014 की अवधि में किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण, जिसकी रिपोर्ट जून 2015 में मुद्रित हुई, के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों पर प्रति छात्र औसत व्यय ₹ 7907.00 प्रतिवर्ष और 9514 प्रतिवर्ष था।

उपयुक्त नहीं था (4 प्रतिशत), जिससे स्पष्ट है कि शासकीय विद्यालयों में सीखने के वातावरण में सुधार की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने बताया कि चूंकि बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो रही है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य पूरा हो गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण तथा शिक्षा की सुविधाओं में तत्काल सुधार हेतु कार्यवाही किये जाने की अनदेखी नहीं की जा सकती।

संस्तुतियाँ:

- (i) सरकार विद्यालय न जाने वाले सभी बच्चों का उचित चिन्हांकन करे और द्वाप आउट की समस्या से, विशेषकर प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अन्तरण के स्तर पर, निपटते हुये उनका नामांकन सुनिश्चित करें।
- (ii) सरकार प्रोत्साहन/पारितोषिक उपलब्ध कराकर शासकीय विद्यालयों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रतिदर्श पर चलाने की सम्भावना खोजे।

एक ही कक्षा में बच्चों को रोकना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 16 बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रोन्नति रोकना निषिद्ध करती है। तथापि जिला शिक्षा सूचना प्रणाली पर उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट हुआ कि 2010–16 की अवधि में राज्य की प्रारम्भिक कक्षाओं में 3.54 करोड़ से 3.71 करोड़ नामांकित छात्रों के सापेक्ष 1.15 लाख से 6.50 लाख बच्चे दोबारा उसी कक्षा में रोके गये। इस सन्दर्भ में 2010–11 में बरेली, प्रतापगढ़, गाजीपुर; 2011–12 में फतेहपुर, हरदोई, जौनपुर; 2012–13 में मथुरा, रायबरेली, अलीगढ़; 2013–14 में कुशीनगर, एटा, बिजनौर; 2014–15 में आजमगढ़, फतेहपुर, रामपुर; और 2015–16 में आजमगढ़, इटावा, रायबरेली; शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने वाले शीर्ष तीन जनपद थे।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा कहा कि ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब कुछ बच्चे प्रवेश लेने के बाद घरेलू कार्यों/सामाजिक बाधाओं के कारण विद्यालय में उपस्थित नहीं हुये। यह तथ्य यथावत है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित नहीं किया गया।

बच्चों की उपस्थिति

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु कोई भी प्रणाली विकसित नहीं की। यह पाया गया कि वर्ष 2010–16 की अवधि में कार्ययोजना तैयार करने हेतु आंकड़े अलग-अलग वर्षों में विभिन्न स्रोतों²⁷ से लिये गये। 2010–16 के मध्य प्राथमिक विद्यालयों में 70 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के मध्य उपस्थिति के लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति 61 से 91 प्रतिशत के मध्य रही। इसीप्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 75 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के मध्य उपस्थिति के लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति 54 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के मध्य रही, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.1.18 में दिया गया है। 428 विद्यालयों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि जांच वाले दिन 51,649 बच्चों के नामांकन के सापेक्ष केवल 13,861 (27 प्रतिशत) बच्चों की उपस्थिति थी। दो जनपदों

²⁷ क्वालिटी मैनेजमेन्ट टूल (2010–12), मध्यान्ह भोजन का इंटरएक्टिव वायस रिस्पांस सिस्टम (2012–13), प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम, बेसिक (2013–14) और निदेशक, बेसिक शिक्षा उ0 प्र0 सरकार द्वारा संकलित बेस लाइन बेसिक शिक्षा अधिकारी रिपोर्ट्स (2014–16), जिन्होंने 2014–15 से विद्यालय निरीक्षण के माध्यम से उपस्थिति का अनुश्रवण प्रारम्भ किया।

(रामपुर व पीलीभीत) के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 59 शिक्षकों ने घरेलू कार्य (22 प्रतिशत); जागरूकता की कमी (14 प्रतिशत) और गरीबी (12 प्रतिशत) को विद्यालय में कम उपस्थिति का कारण बताया।

शासन ने इस अभियान को स्वीकार किया तथा कहा कि विभाग में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति का सतत अनुश्रवण किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपस्थिति का अनुश्रवण करने की कोई समान प्रणाली नहीं थी और इसलिये विद्यालयों में उपस्थिति के सम्बन्ध में शासन द्वारा प्रदर्शित आंकड़ों की प्रमाणिकता का कोई आश्वासन नहीं था।

संस्तुति : शासन को विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण करने हेतु आधुनिक तकनीकों जैसे जीआईएस, मोबाइल एप आदि का उपयोग किये जाने पर विचार करना चाहिये।

बच्चों को विद्यालय में रोकने हेतु किये गये उपाय:

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक

शिक्षा का अधिकार नियमावली का नियम 5(1), अधिनियम के अन्तर्गत सभी अर्ह बच्चों को प्रत्येक वर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देने का प्रावधान करता है। तदनुसार, केंद्र एवं राज्य सरकार पुस्तकों के क्रय व वितरण हेतु राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी को निधि²⁸ उपलब्ध कराती है। राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नामांकित बच्चों के आधार पर उनकी आवश्यकतानुसार पुस्तकों के क्रय करने हेतु निधि उपलब्ध कराती है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, निदेशक बेसिक शिक्षा, लखनऊ द्वारा निर्धारित मुद्रकों/प्रकाशकों को पुस्तकों की आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत करते हैं और उसके सापेक्ष भुगतान करते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010–16 की अवधि में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं विद्यालयों तक उनके वितरण पर ₹ 691.50 करोड़ व्यय किये गये।

लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति हेतु मुद्रकों/प्रकाशकों का चयन

वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु निदेशक, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निविदा आमंत्रित की जाती है। दरों को अंतिम रूप देने तथा विभिन्न जनपदों के लिए प्रकाशक आबंटित करने हेतु निविदा का आमंत्रण केंद्रीकृत ढंग से किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय की आठ कक्षाओं को पांच समूहों (ए से ई)²⁹ में वर्गीकृत किया जाता है। निदेशक द्वारा आबंटित प्रकाशक के आधार पर सम्बंधित जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जिले को आबंटित प्रकाशक को मुद्रण व आपूर्ति का आदेश प्रेषित करते हैं। अधिप्राप्त और आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों की मात्रा का निर्धारण बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर किया जाता है। सारणी 5 में वर्ष 2010–16 की अवधि में बच्चों को निःशुल्क आपूर्ति हेतु अधिप्राप्त पुस्तकों का विवरण दिया गया है :

²⁸ सभी बालिकाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु निधि उपलब्ध करायी गयी। अनुसूचित जाति/जनजाति से इतर बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलग से निधि उपलब्ध करायी जाती है।

²⁹ ए वर्ग: कक्षा-1 से 3; बी वर्ग: कक्षा-4 और 5; सी वर्ग: कक्षा-6; डी वर्ग: कक्षा-7 एवं ई वर्ग: कक्षा 8।

सारणी 5: वर्ष 2010–16 की अवधि में पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति हेतु किये गये अनुबंध का विवरण

वर्ष	निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रकाशकों की संख्या	न्यूनतम दर पर आपूर्ति स्वीकार करने वाले प्रकाशकों की संख्या (एल-1 सहित)	प्रकाशकों की संख्या जिन्हें कार्य दिया गया	अधिप्राप्त पुस्तकों का मूल्य (करोड़ ₹ में)
2010–11	47	35	35	82.21
2011–12	33	22	22	97.95
2012–13	38	29	29	103.39
2013–14	37	31	31	126.30
2014–15	36	35	35	129.35
2015–16	35	25	25	152.30

(स्रोत: निदेशक, बेसिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख तथा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

प्रकाशकों को आबंटन का मानक स्पष्ट रूप से बताये बिना जनपदों का आवंटन वित्तीय बिड खोलने तथा प्रकाशकों से मोल भाव के बाद किया गया। अतः मात्राओं/जनपदों की संख्या के वितरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया मनमानीपूर्ण थी तथा उसमें वस्तुपरकता, निष्पक्षता तथा पारदर्शिता की कमी थी।

एक बार प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम निविदादाता चिह्नित हो जाने के बाद अन्य निविदादाता जो न्यूनतम एल-1 दर पर आदेश स्वीकार करना चाहते थे उन्हें भी आपूर्ति आदेश³⁰ दिए गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा अपनाई गयी व्यवस्था निष्पक्ष तथा पर्याप्त रूप से प्रतिस्पर्धात्मक नहीं थी क्योंकि उसमें न्यूनतम दर देने वाले निविदादाताओं के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। सभी निविदादाता जिन्होंने न्यूनतम एल-1 दर पर आपूर्ति करने की सहमति दी उन्हें आदेश दे दिए गए, जिसमें यह भी निहित है कि यदि वे एल-1 घोषित नहीं किये जाते, तो भी सरकार द्वारा उन्हें अवश्य आदेश दिए जायेंगे। न तो निविदा आमंत्रण की सूचना/निविदा प्रपत्र में निविदादाता को दर के उलटे अनुपात में कार्य सौंपने का कोई मानक निर्धारित किया गया था और न ही प्रकाशकों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित की गयी थी, जिनको कार्यादेश देने पर विचार किया जा सके। इस प्रकार निविदादाताओं को प्रतिस्पर्धा की कोई चिंता नहीं थी जो उन्हें दरों में कमी करने को बाध्य कर सके। अतः निविदा प्रक्रिया में दर की प्राप्ति हेतु निष्पक्षता/प्रतिस्पर्धा का अभाव था।

अनुबन्ध उन निविदादाताओं के साथ भी हुआ जो पिछले वर्षों में मानक से निम्न स्तर का कागज व मुद्रण³¹ प्रयुक्त करते पाये गए थे जिसका विवरण परिशिष्ट 2.1.19 में दिया गया है।

शासन ने बताया कि पुस्तकों के मुद्रण में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संविदा प्रदत्त करने की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी और आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों की मात्रा के निर्धारण की प्रक्रिया युक्तियुक्त नहीं थी।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का अधिक क्रय

चार नमूना जाँच जनपदों³² की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 4.23 करोड़ की 34.68 लाख पुस्तकें आवश्यकता से अधिक³³ क्रय की गयी, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.1.20 में दिया गया है।

³⁰ मुद्रकों/प्रकाशकों को आबंटन का आधार प्रदर्शित करने वाला कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

³¹ अद्योमानक कागज प्रयोग किये जाने के कारण 35 में से 30 प्रकाशकों (2010–11) के देयकों और अद्योमानक कागज व दोषपूर्ण मुद्रण इत्यादि के कारण सभी 25 प्रकाशकों (2015–16) के देयकों से धनराशि की कठौती की गयी।

शासन ने कहा कि प्रकरण की जांच की जायेगी और तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पुस्तकों के परिवहन की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यालय स्तर³⁴ तक पुस्तकों की ढुलाई का निर्णय लिया (जून 2012)। जिला स्तर के भण्डार गृहों (जनपद स्तर के भण्डार गृहों तक पुस्तकों की आपूर्ति प्रकाशकों द्वारा की जाती है) से स्कूल तक पुस्तकों की ढुलाई, की दर का निर्धारण सम्बन्धित जनपदों के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाना था।

उपरोक्त आदेश (जून 2012) के प्रतिकूल जनपदों ने ढुलाई पर व्यय करने की अलग-अलग प्रक्रियाओं³⁵ का पालन किया राज्य क्रियान्वयन अभिकरण ने भी 2013–14 तक पुस्तकों की ढुलाई पर हुए व्यय का संकलन नहीं किया। चयनित जनपदों द्वारा वर्ष 2011–16 में किये गए अधिकतम व न्यूनतम व्ययों के विश्लेषण में पाया गया कि 14³⁶ जनपदों में ढुलाई की लागत 78 प्रतिशत से लेकर 2027 प्रतिशत तक वृद्धिगत हुई यद्यपि उसी अवधि में अधिप्राप्त की गयी पुस्तकों की संख्या में 2.49 प्रतिशत से 29.63 प्रतिशत³⁷ तक की कमी हुई (परिशिष्ट 2.1.21)।

शासन ने कहा कि पुस्तकों को बच्चों तक शीघ्रता से पहुँचाने के लिए ढुलाई की भिन्न भिन्न प्रक्रिया अपनाई गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने पुस्तकों को समय से नहीं पहुँचाया, जिसकी चर्चा निम्न प्रस्तर में की गयी है।

बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने में विलम्ब

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015–16 से शैक्षणिक सत्र का आरम्भ पहली जुलाई से बदल कर पहली अप्रैल से कर दिया। तथापि वर्ष 2015–16 के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण हेतु निविदा 05 मई 2015 को खोली गयी। आदेश के अनुसार निविदाताओं को वर्ष 2015–16 हेतु पुस्तकों की प्रथम व द्वितीय खेप की आपूर्ति 15 जून एवं 5 जुलाई को करनी थी। नमूना चयनित 15 जनपदों³⁸ की लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुद्रकों द्वारा विभिन्न जनपदों को पुस्तकों की प्रथम खेप की आपूर्ति जून 2015 के प्रथम सप्ताह से लेकर अगस्त 2015 के तीसरे सप्ताह तक की गयी। इस प्रकार निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने के दो महीने से अधिक समय की देरी से की गयी।

चयनित 15 जनपदों की लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2010–15 की अवधि में पुस्तकों का क्रयादेश प्रेषित करने व मुद्रकों से पुस्तकों को प्राप्त करने में 103 दिनों

³² महाराजगंज फिरोजाबाद सोनभद्र, गाजीपुर।

³³ नामांकित बच्चों के आधार पर गणना की गयी पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1,2,3,4,5,6,7 और 8 के छात्रों को क्रमशः 1,2,5,6,6,14,13 और 13 पुस्तकें वर्ष 2012–14 के लिए निर्धारित (वर्ष 2014–16 में कक्षा 6 से 8 के लिए 11 पुस्तक तक सीमित) थी।

³⁴ वर्ष 2010–11 तक जनपदों से विकास खण्डों तथा विकास खण्डों से विद्यालयों तक पुस्तकों के परिवहन का प्रबन्धन जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित विद्यालय के प्रधान शिक्षक द्वारा किया जाता था और परिवहन पर हुए व्यय को क्रमशः पुस्तकों के क्रय करने के उपरान्त बची धनराशि एवं विद्यालयों की विकास निधि पर भारित किया जाता था।

³⁵ जैसे पूर्व वर्षों में स्वीकृत दर; जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत दर; निविदा प्रक्रिया; ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अग्रिम देकर विभिन्न परिवहन एजेंसियों के माध्यम से गाड़ियों को प्रतिदिन की दर से भाड़ा देकर सम्भागीय परिवहन अधिकारी से परिवहन की दर प्राप्त कर विभिन्न परिवहन एजेंसियों से पुस्तकों का परिवहन; जिला अधिकारियों द्वारा निर्धारित विकास खण्ड स्तर तक प्रति फेरा दर इत्यादि।

³⁶ फरुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, मऊ, रामपुर, सोनभद्र, सुलतानपुर और उन्नावाए गाजियाबाद एवं पीलीभीत जनपदों द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

³⁷ बहराईच महाराजगंज और सोनभद्र जनपदों को छोड़कर जहां पर वृद्धि 3.03 और 6.72 प्रतिशत के मध्य विस्तारित थी।

³⁸ जनपद पीलीभीत द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

तक की देरी हुई³⁹। परिणामस्वरूप क्रय की गयी 18.35 करोड़ पुस्तकों के सापेक्ष 5.91 करोड़ पुस्तकें (32.21 प्रतिशत) वर्ष 2010–16 की अवधि में बच्चों को पर्याप्त देरी से अर्थात् अगस्त एवं उसके बाद के माहों में उपलब्ध कराई गयी जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.1.22** में दिया गया है। चयनित 428 विद्यालयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 103 विद्यालयों (24 प्रतिशत) में पुस्तकों के वितरण के सम्बन्ध में अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। दो नमूना चयनित जनपदों (पीलीभीत व रामपुर) में 169 बच्चों 59 शिक्षकों और 53 अभिभावकों के लाभार्थी सर्वेक्षण में 29 प्रतिशत बच्चों और 25 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि उन्हें पुस्तकें समय से प्राप्त नहीं होती।

इस प्रकार बच्चों को समय से पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे बच्चों पर अनावश्यक बोझ पड़ा तथा पठन–पाठन की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा बताया कि अगले सत्र से बच्चों को समय से पुस्तकें देने का प्रयास किया जा रहा है।

बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न कराया जाना

सर्व शिक्षा अभियान⁴⁰ के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु⁴¹ प्राप्त ₹ 997.47 करोड़ धनराशि के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010–16 की अवधि में मात्र ₹ 691.50 करोड़ (69 प्रतिशत) का उपयोग किया गया।

तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि 554.02 लाख नामांकित बच्चों⁴² के सापेक्ष मात्र 547.80 लाख बच्चे (99 प्रतिशत) ही वर्ष 2012–16 की अवधि में आच्छादित हुए। इस प्रकार निधि की उपलब्धता के बावजूद उक्त अवधि में 6.22 लाख बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी गयीं जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.1.23** में दिया गया है।



प्राथमिक विद्यालय, निविया राजेपुर, फरुखाबाद में क्रय की गयी परन्तु अवितरित पुस्तकें



शहरी संसाधन केन्द्र, उन्नाव में अवितरित पुस्तकें जिन्हें विगत वर्षों में वितरण हेतु क्रय किया गया था

³⁹ वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 और 2014–15 में क्रमशः मई 2010 के तीसरे सप्ताह और जुलाई 2010 के तीसरे सप्ताह के मध्य; जून 2011 के तीसरे सप्ताह और अगस्त 2011 के चौथे सप्ताह के मध्य; मई 2012 के चौथे सप्ताह और सितम्बर: 2012 के तीसरे सप्ताह के मध्य; मई 2013 के दूसरे सप्ताह और अक्टूबर 2013 के चौथे सप्ताह के मध्य और मई 2014 के चौथे सप्ताह और जुलाई 2014 के दूसरे सप्ताह के मध्य में पुस्तकों की पहली खेप प्राप्त हुई।

⁴⁰ कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप, निर्धारित अनुपात में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से।

⁴¹ सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालकों से इतर अन्य बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अलग से ₹ 313.09 करोड़ निदेशक, बेसिक शिक्षा लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। जिसके सापेक्ष ₹ 287.12 करोड़ की धनराशि उपयोग की गयी। निदेशक बेसिक शिक्षा ऐसे छात्रों हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उनके आच्छादन से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराने में असफल रहे।

⁴² सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालकों का वर्ष 2010–12 का नामांकन जिला शिक्षा सूचना प्रणाली पर उपलब्ध नहीं था।

शासन ने कहा कि प्रकरण की जांच की जा रही है साथ ही साथ यह भी कहा कि भविष्य में सभी बच्चों को पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

यूनिफार्म का देरी से/कम वितरण

शिक्षा का अधिकार नियमावली (जुलाई 2011) सभी पात्र बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष में एक बार यूनिफार्म वितरण का प्रावधान करती है। तदनुसार केन्द्र व राज्य सरकारें, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बालकों एवं सभी बालिकाओं को तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालकों को प्रतिवर्ष दो सेट यूनिफार्म (₹ 200 प्रति यूनिफार्म की दर से) उपलब्ध कराने हेतु राज्य क्रियान्वयन सोसाईटी को निधि उपलब्ध कराती है। उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से ऊपर जीवन—यापन करने वाले गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों को यूनिफार्म वितरण हेतु निदेशक बेसिक शिक्षा को निधि प्रदान करती है। दोनों स्रोतों से प्राप्त निधि को कपड़ा खरीदने तथा बच्चों का नाप लेकर यूनिफार्म की सिलाई करने हेतु विद्यालयों को हस्तांतरित किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–16 की अवधि में सर्व शिक्षा अभियान तथा राज्य अनुदान के अंतर्गत यूनिफार्म वितरण हेतु प्राप्त कुल निधि ₹ 3739.18 करोड़⁴³ के सापेक्ष मार्च 2016 तक केवल 3137.24 करोड़⁴⁴ (83.9 प्रतिशत) का उपभोग किया गया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि वर्ष 2012–16 की अवधि में पात्र शासकीय/ शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत नामांकित 8.22 करोड़ बच्चों⁴⁵ के सापेक्ष 7.25 करोड़ बच्चों को ही यूनिफार्म वितरित किये गए। इस प्रकार 97 लाख पात्र बच्चों को पर्याप्त निधि उपलब्ध होने के बावजूद यूनिफार्म वितरित नहीं किये गए। लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि:

उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2011–12 की अवधि में बच्चों को केवल एक सेट यूनिफार्म दिया (जबकि कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा यूनिफार्म के दो सेट की स्वीकृत दी गयी थी) तथा तदनुसार निधि अवमुक्त की गयी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011–12 के दौरान अनुसूचित जाति जनजाति तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले बच्चों को यूनिफार्म वितरण हेतु राजकीय अनुदान उपलब्ध नहीं करायी।

2011–16 की अवधि में यूनिफार्म वितरण की लक्षित तिथि शैक्षणिक वर्ष आरम्भ होने के तीन से पांच माह पश्चात् रखी गयी। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदों से संकलित सूचना से संज्ञान में आया कि 21 जनपदों ने वर्ष 2013–14 की अवधि में यूनिफार्म वितरण की अंतिम तिथि से 10 दिनों पश्चात् तक बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध नहीं कराये जबकि 46 जनपदों ने वर्ष 2014–16 की अवधि में अंतिम तिथि से 29 दिनों पश्चात् तक भी बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध नहीं कराये जिसका विवरण परिशिष्ट 2.1.24 में दिया गया है। विलम्ब से यूनिफार्म वितरित किये जाने का मुख्य कारण जनपदों/विद्यालयों को यूनिफार्म अधिप्राप्ति हेतु निधि का विलम्ब⁴⁶ से हस्तांतरण था।

⁴³ सर्व शिक्षा अभियान (2011–16) (₹ 3501.03 करोड़ और राज्य अनुदान) (2012–16) ₹ 238.15 करोड़।

⁴⁴ सर्व शिक्षा अभियान ₹ 2907.61 करोड़ और राज्य अनुदान (2012–16) ₹ 229.63 करोड़।

⁴⁵ उत्तर प्रदेश सरकार के पास सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालकों और अनुसूचित जाति/जनजाति से इतर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले बालकों के नामांकन का अलग—अलग आकड़ा उपलब्ध नहीं था।

⁴⁶ वर्ष 2015–16 में शैक्षिक सत्र अप्रैल 2015 से प्रारम्भ हुआ लेकिन यूनिफार्म वितरण हेतु धनराशि दो किस्तों में (75 प्रतिशत 28.07.2015, .25 प्रतिशत 27.01.2016) 4 माह और 10 माह विलम्ब से प्रेषित की गयी।

चयनित जनपदों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10.06 लाख बच्चों को वितरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से लगभग एक महीने से लेकर सात महीनों से अधिक देरी से यूनिफार्म बांटे⁴⁷ गए जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.1.25** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त नमूना चयनित जनपद महाराजगंज में वर्ष 2014–15 की अवधि में यूनीफार्म वितरण हेतु ₹ 4.53 लाख की धनराशि एक अपात्र प्राथमिक विद्यालय को उपलब्ध करायी गई थी।

15 जनपदों के 428 विद्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 103 विद्यालयों में यूनिफार्म वितरण के अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था। दो नमूना चयनित जनपदों (पीलीभीत व रामपुर) के 169 बच्चों और 53 अभिभावकों के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 12 प्रतिशत बच्चों ओर 11 प्रतिशत अभिभावकों ने कहा कि बच्चों ने अपना यूनिफार्म समय से प्राप्त नहीं किया।

यूनिफार्म वितरण में देरी निर्धारित परिवारों के बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इससे विद्यालयों में बच्चों के बीच समानता तथा एकरूपता बनाये रखने का उद्देश्य भी विफल होगा।

सरकार ने यूनिफार्म वितरण में देरी को स्वीकार किया तथा कहा कि यूनिफार्म वितरण का लक्ष्य अंततः प्राप्त कर लिया गया। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि 2010–16 की अवधि में पर्याप्त निधि उपलब्ध होने के उपरांत भी राज्य में 0.97 करोड़ अर्ह बच्चों को यूनीफार्म उपलब्ध नहीं कराये गये। अग्रेतर यूनिफार्म आपूर्ति की निर्धारित लक्षित तिथि (नवम्बर) स्वयं में काफी विलम्बित थी।

संस्तुतियाँ

1. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की छपाई व आपूर्ति की प्रक्रिया तथा उनके विद्यालयों तक परिवहन हेतु निविदा प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा लाने हेतु सुधार किया जाए।
2. सरकार को प्रकाशकों के चुनाव के लिए निविदा प्रक्रिया पर्याप्त रूप से अग्रिम प्रारम्भ कर देनी चाहिए ताकि बच्चों को समय से पुस्तकों वितरित की जा सके।
3. शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही बच्चों को पाठ्य पुस्तकों तथा दो सेट यूनिफार्म वितरित करना और सभी बच्चों को आच्छादित करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अपने अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।

2.1.8.3 आधारभूत संरचना

विद्यालयों का निर्माण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011–12 के दौरान स्वीकृत 11,067 प्राथमिक विद्यालयों एवं 3,093 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से मार्च 2016 तक मात्र 10,521 प्राथमिक विद्यालय एवं 2,998 उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्मित हुए, 77 प्राथमिक विद्यालय एवं 22 उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माणाधीन थे जबकि 469 प्राथमिक विद्यालयों एवं 73 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य मार्च 2016 तक प्रारम्भ ही नहीं किया गया था, यद्यपि इनका निर्माण कार्य 2011–12 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था (**परिशिष्ट 2.1.26**)। विद्यालयों के निर्माण में विलम्ब के मुख्य कारण विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, भूमि विवाद इत्यादि था (**परिशिष्ट 2.1.27**)।

⁴⁷ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, और 2015–16 में यूनिफार्म वितरण हेतु अंतिम तिथि क्रमशः 11.11.2011, 02.10.2012, 30.11.2013, 30.09.2014, और 30.08.2015 रखी गयी। 1–30 दिनों के विलम्ब को छोड़ दिया गया।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि वर्ष 2016–17 के दौरान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1,652 नवीन प्राथमिक विद्यालयों एवं 201 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु किये गए प्रस्ताव को जी0आई0एस0 मैपिंग के पूर्ण न होने के कारण, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट हुआ कि जी0आई0एस0 मैपिंग को जून 2015 तक पूर्ण करने की प्रतिबद्धता पर कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा ₹ 3.5 करोड़ का अनुमोदन किया गया था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा मात्र 12 जनपदों में ही उक्त अभ्यास को पूर्ण किया गया तथा 2.49 लाख विद्यालयों में से मात्र 76,119 विद्यालयों⁴⁸ (30 प्रतिशत) का ही भू-निर्देशांक एकत्रित किया गया।

शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा कि निर्माण कार्यों के पूर्ण होने में आ रही बाधाओं को दूर किया जा रहा है। जी0आई0एस0 मैपिंग के बारे में, यह बताया कि कार्य प्रगति पर है।

उचित भवन के बिना विद्यालयों का संचालन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार सरकार से विद्यालय भवन सहित मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अपेक्षित भवन के बिना विद्यालय संचालित थे, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.1.28 में दिया गया है तथा नीचे सारणी 6 में संक्षेपित है।

सारणी 6: बिना अपेक्षित भवन के/फूस की छत के नीचे/ किराये पर/जर्जर भवन में संचालित विद्यालय

संचालित विद्यालय	राज्य की सम्पूर्ण स्थिति (जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार)		चयनित जनपदों में वास्तविक स्थिति	
	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
बिना भवन के/फूस की छत के नीचे	90	15	16	14
जर्जर भवन में	304	99	72	22
किराये के भवन में	782	76	150	18
योग	1,176	190	238	54

(चोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली एवं जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रदत्त सूचना)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य के 1,176 प्राथमिक विद्यालयों एवं 190 उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा नमूना चयनित जनपदों के 238 प्राथमिक विद्यालयों और 54 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास उनके उचित संचालन के लिए पर्याप्त भवन नहीं थे।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जनपद बहराइच, फिरोजाबाद, गोरखपुर⁴⁹, झाँसी, सुलतानपुर, उन्नाव



⁴⁸ जिओ-टैगड विद्यालयों की अपलोडिंग हेतु कार्यालयीय साईट मात्र 74436 विद्यालय प्रदर्शित कर रही है (अगस्त 2016)।

⁴⁹ जनपद गोरखपुर में संयुक्त भौतिक सत्यापन में स्पष्ट हुआ कि प्राथमिक विद्यालय पयासी का प्रयोग दुग्धशाला/बकरीपालन में किया जा रहा था। प्राथमिक विद्यालय पयासी उच्च प्राथमिक विद्यालय पयासी में चल रहा था।

एवं पीलीभीत में 72 विद्यालय भवनों में प्रत्येक में दो या तीन प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय (कुल 160 विद्यालय) संचालित थे जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.1.29** में दिया गया है। एक ही भवन में दो या दो से अधिक विद्यालयों के संचालन में न केवल प्रत्येक विद्यालय हेतु एक भवन के नियमों का उल्लंघन किया गया बल्कि बच्चों को उनके पड़ोस में विद्यालय पाने से भी वंचित रखा गया।

अग्रेतर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों (अक्टूबर 2014) में प्रत्येक विद्यालय की सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्पादित किया जाना भी अपेक्षित था। मार्च 2016 तक सुरक्षा लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की गयी।

शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा कि पूरे प्रकरण की समीक्षा करने के पश्चात् उचित कार्यवाही की जाएगी।

बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन

अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, सुसंगत सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित संचालित या नियंत्रित विद्यालयों के अतिरिक्त कोई भी विद्यालय सक्षम प्राधिकारी से मान्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना संचालित नहीं होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच हेतु चयनित जनपदों में से चार जनपदों में 465 निजी विद्यालय बिना मान्यता⁵⁰ के संचालित थे क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में अन्तर्निहित मानकों के पूरा न होने के कारण सम्बंधित जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा इन विद्यालयों को मान्यता का प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया था।

शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और कहा कि प्रशासनिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ऐसे विद्यालयों के संचालन की रोकथाम करने के लिए जिला शिक्षा सूचना प्रणाली सुदृढ़ की जा रही है।

बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय/छात्रावास का निर्माण एवं परिवहन सुविधाएँ

शिक्षा का अधिकार नियमावली 4(2) प्रावधानित करती है कि ऐसे क्षेत्रों के बच्चों हेतु जहाँ पर विनिर्दिष्ट पड़ोस के परिक्षेत्र में विद्यालय उपलब्ध कराना संभव नहीं हो, राज्य सरकार उन क्षेत्रों के सभी अर्ह बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समुचित प्रबंध, जैसे निःशुल्क परिवहन, आवासीय सुविधा इत्यादि, करेगी। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

वर्ष 2012–14 की अवधि में उत्तर प्रदेश शासन ने 84 आवासीय विद्यालयों का निर्माण प्रस्तावित किया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014–16 की अवधि में राज्य सरकार ने 32 आवासीय छात्रावासों का निर्माण भी प्रस्तावित किया था। तथापि कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड ने मात्र दो आवासीय छात्रावासों को अनुमोदित किया। शेष प्रस्तावों को कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लक्षित बच्चों के चिन्हांकन की विधि को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

वर्ष 2010–16 की अवधि में स्वीकृत 183 कम्पोजिट विद्यालयों के सापेक्ष मात्र 100 विद्यालयों का निर्माण किया गया, जबकि 14 विद्यालय निर्माणाधीन थे (मार्च 2016)। अभिलेखों में पाया गया कि 46 विद्यालयों हेतु निधि समर्पित कर दी गयी थी।

⁵⁰ गोरखपुर, मऊ, सुलतानपुर एवं झांसी जनपद में क्रमशः 141, 190, 103 एवं 31 निजी विद्यालय।

(2013–14) और 23 विद्यालयों का निर्माण प्रारम्भ⁵¹ नहीं किया गया था। 16 नमूना चयनित जनपदों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि छः कम्पोजिट विद्यालय (अनुमानित लागत ₹ 2.35 करोड़) या तो अधूरे थे या संचालित नहीं थे (**परिशिष्ट 2.1.30**) और छः कम्पोजिट विद्यालय (अनुमानित लागत ₹ 1.86 करोड़) उचित मृदा शक्ति, भूमि उपलब्ध न होने, बिना मांग/आवश्यकता के स्वीकृत किये जाने के कारण समर्पण⁵² हेतु प्रस्तावित किये गये थे।

विरल आबादी सहित दूरस्थ बसावटों में रहने वाले बच्चों (1336 और 8473 के मध्य विस्तारित) और शहरी वंचित बच्चों/शहरी क्षेत्रों में बिना वयस्क संरक्षण के बच्चों (1403 और 9792 के मध्य विस्तारित) हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2012–16 की अवधि हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में परिवहन/अनुरक्षण सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया था। तथापि, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ने परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु दूरी के मानकों को अधिसूचित नहीं किया था।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर चूक के कारण लक्षित बच्चे इन सुविधाओं से वंचित रह गये, जिससे उनके शिक्षा के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

शासन द्वारा बताया गया कि कम्पोजिट विद्यालयों की स्थापना हेतु अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूरा कराने की कार्यवाही की जा रही है। शासन ने यह भी बताया कि बच्चों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में मांग की गयी थी, किन्तु उसे कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा कार्य पूरा कराने हेतु कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गयी, जबकि परिवहन सुविधाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि यह दूरी के मानकों को सूचित करने में विफल रही।

संस्कृति : सेवित एवं असेवित बस्तियों की संख्या की पहचान करने और भवनों के निर्माण में भौतिक –वित्तीय विसंगति के गंभीर प्रकरणों का पता लगाने हेतु प्रदेश सरकार को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत राज्य के सभी विद्यालयों की जीआईएस मैपिंग सम्पन्न कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण

अधिनियम की धारा 25(1) में वांछित छात्र–शिक्षक अनुपात⁵³ और प्रत्येक शिक्षक के लिये एक कक्षा–कक्ष का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010–16 की अवधि में स्वीकृत 82,145 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के सापेक्ष मार्च 2016 तक मात्र 81,954 अतिरिक्त कक्षा कक्षों (99.8 प्रतिशत) का निर्माण हुआ था और मुख्यतः अपर्याप्त निर्माण लागत के कारण 191 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया गया कि 2682 अतिरिक्त कक्षा कक्षों (लागत ₹ 59.11 करोड़) को स्वीकृत करने में मानकों का पालन नहीं किया गया जिनका विवरण **परिशिष्ट 2.1.31** में दिया गया है।

⁵¹ जिसमें से 19 कम्पोजिट विद्यालय समर्पण हेतु प्रस्तावित थे परन्तु कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (2016–17) में समर्पण को रोका गया है।

⁵² फर्लखाबाद–1, झांसी–1, कानुपर देहात–2 और रामपुर–2 कम्पोजिट विद्यालय।

⁵³ मार्च 2013 तक प्राथमिक विद्यालय में 1:30 (200 तक नामांकन हेतु 150 में ऊपर नामांकन पर एक अतिरिक्त प्रधानाध्यापक सहित) और 1:40 (200 से अधिक नामांकन हेतु) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1:35।

अग्रेतर, 428 विद्यालयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 111 विद्यालयों में 272 कक्षा कक्ष कम एवं 166 विद्यालयों में 442 कक्षा कक्ष अधिक थे, जो इंगित करते हैं कि अतिरिक्त कक्षा कक्षों की स्वीकृति आवश्यकता आधारित नहीं थी।

शासन ने सुस्पष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

विद्यालय भवनों और अतिरिक्त कक्षा कक्षों में अपर्याप्त स्थान

वर्ष 2010–16 के दौरान विद्यालय भवनों के निर्माण में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित मानकों (जैसा कि सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क के पैरा 6.4.3 में अपेक्षित है), का पालन नहीं किया गया, जैसा कि सारणी 7 में विस्तृत है:

सारणी 7: भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों का पालन किए बिना निर्माण किये गए विद्यालयों का विवरण

विवरण	निर्मित भवन	प्रति कक्षा–कक्ष निर्धारित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		निर्माण का वास्तविक आकार (वर्ग मीटर)	
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
नवीन प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय	13,519	44.53	50.37	30.00	28.00
अतिरिक्त कक्षा कक्ष	81,954	44.53	50.37	34.38	34.38

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना)

इस प्रकार निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण न होने के कारण सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्मित 13,519 प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 81,954 अतिरिक्त कक्षा कक्षों में अपर्याप्त स्थान था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय हेतु प्रति छात्रा 5.57 वर्ग मीटर के निर्धारित क्षेत्र (कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार) के सापेक्ष, प्रति छात्रा 3.40 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले 292 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का निर्माण किया गया, जो कि आकार⁵⁴ में मानक की अपेक्षा छोटे थे।

शासन ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क में कक्षा–कक्ष में 32 बच्चों हेतु 30 वर्ग मीटर का स्थान निर्धारित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फ्रेमवर्क में भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों को अंगीकार किये जाने की अपेक्षा की गयी है जिसमें 40 बच्चों को समायोजित करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों में 44.53 वर्ग मीटर और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50.37 वर्ग मीटर का स्थान प्रावधानित है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण नहीं किया गया था।

संस्तुति : विद्यालयों/अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित मानकों का पालन किया जाना चाहिए।

विद्यालयों में अन्य आधारभूत सुविधाएँ

शिक्षा का अधिकार अधिनियम मार्च 2013 तक विद्यालयों में सर्वत्र भवन जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ–साथ बाधा मुक्त पहुँच, लड़कियों के लिए अलग

⁵⁴ नमूना चयनित जनपदों में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि 2 से 3 बालिकायें एक ही शयिका साझा कर रही थीं।

शौचालय, पेयजल व्यवस्था, खेल का मैदान और चहारदीवारी द्वारा विद्यालय भवन को सुरक्षित रखने हेतु व्यवस्था का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन वर्ष की निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद विद्यालयों की बड़ी संख्या में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिसका विवरण सारणी 8 में दिया गया है।

सारणी 8: सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क के अनुसार विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी को दर्शाता विवरण

क्र. सं.	आधारभूत सुविधाओं की कमी	सम्पूर्ण राज्य की स्थिति				नमूना चयनित 428 विद्यालयों में स्थिति	
		ग्रामीण		शहरी			
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय		
1.	चहारदीवारी	36,818	18,946	1,088	255	57,107	159
2.	बालकों के लिए अलग शौचालय	380	602	109	100	1,191	81
3.	बालिकाओं के लिए अलग शौचालय	316	108	106	13	543	81
4.	पेयजल व्यवस्था ⁵⁵	1,365	1,384	200	29	2,978	37
5.	खेल का मैदान	35,383	13,088	1,991	387	50,849	136

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली और चयनित विद्यालयों का संयुक्त भौतिक सत्यापन)

इसी प्रकार, राज्य के कुल 1.60 लाख विद्यालयों में से 35,995 विद्यालयों में पुस्तकालय और 26,941 में रैम्प उपलब्ध नहीं थे। अग्रेतर, स्वीकृति के उपरांत एक से पांच वर्ष तक व्यतीत हो जाने के बावजूद कुछ स्वीकृत सुविधाएँ पूर्ण नहीं थी, फलस्वरूप जिला परियोजना अधिकारी (₹ 1.37 करोड़) और कार्यदायी संस्था (₹ 1.76 करोड़) के स्तर पर ₹ 3.13 करोड़ अवरुद्ध थे, (**परिणाम 2.1.32**)। यह बच्चों के समग्र विकास में बाधा पहुँचा सकता है। दो नमूना चयनित जनपदों (पीलीभीत और रामपुर) में 169 बच्चों और 59 शिक्षकों के लाभार्थी सर्वेक्षण में 20 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि उनके विद्यालयों के शौचालय सामान्यतः स्वच्छ नहीं रहते। 27 प्रतिशत शिक्षकों की राय थी कि अभिभावकों के मध्य जागरूकता और बेहतर सुविधाओं/मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि से शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी।

लेखापरीक्षा द्वारा जनपद गाजीपुर एवं सुलतानपुर के 106 विद्यालयों⁵⁶ में जिओ-टैगिंग भी की गयी और पाया गया कि क्रमशः 71, 30, 65 और 15 विद्यालयों में रैम्प, चहारदीवारी, गेट और शौचालय उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त क्रमशः 24 और 22 विद्यालयों में शौचालय और चहारदीवारी आंशिक रूप से निर्मित पाए गए।

शासन ने बताया कि वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में नियमित रूप से विद्यालयों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव दिए जा रहे थे और वार्षिक कार्य योजना एवं बजट पर कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार कार्य कराये गए थे। यह तथ्य शेष रहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार जो सुविधाएँ विद्यालयों को मार्च 2013 तक उपलब्ध करायी जानी थीं उन्हें अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया था।

⁵⁵ लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी 391 चयनित विद्यालयों में जिनमें हैंडपंप थे, जल परीक्षण रिपोर्ट नहीं थी।

⁵⁶ सभी चार चयनित विकास खण्डों में बिना प्रतिस्थापना के आकार के अनुपात में प्राथमिकता के आधार पर चयनित 15 विद्यालय या वर्ष 2010–16 की अवधि में वास्तविक रूप से निर्मित विद्यालय, जो भी कम हो।

विद्यालयों के विद्युतीकरण पर अलाभकारी व्यय

सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क के अनुसार, विद्यालय भवनों में विशिष्ट निर्माण मानकों का पालन किया जाना चाहिए और सभी विद्यालयों को विद्युतीकृत किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम 100 बच्चों वाले विद्यालयों में विद्युतीकरण हेतु आदेश जारी (जून 2008) किया था, जो विद्युतीकृत गांवों में 2008–09 से पहले निर्मित किए गए थे। शासन ने 93,354 विद्यालयों के विद्युतीकरण हेतु ₹ 279.74 करोड़⁵⁷ आबंटित (जून 2008 से अक्टूबर 2012) किये एवं ₹ 272.48 करोड़ अवमुक्त किए। अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि 92,409 विद्यालयों में आन्तरिक वायरिंग/विद्युत फिटिंग उपलब्ध करायी गयी थीं परन्तु मार्च 2016 तक ₹ 266.11 करोड़ की धनराशि का उपभोग करके मात्र 79,224 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। ₹ 65.05 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता (संयोजन शुल्क में वृद्धि को पूरा करने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा फरवरी 2011 में मांग की गयी) के कारण शेष 13,185 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप, इन विद्यालयों की आंतरिक वायरिंग पर विगत तीन से सात वर्षों में व्यय की गयी ₹ 35.58 करोड़ (जून 2008 से अक्टूबर 2012 तक) की धनराशि अलाभकारी रही और ₹ 3.61 करोड़ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास अवरुद्ध थे। इसप्रकार, सभी विद्यालयों को विद्युत उपलब्ध नहीं करायी गयी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 2008–16 की अवधि में निर्मित 13,825 प्राथमिक विद्यालयों और 8,383 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल ₹ 30.46 करोड़⁵⁸ की आंतरिक वायरिंग सम्प्लित थी। चयन मापदंड को पूरा करने वाले विद्यालयों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सितम्बर 2012 में विद्युतीकृत गांवों में स्थित तथा कम से कम 100 बच्चों की नामांकन संख्या वाले मात्र 11 जनपदों⁵⁹ के 4,256 प्राथमिक विद्यालयों एवं 1,877 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, कुल लागत ₹ 6.75 करोड़ से, विद्युत संयोजन तथा विद्युत उपकरण उपलब्ध कराने हेतु आदेश जारी किये। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मात्र 726 प्राथमिक विद्यालयों एवं 569 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही विद्युत संयोजन और विद्युत उपकरण उपलब्ध कराये गये क्योंकि अन्य विद्यालयों ने चयन मापदंड को पूरा नहीं किया। परिणामस्वरूप, 3,530 प्राथमिक विद्यालयों और 1,308 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को योजना का लाभ नहीं मिला जिसके कारण जिला परियोजना कार्यालय स्तर पर कुल ₹ 5.32 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हुई। इसके अतिरिक्त 13,099 प्राथमिक विद्यालयों एवं 7814 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आंतरिक विद्युतीकरण पर किया गया ₹ 28.64 करोड़ की धनराशि का व्यय अलाभकारी रहा।

15 जनपदों के 428 चयनित विद्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि विद्युत फिटिंग उपलब्ध थी परन्तु 80 विद्यालयों को विद्युत संयोजन उपलब्ध नहीं कराया गया था।

शासन ने स्वीकार किया कि (1) उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत संयोजन प्रभार में वृद्धि के कारण, विद्यालयों में विद्युत संयोजन उपलब्ध नहीं कराया

⁵⁷ आन्तरिक वायरिंग/विद्युत फिटिंग हेतु दर ₹ 26,988 प्रति विद्यालय और विद्युत कनेक्शन हेतु ₹ 2,200 प्रति विद्यालय

⁵⁸ सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण हेतु आगामित लागत क्रमशः ₹ 6.73 लाख एवं 9.01 लाख में वायरिंग लागत क्रमशः ₹ 11,310 एवं ₹ 17,688 सम्प्लित (2008–09) थी।

⁵⁹ अलीगढ़, बागपत, चंदौली, देवरिया, इटावा, कन्नौज, कुशीनगर, रामपुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर एवं वाराणसी।

गया और (2) वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में इसका प्रस्ताव शामिल किया जाएगा तथा विद्यालयों को विद्युत संयोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

संस्तुति: शासकीय विद्यालयों में अन्य आधारभूत संरचनाओं, जैसे सुरक्षित पेयजल, विद्युत संयोजन, खेल का मैदान, शौचालय इत्यादि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। पहले से ही अंतरिक्त वायरिंग/विद्युत फिटिंग वाले विद्यालयों का विद्युतीकरण पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2.1.8.4 बच्चों को शिक्षा प्रदान करना

शिक्षकों की तैनाती

छात्र-शिक्षक अनुपात

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1), 31.03.2013 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में 1:30 (150 से ऊपर नामांकित बच्चों के लिए एक अतिरिक्त मुख्य शिक्षक सहित, 200 तक नामांकन हेतु) एवं 1:40 (200 से ऊपर नामांकन हेतु) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1:35 का छात्र-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान करती है।

यह देखा गया कि यद्यपि सभी प्राथमिक (2010–16) एवं उच्च प्राथमिक (2012–16) शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में एवं निजी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में (2014–16) छात्र-शिक्षक अनुपात⁶⁰ प्राप्त कर लिया गया था, किन्तु यह निजी प्राथमिक विद्यालयों (2010–16) में प्राप्त नहीं किया जा सका था, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.1.33 में वर्णित है।

शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

शिक्षकों की अतार्किक तैनाती

लेखापरीक्षा में पाया गया की शिक्षकों के स्वीकृत 7.60 लाख पदों के सापेक्ष मार्च 2016 के अंत तक केवल 5.85 लाख शिक्षक तैनात थे। 1.75 लाख शिक्षकों की कमी अधिनियम की धारा 26 में दी गयी 10 प्रतिशत की अनुमन्य सीमा से अधिक थी।

अग्रेतर, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली ऑकड़ों की समीक्षा (2015–16) में यह पाया गया कि उपलब्ध शिक्षकों की तैनाती भी तार्किक नहीं थी क्योंकि 150 से अधिक नामांकन वाले 17,732 प्राथमिक एवं 1,349 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात वांछित अनुपात से कम था जबकि 50 से कम नामांकन वाले 7,264 प्राथमिक एवं 2,377 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वांछित अनुपात से अधिक था। विवरण परिशिष्ट 2.1.34 एवं परिशिष्ट 2.1.35 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 435 शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कोई शिक्षक तैनात नहीं था।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर देखा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्रेषित करते समय, भारत सरकार (मार्च 2015) को आश्वस्त किया कि शिक्षकों की अतार्किक तैनाती के प्रकरणों का समाधान जून 2015 तक कर लिया जायेगा। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं शिक्षकों की अतार्किक तैनाती यथावत थी।

⁶⁰ प्राथमिक विद्यालयों हेतु 1:40 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 1:35 का अधिकतम मापदंड लेते हुए।

15 चयनित जनपदों के 428 शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

एक शिक्षक पर प्राथमिक विद्यालयों में 40 छात्रों (अधिकतम) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 छात्रों के मानक के सापेक्ष, एक शिक्षक पर प्राथमिक विद्यालयों में 8 से 176 छात्रों का एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 4 से 237 छात्रों का छात्र-शिक्षक अनुपात था।

126 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 526 शिक्षकों की आवश्यकता के सापेक्ष 847 शिक्षक तैनात थे। इस प्रकार, 321 शिक्षक अधिक तैनात थे।

189 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 996 शिक्षकों की आवश्यकता के सापेक्ष केवल 558 शिक्षक तैनात थे। इस प्रकार, 438 शिक्षकों की कमी थी।

15 नमूना-जांच जनपदों के चयनित विद्यालयों के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 428 विद्यालयों में तैनात 1,753 शिक्षकों के सापेक्ष केवल 1,201 शिक्षक (68.51 प्रतिशत) उपस्थित थे।

शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एवं अतार्किक तैनाती से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए कहा गया कि शिक्षकों की अतार्किक तैनाती की समीक्षा की जायेगी एवं शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जायेगा।

संस्तुति: शासन को विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये शिक्षकों की तैनाती तर्कपूर्ण ढंग से करनी चाहिए और अधिक/कम शिक्षकों की तैनाती से बचना चाहिए।

शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता

शिक्षकों के पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता न होना

अधिनियम की धारा 23(2) सभी शिक्षकों से, जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखते इसे 5 वर्ष (मार्च 2015) के अंदर प्राप्त करने की अपेक्षा करती है। शिक्षा का अधिकार नियमावली का नियम 17(1) यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार ऐसे सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण⁶¹ प्रदान करेगी।

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आकड़ों (2015–16) के विश्लेषण में यह पाया गया कि अधिनियम के लागू होने के 6 वर्षों के उपरांत भी, प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 18,119 शिक्षक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 30,730 शिक्षकों के पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं थी।

प्रशिक्षण के सम्बन्ध में यह पाया गया कि 2010–11 में उपलब्ध 1.79 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 2015–16 में घटकर 28,277 रह गयी। विद्यालयों में अप्रशिक्षित एवं कम-योग्य शिक्षकों की तैनाती से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

⁶¹ अधिनियम की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु अप्रशिक्षित शिक्षकों को 2 वर्ष तक, प्रत्येक वर्ष 60 दिनों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

शासन ने बताया कि जिन शिक्षकों के पास वांछित शैक्षिक योग्यता नहीं थी, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन शिक्षकों को मार्च 2015 तक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेनी थी।

संस्तुति: शासन को शिक्षकों द्वारा वांछित योग्यता प्राप्त करने हेतु नवीन समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए एवं वांछित शैक्षिक योग्यता प्राप्त न करने पर कठोर उपाय करते हुए दण्ड का प्रावधान करना चाहिए।

बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

न्यूनतम शिक्षण दिवस

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुसूची में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु क्रमशः न्यूनतम 200 एवं 220 शिक्षण दिवसों का प्रावधान किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2010–11 में 1.46 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने वांछित शैक्षिक दिवसों का अनुपालन नहीं किया था। तथापि, वर्ष 2015–16 में शैक्षणिक दिवसों का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों की संख्या धीरे-धीरे कम हो कर 0.40 लाख तक रह गयी (*परिशिष्ट 2.1.36*)। नमूना जांच के दो जनपदों (पीलीभीत और रामपुर) के 59 शिक्षकों के लाभार्थी सर्वेक्षण में 14 प्रतिशत और 12 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया कि शिक्षकों की कमी/प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और शिक्षकों को शिक्षणेत्तर कार्यों में लगाया जाना, शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास का मुख्य कारण था।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा गया कि शिक्षकों की कमी के परिणामस्वरूप न्यूनतम शैक्षणिक दिवसों का अनुपालन नहीं किया जा सका।

सीख-संवर्धन हेतु बाल-केन्द्रित पहल

कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा

जैसा कि अधिनियम की धारा 8(जी) में वांछित है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, एवं बच्चों में विज्ञान एवं गणित के प्रति अभिरुचि पैदा करने हेतु भारत सरकार द्वारा कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा (कैल) योजना प्रारंभ (2003–04) की गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2010–12 के मध्य प्राप्त आवंटन ₹ 53.75 करोड़ के सापेक्ष ₹ 50.01 करोड़ (91 प्रतिशत) व्यय किया गया। अग्रेतर, वर्ष 2012–15 के मध्य कार्ययोजना में ₹ 92.35 करोड़ की मांग के सापेक्ष मात्र ₹ 47.57 करोड़ (52 प्रतिशत) अवमुक्त⁶² किया गया एवं ₹ 3.51 करोड़ व्यय किया गया। वर्ष 2015–16 के मध्य धनराशि की मांग नहीं की गयी। परिणामतः, 46,372 शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 38,280 विद्यालय अनाच्छादित रहे।

राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा संकलित सूचना से ज्ञात हुआ कि जनपदों को प्रदान किये गये 7,939 कम्प्यूटरों के सापेक्ष, मात्र 5,137 (65 प्रतिशत) कम्प्यूटर संचालित थे। शेष बचे 2,802 कम्प्यूटर में से, 1,642 कम्प्यूटर संचालित नहीं थे, 236 कम्प्यूटर चोरी

⁶² कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के सापेक्ष भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में।

हो गये थे एवं 919 कम्प्यूटर जनपद स्तर पर केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों⁶³ में अवस्थापित थे।

15 नमूना—चयनित जनपदों⁶⁴ की लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ की 1,519 कम्प्यूटरों की अधिप्राप्ति के सापेक्ष मात्र 1,219 कम्प्यूटर विद्यालयों में उपलब्ध थे जबकि 258 कम्प्यूटर विभिन्न कार्यालयों में स्थापित थे, 281 कम्प्यूटर संचालित नहीं थे एवं 42 कम्प्यूटर चौरी हो गये थे, जिनका विवरण **परिशिष्ट 2.1.37** में दिया गया है। अग्रेतर, 762 विद्यालयों में कम्प्यूटर तो उपलब्ध थे परन्तु प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं थे जबकि 95 विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं थे परन्तु प्रशिक्षक उपलब्ध थे।

नमूना—चयनित विद्यालयों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि 6 विद्यालयों⁶⁵ में कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं थे जबकि तीन विद्यालयों⁶⁶ में कम्प्यूटर बक्सों/अलमारियों में रखे हुए थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया गया कि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा उन कार्यालयों से जिन्होंने अपने अधिपत्य में कम्प्यूटर ले रखा था, पत्र व्यवहार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्यवाही नहीं की।

अतः, योजना उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार लाने में असफल रही।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया गया और कहा गया कि जनपदीय प्राधिकारियों को कम्प्यूटर की अवस्थापना केवल विद्यालयों में करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

प्राथमिक शिक्षा का सतत और व्यापक मूल्यांकन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 यह प्रावधान करती है कि एक अकादमीय प्राधिकारी द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया⁶⁷ निर्धारित की जायेगी। शिक्षा का अधिकार नियमावली का नियम 22 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को मूल्यांकन प्रक्रिया बनाने के लिए नामित करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हालांकि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित था और पांच जनपदों⁶⁸ में संचालित (2012–14) था, वर्ष 2010–15 के दौरान राज्य में बच्चों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। परिणामतः, इन वर्षों में न तो उनके सीखने का स्तर सुनिश्चित किया गया और न ही उनके समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गयी।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया गया और कहा गया कि शैक्षिक वर्ष 2015–16 से बच्चों का मूल्यांकन प्रारंभ कर दिया गया था।

⁶³ जैसे जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, चुनाव कार्यालय, अतिरिक्त जिलाधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बेसिक शिक्षा अधिकारी इत्यादि।

⁶⁴ गोरखपुर जनपद ने सर्वधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये।

⁶⁵ उच्च प्राथमिक विद्यालय अमहिया, गोरखपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय मथना कॉलोनी पीलीभीत एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय महराजगंज, सुलतानपुर; जनपद पीलीभीत में संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 5 विद्यालयों को 40 इंच मॉनिटर के साथ निर्गत किये गये 5 कम्प्यूटरों में से तीन विद्यालयों, यथा उच्च प्राथमिक विद्यालय नगर क्षेत्र बीसलपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय इटगांव एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बिल्सन्दा में कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं थे।

⁶⁶ उच्च प्राथमिक विद्यालय बबीना, झाँसी उच्च प्राथमिक विद्यालय, चम्पतपुर, कानपुर देहात एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बरागाँव, लखीमपुर खीरी।

⁶⁷ पठन पाठन प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में प्रत्येक बच्चे के सीखने की प्रगति का सतत रूप से अनुगमन किया जाना था।

⁶⁸ बलरामपुर, गाजियाबाद, ललितपुर, राय-बरेली एवं वाराणसी: चयनित जनपदों में मात्र शिक्षकों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल को 2014–15 के मध्य पुनरीक्षित किया गया।

संस्तुति: शासन को अन्य कार्यालयों/स्थानों पर प्रयोग हो रहे कम्प्यूटरों को वापस प्राप्त करने एवं उनको अर्ह विद्यालयों में स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए; यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम्प्यूटर संचालित हो और बच्चों को कम्प्यूटर सिखाने के लिए प्रशिक्षक उपलब्ध हो।

2.1.9 लिंग एवं सामाजिक श्रेणी पर आधारित अन्तर को कम करना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार छ: से चौदह वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और अन्य बातों के साथ, इसमें विकलांग बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या लिंग के आधार पर वंचित अन्य समूहों के बच्चे सम्मिलित हैं।

2.1.9.1 लिंग आधारित अन्तर को कम करना

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला जाना

शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिये आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजाना प्रारम्भ (अगस्त, 2004) की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–16 की अवधि में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध 4,14,800 स्थानों के सापेक्ष वास्तविक नामांकन 3,91,737 (94.4 प्रतिशत) था, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.1.38** में दिया गया है। अग्रेतर, वर्ष 2011–12 तक स्वीकृत 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से 33 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निर्माण निम्नलिखित कारणों से माह मार्च 2016 तक पूर्ण⁶⁹ नहीं हुआ था:

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के निर्माण हेतु शासकीय संस्था के चयन सम्बन्धी शासकीय आदेश (जून 2006) का उल्लंघन करते हुए 16 जनपदों⁷⁰ की जिला स्तरीय समितियों द्वारा वर्ष 2004–09 की अवधि में 51 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के निर्माण का कार्य गैर-शासकीय निर्माण संस्था-उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड (सहकारी निर्माण लिमिटेड) को दिया गया। 24 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सहकारी निर्माण लिमिटेड द्वारा सम्पादित कराये गए कार्य निम्न गुणवत्ता के पाये गए और इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्था को काली सूची में डाल दिया तथा जिला स्तरीय समितियों को वसूली की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। तथापि, सहकारी निर्माण लिमिटेड को अवमुक्त कुल ₹ 7.72 करोड़ की निधि के सापेक्ष कोई भी वसूली नहीं हुई थी (मार्च, 2016)। अग्रेतर, ₹ 3.84 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त होने के बावजूद, छ: जनपदों⁷¹ में 24 में से आठ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निर्माण अपूर्ण था (मार्च, 2016)।

बलरामपुर जनपद (2007–09) में 5 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (स्वीकृत लागत: ₹ 1.90 करोड़) के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड) को दिया गया। इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य मध्य में ही छोड़

⁶⁹ चयनित जनपदों फिरोजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज एवं सुल्तानपुर के 1, 1, 2 और 4 कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्रमशः अतिरिक्त कक्ष, कम्प्यूजिट स्कूल, प्राथमिक विद्यालय और अपूर्ण (2 अदद)/डायट (1 अदद)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (1 अदद) भवनों में संचालित थे।

⁷⁰ अमेठी, अमरोहा, बागपत, चन्दौली, गोरखपुर, कासगंज, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, सन्त कबीर नगर, सम्पल, सिद्धार्थनगर एवं श्रावस्ती।

⁷¹ चन्दौली, गोरखपुर, महाराजगंज, मथुरा, मिर्जापुर, और सिद्धार्थ नगर।

दिया गया। कम्पनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी (जून 2015), किन्तु कोई वसूली नहीं हुयी (मार्च, 2016)। कार्य की गुणवत्ता निम्न होने के कारण ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बिना बसे पड़े रहे। भूमि विवाद के कारण बांदा में भी एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निर्माण (₹ 14.80 लाख व्यय होने के उपरांत) नहीं हुआ।

फलस्वरूप लक्षित बालिकाएं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से मिलने वाले लाभ से वंचित रही।

शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा बताया कि अपूर्ण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

2.1.9.2 समाजिक श्रेणी आधारित अन्तर को कम करना

गरीब एवं वंचित वर्गों के बच्चों का नामांकन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के अनुसार विनिर्दिष्ट श्रेणी के विद्यालयों द्वारा अपने विद्यालयों में कक्षा-1 के छात्र संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक कमजोर वर्गों एवं वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश देना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब एवं वंचित समूह के बच्चों को चिह्नित करने हेतु विभिन्न मानदंडों को विलम्ब से अधिसूचित किया (दिसम्बर 2012), जिन्हें वर्ष 2013–14 से कार्यान्वित होना था। लक्षित समूहों में सुसंगत सूचनाओं का प्रचार प्रसार किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न तो कोई प्रभावी कदम उठाया गया, न ही ऐसे बच्चों को चिह्नित किया गया। फलस्वरूप वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान इन वर्गों के क्रमशः 6.16 लाख तथा 6.46 लाख बच्चों की प्रवेश क्षमता के सापेक्ष मात्र 108 एवं 3278 बच्चों ने ही ऐसे विद्यालयों में प्रवेश लिया।

शासन ने कहा कि ऐसे बच्चों को चिह्नित करने के लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा निदेशक, बेसिक शिक्षा द्वारा की गयी मांग के आधार पर कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड के माध्यम से राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी शूल्क की प्रतिपूर्ति का ध्यान रखती है। इस प्रकार राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (जिला परियोजना अधिकारी) के बीच समन्वय के अभाव से समाज के वंचित वर्गों के बच्चों का अपर्याप्त नामांकन हुआ।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 3 विकलांग बच्चों, जैसाकि विकलांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996 में परिभाषित है, के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्ययोजना में दर्शाये गए 19.16 लाख विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों⁷² के सापेक्ष वर्ष 2010–16 के दौरान केवल 18.76 लाख बच्चों को ही विद्यालयों में नामांकित किया गया। अग्रेतर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में नामांकित 18.76 लाख बच्चों में से केवल 2.09 लाख बच्चों के पास विकलांगता प्रमाण—पत्र था, फिर भी सभी 18.76 लाख बच्चों को अर्ह मानते हुए ₹ 287.88 करोड़ (परिशिष्ट 2.1.39) व्यय किया गया।

⁷² वर्ष 2010–16 के दौरान कुल 21.70 लाख बच्चे चिह्नित किये गए।

जनपदों की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिये जिला संसाधन समूहों का गठन नहीं किया गया था तथा उनके लिये व्यक्तिपरक शिक्षा योजना नहीं बनायी गयी थी, जो यह दर्शाता है कि योजना जमीनी स्तर पर समुचित रूप से संचालित नहीं हुई।

शासन ने केवल 2.09 लाख बच्चों के पास विकलांगता प्रमाण-पत्र होने सम्बन्धी लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया, किन्तु बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार ऐसे सभी बच्चों को, उनकी विकलांगता की सीमा पर विचार किये बिना, शिक्षा प्रदान की जानी थी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि केवल वही बच्चे जिनके पास विकलांगता प्रमाण-पत्र था, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में मान्य थे, तथा तदनुसार उनको लाभ पहुँचाया जाना था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को शिक्षा

विद्यालय न जाने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को चिन्हित करने तथा उन्हें विद्यालय में लाने के लिये सर्व शिक्षा अभियान स्थानीय प्राधिकारियों पर विशेष बल देता है।

भारत सरकार द्वारा अरबी एवं फारसी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना (2010–11) तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यक समुदायों, नगरीय क्षेत्र के वंचित बच्चों तथा बालिकाओं के लिये राष्ट्रीय अविष्कार अभियान/पढ़े भारत बढ़े भारत योजना प्रारम्भ की गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.1.40 एवं 2.1.41 में दिया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में¹ उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की संख्या 130.69 लाख/26.74 लाख/102.34 लाख अनुमानित थी, तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि हाउस होल्ड सर्वे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदायों के मात्र 97.56 लाख/2.33 लाख/68.89 लाख बच्चे चिन्हित किये गये थे। यह भारत सरकार द्वारा अनुमानित बच्चों की संख्या के क्रमशः 74.65 प्रतिशत, 8.71 प्रतिशत एवं 67.31 प्रतिशत थे। कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (2016–17) ने भी इन बच्चों के अल्प आंकलन पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी।

शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा कहा कि निधियों को कम उपभोग किये जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी तथा तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

संस्कृति: सरकार को विनिर्दिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में गरीब एवं वंचित वर्गों के बच्चों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों का नामांकन बढ़ाने हेतु कदम उठाने चाहिए।

2.1.10 योजना का अनुश्रवण

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार नियमावली तथा सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिये विस्तृत तंत्र का प्रावधान किया गया हैं

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना का अनुश्रवण पर्याप्त नहीं था, जैसा कि नीचे वर्णित है:

अधिनियम की धारा 34, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु, राज्य सरकार को सलाह देने के लिये राज्य सलाहकार परिषद⁷³ के गठन का प्रावधान करती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 में लागू हो गया था, परन्तु राज्य सलाहकार परिषद् का गठन तीन वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के पश्चात, जुलाई 2013 में किया गया। अग्रेतर, राज्य सलाहकार परिषद की कोई भी बैठक उसके गठन के बाद सम्पन्न नहीं हुई (मार्च 2016)।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 31 यह प्रावधान करती है कि राज्य बाल—अधिकार संरक्षण आयोग, अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के सुरक्षा साधनों का परीक्षण करेगा तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिये उपायों की अनुशंसा करेगा। शिक्षा का अधिकार नियमावली की धारा 25(1) यह भी प्रावधान करती है कि राज्य बाल—अधिकार संरक्षण आयोग, बाल—अधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के पंजीकरण के लिये एक हेल्पलाइन की स्थापना करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य बाल—अधिकार संरक्षण आयोग का गठन विलम्ब से (नवम्बर 2013) किया गया और उसे बाल—अधिकारों के संरक्षण के लिये पूर्ण रूप से संसाधन⁷⁴ उपलब्ध नहीं कराया गया। आयोग को मार्च 2016 तक मात्र पाँच शिकायतें प्राप्त हुई तथा वह बाल—हेल्पलाइन⁷⁵ की स्थापना करने में विफल रहा।

शिक्षा का अधिकार नियमावली की धारा 25(2) तथा सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क में, बाल—अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण, बेसिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी समिति, जिला स्तरीय समिति, सहायक ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों के द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी नमूना जांच जनपद में जिला स्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया। अग्रेतर, बाल—अधिकारों और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का विभागीय अनुश्रवण प्रभावी नहीं था और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित वर्ष 2010–15 के दौरान कराये गये शोध अध्ययनों को, उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.1.42 से 2.1.46** में दिया गया है।

शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा बताया कि अनुश्रवण में सुधार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

संस्तुति : सरकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन तथा बाल—अधिकारों के प्रभावी अनुश्रवण को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण संस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिये।

⁷³ बेसिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में (शिक्षा का अधिकार नियमावली का नियम 26)।

⁷⁴ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिये स्वीकृति 37 पदों के सापेक्ष मात्र चार पद भरे गये थे (मार्च 2016)।

⁷⁵ शासन से धन प्राप्त न होने के कारण।

2.1.11 निष्कर्ष

अधिनियम के कार्यान्वयन के छह वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, राज्य में 2055 बसावटों में कोई विद्यालय नहीं था। अग्रेतर, 230 बसावटों में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं था। परिणामस्वरूप, उन बसावटों में रह रहे 1.79 लाख बच्चों को पड़ोस का विद्यालय उपलब्ध नहीं हो सका।

क्रियान्वयन सोसाइटी और जिला नियोजन अधिकारियों के मध्य सामंजस्य की कमी के परिणामस्वरूप समाज के गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों का अत्यन्त कम नामांकन हुआ। विभाग द्वारा कराये गये हाउस होल्ड सर्वेक्षण में, भारत सरकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में चिन्हित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के 75 प्रतिशत/9 प्रतिशत/67 प्रतिशत का ही चिन्हांकन हो सका। परिणामस्वरूप, समाज के इन वर्गों हेतु योजनाओं का पर्याप्त क्रियान्वयन नहीं किया जा सका।

सम्प्रेक्षण द्वारा एकत्रित जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि औसतन प्रतिवर्ष 20 लाख ड्राप आउट बच्चे थे। परन्तु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2011–16 की अवधि में बच्चों का औसत ड्राप आउट 0.63 लाख प्रतिवर्ष था। विद्यालयों से बच्चों के कुल ड्राप आउट की तुलना में कक्षा 5 से कक्षा 6 में अन्तरण के समय ड्राप आउट अत्यधिक था। ये सम्बन्धित वर्षों में कुल ड्राप आउट के 38 प्रतिशत (2013–14) से 100 प्रतिशत (2011–12) तक विस्तारित था। ऐसा बच्चों को घरेलू और कृषि कार्यों, पारम्परिक शिल्पों में नियोजन और गरीबी इत्यादि के कारण था।

वर्ष 2012–16 के दौरान राज्य के 75 जनपदों में से 71 से 74 जनपदों में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उसी कक्षा में बच्चों को रोके रखा गया।

निधियों की उपलब्धता के बावजूद राज्य में 1,366 विद्यालय बिना उचित भवन/फूस की छत/किराये के भवन/जर्जर भवन में संचालित थे।

राज्य के 1.60 लाख विद्यालयों में से, 2,978 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा और 1,734 विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय उपलब्ध नहीं थे। लगभग 50,849 एवं 35,995 विद्यालयों के पास क्रमशः खेल के मैदान तथा पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अग्रेतर, वायरिंग/विद्युत फिटिंग पर ₹ 64.22 करोड़ व्यय किये जाने के बावजूद 34,098 विद्यालयों में विद्युत संयोजन नहीं था।

निधियों की उपलब्धता के बावजूद बच्चों के लिए पड़ोस के विद्यालय को चिन्हांकित करने हेतु मात्र 30 प्रतिशत विद्यालयों की जी0आई0एस0 मैपिंग की गई थी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2012–16 की अवधि में राज्य में 6.22 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी गयी, यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पर्याप्त निधियां प्राप्त हुई थी। अग्रेतर, विलम्बित निविदा प्रक्रिया और परिवहन प्रकरणों के कारण निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एक से तीन माह के विलम्ब से उपलब्ध करायी गयी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पर्याप्त निधि प्राप्त होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2012–16 की अवधि में 97 लाख बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि, प्रतिवर्ष अप्रैल/जुलाई से शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने नवम्बर माह तक यूनिफार्म की आपूर्ति की तिथि निर्धारित की। ये और इसके साथ वितरण में देरी के परिणामस्वरूप वर्ष 2010–16 की अवधि में प्रत्येक शैक्षिक सत्र में नवम्बर के बाद यूनिफार्म का वितरण हुआ।

विशिष्ट आवश्यकता वाले उन बच्चों को भी लाभान्वित किया गया जिनके पास विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं था।

अधिनियम प्रवृत्त होने के 6 वर्ष पश्चात भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त 18,119 शिक्षकों और 30,730 शिक्षकों के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहीं थी।

मार्च 2016 तक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किये जा रहे लेखाओं में ₹ 39.20 करोड़ असमाशोधित रहे। इनमें से ₹ 1.82 करोड़ पांच वर्ष से अधिक समय से समाशोधन हेतु लम्बित थे। पुनः, राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी ने अनुमन्य तीन बैंक खातों के सापेक्ष 10 बैंक खातों का रखरखाव किया था।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु किया गया नियोजन न तो व्यापक था और न ही इसमें समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की गयी थी। हाउस होल्ड सर्वे करने के लिए कोर टीमों का गठन नहीं किया गया था और विद्यालय प्रबन्ध समितियों ने विद्यालय विकास योजना नहीं बनाई थी।

अधिनियम के कार्यान्वयन के छह वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, राज्य में 2055 बसावटों में कोई विद्यालय नहीं था। अग्रेतर, 230 बसावटों में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं था। परिणामस्वरूप, उन बसावटों में रह रहे 1.79 लाख बच्चों को पड़ोस का विद्यालय उपलब्ध नहीं हो सका।

क्रियान्वयन सोसाइटी और जिला नियोजन अधिकारियों के मध्य सामंजस्य की कमी के परिणामस्वरूप समाज के गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों का अत्यन्त कम नामांकन हुआ। विभाग द्वारा कराये गये हाउस होल्ड सर्वेक्षण में, भारत सरकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में चिह्नित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के 75 प्रतिशत/9 प्रतिशत/67 प्रतिशत का ही चिह्नांकन हो सका। परिणामस्वरूप, समाज के इन वर्गों हेतु योजनाओं का पर्याप्त क्रियान्वयन नहीं किया जा सका।

सम्प्रेक्षण द्वारा एकत्रित जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि औसतन प्रतिवर्ष 20 लाख ड्राप आउट बच्चे थे। परन्तु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2011–16 की अवधि में बच्चों का औसत ड्राप आउट 0.63 लाख प्रतिवर्ष था। विद्यालयों से बच्चों के कुल ड्राप आउट की तुलना में कक्षा 5 से कक्षा 6 में अन्तरण के समय ड्राप आउट अत्यधिक था। ये सम्बन्धित वर्षों में कुल ड्राप आउट के 38 प्रतिशत (2013–14) से 100 प्रतिशत (2011–12) तक विस्तारित था। ऐसा बच्चों को घरेलू और कृषि कार्यों, पारम्परिक शिल्पों में नियोजन और गरीबी इत्यादि के कारण था।

वर्ष 2012–16 के दौरान राज्य के 75 जनपदों में से 71 से 74 जनपदों में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उसी कक्षा में बच्चों को रोके रखा गया।

निधियों की उपलब्धता के बावजूद राज्य में 1,366 विद्यालय बिना उचित भवन/फूस की छत/किराये के भवन/जर्जर भवन में संचालित थे।

राज्य के 1.60 लाख विद्यालयों में से, 2,978 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा और 1,734 विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध नहीं थे। लगभग 50,849 एवं 35,995 विद्यालयों के पास क्रमशः खेल के मैदान तथा पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अग्रेतर, वायरिंग/विद्युत फिटिंग पर ₹ 64.22 करोड़ व्यय किये जाने के बावजूद 34,098 विद्यालयों में विद्युत संयोजन नहीं था।

निधियों की उपलब्धता के बावजूद बच्चों के लिए पड़ोस के विद्यालय को चिह्नांकित करने हेतु मात्र 30 प्रतिशत विद्यालयों की जी0आई0एस0 मैपिंग की गई थी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2012–16 की अवधि में राज्य में 6.22 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी गयी, यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पर्याप्त निधियां प्राप्त हुई थी। अग्रेतर, विलम्बित निविदा प्रक्रिया और परिवहन प्रकरणों के कारण निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एक से तीन माह के विलम्ब से उपलब्ध करायी गयी।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पर्याप्त निधि प्राप्त होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2012–16 की अवधि में 97 लाख बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि, प्रतिवर्ष अप्रैल/जुलाई से शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार

ने नवम्बर माह तक यूनिफार्म की आपूर्ति की तिथि निर्धारित की। ये और इसके साथ वितरण में देरी के परिणामस्वरूप वर्ष 2010–16 की अवधि में प्रत्येक शैक्षिक सत्र में नवम्बर के बाद यूनिफार्म का वितरण हुआ।

विशिष्ट आवश्यकता वाले उन बच्चों को भी लाभान्वित किया गया जिनके पास विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं था।

अधिनियम प्रवृत्त होने के 6 वर्ष पश्चात भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त 18,119 शिक्षकों और 30,730 शिक्षकों के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहीं थी।

मार्च 2016 तक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किये जा रहे लेखाओं में ₹ 39.20 करोड़ असमाशोधित रहे। इनमें से ₹ 1.82 करोड़ पांच वर्ष से अधिक समय से समाशोधन हेतु लम्बित थे। पुनः, राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी ने अनुमन्य तीन बैंक खातों के सापेक्ष 10 बैंक खातों का रखरखाव किया था।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु किया गया नियोजन न तो व्यापक था और न ही इसमें समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की गयी थी। हाउस होल्ड सर्वे करने के लिए कोर टीमों का गठन नहीं किया गया था और विद्यालय प्रबन्ध समितियों ने विद्यालय विकास योजना नहीं बनाई थी।

खाद्य एवं रसद विभाग

2.2 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विद्यमान समस्याओं जैसे खाद्यान्न का रिसाव और विवर्तन, फर्जी और बोगस राशन कार्ड, समावेश और अपवर्जन की त्रुटि और प्रणाली में पारदर्शिता की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण की संकल्पना की गई थी। योजना के प्रमुख कार्यों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस का डिजिटाइजेशन; आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण; पारदर्शी पोर्टल और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना सम्मिलित थी। 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अन्तर्गत अनुपात (50:50) के आधार पर भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2012 में योजना के लिये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार द्वारा राज्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 108.53 करोड़ अनुमोदित किया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना में, मार्च 2016 तक कुल ₹ 54 करोड़ व्यय किया गया था। यद्यपि योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि (अक्टूबर 2013) को जून 2015 तक विस्तारित किया गया था, तथापि योजना में परिकल्पित कोई भी प्रमुख क्रियाकलाप पूर्ण नहीं हुआ था।

योजना की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

परियोजना नियोजन, कार्यान्वयन और प्रचालन

भारत सरकार के साथ सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब, राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के विलम्ब से गठन एवं प्रमुख कार्यकलापों का निष्पादन न करने के कारण परियोजना नियोजन विलंबित और त्रुटिपूर्ण रहा।

(प्रस्तर 2.2.8.1 व 2.2.8.2)

पाग द्वारा विसंगत रणनीति अपनाने के कारण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण के लिये निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं हुआ।

(प्रस्तर 2.2.8.4)

व्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यकलाप के सभी पहलुओं का समाधान करने में असफल रहा, जिसके कारण मैनुअल प्रक्रिया भी प्रचलित थी। न तो अनुप्रयोगी सॉफ्टवेयर का प्रलेखन सुनिश्चित किया गया और न ही राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ सेवा स्तर अनुबंध गठित किया गया।

(प्रस्तर 2.2.8.6)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण

डाटाबेस में त्रुटिपूर्ण मास्टर कोड की मैपिंग तथा लाभार्थियों के डुप्लीकेट रिकार्ड विद्यमान होने के कारण हितधारकों और लाभार्थियों के डाटाबेस के डिजिटाइजेशन में कमियां थीं।

(प्रस्तर 2.2.9.1)

सब्सिडी का समुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से दूसरे डाटाबेस से प्रतिसत्यापन कराकर और लाभार्थियों का बैंक खाता और आधार संग्रहण करके सभी बोगस लाभार्थी और एक से अधिक बार लाभ लेने वाले लाभार्थियों का विलोपन करके फर्जी और बोगस राशन कार्ड हटाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि डाटाबेस का समुचित सत्यापन और अद्यतनीकरण नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.2.9.2)

लाभार्थी डाटाबेस में मौजूद राशन कार्ड की संख्या के आधार पर खाद्यान्न आबंटन आदेश की प्रक्रिया स्थापित न होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं था।

(प्रस्तर 2.2.9.3)

पारदर्शी पोर्टल पर, खाद्यान्न वस्तुओं के वास्तविक उठान, राज्य गोदामों का मुख्य स्टॉक रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर का विवरण उपलब्ध नहीं था। नमूना जाँच किये गये जनपदों में उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न की उपलब्धता के बारे में पहले से पंजीकृत सभी लाभार्थियों को मोबाइल एस.एम.एस. एलटर के द्वारा सूचित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.2.9.4)

प्रशिक्षण

दैनिक प्रक्रिया में शामिल कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रभावी प्रशिक्षण योजना तैयार नहीं की गई थी।

(प्रस्तर 2.2.10)

अनुश्रवण

प्रणाली प्रमाणीकरण और टीपीडीएस अनुप्रयोग माड्यूल की सुरक्षा लेखापरीक्षा के अभाव में कम्प्यूटरीकरण की प्रणाली असुरक्षित थी। भारत सरकार को भेजी जाने वाली पाक्षिक अनुश्रवण रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी।

(प्रस्तर 2.2.11)

2.2.1 प्रस्तावना

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का उद्देश्य लोगों, विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उचित दर की दुकान के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, लेवी चीनी और मिट्टी का तेल वितरण किया जाना था। प्रचलित प्रक्रिया की विभिन्न समस्याओं जैसे टीपीडीएस आपूर्ति श्रृंखला में खाद्यान्न का रिसाव और विवर्तन, फर्जी और बोगस राशन कार्ड, समावेश और अपवर्जन की त्रुटि, पारदर्शिता की कमी, कमजोर शिकायत निवारण तंत्र आदि को दूर करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण देश में टीपीडीएस का कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ किया गया था।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अन्तर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में लागत अंश के आधार पर सभी राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण लागू करने के उद्देश्य से तकनीकी, वित्तीय और ढांचागत सहायता प्रदान करने के लिये योजना तैयार की गयी थी। भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य लागत अंश 50:50 के अनुपात में था।

एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण योजना में विद्यमान 4.41 करोड़ डिजिटाइज्ड कार्ड¹ के कार्यान्वयन में दो घटक शामिल थे। प्रथम घटक में लाभार्थियों तथा अन्य डाटाबेस का डिजिटाइजेशन, आपूर्ति-श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शी पोर्टल और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना सम्मिलित थे। द्वितीय घटक के अन्तर्गत उचित दर की दुकान के स्वचालन में लाभार्थियों की पहचान के लिये, प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) की स्थापना, बिक्री का अंकन और केंद्रीय सर्वर में डाटा के लेन-देन का संग्रहण सम्मिलित था।

योजना के प्रथम घटक के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार 2012 में प्रशासनिक अनुमोदन किया था। परियोजना दिशा-निर्देश के अनुसार, लाभार्थियों के डाटाबेस के डिजिटाइजेशन और आपूर्ति-श्रृंखला के कम्प्यूटरीकरण के लिये क्रमशः मार्च 2013 और अक्टूबर 2013 की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।

राज्य में योजना के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य मई 2013 में सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। सहमति-ज्ञापन की शर्तों के अनुसार प्रदेश सरकार ने योजना के प्रथम घटक में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिये सहमति प्रदान की।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के लागू किये जाने के फलस्वरूप राज्यों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये टीपीडीएस संचालन का कम्प्यूटरीकरण पूर्व अपेक्षित था।

2.2.2 उत्तर प्रदेश में टीपीडीएस का विस्तार

जनगणना-2011 के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ थी, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 15.53 करोड़ (77.73 प्रतिशत) और शहरी जनसंख्या 4.45 करोड़ (22.27 प्रतिशत) थी।

चिह्नित लाभार्थियों को टीपीडीएस के अन्तर्गत तीन श्रेणी के राशन कार्ड यथा गरीबी रेखा के ऊपर (ए.पी.एल), गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) और अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड निर्गत किये गये थे। भारत सरकार द्वारा बी.पी.एल. (65.85 लाख) और अंत्योदय (40.95 लाख) राशन कार्ड का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि ए.पी.एल. कार्ड के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था।

जनवरी 2016 से राज्य के 28 जिलों में और मार्च 2016 से शेष जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये समावेश और अपवर्जन मानदंड के आधार पर दो श्रेणी के लाभार्थी, पात्र गृहस्थी² और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की पहचान की जानी थी।

भारत सरकार के आदेश (मार्च 2015) के अनुसार शहरी जनसंख्या (2.87 करोड़) का 64.43³ प्रतिशत और ग्रामीण जनसंख्या (12.34 करोड़) का 79.56 प्रतिशत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना था। अधिनियम की धारा 3 के

¹ राज्य में फरवरी 2005 में कुल 4.51 करोड़ राशनकार्ड और 2012 में 4.41 करोड़ डिजिटाइज्ड राशनकार्ड थे।

² उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुसार (अक्टूबर 2014) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के अन्तर्गत पात्र परिवारों के चयन के लिए एनएफएसए के समावेश और अपवर्जन मानदण्ड को पूर्ण करने वाले एपीएल और बीपीएल श्रेणी के पहले से चिह्नित परिवारों को एनएफएसए की पात्र गृहस्थी में शामिल करना था।

³ टी०पी०डी०एस० (नियंत्रण) आदेश 2015 के अनुसार।

अनुसार पात्र गृहस्थी के प्रत्येक व्यक्ति के लिये पाँच किलोग्राम प्रति माह और अंत्योदय परिवार के लिये 35 किग्रा प्रतिमाह खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान था।

2.2.3. टीपीडीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिये ढांचागत प्रणाली।

राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, लखनऊ द्वारा विकसित वेब-आधारित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और केंद्रीकृत टीपीडीएस डाटाबेस, राज्य डाटा सेंटर, लखनऊ पर संचालित था। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज (एस क्यू एल) सर्वर 2012 में टीपीडीएस के दो डाटाबेस यथा विद्यमान राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (ईआरसीएमएस) और एनएफएसए डाटाबेस थे। विद्यमान राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डाटाबेस एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों से संबंधित था, जबकि एनएफएसए डाटा बेस एनएफएसए के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों से संबंधित था। डाटाबेस में जनपदों के लिये पृथक संव्यवहार सारणी बनाई गयी थी।

2.2.4. संगठनात्मक ढांचा

योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार के शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग तथा विभागीय स्तर पर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग उत्तरदायी थे। मंडल स्तर पर उपायुक्त खाद्य तथा जनपद स्तर पर जिला आपूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की सहायता से, योजना के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिये उत्तरदायी थे।

इसके अतिरिक्त, योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा वर्णित परियोजना की समग्र अनुश्रवण और प्रबंधन के लिये संस्थागत ढांचे का गठन किया गया था जैसा कि सारणी 1 में दिया गया है:

सारणी 1: संस्थागत ढांचा, उनकी भूमिका और कार्य

<p>उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट एपेक्स कमेटी</p>	<p>समग्र मार्गदर्शन, समीक्षा, अनुश्रवण और समन्वय, नीतिगत मामलों पर निर्णय, डेलिवरेबल्स और समय सीमा का अनुमोदन, प्रत्यायोजन के अनुसार वित्तीय शक्तियां।</p>
<p>प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश शासन के नेतृत्व में गठित राज्य परियोजना ई-मिशन टीम</p>	<p>डी पी आर/वित्तीय प्रस्ताव तैयार करना, टीपीडीएस के लिये समर्पित स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना, राज्य स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन की समग्र जिम्मेदारी, राज्य स्तर पर विस्तृत कार्यात्मक आवश्यकता, बिजेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) और परिवर्तन प्रबंधन का कार्यान्वयन, टीपीडीएस कार्यान्वयन के लिये तकनीकी सहयोगी का चयन, राज्य स्तरीय रोल आउट से पहले प्रमाणित एजेंसी से प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना।</p>
<p>अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के नेतृत्व में गठित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई</p>	<p>प्रणाली के बुनियादी ढांचे और प्रक्रिया से संबंधित आकस्मिक योजना के लिये प्रारंभिक कार्य करना, पूर्ण किये गये और अभी प्रारम्भ होने वाले कार्यों का आकलन, राज्य एवं जनपद स्तर पर वर्तमान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का आकलन, सभी हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय, खाद्य एवं रसद विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं का आकलन, कार्यान्वयन एजेंसी के लिये संविदा मसौदा तैयार करना, कार्यान्वयन एजेंसी के सेवा स्तर का अनुश्रवण करना, योजना के अंतर्गत गतिविधियों की स्थिति और प्रगति का अनुश्रवण आदि।</p>

(स्रोत: योजना दिशा-निर्देश)

2.2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा यह जाँच करने के लिये की गयी थी कि क्या:

- प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी थी तथा दिशा-निर्देश के अनुरूप योजना नियोजित की गयी थी;
- प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये योजना के सभी कार्य कलापों को आच्छादित करते हुये विस्तृत रूप से अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था;
- आई.टी. बुनियादी सुविधाओं का अर्जन एवं नियोजन मानकों तथा सेवा स्तर समझौते की समय-सीमा के अनुसार किया गया था;
- डाटा बेस की शुद्धता, विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त अन्तर्निहित आई.टी. नियंत्रण प्रणाली थी;
- कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के सुचारू संचालन के लिये टीपीडीएस कर्मियों को अपेक्षित प्रशिक्षण दिया गया था;
- लाभार्थियों की शिकायतों की प्रभावी ट्रैकिंग के लिए एवं समय पर निवारण हेतु स्वचालित पारदर्शी पोर्टल और शिकायत निवारण तंत्र क्रियाशील था, तथा
- योजना के परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत ढांचे द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की प्रभावी अनुश्रवण किया जा रहा था।

2.2.6 लेखापरीक्षा मानदंड :

योजना की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा के लिये निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंड लिये गए;

- टीपीडीएस योजना के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण के लिये कार्यान्वयन दिशा-निर्देश;
- भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत आदेश और परिपत्र;
- योजना के क्रियान्वयन के लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किये गये करार / सहमति-ज्ञापन;
- राज्य के वित्तीय नियम और बजट मैनुअल के प्रावधान;
- ई-राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली का यूजर मैनुअल;
- पी.डी.एस. और प्रासंगिक ई-गवर्नेंस मानकों के लिये मेटा डाटा और डाटा मानक;
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एक्ट) और उसके अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश; तथा
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 (समुचित सुरक्षा मानक, प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यवितरण डाटा या सूचना)

2.2.7. लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति:

टीपीडीएस के अन्तर्गत एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण योजना की 2012–2016 की अवधि की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 से जुलाई 2016 के मध्य की गई।

विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन के साथ अप्रैल 2016 में प्रारंभिक बैठक हुई और सरल यादृच्छिक नमूना बिना प्रतिस्थापन सांख्यिकीय से चुने गये आठ⁴ जिलों और आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई। चयनित किये गये प्रत्येक जनपद से नमूना जाँच के लिये दो विकास खण्ड (एक ग्रामीण और एक शहरी) तथा पाँच उचित दर की दुकानों और सम्बंधित विकास खण्ड गोदामों का चयन किया गया था।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई, लखनऊ से योजना का केंद्रीकृत डाटाबेस प्राप्त (मई 2016) किया गया और डाटा की वैधता, पूर्णता, विश्वसनीयता, अधिकृत और व्यवसाय नियमों के अनुसार होने की, कम्प्यूटर असिस्टेड लेखापरीक्षा तकनीक द्वारा जाँच की गई। ई-राशन कार्ड प्रबन्धन प्रणाली डाटाबेस के अद्यतन आकड़ों के एन.एफ.एस.ए. डाटाबेस में सम्मिलित होने के कारण नमूना जाँच में चयनित जिलों के एन.एफ.एस.ए. डाटाबेस का विश्लेषण किया गया था।

समापन गोष्ठी का आयोजन 30 दिसम्बर 2016 को हुआ और शासन के उत्तर को प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के प्रथम घटक के कार्यकलापों को पूरा करने की मूल तिथि अक्टूबर 2013 के विरुद्ध प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई गई तिथि जून 2015 के बाद भी कोई कार्यकलाप पूरा नहीं हुआ था।

परियोजना नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन और अनुश्रवण में पाई गई कमियों और विलम्ब की अग्रेतर प्रस्तरों में चर्चा की गई है:


2.2.8 परियोजना नियोजन, क्रियान्वयन और संचालन

भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य मई 2013 में हुये सहमति-ज्ञापन के अनुसार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में योजना के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य के लिये कामन अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना था। राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के विन्यास/अनुकूलन और समयबद्ध रूप से क्रियाशीलता की सुविधा प्रदान करने के लिये भारत सरकार स्तर पर भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तरदायी था। राज्य के पास स्वयं क्रियान्वयित करने या एन.आई.सी. के माध्यम से या बाहरी सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से राज्य स्तर पर तकनीकी हल के लिये रोल आउट का विकल्प था।

अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य की राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इकाई का चुनाव किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को जिला स्तर पर हार्डवेयर की खरीद और डाटा डिजिटाइजेशन के लिये अधिकृत किया।

योजना के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की भूमिका और उत्तरदायित्व चार्ट 1 में दी गयी है।

⁴ इलाहाबाद, अलीगढ़, चित्रकूट, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मिर्जापुर और वाराणसी।



(स्रोत: योजना दिशा-निर्देश)

2.2.8.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब

योजना के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार द्वारा निधि अवमुक्त करने के लिये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के मध्य सहमति होना अनिवार्य था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिसम्बर 2012 में प्रदेश सरकार को सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिये गये जबकि प्रदेश सरकार ने चार महीने से अधिक विलंब से मई 2013 में सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में निधि अवमुक्त नहीं की गयी थी और जून 2013 में सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद निधि अवमुक्त हो सकी, जिससे राज्य में परियोजना विलम्ब से प्रारम्भ हुई।

शासन ने उत्तर में बताया कि कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ की गयी थी, जबकि तथ्य यह है कि चार महीने विलम्ब से सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के कारण निधि विलम्ब से प्राप्त हुयी।

2.2.8.2 राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई

योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार समग्र परियोजना के नियोजन और क्रियान्वयन के लिये राज्य खाद्य एवं रसद विभाग के मुख्यालय पर न्यूनतम तीन वर्ष कार्यकाल के लिये, सलाहकार की नियुक्ति करते हुए राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई की स्थापना की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के गठन में विलम्ब

भारत सरकार के साथ किये गये सहमति-ज्ञापन के अनुसार राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के गठन का दायित्व प्रदेश सरकार का था। लेकिन यह पाया गया कि

सलाहकार की नियुक्ति में विलम्ब के कारण सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के पॉच माह बाद प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2013 में राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई का गठन किया। राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई का विलंब से गठन होने के कारण परियोजना का कार्य विलंब से शुरू हुआ, क्योंकि परियोजना की प्रारंभिक योजना तैयार करने का दायित्व राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई का था।

शासन ने उत्तर में बताया कि राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई का गठन सम्यक विचारोपरान्त न्यूनतम समय में किया गया था।

महत्वपूर्ण कार्यकलापों का निष्पादन न होना

राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के प्रमुख कार्यों में प्रणाली के बुनियादी ढांचे के लिये प्रारंभिक योजना की तैयारी और प्रक्रिया के लिये आकस्मिक योजना, राज्य द्वारा पूर्ण किये गये कार्यकलाप और अभी प्रारम्भ न हुये कार्यकलाप का आकलन, प्रदेश एवं जनपद स्तर पर सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर का आकलन, मुद्रा और जोखिम की पहचान करके इन्हें हल करने के लिये तंत्र की स्थापना एवं मुद्रा के समाधान के लिये हित धारकों के साथ समन्वय स्थापित करना सम्मिलित था।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्प्यूटरीकरण के सभी कार्य कलापों में सहायता करने के लिये फर्म को निर्गत किये गये कार्यादेश में प्रमुख कार्यकलापों को पूर्ण करने के लिये कार्यक्षेत्र और समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। विभाग के पास सलाहकारों द्वारा किये गये कार्यों का कोई आकलन रिपोर्ट/अभिलेखीकरण उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार परियोजना क्रियान्वयन के प्रारम्भिक चरण में, प्रारम्भिक मूल्यांकन अध्ययन एवं नियोजन के अभाव के कारण निष्पादन प्रक्रिया में बार-बार परिवर्तन के परिणामस्वरूप परियोजना का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ, जैसा कि **प्रस्तर 2.2.8.4** में वर्णित है।

शासन ने उत्तर में बताया कि बैठकों तथा निर्देशों के माध्यम से समय-समय पर राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई को योजना से सम्बंधित कार्यों के बारे में अवगत कराया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि मुख्य कार्यकलापों को पूरा करने के लिये विस्तृत कार्यक्षेत्र और समय-सीमा परिभाषित नहीं की गयी थी।

2.2.8.3 वित्तीय स्थिति

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को 50:50 अनुपात के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई। भारत सरकार को अपने 50 प्रतिशत का अंश 60, 30 और 10 प्रतिशत के तीन किश्तों में अवमुक्त करना था। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की राज्य इकाई की सहायता से वित्तीय प्रस्ताव तैयार करके परियोजना के वित्तीय पोषण के अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत किया। जून 2013 में भारत सरकार ने 17 मदों के अन्तर्गत ₹ 108.53 करोड़ अनुमोदित किया। वर्ष 2013–16 की अवधि में भारत सरकार ने अपने अंश ₹ 54.27 करोड़ में से ₹ 45.52 करोड़ धनराशि प्रदेश सरकार को अवमुक्त किया था। प्रदेश सरकार ने 2013–16 की अवधि में ₹ 96.39 करोड़ रुपये आवंटित किया, जिसके विरुद्ध ₹ 54 करोड़ व्यय हुए, जिसे **परिशिष्ट 2.2.1** में वर्णित किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्षावार आबंटित धन और उसके विरुद्ध व्यय का विवरण सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी 2: वर्षवार आवंटन, व्यय और बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (प्रतिशत)	बचत / समर्पण
2013–14	21.08	7.80 (37)	13.28
2014–15	47.77	20.71 (43)	27.06
2015–16	27.54	25.49 (93)	2.05
योग	96.39	54.00 (56)	42.39

स्रोत: आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार, आवंटित धनराशि व्यय करने में विफल रही और आवंटित धनराशि का केवल 56 प्रतिशत व्यय किया गया, जिसके कारण ₹ 42.39 करोड़ की बचत हुई। आगे लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

वर्ष 2013–16 की अवधि में 75 में से 47 जनपदों में आवंटित धनराशि के विरुद्ध 60 प्रतिशत से कम व्यय हुआ।

डिजिटाइजेशन मद के अन्तर्गत जनपदों के लिये आवंटित ₹ 41.05 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 17.65 करोड़ (43 प्रतिशत) व्यय हुआ। 52 जनपदों में यह 50 प्रतिशत से कम था, जबकि दो जनपदों⁵ में यह आवंटित धन से अधिक था।

भारत सरकार के स्वीकृति आदेश और सहमति-ज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध प्रदेश सरकार ने न तो योजना के लिये सम्प्रेक्षित लेखा बनाया और न ही सहमति-ज्ञापन की शर्तों के अनुसार चार⁶ योजना मदों से संबंधित ₹ 96.33 लाख की अप्रयुक्त निधि को वापस किया।

ऊपर उल्लिखित उद्धरणों का विवरण **परिशिष्ट 2.2.2** में दिया गया है।

निधि का अधिक व्यय/समर्पण जनपद और राज्य दोनों स्तर पर कमजोर वित्तीय नियोजन और अप्रभावी अनुश्रवण को दर्शाता था।

2.2.8.4 क्रियान्वयन के लिये असंगत रणनीति

प्रदेश सरकार द्वारा एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत राशन कार्ड के डिजिटाइजेशन, डाटाबेस को अद्यतन करने और नये राशन कार्ड निर्गत करने जैसे कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिये समय सीमा के निर्धारण का आदेश निर्गत (अक्टूबर 2013) किया गया था।

शासनादेश के अनुसार डिजिटाइजेशन और राशन कार्ड प्रिन्ट करने की पूर्ण प्रक्रिया, जनपद स्तर पर वेंडरों के माध्यम से 75 दिनों में आन लाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण की जानी थी, जैसा कि नीचे सारणी 3 में दिया गया है।

⁵ हमीरपुर और प्रतापगढ़।

⁶ स्टेट डाटा सेन्टर, वेब पोर्टल, एसएमएस की लागत और मूल्यांकन।

सारणी 3 कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया के लिये कार्ययोजनावार समय सीमा

कार्यकलाप	निर्धारित समय सीमा	प्रक्रिया
सूचना का संग्रह और राशन कार्ड का डिजिटाइजेशन	15 नवम्बर 2013	लाभार्थियों के व्यक्तिगत विवरण को अद्यतन करने के लिये वर्तमान में प्रचलित राशन कार्ड डाटा को डाउनलोड और प्रिंट किया जाना था तथा अद्यतन फार्म को लाभार्थियों से वापस लेकर डिजिटाइज, सत्यापित और संकलित किया जाना था।
डाटा का डी-डुप्लीकेशन/शुद्धीकरण	25 नवम्बर 2013	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डी-डुप्लीकेशन की प्रक्रिया अपनायी जानी थी और जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित फर्जी/बोगस राशन कार्ड्स का सत्यापन करके उन्हें निरस्त करना था।
डाटा फीज करना	30 नवम्बर 2013	डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डाटा को फीज करना था।
वितरण के लिये राशन कार्ड को प्रिन्ट करना	15 दिसम्बर 2013	अंतिम रूप दिये गये राशन कार्ड को लाभार्थियों को वितरित करने के लिये आन लाइन मुद्रित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आनलाइन प्रक्रिया से डाटा डिजिटाइजेशन के लिये अल्प अवधि की निविदायें (अक्टूबर 2013) आमंत्रित की गई थीं। इसके बावजूद विभाग ने जनपद और ब्लाक स्तर पर कमज़ोर नेटवर्क का हवाला देते हुए, शीघ्र डिजिटाइजेशन के लिये ऑफ लाइन प्रक्रिया को अपना लिया।

प्रदेश सरकार द्वारा डाटा प्रमाणीकरण/डी-डुप्लीकेशन का कार्य, दूसरे डाटाबेस जैसे निर्वाचन आयोग के मतदाता डाटाबेस का प्रयोग करके डेटाबेस को प्रति सत्यापित करने, नये राशन कार्ड प्रिन्ट व निर्गत करने के लिये निर्देश (जनवरी 2014 और फरवरी 2014) दिये गये थे। यह निर्देश सम्पूर्ण डिजिटाइजेशन प्रक्रिया के पूर्ण होने की तिथि अर्थात् 15 दिसम्बर 2013 के बाद निर्गत किये गये। परिणामस्वरूप, कार्यकलापों को पूरा करने के कार्यक्रम को संशोधित (जनवरी 2014) करते हुये डाटा प्रविष्टि का कार्य 15 फरवरी 2014, डाटा फीज करने का कार्य 28 फरवरी 2014 और ऑन लाइन प्रिंटिंग और राशन कार्ड निर्गत करने का कार्य 15 मार्च 2014 तक पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।

ऑफलाइन प्रक्रिया के अन्तर्गत डाटा वैलिडेशन और डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया को जनपद एनआईसी कार्यालय में किया जाना था, जिसके लिये जिला पूर्ति अधिकारियों को डिजिटाइज्ड डाटा और दो कंप्यूटर, एनआईसी को उपलब्ध कराना था। जिलापूर्ति अधिकारियों द्वारा डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के परिणाम को एक्सेल शीट में सत्यापित किया जाना था और वेंडरों के माध्यम से संशोधन किये जाने के बाद, अंतिम सूची को एनआईसी के सेंट्रल सर्वर पर अपलोड करने के लिये उपलब्ध कराना था।

अक्टूबर 2014 से डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को फिर आनलाइन प्रक्रिया में परिवर्तित किया गया और पूर्ण करने की तिथि संशोधित करके जून 2015 कर दी गई। तथापि, जून 2015 तक किसी भी जनपद में एपीएल कार्ड का डिजिटाइजेशन पूर्ण नहीं हुआ था और 20 जनपदों में प्रगति 50 प्रतिशत से कम थी। जबकि बीपीएल और अंत्योदय के मामले में क्रमशः 58 तथा 25 जनपदों में शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था। विभाग द्वारा पुनः यह निर्णय (जून 2015) लिया गया कि जिन लाभार्थियों का नाम एपीएल सूची में न हो एवं जिन्होंने एनएफएसए के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी के लिये आनलाइन आवेदन किया था, उन्हें एपीएल की सूची में सम्मिलित किया जाय। इस

प्रकार, असंगत रणनीति के कारण टीपीडीएस कम्प्यूटरीकरण के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ। यह योजना के क्रियान्वयन में लचर नियोजन को भी दर्शाता था।

अग्रेतर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राज्यों द्वारा लाभार्थियों के पहचान की प्रक्रिया 365 दिन में पूर्ण होनी थी। प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2014 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पात्र गृहस्थी की पहचान के लिये समावेश और अपवर्जन मानदंड के आधार पर दिशा-निर्देश जारी किया, जबकि पहचान के लिये सर्वेक्षण फार्म जनवरी 2015 में परिचालित किया गया था।

इस प्रकार प्रदेश सरकार टीपीडीएस कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिये प्रभावी नीति एवं योजना बनाने में असफल रही, जो कि राज्य में एनएफएसए के क्रियान्वयन के लिये पूर्व अपेक्षित था।

शासन ने उत्तर में बताया कि इन्टरनेट कनेक्टिविटी की समस्या के कारण ऑफलाइन प्रक्रिया अपनायी गयी और समय से कार्य पूर्ण करने के लिये विभिन्न स्तरों पर कार्य का वितरण किया गया था। शासन ने क्रियान्वयन के संबंध में की गई टिप्पणी पर कोई उत्तर नहीं दिया।

2.2.8.5 मौजूदा राशन कार्ड की वैधता का विस्तार

राशन कार्ड के डिजिटाइजेशन और नये राशन कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया के लिये बनी नीति (अक्टूबर 2013) के अनुसार अयोग्य परिवारों के फर्जी/बोगस राशन कार्ड को निरस्त करते हुये टीपीडीएस के अन्तर्गत योग्य लाभार्थियों के लिये नवीन राशन कार्ड निर्गत किये जाने थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फरवरी 2005 में निर्गत⁷ राशन कार्ड की वैधता पांच वर्ष के लिये थी। इन राशन कार्डों की वैधता टीपीडीएस कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत कार्य कलापों के पूर्ण न होने के कारण विभिन्न आधारों पर बार-बार बढ़ाई गई। कार्ड की वैधता 31 मार्च 2014 तक आन लाइन प्रिंटिंग और नये राशन कार्ड जारी करने में लिये गये समय के कारण, जून 2014 तक लोक सभा चुनाव के आधार पर और दिसम्बर 2014 तक डाटा में से त्रुटियों को हटाने के आधार पर बढ़ाई गई। जनवरी 2015 में राशन कार्ड फीडिंग की प्रक्रिया जारी रहने के कारण वैधता एनएफएसए के कार्यान्वयन तक बढ़ाई गई।

इस प्रकार, डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया अधूरी और विलंबित होने के कारण डिजिटाइजेशन और फर्जी/बोगस कार्ड हटाकर नये कार्ड निर्गत करने का उद्देश्य फरवरी 2005 में निर्गत राशन कार्डों के अस्तित्व में होने के कारण सफल नहीं हुआ। प्रणालीजनित रिपोर्ट (6 अप्रैल 2016) के अनुसार राज्य के 4.51 करोड़ राशन कार्ड के सापेक्ष, 3.81 करोड़ कार्ड पर ही डिजिटल हस्ताक्षर हुये। डिजिटल हस्ताक्षरित 3.81 करोड़ कार्ड में से 3.61 करोड़ कार्ड प्रिन्ट हुये।

डाटाबेस के विश्लेषण के अनुसार नमूना जाँच के आठ जिलों में विलंब से जारी राशन कार्ड एवं डुप्लीकेट आधार नम्बर, मतदाता पहचान संख्या और बैंक खाता संख्या वाले कार्ड मौजूद थे, जिसका प्रस्तर संख्या 2.2.9.2 में उल्लेख है।

⁷ फरवरी 2005 के शासनादेश के अनुसार।

शासन ने उत्तर में बताया कि एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय कार्डों के साथ चिन्हित किये गये पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के डाटा का भी डिजिटाइजेशन किये जाने के कारण लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिये कार्ड की वैधता बढ़ाई गई।

2.2.8.6 अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का विकास और प्रलेखन

सहमति—पत्र के अनुसार, प्रदेश सरकार को अपनी आवश्यकता के अनुसार कॉमन अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर माड्यूल/सेवा को आंशिक या पूर्ण रूप से चुनने या अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के विकास और पूर्ण तकनीकी हल के लिये प्रणाली समाकलक को किराये पर रखने का विकल्प था।

प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्य में लगी एजेंसी का विस्तृत कार्य क्षेत्र और एजेंसी के निष्पादन के लिये स्पष्टतन परिभाषित सुपुर्दगी तथा समयबद्धता के साथ स्पष्ट परिभाषित सेवा स्तरीय करार (एसएलए) तैयार किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के विकास और इसके प्रलेखन में कमियां पायीं, जिसका अनुवर्ती प्रस्तर में उल्लेख किया गया है:

कार्यक्षेत्र और सेवा स्तरीय करार

प्रदेश सरकार ने पूर्ण तकनीकी हल प्रदान करने के लिये कॉमन अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का चयन करने या प्रणाली समाकलक नियुक्त करने के बजाय पहले से प्रयोग में लाये जा रहे अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के विकास व वृद्धि के लिये राज्य एनआईसी की राज्य इकाई के साथ कार्य जारी रखा। जबकि, सहमति—ज्ञापन के प्रावधानों के विपरीत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य एनआईसी इकाई के साथ न तो विस्तृत कार्यक्षेत्र तैयार किया गया और न ही सेवा स्तरीय करार पर हस्ताक्षर किया गया। स्पष्टतन परिभाषित सुपुर्दगी तथा समयबद्धता के अभाव में न तो कार्यकलापों का अनुश्रवण सम्भव था और न ही निष्पादन न करने/विलंब से निष्पादन के लिये एनआईसी को दंडित किया जा सकता था।

शासन ने उत्तर में बताया कि भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित सहमति—ज्ञापन के अनुसार यह कार्य एनआईसी उत्तर प्रदेश को सौंपा गया था। समय—समय पर हुई बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुसार एनआईसी कार्य कर रहा है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने राज्य एनआईसी इकाई के साथ सेवा स्तरीय करार और कार्यक्षेत्र निर्दिष्ट किये बिना अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य एन आई सी उत्तर प्रदेश के साथ जारी रखा।

सॉफ्टवेयर प्रलेखीकरण और अनुमोदन

टीपीडीएस प्रक्रिया के एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण के लिए योजना के दिशा—निर्देश के अनुसार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के विकास के लिये डिजाइन विकास, परीक्षण और क्रियाशीलता के प्रत्येक चरण में समुचित प्रलेखीकरण और अनुमोदन की आवश्यकता थी। तैयार और अनुमोदित किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज जैसे कि सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश (सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता और परिणामों का वर्णन करने वाले), व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्रचना (व्यवसाय प्रक्रियाओं की वास्तविक डिजाइन) तथा परिवर्तन

प्रबंधन प्रलेखन में परिवर्तन (सॉफ्टवेयर में परिवर्तन को शासित करने वाली प्रक्रिया) एनआईसी द्वारा तैयार नहीं किया गया था।

इस प्रकार, सुनिश्चित प्रलेखन की नीति के नियमन के अभाव में अनियोजित तरीके से कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम लागू किया गया था। परिणामस्वरूप न तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में किये गये परिवर्तन और न ही विकसित सॉफ्टवेयर में प्रस्तावित संरचना को लेखापरीक्षा के समय तक संदर्भित किया जा सका था। इस प्रकार अनियोजित तरीका अपनाने के कारण अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में अनधिकृत परिवर्तन का जोखिम था।

शासन ने उत्तर में बताया कि समय–समय पर आयोजित बैठकों में एनआईसी को निर्देश दिये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर विकास के अभिलेखीकरण और अनुमोदन उपलब्ध नहीं थे।

संस्तुति: सरकार को अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का समुचित प्रलेखीकरण सुनिश्चित करना चाहिये। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में किये गये परिवर्तन के अभिलेखीकरण का प्रयास किया जाना चाहिये।

अनुप्रयोग माड्यूल का विकास न किया जाना

भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराये गये कॉमन अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को योजना की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कार्यकलापों के लिये चार⁸ मुख्य माड्यूल के माध्यम से टीपीडीएस प्रणाली के सभी स्पेक्ट्रम को आच्छादित करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार माड्यूल में से एक माड्यूल यथा खाद्यान्न के आवंटन आदेश जनन और इसके उप माड्यूल जैसे कि भारतीय खाद्य निगम से राज्य गोदाम और राज्य गोदाम से उचित दर दुकान तक खाद्यान्न के उठान की प्रक्रिया क्रियाशील नहीं थी। परिणामस्वरूप, ये कार्य मैनुअली किये जा रहे थे।

विभाग ने उत्तर में तथ्य को स्वीकार करते हुये बताया कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अन्तर्गत खाद्य और आवश्यक वस्तु आश्वासन और सुरक्षा लक्ष्य (फीस्ट) सॉफ्टवेयर एनआईसी दिल्ली द्वारा दिया जाना था। परन्तु, राज्य की आवश्यकता के अनुरूप अनुकूलित फीस्ट सॉफ्टवेयर अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रदेश एनआईसी द्वारा अपेक्षित सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।

2.2.8.7 आई टी बुनियादी सुविधाओं का क्रय

इसके अन्तर्गत राज्य डाटा सेंटर, खाद्य एवं रसद विभाग के मुख्यालय और खाद्य एवं रसद कार्यालय के जिला, ब्लाक और गोदाम स्तर के कार्यालय में आई टी की बुनियादी सुविधा के विकास हेतु हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्रय किया जाना था।

भारत सरकार ने हार्डवेयर आइटम की खरीद के लिये ₹ 31.23 करोड़ अनुमोदित किया था। वर्ष 2013–16 की अवधि में प्रदेश सरकार ने ₹ 29.41 करोड़ आवंटित किया, जिसके विरुद्ध मार्च 2016 तक ₹ 19.18 करोड़ व्यय हुआ था।

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्रय में लेखापरीक्षा में पायी गयी कमियों का परवर्ती प्रस्तरों में उल्लेख किया गया है।

⁸ मास्टर डाटा तैयार करना, आवंटन आदेश जनन, राशन कार्ड डिजिटाइजेशन और शिकायत निवारण तंत्र।

राज्य डाटा सेंटर

केंद्रीकृत डाटाबेस और टीपीडीएस के ऑनलाइन संचालन के लिये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्रय करके राज्य डाटा सेंटर के लिये स्थापित किया जाना था।

प्रदेश सरकार को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्रय के लिये विशिष्टताओं को अंतिम रूप देना था। भारत सरकार ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्रय के लिये ₹ 1.25 करोड़ अनुमोदित किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नवम्बर 2013 में राज्य-ई मिशन टीम और दिसम्बर 2013 में क्रय समिति ने राज्य डाटा सेंटर की स्थापना के लिये निकसी के माध्यम से आई टी हार्डवेयर के क्रय का अनुमोदन किया था। जबकि राज्य सरकार द्वारा हार्डवेयर की विशिष्टता पर निर्णय न लिये जाने के कारण राज्य डाटा सेंटर के लिये हार्डवेयर नहीं क्रय किया। परिणामस्वरूप, राज्य डाटा सेंटर के लिये समर्पित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर क्रय नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि समर्पित अवसंरचना के अभाव में पहले एनआईसी सर्वर और बाद में (जुलाई 2014) राज्य आई टी विभाग के हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर संसाधन, जो राज्य डाटा सेंटर पर स्थापित थे, उन्हें वेब आधारित अनुप्रयोगी सॉफ्टवेयर और केंद्रीकृत डाटाबेस के प्रबंधन होस्ट करने के लिये प्रयोग किया गया।

इस प्रकार निधि की उपलब्धता के बावजूद टीपीडीएस योजना के लिये अपेक्षित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का उपयोग न किये जाने के कारण पिछले तीन वर्षों से निधि अप्रयुक्त रही।

विभाग ने उत्तर में बताया कि अनुमोदित विशिष्टता के बाद में अप्रचलित पाये जाने के कारण और नई अनुमानित लागत अनुमोदित लागत से अधिक होने के कारण ई-जिला क्लाउड आधारित अवसंरचना का प्रयोग किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न तो भारत सरकार से अतिरिक्त निधि की मांग की गई और न ही राज्य डाटा सेंटर के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त निधि भारत सरकार को वापस की गई।

खाद्य एवं रसद विभाग के मुख्यालय, जनपद, ब्लॉक और गोदाम स्तर पर आई टी की बुनियादी सुविधा

योजना के अंतर्गत, टीपीडीएस की कार्यप्रणाली के अनुश्रवण के लिये डेस्क टॉप/लैपटाप का प्रावधान राज्य मुख्यालय स्तर (आठ कम्प्यूटर और पांच प्रिंटर), जिला स्तर (पांच कम्प्यूटर और तीन प्रिंटर) और ब्लॉक स्तर (दो कम्प्यूटर और एक प्रिंटर) पर डाटा इन्ट्री, ऑन लाइन आबंटन और उपयोगिता की सूचना देने के लिये किया गया था। गोदाम स्तर पर ऑन लाइन अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से खाद्यान्न की प्राप्ति एवं निर्गमन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की रिपोर्ट देखने आदि, के डाटा इन्ट्री के लिये एक लैपटाप कम्प्यूटर और एक प्रिंटर उपलब्ध कराया जाना था।

प्रदेश सरकार ने विकेंद्रीकृत तरीके को अपनाते (फरवरी 2015) हुये जिला प्रशासन को वेंडर नियुक्त करके हार्डवेयर क्रय के लिये अधिकृत किया। हार्डवेयर का क्रय वाणिज्यकर विभाग में एक वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत या आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में पंजीकृत अधिकृत फर्म से तकनीकी और वित्तीय बिड आमंत्रित करके, 25 मार्च 2015 तक किया जाना था। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयीं:

हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का अधिक क्रय

योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार खाद्य एवं रसद विभाग के राज्य एवं जनपद कार्यालयों के लिये विनिर्दिष्ट हार्डवेयर का क्रय किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार⁹ जिलों में दिशा-निर्देश में निर्धारित (**परिशिष्ट 2.2.3**) मात्रा का उल्लंघन करते हुए ₹ 7.83 लाख धनराशि के पांच डेस्कटॉप कम्प्यूटर, तीन लैपटाप, 36 लेजर प्रिंटर और छह एम.एस. आफिस सॉफ्टवेयर क्रय किए गए थे। राज्य मुख्यालय पर हार्डवेयर के क्रय एवं उन्हें स्थापित करने की सूचना मांगे जाने के बावजूद लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

हार्डवेयर सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण में विलम्ब

उपरोक्त चर्चा के अनुसार हार्डवेयर सामग्री का क्रय मार्च 2015 तक पूर्ण होना था एवं नमूना जाँच के जनपदों में फर्मों को निर्गत किये गये आपूर्ति आदेश की शर्त के अनुसार सामग्री की आपूर्ति तीन से दस दिन के अन्दर की जानी थी। जबकि पांच जनपदों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि हार्डवेयर सामग्री की आपूर्ति सात से 188 दिनों के विलम्ब से की गयी थी।

आगे यह पाया गया कि जनपदों से हार्डवेयर सामग्री को तीन से 11 माह के विलम्ब से विकास खण्ड को वितरित किया गया था। जिला पूर्ति कार्यालयों से गोदामों को, हार्डवेयर सामग्री का वितरण एक से 13 माह के विलम्ब से किया गया। चार जनपदों के अभिलेखों की जाँच में यह भी प्रकाश में आया कि हार्डवेयर सामग्री का वितरण (जून 2016) विकास खण्ड एवं गोदाम को नहीं किया गया था और यह सामग्री जिला कार्यालयों पर रखी गयी थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.2.4** में दिया गया है।

इस प्रकार क्रय सामग्री का प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण उपयोग नहीं किया गया था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि जनपदों से सूचना मांगी गयी थी।

2.2.8.8 नेटवर्क कनेक्टिविटी

कार्यालयों एवं गोदामों को जोड़ने के लिये विभिन्न उपलब्ध माध्यमों जैसे लीजड लाइन्स, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र नेटवर्क (निकनेट), मोबाइल जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस), ब्राडबैण्ड आदि का प्रावधान किया गया था। राज्य, जनपद एवं विकास खण्ड कार्यालयों के लिये न्यूनतम बैंडविथ 1 से 2 मेगाबाइट प्रति सेकेण्ड (एमबीपीएस) थी।

प्रदेश सरकार द्वारा जिला और विकास खण्ड स्तर पर ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी और गोदाम स्तर पर मोबाइल जी.पी.आर.एस. कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी गयी थी। नमूना जाँच के जनपदों के अभिलेखों की जाँच में प्रकाश में आया कि जनपद स्तर पर पांच और विकास खण्ड स्तर पर दो कम्प्यूटरों के विरुद्ध नेटवर्क केबलिंग की कमी होने के कारण जनपद और विकास खण्ड स्तर पर एक अथवा दो कम्प्यूटर में वेब आधारित एप्लीकेशन को प्राप्त करने के लिये ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध थी।

⁹ इलाहाबाद, कानपुर नगर, मिर्जापुर और लखनऊ।

नमूना जॉच के जनपदों में डोंगल का क्रय न किये जाने के कारण इन जनपदों के नमूना जॉच किए गए गोदामों¹⁰ में डोंगल के माध्यम से मोबाइल जीपीआरएस कनेक्टिवटी नहीं पायी गयी। मिर्जापुर जनपद में डोंगल का क्रय किये जाने के बावजूद उसका उपयोग नहीं हो रहा था।

अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स परियोजना के अन्तर्गत तहसील और विकास खण्ड मुख्यालयों पर स्वान कनेक्टिवटी उपलब्ध होने के बावजूद विभाग द्वारा जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उसका उपयोग करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

इस प्रकार, वेब आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सफल क्रियान्वयन के लिये न तो उचित बैंडविथ कनेक्टिवटी उपलब्ध थी और न ही उपलब्ध मूलभूत संरचना के उपभोग का उद्देश्य प्राप्त हो सका।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि जनपदों से सूचना मांगी गई थी।

2.2.9 टीपीडीएस परिचालन का कम्प्यूटरीकरण

योजना के प्रथम घटक के अन्तर्गत एंड-टू एंड कम्प्यूटराइजेशन ऑफ टीपीडीएस अॉपरेशन के चार मुख्य कार्यकलापों, यथा—लाभार्थियों एवं अन्य डाटाबेस का डिजिटाइजेशन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शी पोर्टल की स्थापना तथा शिकायत निवारण तंत्र, को आच्छादित किया जाना था। मुख्य कार्यकलापों के क्रियान्वयन में पायी गयी कमियों की चर्चा परवर्ती प्रस्तरों में की गयी है।

2.2.9.1 हितधारकों (विभागीय) के डाटाबेस का डिजिटाइजेशन

योजना के दिशा—निर्देश के अनुसार राज्य को टीपीडीएस हितधारकों का केन्द्रीय कोष बनाना था जिसका बाद में अन्य अनुप्रयोगों द्वारा उपयोग किया जा सके। हितधारकों (विभागीय) के डाटा डिजिटाइजेशन में जनपद, विकास खण्ड/तहसील, खाद्य एवं रसद कार्यालय, उचित दर की दुकान, गोदाम, कार्ड के प्रकार आदि के मास्टर डाटाबेस का सृजन किया जाना था। लाभार्थी डाटा एवं आपूर्ति श्रृंखला के कम्प्यूटरीकरण की अनुवर्ती डिजिटाइजेशन के लिये मास्टर डाटा का सृजन पूर्व-अपेक्षित था, जिससे लाभार्थियों के राशन कार्ड और उचित दर की दुकानों की मैपिंग हो सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

मास्टर डाटा का सृजन एवं मैपिंग

ई-गवर्नेन्स मानक के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये मास्टर डाटा की कोडिंग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये मेटा डाटा और डाटा स्टैंडर्ड्स (एम.डी.डी.एस.) के आधार पर किया जाना था। एम.डी.डी.एस. का उद्देश्य डाटा विनिमय के समय निर्बाध पारस्परिकता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डाटा के अभिग्रहण में एकरूपता लाना था जिससे कि डाटा का अंतर्विनिमय सहजता से सुनिश्चित हो सके।

¹⁰ कर्वी एवं पहाड़ी (चित्रकट), मेजा (इलाहाबाद), रजापुर (गाजियाबाद), ताला नगरी एवं जवा (अलीगढ़), शहर (मिर्जापुर) और ऐश्वर्या एवं काकोरी (लखनऊ)।

ई–पी.डी.एस. योजना के साथ पठित एम.डी.डी.एस. के अनुसार 16 अंकों का स्थायी स्थान कोड संख्या (पीएलसी कोड), जिसमें राज्य (दो अंक), जनपद (तीन अंक), तहसील (पांच अंक) और गांव/शहर (छः अंक) के माध्यम से किसी भी स्थान की विशिष्टता सुनिश्चित की जानी थी। नमूना जाँच के जनपदों की प्रणाली में एम.डी.डी.एस. कोड के अनुसार संग्रहीत ग्राम/शहर के कोड के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि प्रणाली में संग्रहीत कोड वही न होकर भिन्न थे।

अग्रेतर गाँव/शहर के मास्टर सारणी में पाया गया कि पाँच गांव/शहर के कोड, 10 भिन्न पी.एल.सी. कोड से मैप किये गये थे। इस प्रकार, एम.डी.डी.एस. डाटा मानक के अनुसार, कोड का सृजन एवं मैपिंग न होने के कारण डाटा फीडिंग में एकरूपता का उद्देश्य विफल रहा।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया कि मास्टर डाटा की कोडिंग, राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डाटा दिशा-निर्देश पर आधारित थी और नये जनपद सृजित होने के कारण संबंधित गांव भी प्रभावित हुये, जिसके कारण डाटा की निरंतरता बनाये रखने के लिये पुराने डाटा का भी रख रखाव किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नये गांवों की मैपिंग के बाद डाटाबेस में पुराने कोडों की स्थिति सक्रिय नहीं होना चाहिये थी। डाटाबेस में गांव/शहर के कोड में पायी गयी भिन्नता के संबंध में विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

मास्टर डाटा की गुणवत्ता

मास्टर डाटा कोर डाटा है जो व्यवसाय के संचालन के लिये आवश्यक है। जबकि प्रणाली में मास्टर डाटा की विशिष्टता सुनिश्चित नहीं की गयी थी। विकास खण्ड मास्टर टेबल में चार पंचायत कोड और छः ब्लाक कोड डुप्लीकेट पाए गए। अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि 77347 सक्रिय उचित दर की दुकानों में से 190 उचित दर की दुकानों का लाइसेंस नम्बर नहीं था, 749 उचित दर की दुकानों के राशन कार्ड मैप्ड नहीं थे तथा 491 उचित दर की दुकानों के बैंक खाता संख्या मैप्ड नहीं थे।

मास्टर डाटा की विशिष्टता और पूर्णता के अभाव में, मास्टर डाटा की विश्वसनीयता संदिग्ध थी।

2.2.9.2 लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटाइजेशन

सहमति-पत्र के अनुसार, लाभार्थी के डाटाबेस अंकरूपण का कार्य शुरू किया जाना था, जिसका सत्यापन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.), सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.), जनगणना, चुनावी डाटा आदि के डाटा का उपयोग और तुलना करते हुये किया जाना था। टीपीडीएस डाटा बेस में आधार नम्बर की सीडिंग का उद्देश्य डुप्लीकेट राशन कार्ड धारकों को हटाना था। राज्य सरकार द्वारा विशेष अभियान आयोजित करके फर्जी और बोगस राशन कार्डों का उन्मूलन किया जाना था।

एक बार डिजिटाइजेशन प्रक्रिया पूरी होने पर राज्य सरकार द्वारा अनुप्रयोग साप्टवेयर का प्रयोग करके डिजिटाइज्ड डाटा के आधार पर राशन कार्ड जारी करने/संशोधित करने/निरस्त करने के लिये वर्कफ्लो आधारित दृष्टिकोण अपनाना था। राशन कार्ड से संबंधित समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

डाटा डिजिटाइजेशन के लिये वेन्डरों को लगाया जाना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया (अक्टूबर 2013) कि लाभार्थी डाटाबेस का डिजिटाइजेशन विकेन्द्रीकृत तरीके से वेन्डरों से कराया जाये, जिसके लिये जिला प्राधिकारियों को प्राधिकृत किया गया था। निविदा द्वि स्तरीय प्रणाली के तहत जारी की गयी थी, जिसमें निविदा दाताओं को टिन, पैन के विवरण के साथ कार्य करने की क्षमता, बुनियादी सुविधा की उपलब्धता और इस क्षेत्र में विगत अनुभव उपलब्ध कराना था। डाटा डिजिटाइजेशन के लिये वेन्डरों को लगाये जाने में निम्नलिखित कमियां पायी गयी:

वाराणसी और गाजियाबाद जनपदों के अलावा नमूना जाँच के किसी भी जनपद में फर्मों द्वारा कार्य करने की क्षमता का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

वाणिज्यकर विभाग में पंजीयन न होने पर भी इलाहाबाद की दो फर्मों को कार्य आदेश जारी किया गया था। लाभार्थी डाटा का त्रृटिपूर्ण संग्रहण और इस कारण राशनकार्ड की त्रृटिपूर्ण छपाई के कारण डाटा डिजिटाइजेशन कार्य में लगी चित्रकूट और लखनऊ जिलों की फर्मों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जिला प्रशासन द्वारा अनुबंध करने से पहले फर्मों की तकनीकी क्षमता का आकलन नहीं किया गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 (उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा की सूचना) के अंतर्गत वेन्डरों से गोपनीयता और डाटा की सुरक्षा बनाये रखने के लिये कोई भी गोपनीयता नीति/वचन नहीं लिया गया था।

इस प्रकार जनपदीय प्राधिकारियों द्वारा बिड अभिलेखों की समुचित जाँच किये बिना कार्य आवंटित किया गया था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि जनपदों से सूचना मांगी गयी थी।

लाभार्थी डाटा का संग्रहण, संकलन और प्रमाणीकरण

राज्य में फरवरी 2005 में कुल राशन कार्ड की संख्या 4.51 करोड़ थी और 2012 तक डिजिटाइज्ड कार्ड की संख्या 4.41 करोड़ थी। लाभार्थियों को नवीनतम व्यक्तिगत सूचना जैसे भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) सहित बैंक खाता संख्या, मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या, आधार संख्या, मोबाइल संख्या और जन्म तिथि को शामिल कर पहले से भरी गयी सूचना को अद्यतन करने के लिये डिजिटाइज्ड कार्ड उपलब्ध कराये गये थे।

इसके अलावा डिजिटाइजेशन कार्य के लिए जिला प्राधिकारियों को उचित दर दुकानवार फार्मों को संकलित करके और उनकी पूर्णता का सत्यापन करते हुये वेण्डरों को फार्मों का हस्तांतरण किया जाना था। जिला आपूर्ति कार्यालय स्तर पर वेन्डरों को उपलब्ध कराये गये फार्म और उनसे वापस प्राप्त हुये फार्म के अभिलेखों का रख रखाव किया जाना था। वेण्डरों द्वारा डिजिटाइज्ड फार्मों की पूर्णता और शुद्धता की जाँच के लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा पुनर्जाँच होनी थी।

जबकि जनपद स्तर पर न तो पहले से भरे फार्मों के वितरण, संग्रहण, संकलन, प्रमाणीकरण और कम्प्यूटर में फीड किये गए फार्मों के अभिलेखों का रख—रखाव किया गया था और न ही नमूना जाँच जनपदों में फार्मों को अभिलेखीय प्रयोजन के लिये

भौतिक रूप से सुरक्षित रखा गया था। कानपुर नगर में वेण्डर द्वारा वापस किये गये फार्मों की प्राप्ति रसीद की जाँच में पाया गया कि प्राप्ति रसीद में बोरे में उपलब्ध फार्मों की संख्या का विवरण न देकर केवल बोरों की संख्या दर्ज की गयी थी।

नमूना जाँच के तीन जनपदों¹¹ की 13 उचित दर की दुकानों द्वारा उपलब्ध कराये गये 200 लाभार्थी फार्मों की जाँच में पाया गया कि लाभार्थियों द्वारा 14 फार्मों में मतदाता फोटो पहचान पत्र, 11 फार्मों में परिवार का विवरण, 22 फार्मों में वार्षिक आय और चार फार्मों में गैस कनेक्शन का विवरण होने के बावजूद उन्हें कम्प्यूटर में या तो फीड नहीं किया गया था या गलत फीड किया गया था।

अग्रेतर यह भी पाया गया कि उल्लिखित 200 फार्मों में से 12 फार्म जिला प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित नहीं होने पर भी पोर्टल पर अपलोड किये गये थे। डाटा की त्रुटिपूर्ण फीडिंग के कारण कम्प्यूटर में फीड किये गये डाटा न तो पूर्ण थे और न ही विश्वसनीय, जो जिला प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन की कमी को दर्शाता है।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि जिलों से सूचना मांगी गयी थी।

लाभार्थी डाटाबेस का सत्यापन और अद्यतन

प्रदेश सरकार के आदेश (अक्टूबर 2013) के अनुसार, सत्यापन और अद्यतन करने की प्रक्रिया के तहत, अपात्र परिवारों के फर्जी/बोगस राशन कार्ड रद्द करके पात्र परिवारों को नया कार्ड जारी किया जाना था। लाभार्थियों के प्रति सत्यापन के लिये चुनाव आयोग के मतदाता फोटो पहचान पत्र/वोटर आई.डी. का उपयोग किया जाना था। डाटाबेस अद्यतन का कार्य विशिष्ट फील्ड यथा वोटर आई.डी. नम्बर, आवेदक का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि पर डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया चला कर किया जाना था। डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सभी निरस्त किये गये और नये कार्डों की प्रविष्टियां डाटाबेस में की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निरस्त किये गये राशन कार्ड का ब्यौरा डाटाबेस में फीड नहीं किया गया था। नमूना जाँच के आठ जिलों के डाटाबेस के विश्लेषण में यह पाया गया कि उचित सत्यापन और अद्यतन के अभाव में डाटाबेस में डुप्लीकेट कार्ड विद्यमान थे, जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

टी.पी.डी.एस. डाटाबेस का विश्लेषण

एन.एफ.एस.ए. डाटाबेस में प्रत्येक जिले के राशन कार्ड लाभार्थियों का ब्यौरा फीड करने के लिये अलग-अलग सारणी हैं। नमूना जाँच जिलों के राशन कार्ड धारकों (46.14 लाख रिकार्ड) के व्यक्तिगत विवरण सारणी और आवेदक के परिवार के सदस्यों के विवरण सारणी (1.97 करोड़ रिकार्ड) के विश्लेषण में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीः

अपूर्ण डाटा : परिवार के मुखिया (कार्ड धारक) के नाम से बने 46.14 लाख राशन कार्ड रिकार्ड में से 29.14 लाख रिकार्ड (63 प्रतिशत) में बैंक खाता संख्या, 29.39 लाख रिकार्ड (64 प्रतिशत) में परिवार की आय, आधार कार्ड संख्या और वैध¹² अंकों की सीमा के वोटर आई.डी. संख्या की सूचना क्रमशः 30.09 लाख रिकार्ड (65 प्रतिशत) और

¹¹ मिर्जापुर, कानपुर नगर, लखनऊ।

¹² भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये 12 अंकों की आधार कार्ड संख्या और भारत के चुनाव आयोग द्वारा मई 2001 के पूर्व 13 से 17 अन्यान्यमूर्मिक/स्पेशल कैरेक्टर्स लम्बाई के और उसके बाद 10 अंकों की मतदाता पहचान पत्र संख्या जारी की गयी थी।

26.73 लाख रिकार्ड (58 प्रतिशत) में संग्रहीत नहीं की गयी थी। इसके अलावा 1.41 करोड़ रिकार्ड में परिवार के सदस्यों के लिये आधार कार्ड संख्या का संग्रहण नहीं किया गया था। इस प्रकार, डेटाबेस अद्यतन करने के लिये की गयी पूरी प्रक्रिया व्यर्थ थी, क्योंकि न तो एनएफएसए का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानान्तरित करने के लिये बैंक खाता संख्या, एनएफएसए की पात्रता मानदंड सुनिश्चित करने के लिये परिवार की आय और न ही लाभार्थियों के विशिष्ट पहचान के लिये आधार संख्या डाटाबेस में संग्रहित की गयी थी।

डुप्लीकेट वोटर आई.डी. संख्या और आधार संख्या : परिवार के सदस्यों के 1.97 करोड़ रिकार्ड में से 54.63 लाख रिकार्ड में ही वोटर आई.डी. संग्रहित किया गया था, जिसमें से केवल 23.25 लाख वोटर आई.डी. वैध अंक संख्या के थे। अग्रेतर विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 23.25 लाख वोटर आई.डी. में से 1.81 लाख डुप्लीकेट थे जिसमें से 1.41 लाख वोटर आई.डी. और लाभार्थी के नाम समान थे। 4954 रिकार्ड में भिन्न कार्ड धारकों के लिए एक ही वोटर आई.डी.0 का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा एक ही वोटर आई.डी. संख्या कई लाभार्थियों के रिकार्ड में 2 से 626 बार दर्ज की गयी थी। इसी तरह, परिवार के सदस्यों के 1.97 करोड़ रिकार्ड में से केवल 24.91 लाख रिकार्ड (13 प्रतिशत) में आधार संख्या फीड की गयी थी, जिसमें से 3.50 लाख डुप्लीकेट पाये गये।

राशन कार्ड के सत्यापन/जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण संग्रहीत न किया जाना : 46.14 लाख रिकार्ड में से 30.77 लाख रिकार्ड (66 प्रतिशत) में राशन कार्ड सत्यापन प्राधिकारी का विवरण संग्रहीत नहीं था, जबकि किसी भी कार्ड में जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण संग्रहीत नहीं था। यह भी पाया गया कि प्रविष्टि, संशोधन सत्यापन प्राधिकारी के उपयोगकर्ता कोड नम्बर के स्थान पर “डी.एस.ओ. ‘ए.आर.ओ., एस.जे.ड.आई., वी.ओ.ओ., एन.एफ.एस.ए.वाई. इत्यादि संग्रहीत किये गये थे जो यह दर्शाता है कि प्रणाली में अधिकृत उपयोगकर्ताओं को अनुमति देने के लिये उचित वैलिडेशन चेक सुनिश्चित नहीं किया गया था।

कार्डों पर डिजिटल हस्ताक्षर : जिला प्राधिकारियों द्वारा लाभार्थी के विवरणों के सत्यापन के बाद लाभार्थी कार्डों की प्रिंटिंग एवं उनका वितरण किये जाने से पहले, डिजिटल हस्ताक्षर होने थे। आठ नमूना जाँच जिलों की लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि 46.14 लाख रिकार्ड में से 9.81 लाख राशन कार्डों पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। विश्लेषण से यह भी पता चला कि 3.12 लाख रिकार्ड में बिना डिजिटल हस्ताक्षर किये राशन कार्ड मुद्रित किये गये थे।

डुप्लीकेट बैंक खाता संख्या : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण न किये जाने की स्थिति में उनके बैंक खाते में खाद्य सुरक्षा भत्ता हस्तांतरित किया जाना था। जबकि विश्लेषण में यह पाया गया कि 46.14 लाख राशन कार्ड धारकों (परिवार के मुखिया) में से केवल 29.14 लाख रिकार्ड में बैंक खाता संख्या और आई.एफ.एस.सी. कोड अंकित किया गया था, जिसमें से 2.30 लाख बैंक खाता संख्या डुप्लीकेट थे, जिसमें 0.88 लाख रिकार्ड में आवेदकों का नाम भी समान पाया गया। इन डुप्लीकेट रिकार्डों में यूनिटों की संख्या 3.79 लाख थी। डाटाबेस में विशिष्ट बैंक खाता संख्या नहीं होने के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ते के गलत बैंक खाते में हस्तांतरण से इंकार नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानक के अनुसार पात्र की पहचान न होना : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानदण्ड के अनुसार इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के ₹ 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक आय वाले और शहरी क्षेत्र के ₹ 3.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक आय वाले परिवार शामिल होने योग्य नहीं थे। 46.14 लाख कार्ड धारकों में से केवल 29.39 लाख (64 प्रतिशत) कार्ड में परिवार की आय दर्ज की गयी थी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 0.12 लाख लाभार्थी परिवारों की कुल आय ₹ दो लाख से अधिक थी, जबकि शहरी क्षेत्र के 0.16 लाख परिवारों की कुल आय ₹ तीन लाख से अधिक थी। इससे पता चलता है कि विशिष्ट मानदण्डों की जाँच नहीं किये जाने के कारण अपात्र परिवार प्रणाली में मौजूद थे। इसके अलावा, परिवार की कुल आय 10 पैसे से लेकर 999.99 करोड़ रुपये तक संग्रहीत की गयी थी जो यह दर्शाता है कि प्रणाली में सत्यापन के लिये अंतर्निहित चेक नहीं बनाया गया था।

परिवार के मुखिया का नाम और पारिवारिक संबंध कोड संग्रहीत न किया जाना : परिवार के मुखिया के नाम से ही राशन कार्ड जारी किया जाता है। तथापि, 46.14 लाख कार्ड धारक रिकार्ड में से 0.23 लाख रिकार्ड में परिवार के मुखिया का नाम संग्रहीत न होने पर भी 0.20 लाख कार्ड प्रिंट किये गये थे।

परिवार के सदस्य के 1.97 करोड़ रिकार्ड में से 24.08 लाख रिकार्ड में परिवार के सदस्य का मुखिया के साथ संबंध संग्रहीत नहीं किया गया था। इसके अलावा, एनएफएसए मानदण्ड के अंतर्गत न आने वाले पारिवारिक संबंध जैसे—पत्नी की बहन का पति, पति की बहन का पति, चाची (मां की बहन) चाची (मां के भाई की पत्नी), दामाद, अन्य, आदि भी संग्रहीत किये गये थे। इसके अलावा लिंग फील्ड में महिला रिश्ता कोड को पुरुष कोड के रूप में और पुरुष रिश्ता कोड को महिला कोड के रूप में संग्रहीत किया गया था।

राशन कार्ड श्रेणी का गलत संग्रहण : 19 मामलों में बीपीएल कार्ड, अन्त्योदय अन्य योजना श्रेणी के कार्ड के तहत संग्रहीत किये गये थे, जबकि 60 अन्त्योदय अन्य योजना श्रेणी के कार्ड बी.पी.एल. श्रेणी के कार्ड के रूप में संग्रहीत किये गये थे।

कार्ड के मुद्रण/वितरण में विलम्ब : कार्ड धारकों के 46.14 लाख रिकार्ड के विश्लेषण में पाया गया कि केवल 38.94 लाख रिकार्डों में रिकार्ड प्रविष्टि तिथि तथा कार्ड मुद्रण तिथि संग्रहीत की गयी थी। 96 प्रतिशत रिकार्ड (37.47 लाख) में कार्ड के मुद्रण में 90 दिन से अधिक का विलम्ब हुआ। इसके अलावा, ऐसे रिकार्ड भी पाये गये, जिनकी प्रविष्टि तिथि कार्ड मुद्रण तिथि के पूर्व की थी, जो प्रणाली में सत्यापन चेक की कमी को दर्शाता है।

कमजोर अभिगम नियंत्रण : पूर्व परिभाषित नीतियों/भूमिकाओं के अनुसार अभिगम नियंत्रण उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों/संसाधनों तक पहुंच की स्वीकृति प्रदान करता है। लखनऊ जिले में प्रणाली के उपयोगकर्ताओं के विश्लेषण में पाया गया कि लाभार्थी सारणी (परिवार के मुखिया) में डाटा प्रविष्टि करने वाले 20 उपयोगकर्ताओं में से सात उपयोगकर्ता प्रणाली तक पहुंच के लिये अधिकृत नहीं थे, क्योंकि उनके उपयोगकर्ता आई.डी. मास्टर सारणी में संग्रहीत नहीं थी। 208 रिकार्ड में उपयोगकर्ता कोड के स्थान पर “डी.एस.ओ.” संग्रहीत किया गया था, जबकि 6,147 रिकार्ड में “एन.एफ.एस.ए.ए.वाई.” संग्रहीत किया गया था। प्रणाली में प्रभावी अभिगम नियंत्रण के अभाव में, अनधिकृत पहुंच और आंकड़ों में हेरफेर का खतरा था।

उपरोक्त विसंगतियों से पता चलता है कि आवेदन पत्रों की ऑफ लाइन/ऑन लाइन प्रविष्टि करने के लिए प्रणाली में नियंत्रण जाँच का अभाव था। अतिरिक्त फील्ड संग्रहीत कर दूसरे डेटाबेस से प्रति सत्यापन करके अस्तित्वहीन/दूसरे के नाम पर लाभ लेने वाले लाभार्थियों को हटाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुये शासन द्वारा बताया गया कि डाटाबेस में पूर्ण एवं त्रुटि रहित डाटा सुनिश्चित करने के लिये समय—समय पर क्षेत्रीय एवं जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे।

संस्तुति : प्रणाली से फर्जी/बोगस राशन कार्ड को हटाने एवं टीपीडीएस डाटाबेस को अद्यतन करने हेतु शासन को प्रभावी कदम उठाना चाहिये। लाभार्थी की विशिष्ट पहचान के लिये लाभार्थी के बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या के संग्रहण के लिये प्रयास करना चाहिये। हर समय डाटा की सत्यनिष्ठा, गोपनीयता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अभिगमन/सत्यापन नियंत्रण को सशक्त बनाने का भी प्रयास करना चाहिये।

2.2.9.3 आपूर्ति शृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण

खाद्यान्न का आवंटन लाभार्थी डाटाबेस के आधार पर न किया जाना

टी.पी.डी.एस. आपरेशन संबंधी अधिकांश जानकारी संबंधित एप्लीकेशन माड्यूल और उसके डाटाबेस से उत्पन्न कर, उन्हें संबंधित माड्यूल के आउटपुट से जोड़ा जाना था। योजना के दिशा—निर्देशों के अनुसार खाद्यान्न का आवंटन डाटाबेस के लाभार्थियों की गिनती के आधार पर किया जाना था। जबकि यह पाया गया कि पोर्टल पर अपलोड किये गये आवंटन आदेश, लाभार्थी डेटाबेस के लाभार्थियों की गिनती के अनुरूप नहीं थे। यह कार्य मैनुअल तरीके से हो रहा था।

राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की निश्चित संख्या 40,94,500 थी और उसी के अनुरूप आवंटन भी किया गया था, जबकि जन पोर्टल पर फरवरी 2016 में लाभार्थियों की संख्या 40,97,374 दर्शायी गयी थी। इसी तरह, राज्य में पात्र गृहस्थी के लिये मार्च 2016 में खाद्यान्न का आवंटन 11.42 करोड़ यूनिट के लिये था, जबकि फरवरी 2016 में जन पोर्टल पर अपलोड की गयी यूनिटों की संख्या 12 करोड़ थी।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 से पात्र गृहस्थी और अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को वितरित करने के लिये 775961.33 मीट्रिक टन चावल एवं गेहूं का आवंटन स्वीकृत किया गया था। भारत सरकार के आवंटन के आधार पर राज्य सरकार ने पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय अन्य योजना के लाभार्थियों को आवंटित मात्रा में से जिलों को वितरण के विभिन्न मानदण्ड से वितरण किया। जबकि नमूना जाँच जिलों में यह पाया गया कि अगस्त 2016 में ब्लॉकों (ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के) को खाद्यान्न का वितरण करने के लिए पोर्टल पर अपलोड किया गया आवंटन, आदेश राज्य के जिलावार आवंटन से मेल नहीं खाता था। छ: जिलों में 574.91 मीट्रिक टन कम आवंटन किया गया था जबकि दो जिलों में 3.13 मीट्रिक टन अधिक आवंटन किया गया था (**परिशिष्ट 2.2.5**)। प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप होने के कारण स्थिति जोखिम पूर्ण थी।

शासन ने इसका कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया और यह बताया कि भारत सरकार के आवंटन आदेश के अनुसार जिलों को खाद्यान्नों का आवंटन किया गया था।

खाद्यान्नों के आवागमन पर नजर रखना

आपूर्ति श्रृंखला के कम्प्यूटरीकरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आवंटित खाद्यान्न के आवागमन के दोनों चरणों अर्थात् भारतीय खाद्य निगम से मध्यवर्ती भण्डारण बिन्दु और आगे उचित दर दुकान तक परिचालन पर नजर रखा जाना था। अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित मुख्य कार्यकलाप आच्छादित नहीं पाये गये।

सभी गोदामों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री के भण्डारण की स्थिति जानने के लिये प्रणाली में खाद्यान्न की प्राप्ति और वितरण की प्रविष्टि की जानी थी, जबकि, मार्च 2016 तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ था। इसकी अनुपस्थिति में, नमूना जाँच जिलों में पाया गया कि भण्डार की स्थिति का रख रखाव मैनुअल तरीके से किया जा रहा था।

भारतीय खाद्य निगम से राज्य गोदामों तक खाद्यान्न के आवागमन के लिये यह आवश्यक था कि राज्य विभिन्न परिचालनों जैसे:- राज्य एजेंसियों द्वारा किये गये भुगतान की प्राप्ति, निर्गत आदेश और आवंटन जारी किया जाना, ट्रक-चालान, गेट पास के निकाले जाने का कम्प्यूटरीकरण करके प्रणाली में सूचनाओं को संग्रहीत करे। तथापि मार्च 2016 तक इनका परिचालन नहीं किया गया था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तंत्र का क्रियान्वयन प्रगति पर था।

संस्तुति : शासन को समस्त टीपीडीएस प्रक्रियाओं का परिचालन सुनिश्चित करना चाहिये। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के समग्र कम्प्यूटरीकरण का प्रयास किया जाना चाहिये।

एफ.पी.एस. डीलरों के लिये खाद्यान्न आवंटन आदेश जारी करने में विलम्ब

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (अक्टूबर 2015) के अनुसार गोदाम से खाद्यान्न का उठान करने के लिए उचित दर दुकान विक्रेता द्वारा उठान माह के पूर्ववर्ती माह की 20 वीं तारीख तक खाद्यान्न का मूल्य ई-चालान से जमा कर देना चाहिए। खाद्यान्न के उठान और वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये यह किया गया था। जिला प्राधिकारियों द्वारा उचित दर की दुकानों के आवंटन आदेश डाउनलोड करने के लिए विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड किये गये थे। आबंटन आदेश के अनुसार उचित दर दुकान विक्रेता ई-चालान के द्वारा खाद्यान्न की कीमत जमा करते हैं। लेखापरीक्षा को ई-चालान डाटाबेस उपलब्ध नहीं कराया गया और वेब पोर्टल पर सिर्फ वर्तमान माह के आबंटन आदेश/ई-चालान की सूचना उपलब्ध थी। इसलिये आवंटन माह अगस्त 2016 के लिए पांच नमूना जाँच जिलों¹³ के नौ ब्लॉकों के 626 उचित दर दुकान विक्रेता के डाउनलोड किये गये आवंटन आदेशों की जाँच की गयी।

जाँच में पाया गया कि 31 जुलाई 2016 तक उचित दर दुकान विक्रेताओं के 68 आवंटन आदेश, जन पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये थे।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को विलम्ब से ई-चालान जारी करने वाले जिलों का मासिक विवरण उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया था।

¹³ इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मिर्जापुर और वाराणसी।

2.2.9.4 प्रणाली में पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता

राज्य टी.पी.डी.एस. पोर्टल का निर्माण, टी.पी.डी.एस. से संबंधित समस्त सूचनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिये और टी.पी.डी.एस. में सम्पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिये किया गया था। पोर्टल का उपयोग, उचित दर की दुकान वार राशन कार्ड का डिजिटाइज्ड डाटाबेस, लाभार्थियों की हकदारी, गोदामों में स्टॉक की स्थिति, खाद्यान्नों का उठान, एफ.पी.एस. पर स्टॉक की उपलब्धता, आवागमन और स्टॉक की तारीख / सभी दुकानों को प्रत्येक माह उचित दर की दुकानों को की गयी आपूर्ति की मात्रा आदि से संबंधित सूचनायें प्रदर्शित करने के लिये किया जाना था।

राज्य सार्वजनिक पोर्टल पर उचित दर की दुकानवार राशन कार्ड की सूची तथा प्रत्येक राशन कार्ड का विवरण और ब्लॉक स्तर तक मासिक आवंटन प्रदर्शित किया गया था। तथापि सार्वजनिक पोर्टल पर वास्तविक उठान का विवरण उपलब्ध नहीं था।

इसके अलावा, भारत सरकार के ई-पी.डी.एस. पोर्टल पर उचित दर की दुकानवार आबंटन आदेश की राजकीय स्थिति, राज्य गोदामों के मास्टर स्टॉक रजिस्टर, किये गये आबंटन की स्थिति, बिक्री रजिस्टर, ब्लॉकवार आवंटन आदेश, जिले वार सामग्रियों का आबंटन और राज्य सरकार की आवंटन नीति उपलब्ध नहीं थी।

वेबसाइट पर दी गयी सूचना वेब पोर्टल पेज के साथ गतिशील रूप से नहीं जुड़ी थी। मैनुअल हस्तक्षेप मौजूद होने के कारण पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

शासन ने उत्तर में बताया कि ३०% राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केन्द्र द्वारा आपूर्ति श्रंखला प्रबन्धन साफ्टवेयर अभी निर्माण की प्रक्रिया में थी।

एस.एम.एस. सुविधा

मोबाइल एस.एम.एस. अलर्ट, पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों जैसे लाभार्थियों, उचित दर की दुकान के डीलरों आदि को राज्य डिपो पर खाद्यान्नों के उठान, संबंधित उचित दर की दुकान पर खाद्यान्नों के वितरण एवं उपलब्धता, हकदारी या दर की नीति में कोई बदलाव इत्यादि के लिये भेजा जाना था। जबकि १४ नमूना जाँच जिलों के एस.एम.एस. अलर्ट रिपोर्ट (फरवरी 2016) की जाँच में पाया गया कि 12.41 लाख लाभार्थियों द्वारा मोबाइल एस.एम.एस. अलर्ट सुविधा प्राप्ति के अनुरोध के विरुद्ध केवल 3.55 लाख (२९ प्रतिशत) लाभार्थियों के मोबाइल नम्बर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में फीड किये गये थे, जबकि केवल 0.81 लाख लाभार्थियों को एस.एम.एस. अलर्ट भेजा गया था (परिशिष्ट 2.2.6)। इसके अलावा नमूना जाँच जिलों में उचित दर की दुकान के डीलरों को भेजे जाने वाले एस.एम.एस. अलर्ट का अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्रियाशील नहीं था। इस प्रकार, एस.एम.एस. अलर्ट सुविधा पूरी तरह परिचालित नहीं थी।

अग्रेतर, कपटपूर्ण आवंटन के लिये प्रतिवारक का कार्य करके प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ऐसी कोई एस.एम.एस. सुविधा परिकल्पित नहीं की गयी थी, जो लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न के सम्बंध में उन्हें सचेत करती।

¹⁴ इलाहाबाद, चित्रकूट, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि उचित दर की दुकानों द्वारा खाद्यान्नों के उठान की सूचना पंजीकृत लाभार्थी को दी जाती थी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नमूना जाँच जिलों में सभी पंजीकृत लाभार्थियों को एसएमएस नहीं भेजा गया था।

शिकायत निवारण तंत्र

लाभार्थियों के शिकायतों की कुशलतापूर्वक ट्रैकिंग और समय से निवारण के लिये राज्य शिकायत निवारण तंत्र को स्वचालित किया जाना था। योजना के अनुसार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को टोल फ्री काल सेन्टर के संचालन के लिए सापटवेयर सहित अपेक्षित अनुप्रयोग सापटवेयर उपलब्ध कराना था।

शिकायत पंजीकरण एवं निवारण के लिये वेबसाइट पर एक टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर उपलब्ध था। जबकि, नमूना जाँच जनपदों में ऑनलाइन प्राप्त किये गये शिकायतों के निवारण का विवरण उपलब्ध नहीं था।

2.2.10 प्रशिक्षण

कम्प्यूटरीकृत टी.पी.डी.एस. प्रणाली के सुचारूपूर्वक संचालन के लिये राज्य खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों एवं विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को प्रौद्योगिकी के उपयोग और दिन प्रतिदिन के प्रचालन का प्रशिक्षण दिया जाना था। दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण क्रियाकलाप एक बार में दिया जाना था और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये योजना बनायी जानी थी।

उपयोगकर्ताओं/हित धारकों के लिये उनकी भूमिकाओं और कम्प्यूटर जागरूकता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षण, यथा— प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टी.पी.डी.एस. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण तथा शीर्ष और मध्यम प्रबंधन के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गयी थी। राज्य और जिला स्तर पर पांच, ब्लॉक स्तर पर तीन और गोदाम स्तर के दो कर्मचारियों को प्रत्येक स्तर पर ₹ 2,500 की दर से 5 दिनों के लिये प्रशिक्षित किया जाना था। भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण मद में ₹ 1.17 करोड़ स्वीकृत किया गया था जिसके सापेक्ष ₹ 17.29 लाख व्यय किया गया था।

प्रशिक्षण योजना और राज्य स्तर पर दिये गये प्रशिक्षण का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। नमूना जाँच जिलों में ₹ 12.07 लाख के आवंटन के सापेक्ष दो जिलों (मिर्जापुर और गाजियाबाद) में ₹ 2.21 लाख का व्यय प्रशिक्षण मद में किया गया था। जबकि, मिर्जापुर जिले में ₹ 1.57 लाख का पूर्ण व्यय विवर्तन करते हुये कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद पर किया गया था। इस प्रकार, प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि समय – समय पर कर्मचारियों को डेमो के माध्यम से सॉफ्टवेयर प्रचालन का प्रशिक्षण दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया था और वर्ष 2013–16 की अवधि के दौरान प्रशिक्षण मद में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि में से केवल 15 प्रतिशत व्यय प्रशिक्षण मद में हुआ था।

संस्कृति: शासन को विभागीय कर्मचारियों को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से अवगत कराने के लिये उनकी क्षमता विकास की योजना बनानी चाहिये।

2.2.11 अनुश्रवण

2.2.11.1 आई.टी. परिसम्पत्तियों का रख रखाव न करना

भारत सरकार और प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित हुये सहमति-ज्ञापन (मई 2013) के अनुसार योजना के लिये पूरी तरह या मुख्य रूप से प्राप्त की गयी स्थायी और अर्द्धस्थायी संपत्तियों के लिये एक रजिस्टर में लेखापरीक्षित विवरण का रख रखाव किया जाना था। जिस उद्देश्य के लिये संपत्तियां प्राप्त और स्वीकृत की गयी थीं, उसी उद्देश्य के लिये उसका उपयोग करना चाहिये था। जबकि, विभागीय स्तर पर या नमूना जाँच जिलों में ऐसी कोई सम्पत्ति पंजिका का रख रखाव नहीं किया गया था। नमूना जाँच जिलों में पाया गया कि न तो सम्पत्ति रजिस्टर का रख रखाव किया गया था और न ही सम्पत्तियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन हुआ था। इस प्रकार की जाँच एवं नियमित निगरानी के न होने से सम्पत्तियों के दुरुपयोग/चोरी का खतरा था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि इस संबंध में जनपदों को निर्देशित कर दिया गया है।

2.2.11.2 मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन लेखापरीक्षा

योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य को टीपीडीएस सॉफ्टवेयर के त्रृटिरहित होने, राज्य की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप और उच्च स्तर के संव्यवहार के संचालन में समर्थता को सुनिश्चित करने के लिये मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एस.टी.क्यू.सी.) लेखापरीक्षा कराना चाहिये था।

मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन लेखापरीक्षा में प्रणाली की समीक्षा, सॉफ्टवेयर प्रलेखन, सॉफ्टवेयर कलाकृतियों/कार्य उत्पाद सॉफ्टवेयर परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन लेखापरीक्षा के अलावा विभाग द्वारा टी.पी.डी.एस. एप्लीकेशन माड्यूल की सुरक्षा लेखापरीक्षा सुनिश्चित किया जाना चाहिये था जिससे कि अनुप्रयोग सुरक्षा कमजोरियों, प्रमाणीकरण से संबंधित कमजोरियां, सत्र प्रबंधन, इनपुट/आउटपुट सत्यापन, प्रसंस्करण त्रुटियों, सूचना रिसाव, सेवा से इनकार आदि से संबंधित कारणों को दूर किया जा सके।

तथापि, न तो मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन लेखापरीक्षा की गयी और न ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन से पहले प्रणाली की सुरक्षा लेखापरीक्षा की गयी। इस प्रकार, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन लेखापरीक्षा और सुरक्षा लेखापरीक्षा के अभाव में लक्षित सार्वजनिक वितरण के कम्प्यूटरीकरण की प्रणाली असुरक्षित थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि समय-समय पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वेब सुरक्षा लेखापरीक्षा सी.ई.आर.टी.-इन के सूचीबद्ध वेन्डरों से कराई गयी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इसके समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया।

संस्तुति: शासन को मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन की लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना चाहिये।

2.2.11.3 सूचना प्रौद्योगिकी सम्पत्तियों का संयुक्त निरीक्षण

अप्रैल 2016 से जून 2016 तक लेखापरीक्षा द्वारा किये गये संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि जिला पूर्ति अधिकारी मिर्जापुर में 12 प्रिंटर सीलबंद थे, जबकि जिला पूर्ति अधिकारी, चित्रकूट में एक प्रिंटर के साथ दो डेस्कटॉप जिला निर्वाचन अधिकारी चित्रकूट को हस्तांतरित (जुलाई 2015) किये गये थे। जिला पूर्ति कार्यालय लखनऊ के तीन प्रिंटर और 5 कम्प्यूटर यू.पी.एस. के साथ संभागीय आयुक्त, खाद्य एवं रसद कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया था। किसी भी नमूना जाँच जिले में नेटवर्किंग और अर्थिंग के लिये समुचित तार बिछाने का कार्य नहीं किया गया था।

12 नमूना जाँच विकास खण्डों में से पांच विकास खण्डों में ही हार्डवेयर सम्पत्तियों को जिला आपूर्ति कार्यालय में स्थापित किया गया था। वाराणसी ग्रामीण ब्लॉक में प्रिंटर का उपयोग नहीं किया जा रहा था। प्रत्येक गोदाम को एक लैपटाप और एक प्रिंटर जारी किया गया था, जबकि नौ नमूना जाँच गोदामों में से छः गोदामों में यह नहीं पाया गया। इस प्रकार सभी स्तरों पर उपलब्ध करायी गयी हार्डवेयर अवसंरचना का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो रहा था। इसके अलावा, किसी भी नमूना जाँच जिले में सम्पत्ति पंजिका और शिकायत पंजिका का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। इससे पता चलता है कि जिला प्राधिकारियों और राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा किये गये अनुश्रवण में कमी थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि जनपदों से सूचना मांगी गयी थी।

2.2.11.4 अनुश्रवण रिपोर्ट तैयार किया जाना

राज्यों के लिये आवश्यक था कि वे भारत सरकार को पाक्षिक आधार पर विभिन्न गतिविधियों/उप घटक की स्थिति को सूचित करें। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्य की प्रगति समीक्षा और भ्रमण, वीडियो कान्फ्रैंसिंग और बैठकों के माध्यम से राज्य की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से और कम से कम एक पखवाड़े में एक बार करनी थी। जबकि, योजना की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिये अलग से अभिलेख/सम्पादित हुई गोष्ठियों के कार्यवृत्त का रख-रखाव न तो विभागीय स्तर पर और न ही जिला स्तर पर किया गया था। कोई भी पाक्षिक प्रगति विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा, राशन कार्ड के मुद्रण से पूर्व, जिला अधिकारी के अनुमोदन से राशन कार्ड मुद्रण सत्यापन रिपोर्ट (32 बिंदु रिपोर्ट) राज्य मुख्यालय को जिलों द्वारा प्रेषित किया जाना था। जबकि, लेखा परीक्षा को किसी भी नमूना जाँच जनपदों में ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

शासन द्वारा बताया गया कि राज्य राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केन्द्र के सहयोग से विभिन्न दैनिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कोई भी पाक्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही थी और न ही भारत सरकार को प्रेषित की गई थी।

2.2.12 निष्कर्ष

वर्तमान प्रणाली की विभिन्न समस्याओं यथा टीपीडीएस आपूर्ति शृंखला में खाद्यान्तों के रिसाव और विवर्तन, फर्जी और बोगस राशन कार्ड, समावेश और अपवर्जन की त्रुटियां, पारदर्शिता की कमी, कमजोर शिकायत निवारण एवं सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र को दूर करने के लिये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण की परिकल्पना की गयी थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना का समय से क्रियान्वयन

सुनिश्चित किया जाना था। मार्च 2016 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना पर ₹ 54 करोड़ का व्यय अनुप्रयोग विकास, हार्डवेयर की खरीद, डाटा डिजिटाइजेशन पर किया गया था। भारत सरकार के साथ विलम्ब से हुये समझौता ज्ञापन और राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के विलम्ब से गठन होने के कारण परियोजना नियोजन विलम्बों और कमियों से प्रभावित था। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा मुख्य क्रियाकलापों को क्रियान्वित नहीं करने और असंगत क्रियान्वयन रणनीति होने के कारण निर्धारित समय सीमा में योजना पूर्ण नहीं की जा सकी। जबकि, राज्य एनआईसी द्वारा विकसित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्पूर्ण प्रचालन को क्रियान्वयन करने में विफल रहा क्योंकि प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप अभी भी मौजूद था। दिये जाने वाले सब्सिडी से बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रणाली से फर्जी/बोगस राशन कार्डों को अन्य डाटाबेस के साथ सत्यापन करके समाप्त करने और लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या और आधार संख्या फीड करते हुये बोगस लाभार्थी और एक से अधिक बार लाभ का दावा प्रस्तुत करने वाले लाभार्थियों को हटाने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण पूरी तरह क्रियाशील नहीं था, क्योंकि डाटाबेस में लाभार्थियों की गणना के आधार पर, प्रणाली जनित आवंटन आदेश जारी नहीं हो रहा था। उचित दर की दुकानवार, खाद्यान्नों की वास्तविक उठान का विस्तृत विवरण पारदर्शिता पोर्टल पर उपलब्ध नहीं था। दिन प्रतिदिन के संचालन के लिये कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई भी प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया था। प्रणाली के प्रमाणन और टीपीडीएस अनुप्रयोग माड्यूल की सुरक्षा लेखापरीक्षा के अभाव में लक्षित सार्वजनिक वितरण के कम्प्यूटरीकरण की प्रणाली असुरक्षित थी।

अध्याय ३

लेन—देनों की लेखापरीक्षा

अध्याय 3 – लेन–देनों की लेखापरीक्षा

शासन के विभागों एवं उनके संरचना घटक के साथ ही साथ स्वायत्त निकायों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा में अनेक प्रकरण, जिनमें संसाधनों के प्रबंधन में कमियाँ और आर्थिक एवं औचित्य के मापदण्डों के मानकों के पालन में विफलतायें प्रकाश में आये। इन समस्त प्रकरणों को उत्तरोत्तर प्रस्तरों में व्यापक उद्देश्यों के शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग

3.1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा

3.1.1 प्रस्तावना

जीवन बनाये रखने एवं अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। सुरक्षित खाद्य वस्तुओं से मृत्यु दर में कमी एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देशों में खाद्य सुरक्षा, निम्न स्तर की स्वच्छता एवं सफाई के कारण जन स्वास्थ्य स्तर, चिन्ता का विषय है।

संविधान के अनुच्छेद 47 में यह प्रावधान है कि राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि लोगों के पोषण स्तर का विकास एवं उनके जीवन स्तर को बढ़ाने तथा जन स्वास्थ्य में सुधार को सुनिश्चित करें। इस प्रयोजन हेतु खाद्य वस्तुओं से सम्बन्धित कानूनों¹ तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक व्यूरो की स्थापना, विज्ञान आधारित मानकों को प्रतिस्थापित करने तथा खाद्य सामग्रियों के उत्पादन, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं आयात तथा सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हेतु भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रतिपादित किया गया (मई 2011) इस अधिनियम के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2006, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला एवं नमूना विश्लेषण विनियम 2011, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम 2011, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 सम्पूर्ण भारत में 5 अगस्त 2011 से प्रभावी किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 5 अगस्त 2011 से राज्य में अधिनियम को लागू किया तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को सम्पूर्ण राज्य में शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करने हेतु अधिकार दिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लागू होने के पश्चात् दिनांक 31 मार्च 2016 तक कुल 4.04 लाख पंजीकृत छोटे खाद्य कारोबारकर्ता एवं 0.46 लाख लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारकर्ता थे, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने वर्ष 2012-16 के दौरान राज्य में कुल ₹ 202.60 करोड़ अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु व्यय किया।

¹ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, खाद्य अपमिश्रण नियम 1955, तथा विभिन्न नियन्त्रण आदेश जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसमें दुध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 सम्मिलित था, दिनांक 05 अगस्त 2011 से प्रतिस्थापित किया गया था।

संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, समग्र रूप से प्रशासन हेतु उत्तरदायी है तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियम और विनियमों को राज्य स्तर पर कुशलतापूर्वक लागू करने हेतु उत्तरदायी है। जिला स्तर पर आयुक्त के अधीन अभिहीत अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य व्यापार करोबारकर्ताओं के लाइसेंस निर्गमन के एवं पंजीकरण करने, विश्लेषण के लिए नमूनों का संग्रहण करने तथा अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा राज्य सरकार एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वारा निर्गत आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

3.1.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय, राज्य की तीन राजकीय प्रयोगशालायें (लखनऊ, आगरा एवं वाराणसी) एवं 10 चयनित जनपदों के अभिहीत अधिकारियों के कार्यालय (आगरा, बदायूँ, चन्दौली, गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली एवं वाराणसी) के वर्ष 2011-16 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश के साथ प्रारम्भिक बैठक दिनांक 20.04.2016 को आयोजित की गयी थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा मानदंडों पर चर्चा की गयी तथा शासन द्वारा इन्हें स्वीकार किया गया। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शासन के उत्तरों (दिसम्बर 2016) को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के साथ दिनांक 9 दिसम्बर 2016 को समाप्त बैठक आयोजित की गयी जिसमें शासन ने लेखापरीक्षा द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.3 लाईसेंस एवं पंजीकरण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार के लाईसेंस एवं पंजीकरण) विनियम 2011 के नियम 2.1 के अनुसार देश में समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को बुनियादी स्वच्छता एवं सुरक्षा आवश्यकताओं को बनाये रखने के लिए लाईसेंस एवं पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के नियम 2.1.1 में छोटे कारोबारकर्ताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नियम 1.2.4.(ब) के अनुसार ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनकी वार्षिक आय ₹ 12.00 लाख से अधिक नहीं है, अथवा जिनकी

- (i) खाद्य उत्पादन क्षमता (दुग्ध अथवा दुग्ध उत्पादन तथा मांस एवं मांस उत्पादन के अतिरिक्त) 100 किमी²/लीटर प्रतिदिन से अधिक नहीं है, अथवा
- (ii) प्रतिदिन 500 लीटर तक दुग्ध संग्रह एवं रख-रखाव की क्षमता है। अथवा
- (iii) दो बड़े जानवर या 10 छोटे जानवर या प्रतिदिन 50 कुक्कुट (पोल्ट्री बर्ड्स) के वध करने की क्षमता हो अथवा कम हो, छोटे खाद्य कारोबारकर्ता होंगे

विनियम 2.1.2 में यह प्राविधानित है कि विनियम 2.1.1. में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति कोई भी खाद्य व्यापार तब तक नहीं प्रारम्भ कर सकेगा जब तक कि उसके पास राज्य लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध लाईसेंस न हो।

3.1.3.1 खाद्य कारोबारकर्ताओं को चिह्नित करने हेतु सर्वेक्षण न किया जाना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता बिना लाईसेंस के खाद्य वस्तुओं का व्यापार आरम्भ अथवा जारी नहीं रख सकेंगे।

नमूना जॉच में 10 जनपदों के अभिलेखों की जॉच में यह पाया गया कि ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो बिना वैध पंजीकरण/लाईसेंस के व्यापार कर रहे हैं उनको चिह्नित करने हेतु अभिहीत अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा वर्ष 2011-16 में सर्वेक्षण कार्य नहीं किया था।

सर्वेक्षण के अभाव में जिला स्तर पर ऐसा कोई तन्त्र उपलब्ध नहीं था जिससे कि खाद्य कारोबारकर्ताओं की कुल संख्या का आकलन किया जा सकता। परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी खाद्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए अधिसूचित मानकों के अनुपालन, बिक्री और भण्डारण सहित उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने में सक्षम नहीं थे।

इस प्रकार कोई ऐसा आश्वासन नहीं था कि जनपदों में व्यापार कर रहे समस्त छोटे कारोबारकर्ता वास्तव में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अथवा लाईसेंस प्राप्त थे।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2016) कि प्रवर्तन कार्मिकों की कमी के कारण सर्वेक्षण कार्य बाधित रहा। शासन की उत्तर से स्वतः पुष्टि होती है कि राज्य में बिना पंजीकरण व्यापार करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं की संख्या की जानकारी नहीं थी।


संस्तुति: राज्य के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को चिह्नित करने के लिए विभाग को नियमित रूप से सर्वेक्षण कार्य सुनिश्चित करना चाहिए ताकि अधिनियम के अन्तर्गत उनका पंजीकरण/लाईसेंस सुनिश्चित किया जा सके।

3.1.3.2 लाईसेंस

खाद्य कारोबारियों को बिना निरीक्षण किये लाईसेंस प्रदान किया जाना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के नियम 2.1.4 एवं 2.1.5 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन पहचान संख्या निर्गत किये जाने के पश्चात लाईसेंस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जो विशेष रूप से इस प्रकार के कार्य करने हेतु नामित हों को परिसर की सुरक्षा, स्वच्छता एवं सफाई की स्थिति आदि की जॉच के लिए निर्देशित करेगा। इस प्रकार की निरीक्षण आव्याकी प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उस अवधि को छोड़कर जो कि आवेदनकर्ता द्वारा लिया गया हो। सत्यापन के उपरान्त सम्बन्धित लाईसेंस प्राधिकारी प्रार्थना पत्र पर विचार करेंगे तत्पश्चात् या तो लाईसेंस प्रदान करेगा अथवा अस्वीकार कर सकता है। लाईसेंस की प्रक्रिया चार्ट 1 में प्रदर्शित की गयी है।

चार्ट 1: लाईसेंस की प्रक्रिया



आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2016 तक कुल 45868 खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्गत लाईसेंस में से केवल 20190 (44 प्रतिशत) खाद्य कारोबारकर्ताओं का निरीक्षण लाईसेंस निर्गत करने के पूर्व किया गया तथा शेष 25678 (56 प्रतिशत) लाईसेंस परिसर की सुरक्षा, स्वच्छता तथा सफाई की स्थिति का निरीक्षण किये बिना निर्गत किये गये थे।

10 में से 08 नमूना जाँच के जनपदों में 71 से 99 प्रतिशत लाईसेंस सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता, सफाई और स्वच्छता स्थिति आदि की जाँच किये बिना कारोबारकर्ताओं को जारी किये गये थे। विस्तृत विवरण सारिणी 1 में प्रदर्शित है।

सारिणी 1: नमूना जाँच के जिलों में खाद्य कारोबारकर्ताओं को बिना निरीक्षण किये निर्गत लाईसेंस

क्र. सं.	जनपद का नाम	31.03.2016 तक खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्गत लाईसेंस	कारोबारकर्ताओं को बिना निरीक्षण किये निर्गत लाईसेंस	प्रतिशत (4/3)
1	2	3	4	5
1.	आगरा	2,996	2,920	97
2.	बदायूँ	517	369	71
3.	चन्दौली	153	134	88
4.	गौतमबुद्ध नगर	1,538	1,291	84
5.	लखीमपुर खीरी	836	830	99
6.	रायबरेली	427	360	84
7.	सीतापुर	344	335	97
8.	वाराणसी	2,454	2,206	95
योग		9,265	8,445	91

(स्रोत: आयुक्त खाद्य सुरक्षा, लखनऊ)

इस प्रकार स्वच्छता की स्थिति, सुरक्षित भण्डारण, सुरक्षित वितरण और पौष्टिक खाद्य वस्तुओं हेतु पंजीकरण/लाईसेंस प्रदान करने से पूर्व आवश्यक जाँच न किया जाना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में अत्यधिक शिथिलता दर्शाता है।

शासन द्वारा बताया गया कि पूर्णकालिक अभिहीत अधिकारियों तथा प्रवर्तन कार्मिकों की कमी के कारण निरीक्षण कार्य नहीं किये जा सके। आगे यह भी कहा गया है कि अभिहीत अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित निरीक्षण किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

पूर्ण दस्तावेजों के बिना जारी किये गये लाईसेंस

खाद्य सुरक्षा विनियम 2011 के नियम 2.1.3 में यह प्राविधान है कि लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन लाईसेंस प्राधिकारी को निर्दिष्ट प्रपत्र में स्व-सत्यापित घोषणाओं के साथ दिया जायेगा।

नमूना जाँच के जनपदों के अभिहीत अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो जनपदों (लखीमपुर खीरी तथा हाथरस) में बिना आवश्यक दस्तावेजों/सूचनाओं यथा आश्वासन/समझौतापत्र, बिक्री, निर्माण, खाद्य वस्तुओं के भण्डारण सम्बन्धी अभिलेखों को निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किये बिना 18 लाईसेंस (**परिशिष्ट 3.1.1**) निर्गत किये गये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाईसेंस निर्गत करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के समय यह उल्लेख था कि आवश्यक अभिलेख/सूचनायें बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी। तथापि, खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा न तो आवश्यक सूचनायें/अभिलेख प्रस्तुत किये गये और न ही अभिहीत अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया।

समस्त सूचनाओं के अभाव में खाद्य कारोबारकर्ताओं के सम्बन्ध में उनकी पहचान, जिम्मेदारी, लाईसेंस शुल्क और परिसर की स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

शासन द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण की जाँच के उपरान्त जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3.1.3.3 लाईसेंस/पंजीकरण निर्गत करने में विलम्ब

लाईसेंस निर्गत करने में विलम्ब

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के नियम 2.1.4 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन प्राप्ति पहचान संख्या के निर्गमन की तिथि से 60 दिन के अन्दर सम्बन्धित लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा लाईसेंस निर्गत किया जायेगा।

नमूना जाँच किये गये जनपदों में 1640 लाईसेंस प्रकरणों की लेखापरीक्षा (40 प्रकरण प्रतिवर्ष प्रति जनपद) की जाँच में यह पाया गया कि लाईसेंस अवधि 2012-16 के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को लाईसेंस विलम्ब से निर्गत किये गये थे। लाईसेंस निर्गत करने में विलम्ब का अवधिवार विश्लेषण का विवरण सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी 2: लाईसेंस निर्गत करने में विलम्ब

क्र. सं.	जनपद का नाम	जाँच किये गये प्रकरण	लाईसेंस निर्गमन में विलम्ब (दिनों में)			विलम्ब के प्रकरणों की संख्या
			01-30	31-180	>180	
1	आगरा	160	0	0	0	0
2	बदायूँ	160	2	2	0	4
3	चन्दौली	181	3	1	0	4
4	गौतमबुद्ध नगर	172	21	29	5	55
5	हाथरस	160	3	20	3	26
6	कानपुर नगर	120	1	13	1	15
7	लखीमपुर खीरी	160	8	25	12	45
8	रायबरेली	200	13	16	3	32
9	सीतापुर	160	7	3	0	10
10	वाराणसी	167	7	33	4	44
योग		1640	65	142	28	235

(स्रोत: चयनित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

उपरोक्त सारणी में यह देखा जा सकता है कि निर्धारित 60 दिनों की अवधि के पश्चात् 235 प्रकरणों (14 प्रतिशत) में लाईसेंस जारी किये गये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 28 लाईसेंस धारकों को 180 दिनों से अधिक के असामान्य विलम्ब से लाईसेंस निर्गत किये गये थे।

इस प्रकार विभाग द्वारा लाईसेंस जारी करने में असामान्य विलम्ब होना, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विभाग की अत्यधिक शिथिलता प्रदर्शित करता है।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया गया कि लाईसेंस एवं पंजीकरण के आनलाइन फाइलिंग तथा पंजीकरण को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

पंजीकरण निर्गत करने में विलम्ब

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के नियम 2.1.1(3) में यह प्रावधान किया गया है कि पंजीकरण प्राधिकारी को जब भी पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो ऐसे आवेदनों पर विचार करेंगे और आवेदन प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर या तो पंजीकरण

प्रदान करेंगे अथवा कारण का लिखित उल्लेख करते हुए आवेदन अस्थीकार करेंगे अथवा निरीक्षण हेतु नोटिस जारी करेंगे। निरीक्षण आदेश की दशा में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा परिसर की सुरक्षा, स्वच्छता एवं सफाई की स्थिति से संतुष्ट होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रदान किया जायेगा।

नमूना जॉच किये गये पंजीकरण के 390 मामलों (10 प्रकरण प्रतिवर्ष प्रति जनपद) की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2012-16 के दौरान 95 प्रकरणों (24 प्रतिशत) में छोटे खाद्य कारोबारकर्ताओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र अत्यधिक विलम्ब से जारी किये गये थे। नमूना जॉच किये गये जनपदों में वर्ष 2011-12 के दौरान कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया गया था। विलम्ब से निर्गत किये गये प्रकरणों का विश्लेषण सारणी 3 में किया गया है।

सारणी 3: पंजीकरण निर्गत करने में विलम्ब

क्र. सं.	जनपद का नाम	जॉच किये गये प्रकरण	पंजीकरण निर्गमन में विलम्ब (दिनों में)			विलम्ब के प्रकरणों की संख्या
			01-30	31-180	>180	
1	आगरा	40	06	09	01	16
2	बदायूँ	40	03	00	00	03
3	चन्दौली	40	01	10	00	11
4	गौतमबुद्ध नगर	40	02	07	02	11
5	हाथरस	40	04	06	00	10
6	कानपुर नगर	30	01	02	00	03
7	लखीमपुर खीरी	40	03	11	01	15
8	रायबरेली	40	02	05	00	07
9	सीतापुर	40	07	10	01	18
10	वाराणसी	40	01	00	00	01
योग		390	30	60	05	95

(स्रोत: चयनित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

उपरोक्त सारणी में यह देखा जा सकता है कि 390 प्रकरणों में 95 प्रकरणों (24 प्रतिशत) में पंजीकरण विलम्ब से निर्गत किये गये थे। इनमें से 65 प्रकरण वे भी सम्मिलित थे जिनमें 30 दिन से अधिक का विलम्ब हुआ था। विलम्ब से पंजीकरण निर्गत किये जाने की अधिकतम संख्या सीतापुर, आगरा एवं लखीमपुर खीरी में थी।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि पर्यवेक्षणीय एवं प्रवर्तन कार्मिकों की कमी के कारण तथा खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण छोटे खाद्य कारोबारकर्ताओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत करने में विलम्ब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पंजीकरण में विलम्ब वर्ष 2015-16 में हुआ था। जबकि इस वर्ष अभिहीत अधिकारियों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संख्या में (84 प्रतिशत अभिहीत अधिकारी 89 प्रतिशत खाद्य सुरक्षा अधिकारी) गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई थी।

3.1.3.4 वैध लाइसेंस/पंजीकरण के बिना खाद्य कारोबार किया जाना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31(1) तथा 31(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी खाद्य कारोबारी लाइसेंस प्राप्त किये अथवा पंजीकरण कराये बिना खाद्य कारोबार आरम्भ तथा जारी नहीं रख सकता।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि विभाग के पास प्रदेश में व्यापार कर रहे कुल खाद्य कारोबारकर्ताओं की संख्या का कोई ऑकड़ा/सूचना

उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार के ऑकड़ों/सूचनाओं के अभाव में प्रदेश में अपंजीकृत/गैर लाइसेंसी कारोबारकर्ताओं की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

यद्यपि नमूना जॉच किये गये 10 चयनित जनपदों में लेखापरीक्षा द्वारा 1250 नमूनों की जॉच की गयी (वर्ष 2011-16 के दौरान 125 नमूने प्रति जनपद) जिन्हें अभिहीत अधिकारियों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं से विश्लेषण हेतु संग्रहीत किये गये थे, में यह पाया गया कि 335 (27 प्रतिशत) खाद्य कारोबारी बिना वैध लाइसेंस (पंजीकरण प्रमाणपत्र) के कारोबार कर रहे थे और 844 (68 प्रतिशत) खाद्य कारोबारियों के पंजीकरण/लाइसेंस के सम्बन्ध में अभिहीत अधिकारियों के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। विस्तृत विवरण सारणी 4 में दिया गया है।

सारणी 4: अपंजीकृत खाद्य कारोबारी तथा ऐसे प्रकरण जिनमें पंजीकरण/लाइसेंस उपलब्ध नहीं था

क्र. सं.	जनपद का नाम	चयनित सैम्पल प्रकरणों की संख्या	अपंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं की संख्या	पंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं की संख्या	खाद्य कारोबारकर्ता जिनका लाईसेंस/पंजीकरण उपलब्ध नहीं था ²
1	आगरा	125	-	-	125
2	बदायूँ	125	70	21	34
3	चन्दौली	125	08	-	117
4	गौतमबुद्ध नगर	125	74	26	25
5	हाथरस	125	70	06	49
6	कानपुर नगर	125	-	-	125
7	लखीमपुर खीरी	125	113	11	01
8	रायबरेली	125	-	07	118
9	सीतापुर	125	-	-	125
10	वाराणसी	125	-	-	125
योग		1,250	335(27)	71 (6)	844 (68)

(चोत: चयनित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि 335 अपंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं में से (परिशिष्ट 3.1.2) 283 (84 प्रतिशत) से संग्रहीत नमूने अधिनियम में दिये गये मानकों की पुष्टि नहीं करते थे।

इस प्रकार से इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विभाग की अत्यन्त शिथिलता थी, परिणाम स्वरूप अधिकांश कारोबारी बिना रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस के कारोबार कर रहे थे। खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा स्वच्छता की स्थिति प्रदेश में खराब थी और लोगों के स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया तथा बताया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

शीरा हेतु वैध लाइसेंस के बिना खाद्य व्यापार किया जाना

‘खाद्य कोड एवं नाम’ की धारा 11.3 की सारणी 2 में शीरा खाद्य वस्तु के रूप में परिभाषित है। अग्रेतर धारा 26(2)(iii) के अनुसार कोई भी खाद्य कारोबारी स्वयं या उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कोई भी खाद्य सामग्री जिसके लिए लाइसेंस वांछित है का निर्माण, भण्डारण, बिक्री अथवा वितरण नहीं कर सकता।

² बदायूँ 25: चन्दौली 08: हाथरस 68: गौतमबुद्ध नगर 69: एवं लखीमपुर खीरी 113 प्रकरण।

चयनित जनपदों के अभिहीत अधिकारियों के वर्ष 2011-16 के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो जनपदों (सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी) में 9 चीनी मिलों, जो कि चीनी उत्पादन के लिए केन्द्रीय लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त लाइसेंस धारक थी, के द्वारा बिना लाइसेंस के शीरे का भण्डारण तथा बिक्री की जा रही थी (**परिशिष्ट 3.1.3**)

अधिनियम के अनुसार प्रवर्तन कार्य हेतु जनपद के अभिहीत अधिकारी जिम्मेदार थे परन्तु उन्होंने दोषी कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं किये।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

3.1.3.5 खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत न किया जाना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के नियम 2.1.13(1) में यह प्रावधानित है कि लाइसेंस प्राप्त विनिर्माता खाद्य कारोबारी प्रतिवर्ष 31 मई से पहले उस वर्ष के दौरान लेन-देनों को दर्शाते हुए ब्योरा प्रस्तुत करे और जिन प्रकरणों में कारोबारकर्ताओं द्वारा वार्षिक विवरण जमा करने में विलम्ब हुआ हो उन पर ₹ 100 प्रतिदिन की दर से जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।

नमूना जाँच के 09 जनपदों के अभिलेखों में पाया गया कि मई 2012 से मई 2015 के दौरान सभी खाद्य वस्तुओं के विनिर्माताओं द्वारा अपने वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये थे। यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में न तो कोई गम्भीर प्रयास किया गया और न ही दोषी कारोबारकर्ता पर कोई दण्ड अधिरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त चयनित जनपदों के अभिहीत अधिकारियों द्वारा वर्ष 2011-16 के मध्य निर्माणकर्ता लाइसेंसधारियों के वार्षिक रिटर्न से सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि विनिर्माता खाद्य कारोबारकर्ताओं को वार्षिक रिटर्न जमा करने तथा दोषी कारोबारियों के विरुद्ध दण्ड अधिरोपण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

3.1.3.6 लाभार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान संज्ञानित तथ्य

लेखापरीक्षा दल तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ तीन जिलों रायबरेली, आगरा, तथा वाराणसी में 27 खाद्य कारोबारियों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाये गये:

जैसा कि कहा गया है कि खाद्य कारोबारकर्ताओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पूर्व निरीक्षण सम्बन्धी सूचना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी, लेखापरीक्षा रैण्डम रूप से सात छोटे कारोबारकर्ताओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया कारोबारकर्ताओं के पंजीकरण प्रमाण पत्र में यह पाया गया कि उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र बिना कारोबार स्थल की शुद्धता एवं स्वच्छता के विषय में आश्वस्त हुए निर्गत किये गये थे।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार लाइसेंस और पंजीकरण) नियमन, 2011 के नियम 2.1.4(6) के प्रावधान के अनुसार लाइसेंस की सत्य प्रतिलिपि को व्यापार स्थल के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यद्यपि, लाभार्थी सर्वेक्षण में पाया गया कि 27 में से 7 खाद्य कारोबारकर्ताओं के कारोबार स्थल के किसी भी स्थान पर लाइसेंस की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्शित नहीं की गयी थी।

छोटे कारोबारियों के सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-16 के दौरान उनके द्वारा बिक्री किये जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के

लिए 27 में से 9 कारोबारियों के खाद्य वस्तुओं के नमूने विश्लेषण के लिए संग्रहीत नहीं किये गये थे जिनमें उन जनपदों के पांच प्रतिष्ठित कारोबारी भी सम्मिलित थे।

3.1.4 निरीक्षण तथा नमूना संग्रहण

3.1.4.1 सावधिक निरीक्षण न किया जाना

खाद्य सुरक्षा मानक विनियम 2011 के नियम 2.1.1 के उपनियम–6 में यह प्रावधान किया गया है कि पंजीकरण प्राधिकारी अथवा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अधिकृत संस्था पंजीकृत प्रतिष्ठानों का वर्ष में कम से कम एक बार खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा हेतु निरीक्षण करेंगे। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अभिहीत अधिकारियों द्वारा आवश्यक संख्या में निरीक्षण नहीं किये गये थे। पंजीकृत छोटे कारोबारकर्ताओं के निरीक्षण में 23 से 27 प्रतिशत की कमी वर्ष 2012-16 के दौरान थी। इसी प्रकार लाईसेंस प्राप्त खाद्य कारोबार कर्ताओं के विषय में वर्ष 2011-16 के दौरान प्रदेश में अभिहीत अधिकारियों द्वारा 14 से 24 प्रतिशत कारोबारियों का खाद्य सुरक्षा के लिए निर्धारित निरीक्षण मानक के अनुसार नहीं किया गया था। खाद्य कारोबारकर्ताओं का आवधिक निरीक्षण न किये जाने का विवरण सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5: खाद्य कारोबारकर्ताओं का आवधिक निरीक्षण न किया जाना

वर्ष	छोटे कारोबारकर्ता जिनका आवधिक निरीक्षण नहीं हुआ					लाईसेंस धारक कारोबारकर्ता जिनका आवधिक निरीक्षण नहीं हुआ					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	पंजीकृत	निरीक्षित	अनिरीक्षित	प्रतिशत (अनिरीक्षित)	लाईसेंस धारक	निरीक्षित	अनिरीक्षित	प्रतिशत (अनिरीक्षित)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
2011-12	45,961	45,961	0	0	11,245	11,152	93	1											
2012-13	87,721	67,204	20,517	23	13,835	11,894	1,941	14											
2013-14	1,36,815	1,04,820	31,995	23	13,419	11,025	2,394	18											
2014-15	1,68,260	1,28,071	40,189	24	18,413	13,912	4,501	24											
2015-16	1,24,100	90,501	33,599	27	19,544	15,426	4,118	21											

(स्रोत: आयुक्त खाद्य सुरक्षा, लखनऊ)

चयनित जनपदों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि खाद्य सुरक्षा और मानक के निर्धारित मानदण्डों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 49 से 81 प्रतिशत पंजीकृत कारोबारकर्ताओं का निरीक्षण वर्ष 2012-16 के दौरान नहीं किया गया था। (**परिशिष्ट 3.1.4**)। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि अभिहीत अधिकारी द्वारा लाईसेंसधारी खाद्य कारोबारियों के निरीक्षण में 31 से 52 प्रतिशत तक की कमी थी (**परिशिष्ट 3.1.4**)।

इस प्रकार विभाग में पर्याप्त कार्मिकों की कमी के कारण अधिकांश कारोबारकर्ताओं के खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता, तथा स्वच्छता की स्थिति का आवश्यक निरीक्षण सुनिश्चित करने में विभाग असफल रहा।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि निरीक्षण अधिकारियों की कमी के कारण मानक के अनुसार निरीक्षण नहीं किया जा सका। आगे यह भी बताया कि कर्मचारियों की स्थिति में वर्तमान में सुधार किया गया है और मानक के अनुसार निरीक्षण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.1.4.2 खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपर्याप्त नमूना संग्रहण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 38(1)(क) में यह प्रावधान किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी किसी ऐसे खाद्य या किसी खाद्य पदार्थ का नमूना ले सकेंगे जो इन्हें मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु आशयित प्रतीत होता है या विक्रय किया गया है या ऐसे किसी खाद्य पदार्थ या वस्तु का नमूना ले सकेंगे जो इन्हें किसी ऐसे परिसर में मिलता है जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाये गये विनियमों या किये गये आदेशों के अधीन कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में आवश्यकता पड़ सकती है।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नमूना संग्रहण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की स्वेच्छा से रैण्डम रूप से एकत्रित किये गये थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उद्देश्यात्मक, पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा खाद्य वस्तु की गुणवत्ता जाँच हेतु नमूना संग्रहण के लिए कोई मानदण्ड, अवधि एवं लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। वर्ष 2012-16 के दौरान संग्रहीत नमूनों का विस्तृत विवरण सारणी 6 में दिया गया है।

सारणी 6: वर्ष 2012-16 में राज्य में नमूना एकत्र का विवरण

वर्ष	खाद्य कारोबारकर्ताओं की संख्या			कुल संग्रहीत नमूना	प्रतिशत कालम 5 का 4 से
	पंजीकृत	लाइसेंस धारक	योग		
1	2	3	4	5	6
2012-13 ³	87,721	13,835	1,01,556	11,712	12
2013-14	1,36,815	13,419	1,50,234	11,579	8
2014-15	1,68,260	18,413	1,86,673	14,295	8
2015-16	1,24,100	19,544	1,43,644	17,821	12

(चोत: आयुक्त खाद्य सुरक्षा, लखनऊ)

जैसा कि उपरोक्त सारणी में यह देखा जा सकता है कि राज्य में केवल 8 से 12 प्रतिशत नमूने (एक से अधिक नमूने एक कारोबारी से संग्रहीत) प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष राज्य में व्यवसाय कर रहे खाद्य कारोबारियों से संग्रहीत किये गये थे।

10 चयनित जनपदों में वर्ष 2012-16 के दौरान पंजीकृत/लाईसेंसधारी कारोबारियों की कुल संख्या में से 6 से 13 प्रतिशत नमूने संग्रहीत किये गये थे (परिशिष्ट 3.1.5)। इस प्रकार उद्देश्य, मानदण्ड एवं लक्ष्य निर्धारित किये बिना गुणवत्ता जाँच हेतु नमूना संग्रहण यह प्रदर्शित करता है कि नमूने के चयन की प्रणाली पारदर्शी नहीं थी और खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के बारे में पर्याप्त आश्वासन नहीं था जो कि आम जनता के लिए बनायी अथवा उसकी बिक्री की जा रही थी।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया।

संस्तुति: प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत खाद्य वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी के नमूना संग्रहण के लिए विभाग को पारदर्शिता से लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिससे कि राज्य में विक्रय किये जाने वाले निर्मित खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा के विषय में पर्याप्त आश्वासन मिल सके।

³ विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 नमूना एकत्र विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

केन्द्रीय लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ताओं का अपर्याप्त निरीक्षण

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आदेशानुसार केन्द्रीय लाइसेंस प्राप्त इकाइयों के सम्पूर्ण प्रवर्तन की कार्यवाही का उत्तरदायित्व अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य सरकार की है।

अभिहीत अधिकारी हाथरस के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 22 केन्द्रीय लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारकर्ताओं में से मात्र दो लाइसेंसधारकों के खाद्य वस्तुओं के नमूनों का संग्रहण वर्ष 2011-16 के दौरान किया गया था। यह भी देखा गया कि एक प्रतिष्ठित ब्रान्ड इकाई “किनले” जो कि बोतलबन्द पानी का विनिर्माण कर रही थी, से भी गुणवत्ता जाँच के लिए नमूने संग्रहीत नहीं किये गये थे।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि केन्द्रीय लाइसेंसधारियों के नियमित निरीक्षण के लिए निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3.1.4.3 नमूना एकत्र करने हेतु धनावंटन न किया जाना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 38(3) के प्रावधान के अनुसार नमूना एकत्रित करने का मूल्य जहाँ से कोई नमूना संग्रहीत किया जाता है वहाँ उस वस्तु की विक्रीत दर से आकलित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को नमूना मूल्य का भुगतान किया जायेगा।

नमूना जाँच में चयनित अभिहीत अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि खाद्य वस्तुओं के गुणवत्ता जाँच के लिए संग्रहीत नमूनों की लागत का भुगतान करने के लिए वर्ष 2011-16 में कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था। अग्रेतर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संग्रहीत किये गये नमूनों की संख्या एवं दर से सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था।

इस प्रकार संग्रहीत नमूनों की लागत (यदि भुगतान की गयी हो) का अनुमान सम्प्रेक्षा में नहीं किया जा सका।

शासन ने उत्तर में कहा कि संग्रहीत नमूनों की लागत हेतु भुगतान सम्बन्धी पंजिका के रख-रखाव के निर्देश जारी किये गये हैं।

3.1.4.4 नमूना विश्लेषण के लिए कम शुल्क की वसूली

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (प्रयोगशाला एवं नमूना विश्लेषण) नियमन 2011 के अध्याय 2 पैरा 2.3.1 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि नमूना जाँच हेतु दिनांक 5 अगस्त 2011 से जाँच शुल्क ₹ 1,000 प्रति नमूना देय होगा।

नमूना जाँच में चयनित तीन प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निर्धारित शुल्क ₹ 1,000 प्रति नमूना के स्थान पर अगस्त 2011 से दिसम्बर 2014 की अवधि में रेलवे से ₹ 100 प्रति नमूना तथा अन्य सरकारी एवं निजी पार्टियों से ₹ 200 प्रति नमूना का शुल्क लिया गया था। इस प्रकार से प्रयोगशाला आगरा, लखनऊ एवं वाराणसी प्रयोगशालाओं द्वारा रेलवे तथा निजी पार्टियों (**परिशिष्ट 3.1.6**) से ₹ 0.12 करोड़ का कम शुल्क वसूल किया गया था। शासन ने कहा कि जांचोपरान्त जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3.1.5 मानव संसाधन तथा बुनियादी अवसंरचना

3.1.5.1 मुख्य संवर्ग में मानव संसाधन की कमी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्त अपने आदेश द्वारा अभिहीत अधिकारी की नियुक्ति करेगे, जो कि उपखण्डीय मजिस्ट्रेट के पद से नीचे के नहीं होगें और जो लाइसेंस प्रदान अथवा निरस्त करने की शक्तियाँ रखेगे और खाद्य कारोबारी के यहाँ निरीक्षण करने का आदेश देगे।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मुख्य संवर्ग में अभिहीत अधिकारियों, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अत्यधिक कमी थी। वर्ष 2011-16 के दौरान संवर्गावार स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों की स्थिति का विस्तृत विवरण सारिणी 7 में दिया गया है।

सारणी 7: स्वीकृत पदों और कार्यरत पदों का पदवार विवरण

वर्ष	अभिहीत अधिकारी			मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी			खाद्य सुरक्षा अधिकारी		
	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी (प्रतिशत)
2011-12	75	0	75 (100)	78	58	20 (26)	662	287	375(57)
2012-13	75	0	75 (100)	78	58	20 (26)	662	287	375(57)
2013-14	75	0	75 (100)	78	58	20 (26)	662	287	375(57)
2014-15	75	38	37 (50)	78	78	00 (00)	662	229	433(65)
2015-16	75	70	05 (07)	78	65	13 (17)	662	431	231(35)

(स्रोत: आयुक्त खाद्य सुरक्षा, लखनऊ)

अवधि 2011-15 के दौरान अभिहीत अधिकारी के संवर्ग में 50 से 100 प्रतिशत तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी संवर्ग में 57 से 65 प्रतिशत की कमी थी। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अभिहीत अधिकारियों तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की उपलब्धता में सुधार हुआ, परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी संवर्ग में अत्यधिक कमी बनी रही।

मुख्य संवर्ग के कमियों के कारण प्रवर्तन गतिविधियाँ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई जैसा कि पैरा 3.1.3.1 से 3.1.3.3 तथा 3.1.4.2 में वर्णित है। शासन ने सम्प्रेक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।

3.1.5.2 राज्य प्रयोगशालाओं में तकनीकी कार्मिकों की कमी

वर्ष 2011-16 के दौरान 6 प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अधिकारी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी तथा खाद्य विश्लेषक के अधिकांश स्वीकृत पद रिक्त थे। विस्तृत विवरण सारिणी 8 में दिया गया है।

सारणी 8: 2011-16 की अवधि में तकनीकी कार्मिकों के लिए स्वीकृत पद और कार्यरत पदों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी (प्रतिशत में)
1	संयुक्त आयुक्त	01	00	01 (100)
2	वैज्ञानिक अधिकारी-I	07	00	07 (100)
3	वैज्ञानिक अधिकारी-II	07	01	06 (86)
4	सूक्ष्म जीव विज्ञान	06	00	06 (100)
5	वरिष्ठ विश्लेषक (खाद्य)	19	07	12 (63)
6	लैब टेक्नीशियन	18	04	14 (78)

(स्रोत: राज्य प्रयोगशाला, लखनऊ)

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि:

वर्ष 2011-16 के मध्य 14 वैज्ञानिक (ग्रेड-I तथा ग्रेड-II) के स्वीकृत पदों के सापेक्ष मात्र एक वैज्ञानिक कार्यरत थे जो 6 प्रयोगशालाओं का कार्य देख रहे थे।

सूक्ष्म जीव विज्ञान के 6 स्वीकृत पदों के सापेक्ष कोई तैनाती नहीं थी।

वर्ष 2011-16 के मध्य वरिष्ठ खाद्य विश्लेषक के 63 प्रतिशत और प्रयोगशाला सहायक के 78 प्रतिशत स्वीकृत पद रिक्त थे।

तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण समय से नमूनों को विश्लेषित कर परीक्षण प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने का कार्य प्रभावित हुआ था।

शासन ने उत्तर में कहा है कि प्रयोगशालाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए सेवा विनियम तैयार किये जा रहे हैं। जो यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के क्रियान्वयन के पाँच वर्ष के उपरान्त भी आवश्यक विनियम नहीं बनाये गये।

3.1.5.3 राज्य प्रयोगशाला में उपकरणों की अनुपलब्धता

राज्य प्रयोगशाला लखनऊ की विशेषज्ञ समिति जिसमें जन विश्लेषक, शासकीय विश्लेषक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट सम्मिलित थे, नवम्बर 2012 में अनुशंसा की थी कि प्रयोगशालाओं में खाद्य सामग्रियों⁴ के विश्लेषण के समुचित कार्य हेतु उपकरणों की आवश्यकता है।

राज्य प्रयोगशाला आगरा के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि आवश्यक उपकरणों की कमी के कारण दूध पाउडर एवं आइसक्रीम में प्रोटीन सामग्री और घुलनशील पदार्थों का परीक्षण, रंगीन खाद्य पदार्थों में रंग परीक्षण, दूध में यूरिया का परीक्षण, खाद्य तेलों एवं मसालों में वाष्पशील तेल का परीक्षण, खाद्य तेल एवं वसा में असावुनीकरण पदार्थ का परीक्षण तथा पीने योग्य पानी, पेय पदार्थ एवं सभी खाद्य पदार्थों में भारी धातुओं का परीक्षण नहीं किया जा रहा था। राज्य प्रयोगशाला आगरा में उपकरणों की अनुपलब्धता का विवरण सारणी 9 में दिया गया है:

सारणी 9: प्रयोगशाला में अनुपलब्ध उपकरणों का विवरण

क्र. सं.	उपकरण का नाम	प्रयोग	मानक जिनकी जाँच नहीं की जा सकी
1	डिजीटल सेन्ट्रीफ्यूज मशीन	तरल खाद्य वस्तुओं में घुलनशीलता की जाँच करने के लिए	घुलनशीलता
2	यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	खाद्य वस्तुओं में रंग सामग्री और यूरिया सामग्री की जाँच करने के लिए	यूरिया सामग्री की जाँच
3	एटामिक एक्सार्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	खाद्य वस्तुओं, पानी और पेय पदार्थ में भारी धातु की जाँच करने के लिए	तत्वों की मात्रा
4	हाई परफारमेन्स लिकिचड क्रोमैटोग्राफ	खाद्य वस्तुओं, पानी और पेय पदार्थ में भारी धातु की जाँच करने के लिए	कार्बनिक यौगिकों की मात्रा की पहचान हेतु
5	डाइजेस्ट यूनिट चैम्बर	दूध और आइसक्रीम में प्रोटीन की मात्रा की जाँच करने के लिए	प्रोटीन की मात्रा
6	डीन स्टार्क अप्रैटस	चाय और खाद्य वस्तुओं में नमी की मात्रा की जाँच करने के लिए	नमी की मात्रा
7	आल माइक्रोबायोलाजिकल इस्ट्रूमेण्ट्स	सभी माइक्रोबायोलाजिकल परीक्षण के लिए	माइक्रोबायोलाजिकल परीक्षण

(स्रोत: खाद्य विश्लेषक, आगरा)

⁴ (i) तरल खाद्य वस्तुओं में घुलनशीलता की जाँच करने के लिए डिजीटल सेन्ट्रीफ्यूज मशीन (ii) यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर खाद्य वस्तुओं में रंग सामग्री और यूरिया सामग्री की जाँच करने के लिए (iii) एटामिक एक्सार्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर खाद्य वस्तुओं, पानी और पेय पदार्थ पीने में भारी धातु की जाँच करने के लिए (iv) डाइजेस्ट यूनिट चैम्बर दूध और आइसक्रीम में प्रोटीन की मात्रा की जाँच करने के लिए (v) डीन स्टार्क अप्रैटस चाय और खाद्य वस्तुओं में नमी की मात्रा की जाँच करने के लिए (vi) आल माइक्रोबायोलाजिकल इस्ट्रूमेण्ट्स सभी माइक्रोबायोलाजिकल परीक्षण के लिए।

राज्य प्रयोगशाला, आगरा जिसके अन्तर्गत चित्रकूट, फैजाबाद, गोरखपुर, झाँसी और मेरठ जनपद आच्छादित थे, में इस प्रकार आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण आम जनता द्वारा सामान्य रूप से उपभोग किये जाने वाले खाद्य पदार्थों में प्रदूषित और खतरनाक पदार्थों के प्रयुक्त होने की जाँच नहीं की गयी थी।

अभिलेखों की अग्रेतर जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये 500 नमूनों की जाँच प्रतिवेदन में से 81 जाँच प्रतिवेदन (दाल के 19 प्रकरण, चाय के 7 प्रकरण सरसों के तेल के 40 प्रकरण, बोतल बंद पेयजल के 05 प्रकरण और 10 सेमी कार्बोनेटेड वाटर) में विनियम में प्रावधानित आवश्यक मानकों की जाँच नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोतल बंद पेयजल के 51 निर्धारित मानकों में से तीन, दाल के 8 निर्धारित मानकों में से 5 सरसों के तेल के लिए 13 निर्धारित मानकों में से 6 से 7 चाय के लिए 7 निर्धारित मानकों में से 2 सेमी कार्बोनेटेड वाटर के लिए 17 निर्धारित मानकों में से केवल एक का ही विश्लेषण किया गया परन्तु जाँच आख्या में इन खाद्य पदार्थों को उपभोग हेतु सुरक्षित घोषित किया गया था।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि वाराणसी एवं लखनऊ की प्रयोगशालाओं में खाद्य पदार्थों की जाँच में सूक्ष्म जीव विज्ञानी परीक्षण, भारी धातु एवं कीटनाशी जाँच हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। उपकरणों की कमी का विवरण **परिशिष्ट 3.1.7** में दिया गया है।

चूंकि प्रयोगशालाओं में निर्धारित मानकों की जाँच नहीं की जा सकी। जिससे सामान्य जन-मानस में अधोमानक/असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

शासन द्वारा उपकरणों के न उपलब्ध होने के सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। अनौचित्यपूर्ण नमूनों के जाँच के सम्बन्ध में शासन ने कहा कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला लखनऊ एवं आगरा में उपकरणों एवं रसायनों की उपलब्धता के आधार पर नमूनों की जाँच की गयी थी तथा परिणाम घोषित किया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में निर्धारित समस्त मानकों की जाँच के बिना परिणाम घोषित किया गया था। इस प्रकार, ऐसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जिनके नमूने लेकर विश्लेषण करते हुए उपभोग हेतु सुरक्षित घोषित किया गया, के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं था।

3.1.5.4 बुनियादी ढाँचे में उच्चीकरण हेतु वित्तीय संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग

वर्ष 2012-16 की अवधि में जिला स्तर पर कार्यालयों और राज्य प्रयोगशालाओं के निर्माण एवं उच्चीकरण हेतु कुल धनराशि ₹ 34.70 करोड़ का आवंटन किया गया था जैसा कि सारणी 10 में दिया गया है :

सारणी 10: आवंटन, व्यय और समर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	आवंटन	व्यय	समर्पण (प्रतिशत)
2012-13	प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण	13.26	0.00	13.26 (100)
2013-14	निर्माण कार्य	1.94	1.94	0.00 (0)
	मशीनरी/उपकरण	0.16	0.00	0.16 (100)
2014-15	निर्माण कार्य	2.98	2.57	0.41 (14)
	मशीनरी/उपकरण	3.53	0.83	2.70 (76)
2015-16	निर्माण कार्य	9.16	9.16	0.00 (0)
	मशीनरी/उपकरण	3.67	0.00	3.67 (100)
	योग	34.70	14.50	20.20 (58)

(स्रोत: आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, लखनऊ)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल ₹ 14.50 करोड़ (42 प्रतिशत) धनराशि का ही उपयोग किया गया था तथा मशीनरी/उपकरण के लिए आवंटित धनराशि का एक बड़ा हिस्सा (76 से 100 प्रतिशत) समर्पित कर दिया गया था। समर्पण का मुख्य कारण आयुक्त, खाद्य सुरक्षा द्वारा मशीनरी एवं उपकरण के क्रय हेतु निविदा को अन्तिम रूप न दिया जाना था।

जैसा कि पैरा 3.1.5.3 में वर्णित है कि आगरा, वाराणसी एवं लखनऊ प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरणों की भारी कमी थी तथा धन की उपलब्धता के बावजूद भी उनकी व्यवस्था नहीं की गयी थी।

अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि 6 चयनित जिलों में खाद्य सुरक्षा प्रकोष्ठ एक छोटे से कमरे/हाल में क्रियाशील थे एवं धन की उपलब्धता के बावजूद इन प्रकोष्ठों में बुनियादी ढाँचा जैसे, कुर्सी, कम्प्यूटर और नमूने रखने हेतु भण्डारण सुविधा आदि की कमी थी जो यह दर्शाता है कि खाद्य सुरक्षा प्रकोष्ठों को बुनियादी ढाँचे में सुधार हेतु यथार्थवादी व्यापक योजना बनाने में लापरवाही की गयी थी।

शासन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि निविदायें कई बार आमंत्रित की गयी परन्तु सफल निविदायें प्राप्त न होने के कारण मशीनरी व उपकरणों का क्रय उक्त अवधि के दौरान नहीं किया गया था। वास्तविकता यह है कि निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु धन का उपयोग नहीं किया गया जिसके कारण आवश्यक बुनियादी संरचना नहीं बनायी जा सकी थी।

संस्कृति: विभाग को पूँजीगत कार्य और आवंटित धनराशि के व्यय की प्रगति का अनुश्रवण सूक्ष्मता से करना चाहिए ताकि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ढाँचागत विकास के लिए आवंटित धनराशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

3.1.6 खाद्य विश्लेषण

3.1.6.1 गैर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 43(1) के प्रावधान के अनुसार खाद्य प्राधिकारी उन खाद्य प्रयोगशालाओं तथा शोध संस्थाओं को विश्लेषण हेतु अधिसूचित कर सकते हैं, जो कि नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एन0ए०बी०एल0) से मान्यता प्राप्त हो अथवा अन्य दूसरी मान्यता प्राप्त संस्था जो इस अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य विश्लेषण हेतु मान्य हो।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य में जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गये नमूनों की जाँच हेतु छ: प्रयोगशालाएँ कार्यशील थी परन्तु इन छ: प्रयोगशालाओं में से 5 राज्य प्रयोगशालाएँ (आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और झाँसी) एन0ए०बी०एल0 या दूसरी एजेन्सियों से मान्यता प्राप्त नहीं थी, और राज्य प्रयोगशाला, झाँसी तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ0एस0एस0आई0) से मान्यता प्राप्त नहीं थी, यद्यपि, वर्ष 2015-16 में 517 नमूने आगरा, अलीगढ़, झाँसी और चित्रकूट में झाँसी प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु प्रेषित किये गये थे।

इस प्रकार किसी विवाद की स्थिति में एन0ए०बी०एल0 की विधिक मान्यता के अभाव में इन प्रयोगशालाओं की जाँच रिपोर्ट को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं हो सकते हैं और प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु किया गया पूरा प्रयास व्यर्थ हो सकता है। शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि राज्य प्रयोगशालाओं की मान्यता एन0ए०बी०एल0 से प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है, और जल्द ही प्राप्त कर लिया जायेगा।

संस्तुति: विभाग को सभी आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करना चाहिए जिससे राज्य प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हो जाय और खाद्य पदार्थों के जाँच हेतु प्रयोगशालाओं में सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हो जाय।

3.1.6.2 प्रयोगशालाओं से नमूना जाँच आख्या प्राप्त न होना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2.4.2.5 के अनुसार विश्लेषण प्रतिवेदन खाद्य विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और विश्लेषक नमूना प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर प्रतिवेदन तैयार कर प्रेषित करेंगे। यदि किसी मामले में नमूना प्राप्ति के 14 दिन के भीतर जाँच प्रतिवेदन तैयार नहीं की जा सके तो खाद्य विश्लेषक कारण और जाँच हेतु लगने वाले अतिरिक्त समय के साथ अभिहीत अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सूचित करेंगे।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नमूना जाँच के जनपदों से राज्य प्रयोगशालाओं को प्रेषित किये गये 463 नमूनों के जाँच प्रतिवेदन 14 दिन के भीतर नहीं प्राप्त हुए थे। 14 दिनों की निर्धारित अवधि के स्थान पर 03 माह से 04 वर्षों का विलम्ब था। जाँच में लगने वाले सम्भवित समय एवं विलम्ब के कारणों का अभिलेखीकरण नहीं था। वर्षवार लम्बित जाँच प्रतिवेदन का विवरण सारणी 11 में दिया गया है:

सारणी 11: कुल लम्बित जाँच आख्या

क्र. सं.	जनपद का नाम	कुल अप्राप्त रिपोर्ट				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	आगरा	0	0	0	94	94
2	बदायूँ	0	1	12	34	47
3	चन्दौली	0	0	0	15	15
4	गौतमबुद्ध नगर	6	1	29	66	102
5	कानपुर नगर	0	0	13	108	121
6	लखीमपुर खीरी	1	6	8	02	17
7	रायबरेली	0	0	0	25	25
8	सीतापुर	0	0	08	28	36
9	वाराणसी	0	0	04	02	06
योग		7	8	74	374	463

(स्रोत: चयनित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

अग्रेत्तर नियम में व्यवस्था है कि खाद्य कारोबारी के मामले में जिनके नमूने लिए गये थे या जिनका नाम, पता और अन्य विवरण नियम 2.5 के अन्तर्गत प्रदर्शित कर दिया गया हो, वह अभिहीत अधिकारी को सूचित करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी से लिखित रूप में अनुरोध करेगा कि उसके नमूने की जाँच किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में करायी जाय। मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को नमूने की जाँच 14 दिन के अन्दर करनी होगी।

अभिहीत अधिकारी आगरा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जनवरी 2016 से मार्च 2016 की अवधि में 09 नमूने जाँच हेतु कोलकाता प्रयोगशाला (एनएबीएल) को प्रेषित किया गया था परन्तु जून 2016 तक 97 से 172 दिन बीत जाने के बावजूद न तो जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ और न ही विलम्ब का कोई कारण प्रयोगशाला द्वारा सूचित किया गया था (**परिशिष्ट 3.1.8**)।

इस प्रकार तीन महीने से अधिक समय के बाद जाँच प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण सम्भाव्य दोषी कारोबारियों के खिलाफ मामलों को न्यायालय में आरम्भ नहीं किया जा

सका। ऐसे दोषी सम्भाव्य कारोबारी अपने खाद्य पदार्थों के मिलावटी, असुरक्षित एवं घटिया होने के बावजूद बिक्री जारी रखे थे।

शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि कार्मिकों की कमी के कारण जॉच प्रतिवेदन समय से विश्लेषित नहीं किया जा सका। शासन ने आगे कहा कि प्रयोगशाला कर्मचारियों के सेवा विनियमन तैयार करने की प्रक्रिया जारी है फिर भी वास्तविकता यह थी कि तीन माह से चार वर्ष के विलम्ब के बाद भी प्रयोगशालाओं में प्राप्त नमूनों की जॉच नहीं की गयी थी।

संस्तुति: अयुक्त खाद्य सुरक्षा को तकनीकी कार्मिकों और उपकरणों की कमी की समस्या को सन्दर्भित करते हुए अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर नमूनों की जॉच रिपोर्ट की प्राप्ति सुनिश्चित करना चाहिए।

3.1.7 अधिनिर्णय

प्रयोगशाला की जॉच में मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामलों को न्याय–निर्णय अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाना चाहिए जो कि उस जिले के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट से कम स्तर का नहीं होना चाहिए। जहाँ इस प्रकार का अपराध आरोपित है, यदि न्याय–निर्णय अधिकारी संतुष्ट हो कि कारोबारकर्ता/व्यक्ति ने अधिनियम या नियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो वह उस अपराध से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार ऐसा दण्ड लगा सकते हैं, जो वह उचित समझे।

3.1.7.1 खाद्य पदार्थों के मानकों की पुष्टि न करने वाले प्रकरणों में अधिनिर्णय

खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के प्रस्तर 3.1.1(9) में प्रावधान है कि न्याय–निर्णय अधिकारी पहली सुनवाई की तारीख से 90 दिन के भीतर अन्तिम आदेश पारित करेगा।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि न्याय निर्णय अधिकारी के न्यायालयों में अगस्त 2011 से मार्च 2016 के मध्य कुल 2687 मामले जो पहली सुनवाई की तारीख से 90 दिन से अधिक समय से लम्बित थे। जून 2016 तक के लम्बित मामलों का वर्षवार विवरण सारिणी 12 में दिया गया है:

सारणी 12: अधिनिर्णय के लिए लम्बित मामलों का विवरण (राज्य में)

वर्ष	नये प्रकरणों/ पंजीकृत की संख्या	ऐसे प्रकरण जिनकी प्रथम सुनवाई हो चुकी है	ऐसे प्रकरण जिनकी प्रथम सुनवाई से 90 दिन होने के उपरान्त अनिर्णीत हैं
1	2	3	4
2011-12	1,127	593	229
2012-13	1,776	1,019	473
2013-14	2,271	1,339	543
2014-15	2,862	5,984	332
2015-16	4,603	2,390	1,110
योग	12,639	11,325	2,687

(स्रोत: आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, लखनऊ)

वर्ष 2011-16 की अवधि तक 12639 मामले पंजीकृत किये गये थे जिसमें से 11325 मामलों की पहली सुनवाई की गयी थी, इन्हीं मामलों में 2687 मामले (24 प्रतिशत)

पहली सुनवाई की तारीख से 90 दिन की निर्धारित समय-सीमा व्यतीत होने के उपरान्त भी लम्बित थे।

अग्रेत्तर 10 चयनित जनपदों में 1678 मामले न्याय निर्णय अधिकारी के न्यायालयों में 90 दिन की निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद अन्तिम आदेश न होने के कारण लम्बित थे। उक्त लम्बित मामलों में प्रतिष्ठित कारोबारी जैसे याहू नूडल्स, क्लासिक मसाला (सन फीस्ट), अमूल दूध, गगन वनस्पति एवं नेस्ले उत्पाद आदि शामिल थे। अधिनिर्णय के लिये लम्बित प्रकरणों का वर्षवार विवरण सारणी 13 में दिया गया है:

सारणी 13: अधिनिर्णय के लिए लम्बित मामलों का विवरण

क्र. सं.	जनपद का नाम	अनिर्णीत प्रकरण					कुल अनिर्णीत प्रकरण
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
1	आगरा	-	-	-	22	28	50
2	बदायूँ	20	23	20	34	70	167
3	चन्दौली	16	08	17	21	58	120
4	गौतमबुद्ध नगर	7	8	56	114	197	382
5	हाथरस	5	6	6	5	108	130
6	कानपुर नगर	-	-	-	-	176	176
7	लखीमपुर खीरी	26	68	105	87	131	417
8	रायबरेली	-	-	-	-	45	45
9	सीतापुर	27	16	11	14	51	119
10	वाराणसी	30	7	15	18	2	72
योग		131	136	230	315	866	1678

(स्रोत: संबंधित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

इस प्रकार 10 चयनित जनपदों में से लखीमपुर खीरी, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर और बदायूँ में सर्वाधिक लम्बित प्रकरण थे।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु विभाग द्वारा समय से कार्यवाही न किये जाने के परिणाम-स्वरूप दो जनपदों में जब्त सामग्री ₹ 60.66 लाख का निस्तारण नहीं किया गया था (परिशिष्ट 3.1.9)।

इस प्रकार प्रकरणों के अधिनिर्णय में विलम्ब के कारण आम जन-मानस द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली अधोमानक खाद्य सामग्री के बिक्री से इन्कार नहीं किया जा सकता।

शासन ने कहा कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा की ओर से समस्त जिला अधिकारियों को लम्बित प्रकरणों के नियमानुसार निपटान हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

संस्तुतियाँ: विभाग को त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनिर्णय अधिकारी समय से आदेश पारित करें तथा सावधिक आख्या प्रस्तुत करायें।

3.1.7.2 जुर्माना प्राप्त न होना

खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 96 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, यदि उसका संदाय नहीं किया जाता है तो उसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति की जायेगी और शास्ति का संदाय होने तक दोषी का लाईसेंस निलम्बित रहेगा।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रदेश में अक्टूबर 2016 तक वर्ष 2011-16 के दौरान अधिरोपित कुल शास्ति ₹ 26.61 करोड़ में से ₹ 15.70 करोड़ की वसूली 7 से 55 महीने तक लम्बित थी। यद्यपि, दोषियों की संख्या जिनसे वसूली की जानी थी, उपलब्ध नहीं करायी गयी।

नौ नमूना चयनित जनपदों में 360 बकायेदारों से ₹ 3.75 करोड़ की बकाया शास्ति जून 2016 तक लम्बित थी जिसका विवरण सारिणी 14 में दिया गया है:

सारणी 14: अप्राप्त शास्तियाँ

क्र. सं.	जनपद का नाम	अप्राप्त शास्ति					प्रकरणों की संख्या	(₹ लाख में) धनराशि
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16		
1	आगरा	0	0	7.50	7.01	12.65	32	27.16
2	बदायूँ	0	4.15	14.55	12.00	4.95	25	35.65
3	चन्दौली	0	0	0	1.26	0.05	04	1.31
4	गौतमबुद्ध नगर	0	10.50	12.50	18.98	211.30	57	253.28
5	कानपुर नगर	1	0.17	5.50	4.30	2.07	16	13.04
6	लखीमपुर खीरी	0	0	0.8	3.58	0.1	25	4.48
7	रायबरेली	0	0.85	1.13	1.76	1.61	40	5.35
8	सीतापुर	0	5.70	4.05	10.13	5.29	82	25.17
9	वाराणसी	0	4.00	0.25	1.85	3.85	79	9.95
	योग	1	25.37	46.28	60.87	241.87	360	375.39

(चोत: संबंधित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

अग्रेत्तर, जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा न तो शास्ति की वसूली के लिए गम्भीर प्रयास किये गये और न ही बकायेदारों के लाइसेंस निलम्बित किये गये थे।

शासन ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3.1.7.3 प्राप्त शास्तियों को शासकीय खाते में रखना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 3.1.2(3) के अनुसार शास्ति की धनराशि क्रास डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित “जनपद के न्याय–निर्णय अधिकारी” के पक्ष में उस स्थान पर संदेय होगी जहाँ न्याय–निर्णय अधिकारी अवस्थित है।

नमूना जाँच किये गये 10 जनपदों में यह प्रकाश में आया कि शास्ति जमा करने के लिए कोई एकरूपता नहीं थी। पाँच जनपदों (आगरा, बदायूँ, चन्दौली, कानपुर नगर तथा वाराणसी) में ₹ 0.91 करोड़ की शास्ति अधिनिर्णय अधिकारियों के बैंक खातों में तथा शेष 5 चयनित जनपदों (गौतमबुद्ध नगर, हाथरस, लखीमपुर खीरी, रायबरेली तथा सीतापुर) में ₹ 0.94 करोड़ सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोषागार में जमा कराया गया था। सरकार ने कहा कि शास्ति की धनराशि को शीघ्र ही विभागीय प्राप्ति मद में जमा कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3.1.8 अनुश्रवण

3.1.8.1 सलाहकार समिति

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार का पंजीकरण एवं लाइसेंस) नियमन 2011 के नियम 2.1.15 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे

पंचायत/जिला/राज्य स्तर जहाँ इस तरह की समिति अस्तित्व में नहीं है में खाद्य सुरक्षा विषयों पर सहायता अथवा सलाह देने हेतु मौजूदा सलाहकार समिति नामित अथवा गठित कर सकती है। नियम में राज्य सलाहकार समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करने की कोई अवधि के मानक का प्रावधान नहीं है।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि राज्य स्तर की सलाहकार समिति का गठन अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष पश्चात् जनवरी 2014 में किया गया तथा जून 2016 तक केवल एक बैठक का आयोजन किया गया था।

अग्रेत्तर दस चयनित जनपदों में सात जनपदों में सलाहकार समिति का गठन किया गया था। अभिलेखों की अग्रेतर जाँच में पाया गया कि पाँच जनपदों जिनमें यद्यपि कि जिला सलाहकार समिति का गठन हो चुका था परन्तु वर्ष 2011-16 तक के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी थी। (**परिशिष्ट 3.1.10**)।

नमूना जाँच किये गये चयनित जनपदों में जिला सलाहकार समिति के गठित न किये जाने तथा जिला सलाहकार समिति को अक्रियाशील रखने के कारण खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की गतिविधियों की प्रभावी ढंग से निगरानी नहीं की जा रही थी। सरकार ने कहा है कि सलाहकार समिति के गठन तथा नियमित बैठक आयोजित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3.1.8.2 शिकायत निवारण तन्त्र

शिकायत निवारण के लिए विभाग ने टोल फ्री नम्बर के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए एक शिकायत निवारण कक्ष बनाया था। शिकायतों को 7 से 10 दिनों के भीतर निस्तारण हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के निर्देश थे।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 29 शिकायतें जो कि वर्ष 2012-16 के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से प्राप्त हुई थीं, पर आयुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण को उसके निपटान की सूचना नहीं प्रेषित की गयी थी। शिकायतों के निपाटन जुलाई 2016 में पाँच से 54 माह तक विलम्बित थे। शासन ने उत्तर में कहा कि 29 शिकायतों में 12 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। शेष 17 शिकायतों के निपटान जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि शिकायतों के निवारण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं सुनिश्चित की गयी।

3.1.8.3 सूचना शिक्षा और संचार

सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया और अन्य प्रकार से शामिल गतिविधियों लाभार्थियों को अधिनियम, नियम और विनियम के आवश्यक तत्वों के बारे में जागरूक बनाने के लिए कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा पर सूचना शिक्षण सामग्री/पुस्तिकाओं/पोस्टर आदि के रूप में खाद्य संचालकों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, रसोई में खाद्य सुरक्षा, सड़कों पर बिकने वाली खाद्य सामग्री का किस प्रकार उपभोग करें क्या करें क्या न करें, लाइसेंस तथा पंजीकरण, खाद्य आयात, दूध व दूध निर्मित खाद्य सामग्री की छाप, बच्चे के लिए खाद्य सुरक्षा तथा विभिन्न हितकारकों के लिए विकसित की जानी थी।

यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने आईईसी गतिविधियों को जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किसी प्रकार का बजट प्रावधान नहीं किया, जिसके कारण विभाग द्वारा पुस्तिकाओं/पोस्टर आदि के लिए मुद्रण कार्य नहीं किये गये, जिससे कि आम जनता के लिए अधिनियम व उसके अधीन बनाये गये उनके अधिकारों व शक्तियों के विषय में जागरूक नहीं किया जा सका।

शासन ने स्वीकार किया कि आई0ई0सी0 गतिविधियों के शिविरों का आयोजन और विभागीय बेवसाइट पर विज्ञापन वर्ष 2015-16 से किये जा रहे हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चयनित जनपदों के अभिहीत अधिकारियों के यहाँ कोई अभिलेख इस प्रकार की गतिविधियों के समर्थन में उपलब्ध नहीं थे।

3.1.8.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा और अभिलेखों का रखरखाव

एक संगठन/संस्था के प्रभावी और कुशल वित्तीय परिचालन सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा समय—समय पर करायी जानी चाहिए और निरीक्षण आख्या विभाग के प्रमुख को उचित कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं चयनित जनपदों के अभिहीत अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2011-15 के दौरान कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी। हमने यह भी देखा कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभिलेखों का उचित रख—रखाव किसी भी चयनित जनपद में नहीं किया जा रहा था:

विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण रजिस्टर,

अभिहीत अधिकारियों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण तथा निरीक्षण आख्याओं की पंजिका,

नमूना संग्रहण डाटा/पंजिका, एवं

राज्य प्रयोगशालाओं की डेड स्टाक पंजिका।

बुनियादी अभिलेखों का रख—रखाव न किया जाना यह संकेत करता है कि विभाग के कार्यशैली में पारदर्शिता और प्रवर्तन कार्यवाही में विभागीय लापरवाही थी।

शासन ने स्वीकार किया कि वर्ष 2011-14 के दौरान कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी। हालांकि यह भी कहा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा वर्ष 2015-16 में दो जनपदों में की गयी थी।

3.1.8.5 FSSAI प्रतीक चिन्ह का प्रदर्शन

खाद्य वस्तुओं की मुख्य पैकिंग पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमन 2011 के अन्तर्गत जून 2013 में खाद्य प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार FSSAI लोगो प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य था।

जिला लखीमपुर खीरी की यात्रा के दौरान लेखा परीक्षा में पाया गया कि सड़क परिवहन बस स्टैण्ड खीरी में 1 लीटर पीने के पानी के बोतल की बिक्री की जा रही थी परन्तु, उस पर निर्धारित FSSAI का प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित नहीं था।



विना एफ0एस0ए0आइ0 लोगों के बोतल बन्द पानी
(चोत: लखीमपुर खीरी बस अडडा)

एफ0एस0ए0आइ0 लोगों के साथ बोतल बन्द पेय पदार्थ

शासन ने स्वीकार किया कि परिवहन नीर का नमूना नहीं लिया गया किन्तु इस हेतु कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। जो यह प्रदर्शित करता है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 को प्रभावी ढंग से लागू करने में शिथिलता की गयी।

3.1.9 निष्कर्ष

प्रदेश में वास्तविक रूप से कारोबार संचालकों की संख्या चिह्नित करने के लिए वर्ष 2011-16 के दौरान विभाग ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया। विभाग ने अधिकांश कारोबारकर्ताओं को बिना परिसर के निरीक्षण किये लाइसेंस प्रदान किये। विभाग ने नमूना संग्रहण हेतु कोई भी मानदण्ड / लक्ष्य/अवधि का निर्धारण नहीं किया था जिससे नमूना संग्रहण पद्धति पारदर्शी नहीं थी और समुचित आश्वासन नहीं प्रदान करती। निविदाओं को अन्तिमीकरण न प्रदान किये जाने से राज्य की प्रयोगशालाओं के उन्नयन में कमी मशीनरी क्रय तथा चयनित जनपदों के बुनियादी संरचना की आवश्यकता के बावजूद वर्ष 2012-16 के दौरान पूँजीगत परिव्यय में आवंटित धनराशि ₹ 20.20 करोड़ (58 प्रतिशत) समर्पित कर दिया गया। राज्य की पाँच प्रयोगशालाएँ एन0ए0बी0एल0 से प्रमाणित नहीं थी तथा आवश्यक उपकरणों की भारी कमी के कारण खाद्य वस्तुओं के सभी निर्धारित परीक्षणों का संचालन करने में सक्षम नहीं थी। चयनित जनपदों में नमूना विश्लेषण आख्याएँ 14 दिवस के मानदण्डों के विपरीत 3 से 48 माह से प्रयोगशालाओं में लम्बित थीं। अधिनिर्णय अधिकारियों द्वारा प्रथम सुनवाई के 90 दिनों के भीतर निर्णय आदेश पारित किये जाने थे परन्तु 2687 (38 प्रतिशत) प्रकरणों में 90 से 1461 दिनों के बाद भी 90 दिनों की निर्धारित सीमा के बावजूद आदेश नहीं पारित किये गये थे।

न्याय विभाग

3.2 अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा

3.2.1 प्रस्तावना

प्रत्येक राज्य में जनपद न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय (लोअर कोर्ट्स), राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं।

भारत सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों को आच्छादित करते हुये न्यायपालिका में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना 1993–94 में प्रारम्भ की गयी। योजना पर हुये व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों में उत्तर–पूर्वी राज्यों¹ के अतिरिक्त अन्य राज्यों में 50:50 के अनुपात में वहन किया जाना था। योजना को 2011–12 में पुनरीक्षित किया गया जिसके अन्तर्गत मात्र अधीनस्थ न्यायालयों और सम्बंधित न्यायिक अधिकारियों के आवासों को ही 75:25 के अनुपात में आच्छादित किया जाना था। वर्ष 2015–16 से वित्त पोषण का अनुपात संशोधित कर 60:40 कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा न्यायपालिका में सूचना एवं प्रौद्योगिकी से सम्बंधित आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु 2007 में ई–कोर्ट मिशन मोड परियोजना भी प्रारम्भ की गयी।

3.2.1.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा द्वारा अप्रैल 2016 से जुलाई 2016 तक जनपद न्यायाधीशों के कार्यालयों (75 जनपदों में से आठ²) में 2011–16 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा की गयी। प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के कार्यालयों एवं नमूना जाँच हेतु चयनित जनपदों में निर्माण कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं से भी ऑकड़े और सूचनायें एकत्र की गयीं। प्रमुख सचिव, न्याय विभाग के साथ समापन गोष्ठी जनवरी 2017 में आयोजित की गयी तथा शासन की अनुक्रिया पर प्रतिवेदन में विचार किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.2 वित्तीय प्रबन्धन

3.2.2.1 वित्त पोषण का स्वरूप

न्याय विभाग के लिये निधियों का आबंटन उत्तर प्रदेश के अनुदान संख्या 42 (न्याय विभाग) के अन्तर्गत किया जाता है। केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत निधियों के आबंटन के लिये राज्य सरकार द्वारा उसके बजट में केन्द्रांश एवं राज्यांश दोनों के लिये प्रावधान किया जाता है। आवासीय भवनों एवं न्यायालय कक्षों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त किये जाने के लिये धनराशि माननीय उच्च न्यायालय को स्थानांतरित की जाती है।

¹ उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिये यह 90:10 के अनुपात में था जो कि 2011–12 में मानकों के पुनरीक्षित होने के पश्चात् भी लागू रहा।

² इलाहाबाद, बागपत, बलिया, चित्रकूट, गौतमबुद्ध नगर, जौनपुर, कासगंज एवं लखीमपुर खीरी।

3.2.2.2 आबंटन एवं व्यय

वर्ष 2011–16 की अवधि के लिये केन्द्र पुरोनिधानित योजना (जनपद एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय कक्षों एवं न्यायिक अधिकारियों हेतु आवासीय भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण बजट प्रावधान एवं बचत का विवरण सारणी 1 में दिया गया है।

सारणी 1: 2011–16 के मध्य केन्द्र पुरोनिधानित योजना की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान (भारत सरकार+राज्य सरकार दोनों) ³	बचत	प्रावधान के सापेक्ष बचत का प्रतिशत
1	2	3	4
2011-12	135.50	7.86	06
2012-13	193.00	23.76	12
2013-14	250.00	123.72	49
2014-15	250.00	14.65	06
2015-16	400.00	231.01	58
कुल	1,228.50	401.00	33

(जोत: न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2011–16 के मध्य अवमुक्त बजट प्रावधान के 33 प्रतिशत (₹ 401.00 करोड़) का उपयोग नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे पाया गया कि ₹ 1,228.50 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 848.50 करोड़ तथा ₹ 380.00 करोड़ क्रमशः न्यायालय कक्षों एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रावधानित था। फिर भी कार्य की धीमी प्रगति, भूमि की अनुपलब्धता एवं मानविकों की स्वीकृति में विलम्ब आदि से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निधियों के उपयोग में विफलता के कारण न्यायालय कक्षों एवं आवासीय भवनों के लिये प्रावधानित निधियों के क्रमशः 31 प्रतिशत (₹ 260.64 करोड़) एवं 37 प्रतिशत (₹ 140.36 करोड़) का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.2.2.3 चयनित जनपदों में वित्तीय मामले

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियाँ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आहरित करके कार्यदायी संस्थाओं को स्थानांतरित की जाती हैं। 2011–16 की अवधि में नमूना जाँच किये गये आठ जनपदों की वित्तीय स्थिति सारणी 2 में दी गयी है:

सारणी 2: नमूना जाँच किये गये जनपदों में केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत 2011–16 के मध्य अवमुक्त एवं व्यय धनराशि की स्थिति।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय	कार्यदायी संस्थाओं के पास अवशेष धनराशि
1	2	3	4
2011-12	41.92	37.17	4.75
2012-13	22.10	16.01	6.09
2013-14	30.97	27.65	3.32
2014-15	37.87	21.83	16.04
2015-16	27.13	32.25	-5.12 ⁴
कुल	159.99	134.91	25.08

(जोत: चयनित जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

³ ₹ 861.38 करोड़ के केन्द्रांश एवं ₹ 367.12 के राज्यांश को सम्मिलित करते हुये बजट प्रावधान।

⁴ अवमुक्त धनराशि से अधिक व्यय होने का कारण पूर्व वर्षों में अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाना है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नमूना जाँच किये गये जनपदों में 2011–16 के मध्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ₹ 25.08 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका। निधियों के बगैर उपयोग के रह जाने का मुख्य कारण कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य की धीमी प्रगति थी। बलिया में 18 न्यायालय कक्षों और 16 आवासों के निर्माण के लिये नवम्बर 2011 और जनवरी 2015 के मध्य कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त किये गये ₹ 16.41 करोड़ में से ₹ 11.11 करोड़ (68 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2016 तक नहीं किया जा सका।

चयनित जनपदों में वित्तीय प्रबन्धन में पायी गयी महत्वपूर्ण कमियों की चर्चा अनुगामी प्रस्तरों में की गयी है:

कार्यदायी संस्थाओं को निधियों का अनियमित आबंटन

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल का प्रस्तर 212 प्रावधानित करता है कि निधियों का अवमुक्त किया जाना कार्य की भौतिक प्रगति से सहसम्बन्धित होना चाहिये।

दो चयनित जनपदों (बलिया एवं गौतमबुद्ध नगर) के अभिलेखों में पाया गया कि कार्य की नगण्य भौतिक प्रगति के बावजूद ₹ 11.38 करोड़ की धनराशि अनुवर्ती किश्तों के रूप में कार्यदायी संस्थाओं को 2008–15 के मध्य उपलब्ध करायी गयी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अनुवर्ती किश्तें उन प्रकरणों में भी अवमुक्त की गयी जहाँ कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुये थे। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.2.1 में दिया गया है।

इस प्रकार कार्यों की प्रगति से सम्बद्ध किये बिना ही कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त किये जाने से निर्माण एजेंसियों के पास धनराशि अवरुद्ध थी। यह वित्तीय नियंत्रण की गम्भीर कमी तथा निर्माण एजेंसियों को अनुचित लाभ दिया जाना प्रदर्शित करता था।

अर्जित ब्याज शासकीय खाते में न जमा किया जाना

शासनादेश (मार्च 1998) के अनुसार यदि उपभोक्ता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ब्याज अर्जित करने वाले बैंक खातों में रखी जाती हैं तो इन निधियों पर अर्जित ब्याज वापस शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिये।

नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों में पाया गया कि न्याय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों पर कार्यदायी संस्थाओं⁵ द्वारा 2011–16 के मध्य ₹ 3.17 करोड़ ब्याज⁶ अर्जित किया गया। तथापि शासकीय खाते में मात्र ₹ 42.59 लाख जमा किया गया। परिणामस्वरूप आदेशों के उल्लंघन में ₹ 2.74 करोड़ अर्जित ब्याज शासकीय खाते से बाहर कार्यदायी संस्थाओं के पास शेष था (परिशिष्ट 3.2.2)।

अग्रेतर यह पाया गया कि विभाग द्वारा ब्याज की वसूली के लिये न तो कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और न ही ब्याज को संस्थाओं के अनुवर्ती देयकों में समायोजित किया गया।

संस्तुति: कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निधियों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिये तथा अग्रिम धनराशियों को कड़ाई से मानकों के अनुरूप ही अवमुक्त किया जाना चाहिये।

⁵ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।

⁶ बचत एवं फ्लैक्सी बैंक खातों में जमा।

3.2.3 कार्यक्रम क्रियान्वयन

3.2.3.1 केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनान्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

राज्य सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना (2012–17⁷) में जनपद एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 500 न्यायालय कक्षों तथा न्यायिक अधिकारियों के लिये 400 आवासों के निर्माण की योजना की गयी। लक्ष्य एवं उपलब्धियों की स्थिति सारणी 3 में दी गयी है:

सारणी 3: केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

वर्ष	न्यायालय कक्ष			आवास			आवंटन (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
	लक्ष्य	प्रगामी लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	प्रगामी लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)		
2012-13	100	100	20 (20)	80	80	10 (12)	193.00	169.24
2013-14	100	180	78 (43)	80	150	10 (7)	250.00	126.28
2014-15	150	252	20 (8)	80	220	20 (9)	250.00	235.35
2015-16 ⁸	100	332	50 (15)	80	280	50 (18)	400.00	168.99
कुल	450		168 (37)	320		90 (28)	1,093.00	699.86

(स्रोत: न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अभिलेख)

जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ अत्यन्त कम थीं और योजना के प्रथम चार वर्षों में (2012–16⁹) मात्र 37 प्रतिशत न्यायालय कक्षों एवं 28 प्रतिशत आवासों का निर्माण ही पूर्ण हो सका था। वित्तीय प्रगति भी कम थी जैसा कि 2012–16 के मध्य ₹ 1,093.00 करोड़ के योजना परिव्यय के सापेक्ष मात्र ₹ 699.86 करोड़ (64 प्रतिशत) ही खर्च किये जा सके थे। शासन द्वारा प्रभावी अनुश्रवण की कमी तथा कार्यों की धीमी प्रगति को बढ़ा पाने में कार्यदायी संस्थाओं की अक्षमता इस असंतोषजनक स्थिति के मुख्य कारण थे।

संस्तुति: शासन को सुनिश्चित करना चाहिये कि आवश्यक संख्या में न्यायालय कक्षों तथा न्यायिक अधिकारियों के लिये आवासों, जैसा कि केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना में प्रावधानित था, का लक्ष्य एक समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर प्राप्त किया जाये।

3.2.3.2 न्यायालय कक्षों एवं आवासों की कमी

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में न्यायालय कक्षों एवं आवासों की उपलब्धता एवं आवश्यकता का विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किये गये जनपदों में न्यायालय कक्षों एवं आवासों की उपलब्धता की स्थिति प्राप्त की गयी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये आठ में से छः जनपदों में 10 से 43 प्रतिशत के मध्य न्यायालय कक्षों की कमी थी जिसका विवरण निम्नलिखित है:

⁷ वर्ष 2011–12 से सम्बंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को नहीं उपलब्ध कराये गये।

⁸ लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ अनुमानित थीं।

⁹ 50 न्यायालय कक्षों एवं 80 आवासों का निर्माण बारहवीं पंच वर्षीय योजनान्तर्गत 2016–17 में कराये जाने का नियोजन किया गया था।

सारणी 4: चयनित जनपदों में 31 मार्च 2016 तक न्यायालय कक्षों की स्थिति

क्र. सं.	जनपद	स्वीकृत न्यायालय कक्ष	उपलब्ध न्यायालय कक्ष	न्यायालय कक्ष की कमी (कालम 3 से प्रतिशत)	खराब स्थिति/छोटे आकार के न्यायालय कक्ष (कालम 4 से प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	71	62	09 (13)	18 (29)
2.	बलिया	31	22	09 (29)	00 (00)
3.	चित्रकूट	16	14	02 (13)	07 (50)
4.	जौनपुर	37	32	05 (14)	00 (00)
5.	कासगंज	21	12	09 (43)	06 (50)
6.	लखीमपुर खीरी	29	26	03 (10)	00 (00)
		205	168	37 (18)	31 (18)

(स्रोत: चयनित जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

नमूना जाँच किये गये जनपदों में 37 न्यायालय कक्षों (18 प्रतिशत) की कमी थी तथा 31 न्यायालय कक्ष (18 प्रतिशत) असंतोषजनक स्थिति में थे। इन कमियों के कारण न्यायालयों के सुचारू संचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

न्यायिक अधिकारियों के लिये आवासीय सुविधाओं के सम्बन्ध में नमूना जाँच किये गये जनपदों में संज्ञान में आयी आवासों की कमियों का विवरण सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5: नमूना जाँच किये गये जनपदों में 31 मार्च, 2016 तक आवासों की स्थिति

क्र. सं.	जनपद	न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या	उपलब्ध आवास	आवासों की कमी	कमी का प्रतिशत
1	इलाहाबाद	71	46	25	35
2	बागपत	14	01	13	93
3	बलिया	31	20	11	35
4	चित्रकूट	16	02	14	88
5	गौतमबुद्ध नगर	15	02	13	87
6	जौनपुर	37	09	28	76
7	कासगंज	21	07	14	67
8	लखीमपुर खीरी	29	20	09	31
	कुल	234	107	127	54

(स्रोत: चयनित जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों¹⁰ के अनुसार प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य था। तथापि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नमूना जाँच किये गये जनपदों में न्यायिक अधिकारियों के लिये आवासीय सुविधाओं की गम्भीर कमी थी। 234 आवासों की आवश्यकता के सापेक्ष मात्र 107 आवास उपलब्ध थे। इस प्रकार 127 आवासों (54 प्रतिशत) की कमी थी।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि सम्भवतः भविष्य में आवासों की कमी भी बनी रहनी थी क्योंकि निर्माणाधीन 140 न्यायालय कक्षों के सापेक्ष मात्र 78 आवासों (56 प्रतिशत) का निर्माण कराया जा रहा था। आवासों एवं न्यायालय कक्षों का निर्माण विभिन्न कमियों जैसे कि सहायक आधारभूत संरचनाओं की कमी, अपर्याप्त सर्वेक्षण,

¹⁰ रिट याचिका (सी) संख्या 1022/1989 में वादकालीन प्रार्थना पत्र संख्या 279/2010 में आल इंडिया जजेज एसोशियेशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य।

अवरोध रहित भूमि का उपलब्ध न होना, मानचित्रों की विलम्ब से स्वीकृति एवं कार्य की धीमी प्रगति आदि के साथ हो रहा था।

3.2.3.3 लागत एवं समय में वृद्धि

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल का प्रस्तर 212 लागत एवं समय में वृद्धि से बचने के लिये विभिन्न मापदण्डों¹¹ का प्रावधान करता है।

नमूना जाँच किये गये जनपदों में योजनान्तर्गत कराये जा रहे 51 कार्यों में से ₹ 139.43 करोड़ के 36 कार्य 2011–16 के मध्य पूर्ण किये जाने थे। कार्यदायी संस्थावार कार्यों की स्थिति परिशिष्ट 3.2.3 में दी गयी है। 36 कार्यों में से 16 कार्यों की लागत में वृद्धि होकर (समेकित मूल लागत: ₹ 65.08 करोड़) ₹ 121.81 करोड़ (87 प्रतिशत वृद्धि) तक पुनरीक्षित हो गयी थी। इस प्रकार 44 प्रतिशत कार्यों की लागत का पुनरीक्षण मुख्यतः कार्यों की प्रकृति में परिवर्तन तथा कार्यदायी संरचनाओं द्वारा विलम्ब से पूर्ण किये जाने के कारण किया गया। विवरण परिशिष्ट 3.2.4 में दिया गया है।

3.2.3.4 कार्य निष्पादन में कमियाँ

नमूना जाँच किये गये जनपदों में कार्य निष्पादन में अनेक कमियाँ लेखापरीक्षा में पायी गयीं। नमूना जाँच किये गये 14 कार्यों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकाश में आये उदाहरणों का विवरण निम्नवत है :

बिना सहायक आधारभूत ढाँचे के निर्माण

न्यायालय के सुचारू संचालन हेतु न्यायालय भवनों के निर्माण के साथ—साथ सहायक आधारभूत ढाँचों जैसे प्रशासनिक कार्यालयों, अधिवक्ताओं के भवन (लायर्स ब्लाक) वादी शेडों तथा न्यायिक अधिकारियों के लिये आवासों आदि का भी निर्माण किया जाना आवश्यक था। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि लखीमपुर—खीरी जनपद में ₹ 3.44 करोड़ धनराशि के न्यायालय भवनों का निर्माण बिना सहायक आधारभूत ढाँचे जैसे आवासीय भवन, वादी शेड, सार्वजनिक शौचालयों, लाक—अप आदि के बिना कराया जा रहा था जिसका विवरण निम्नवत है :

लखीमपुर—खीरी की तहसील निधासन में एक न्यायालय कक्ष (लागत: ₹ 0.69 करोड़) का निर्माण उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) द्वारा जनवरी 2012 में प्रारम्भ किया गया था जो कि अप्रैल 2016 तक पूर्ण नहीं हो पाया था। तथापि न्यायालय भवन के आगणन में अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं यथा वादी शेड, सार्वजनिक शौचालय, लाक—अप (पुरुष एवं महिला) आदि का प्रावधान नहीं किया गया था। इन सब सुविधाओं को समिलित करते हुये ₹ 2.34 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया (मार्च, 2016) जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित थी। इस प्रकार न्यायालय के संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना के बिना न्यायालय कक्ष का निर्माण कराया जा रहा था।

शासन द्वारा लखीमपुर—खीरी की तहसील मोहम्मदी में ₹ 0.59 करोड़ की कुल लागत के दो न्यायालय कक्षों (₹ 0.34 करोड़) तथा दो आवासों (₹ 0.25 करोड़) के निर्माण की स्वीकृति सितम्बर, 2007 में प्रदान की गयी। कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को दिया गया। अग्रेतर उसी न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों हेतु दो और आवासों की योजना के बिना ही ₹ 2.16 करोड़ की लागत के दो और न्यायालय कक्षों

¹¹ मानक रचना, रचना में बदलाव, अनुबंध गठन इत्यादि।

का निर्माण स्वीकृत किया गया (मार्च, 2012)। परिणामस्वरूप चार न्यायालय कक्षों के सापेक्ष मात्र दो आवास उपलब्ध थे।

पर्याप्त सर्वेक्षण के बिना निर्माण कार्य कराया जाना

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल का प्रस्तर 37 निर्धारित करता है कि स्थल की उपयुक्तता तथा योजनानुसार कार्य किये जाने की व्यवहार्यता के निर्धारण हेतु स्थल सर्वेक्षण सम्पन्न किये जाने के बाद ही आगणन तैयार किया जाना चाहिये।

चयनित जनपदों के अभिलेखों की नम्ना जाँच में पाया गया कि लखीमपुर खीरी एवं चित्रकूट जनपदों में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ₹ 8.42 करोड़ की लागत के चार कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व समुचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप निर्माण योजना में विभिन्न परिवर्तन करने पड़े जिसके कारण न्यायालय भवनों/आवासों के निर्माण की अवधि एवं लागत में वृद्धि (₹ 10.54 करोड़) तथा अन्य कमियाँ हुर्यों जिनका विवरण परिशिष्ट 3.2.5 में दिया गया है।

अग्रेतर लखीमपुर खीरी में ₹ 0.63 करोड़ की स्वीकृत लागत के 28 आवासों (श्रेणी-1; 16 और श्रेणी-3; 12) का निर्माण अक्टूबर, 1998 में प्रारम्भ हुआ। भवनों की, आंतरिक, बाह्य संरचना एवं अन्य समापन कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा ₹ 0.83 करोड़ की पुनरीक्षित लागत से 2006 में पूर्ण किया गया। गम्भीर जल भराव के कारण भवन का उपयोग विगत 10 वर्षों से नहीं किया जा सका क्योंकि निर्माण कार्य भठ्ठे की जमीन पर हुआ था जिसकी सतह निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व उठाये जाने की आवश्यकता थी¹²।



लखीमपुर खीरी में जलभराव के कारण खाली पड़े कर्मचारी आवास

अग्रेतर यह पाया गया कि भवन का निर्माण कार्य निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के बजाय भूमि के अन्य टुकड़े (बिना अधिग्रहण वाले) पर किया गया जिसके कारण जून, 2012 में भू-स्वामी को ₹0.80 करोड़ की क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। इस प्रकार पर्याप्त सर्वेक्षण तथा स्थल की उपयुक्तता सुनिश्चित किये बिना निर्माण किये जाने के कारण ₹1.63 करोड़ का अपव्यय हुआ।

अवरोध रहित कार्य स्थल सुनिश्चित किये बिना कार्य किया जाना

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 37 में प्रावधानित है कि अवरोध रहित कार्यस्थल की उपलब्धता कार्य प्रारम्भ किये जाने की पूर्व शर्त है।

¹² भवनों को कियाशील बनाने के कम में रिटेनिंग वाल, नाली, मिट्टी भराव, सी.सी. रोड आदि के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा ₹ 2.86 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन तैयार किया गया जो कि स्वीकृति हेतु लम्बित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो जनपदों (इलाहाबाद एवं बलिया) में ₹ 39.10 करोड़ धनराशि के पाँच कार्यों में कार्यदायी संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराने में विलम्ब किया गया। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि अवरोध रहित कार्य स्थल की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारम्भ किये जाने में विलम्ब हुआ तथा लागत भी ₹ 49.69 करोड़ पुनरीक्षित हो गयी जिसका विवरण परिशिष्ट 3.2.6 में दिया गया है।

डिजाइन/मानचित्रों की विलम्ब से स्वीकृति

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 के अनुसार डिजाइन की स्वीकृति कार्य कराये जाने की पूर्व शर्त है।

नमूना जाँच किये गये जनपदों में अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि तीन जनपदों (बलिया, चित्रकूट एवं गौतमबुद्ध नगर) में ₹ 25.62 करोड़ की मूल लागत (पुनरीक्षित लागत ₹ 66.18 करोड़) के तीन कार्यों को कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मानचित्रों की स्वीकृति के बिना प्रारम्भ किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 3.2.7 में दिया गया है।

संस्तुति: शासन द्वारा न्यायालय परिसरों एवं आवासों में आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिये एक दीर्घकालीन व्यापक योजना बनायी जानी चाहिये जिसमें समय सीमा, बजटीय परिव्यय, निर्माण के तौर-तरीके तथा विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदान करने हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण समिलित किया जाना चाहिये।

3.2.3.5 निविदा आमंत्रित किये बिना कार्य प्रदान किया जाना

माननीय उच्चतम न्यायालय¹³ के आदेशानुसार (केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उद्धरण प्रसारित) राज्य द्वारा इसके निगमों, साधनों एवं एजेन्सियों को ठेके आवश्यक रूप से सामान्यतः सार्वजनिक नीलामी/सार्वजनिक निविदा के माध्यम से दिये जाने चाहिये। अग्रेतर उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 के अनुसार संबंधित विभाग निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व कार्यदायी संस्था के साथ समुचित अनुबंध/सहमति पत्र किया जाना सुनिश्चित करेगा।

नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2011–16 के मध्य विभाग द्वारा ₹ 237.60 करोड़ की लागत के 51 कार्य कार्यदायी संस्थाओं¹⁴ को दिये गये (परिशिष्ट 3.2.8)। इनमें से ₹ 234.83 करोड़ के 43 कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को निविदा आमंत्रित किये बिना दिये गये थे (परिशिष्ट 3.2.9)। जनपदों द्वारा उत्तर में बताया गया कि कार्यों को राज्य सरकार के स्तर पर दिया गया था। शासन स्तर से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी, 2017)।

₹ 2.77 करोड़ लागत के शेष आठ कार्य निष्पादन के लिये लोक निर्माण विभाग को दिये गये थे।

अग्रेतर, प्रावधानों के विपरीत, शासन द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कोई अनुबंध/सहमति पत्र नहीं निष्पादित किया गया जिसके कारण न तो इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिड बोली क्षमता का आकलन हो पाया और न ही निर्माण एजेंसियों के स्तर पर विलम्ब के कारण हुयी हानियों की गणना तथा विलम्ब हेतु दण्ड का प्रावधान किया गया था।

¹³ 2006 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 10174: मेरठ नगर निगम बनाम ए वन फहीम मीट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड।

¹⁴ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा लोक निर्माण विमाग।

अग्रेतर संवीक्षा में पाया गया कि 36 कार्यों में से ₹ 73.28 करोड़ की मूल लागत के 11 कार्य¹⁵ जिन्हें 2011–16 के मध्य पूर्ण किया जाना था उनमें दो माह से 36 माह तक विलम्ब हुआ जबकि ₹ 0.30 करोड़ धनराशि के दो कार्य निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि से 50 माह बाद भी पूर्ण किये जाने हेतु लम्बित¹⁶ थे (परिशिष्ट 3.2.10)। तथापि किसी भी कार्यदायी संस्था पर अनुबंध/सहमति पत्र के अभाव में कार्य निष्पादन में विलम्ब के लिये अर्थदण्ड नहीं लगाया जा सका।

संस्तुति : (i) कार्यदायी संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी) को मात्र निविदा के आधार पर कार्य दिया जाना चाहिये।

(ii) कार्य निष्पादन के लिये स्वीकृत लागत एवं समय सीमा का कड़ाई से पालन करने के लिये कार्यदायी संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने की शर्तों को सम्मिलित करते हुये अनुबंध/सहमति पत्र हस्ताक्षरित किये जाने चाहिये।

3.2.4 ई-कोर्ट स्कीम

भारत के न्यायपालिका के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2007 में प्रारम्भ की गयी। योजना का प्रथम चरण 31 मार्च 2015 को समाप्त हुआ। परियोजना का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनपद एवं अधीनस्थ न्यायालयों को सेवायें उपलब्ध कराना था।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों/सूचनाओं में पाया गया कि प्रथम चरण में स्थल तैयारी, न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण, पावर बैंकअप (जनरेटर सेटों एवं यू०पी०एस०) आदि कार्यकलापों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये थे। तथापि लेखापरीक्षा में तकनीकी जन संसाधन के परिनियोजन में बृहद् कमी पायी गयी। जैसा कि 247 (81 सिस्टम अधिकारी एवं 166 सिस्टम विश्लेषक) कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष जनपद न्यायालयों में मात्र 106 कर्मचारी¹⁷ (57 प्रतिशत) उपलब्ध कराये गये थे।

3.2.4.1 निष्क्रिय कम्प्यूटर हार्डवेयर

प्रत्येक न्यायालय परिसर आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर जैसे डेस्कटाप, प्रिन्टर, सर्वर, स्कैनर, प्रोजेक्टर आदि से सुसज्जित किये जाने थे। प्रत्येक न्यायाधीश एवं उनके सहायक कर्मचारियों को चार क्लाइंट मशीनें¹⁸ एवं तीन प्रिन्टर उपलब्ध कराये जाने थे। फाइलिंग, नजारत आदि अनुभागों को थिन क्लाइंट¹⁹ एवं प्रिंटर उपलब्ध कराये जाने थे।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये चार जनपदों (इलाहाबाद, बलिया, जौनपुर एवं लखीमपुर खीरी) में न्यायालय कक्षों में स्थापित किये जाने के लिये मार्च एवं मई 2009 के मध्य मानीटर, की-बोर्ड एवं माउस सहित थिन क्लाइंट मशीनों की आपूर्ति की गयी थीं (प्रति न्यायालय कक्ष तीन क्लाइंट मशीनें)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन जनपदों में आपूर्ति 468 मशीनों में से ₹ 27.87 लाख मूल्य की 208

¹⁵ नमूना जाँच किये गये जनपदों में कराये जा रहे 51 कार्यों में से।

¹⁶ सिविल कोर्ट, हलाहाबाद में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण: ₹ 16.43 लाख (₹ 40.83 लाख का पुनरीक्षित आगणन अनुमोदन हेतु लम्बित) तथा चित्रकूट में जिला न्यायाधीश के आवास पर कार्यालय कक्ष का निर्माण ₹ 13.90 लाख (₹ 36.54 लाख का पुनरीक्षित आगणन अनुमोदन हेतु लम्बित)।

¹⁷ 59 सिस्टम अधिकारी + 47 सिस्टम विश्लेषक।

¹⁸ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अप्रैल 2010 में यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक कोर्ट रूम में दो क्लाइंट मशीनें स्थापित की जायेंगी।

¹⁹ थिन क्लाइंट एक हल्के वजन का कम्प्यूटर है जो इस उद्देश्य से बनाया गया है कि यह सर्वर में दूर से कार्य कर सके। यह अपनी कम्प्यूटेशनल भूमिका को पूरा करने के लिये दूसरे कम्प्यूटर (अपने सर्वर) पर काफी निर्भर करता है।

मशीनें²⁰ (44 प्रतिशत) जुलाई 2016 की स्थिति के अनुसार पॉच वर्षों से भी अधिक समय से बिना उपयोग के निष्क्रिय पड़ी थीं।

3.2.5 अनुश्रवण

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यों के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जनपद में एक जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति²¹ का गठन किया जाना था। समिति द्वारा योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में एक त्रैमासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव/नियोजन सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को प्रेषित किया जाना था।

नमूना जाँच किये गये जनपदों में अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि किसी भी जनपद द्वारा 2011–16 के मध्य राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी थी। यह योजनान्तर्गत सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अनुश्रवण की अपर्याप्तता का द्योतक था।

संस्कृति: शासन द्वारा कार्य समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने हेतु शासन स्तर के साथ-साथ जनपद स्तर पर सभी कार्यदायी संस्थाओं के साथ एक तेज एवं प्रभावी अनुश्रवण का प्रारम्भ किया जाना चाहिये।

3.2.6 सीमायें

विभाग द्वारा अत्यन्त कम ऑकड़े/सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के कारण लेखापरीक्षा कार्य प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त अधिकांश लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विभाग द्वारा उत्तर नहीं दिया गया। इसके आगे उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) द्वारा केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनान्तर्गत किये गये कार्यों से सम्बन्धित माँगे गये ऑकड़े/सूचनायें बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद भी नहीं उपलब्ध कराये गये। ये सब लेखापरीक्षा के प्रभाव और निष्कर्षों में बाधक थे।

3.2.7 निष्कर्ष

कुल मिलाकर वित्तीय प्रबन्धन अपर्याप्त था जैसे कि बजट की 33 प्रतिशत धनराशि बिना व्यय के अवशेष थी। कार्यदायी संस्थाओं को निधियों आवश्यकता का आकलन किये बगैर अवमुक्त की गयीं तथा अनावश्यक रूप से अग्रिम की तरह उपलब्ध करायी गयीं परिणामस्वरूप नियमों के विरुद्ध धनराशि अवरुद्ध हुयी। कार्यदायी संस्थाये शासकीय अग्रिमों को जमा कर उस पर ब्याज अर्जित करती रहीं जिन्हें वापस शासकीय खाते में नहीं जमा किया गया था। क्रियान्वयन खराब था जैसे कि बारहवीं पंच वर्षीय योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 37 प्रतिशत न्यायालय कक्षों तथा 28 प्रतिशत आवासों का निर्माण हुआ था। कार्यों को कार्यदायी संस्थाओं को सौंपा जाना तथा निष्पादन त्रुटिपूर्ण था जैसे कि कार्यों को बगैर निविदा आमंत्रित किये हुये तथा कार्यदायी संस्थाओं से बिना कोई अनुबंध/सहमति पत्र हस्ताक्षरित किये हुये दिया गया था। इसलिये कार्यदायी संस्थाओं में उत्तरदायित्व का अभाव रहा तथा कार्य किये जाने में काफी विलम्ब हुआ। अग्रेतर, कार्य समुचित सर्वेक्षण, मानचित्रों की स्वीकृति तथा अवरोध रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बगैर कराये गये। परिणामस्वरूप, समय एवं लागत में वृद्धि हुयी तथा कार्य निष्पादन में कमियाँ थीं।

²⁰ इलाहाबाद: 114 मशीनें (₹ 15.93 लाख), बलिया : 27 मशीनें (₹ 3.62 लाख), जौनपुर : 45 मशीनें (₹ 6.03 लाख) एवं लखीमपुर खीरी : 22 मशीनें (₹ 2.95 लाख)।

²¹ जिसमें जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश अथवा समकक्ष एवं अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग शामिल हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.3 उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में उपकरण प्रबन्धन पर लेखापरीक्षा

3.3.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है एवं जन स्वास्थ्य संकेतक राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। राज्य के मेडिकल कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध शिक्षण चिकित्सालयों में उपलब्ध अवसंरचना की अपर्याप्तता ऐसे गम्भीर क्षेत्र हैं जिनमें प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, शिक्षण संस्थाओं सहित पूर्ण–सज्जित मेडिकल कालेजों, जो क्षेत्रीय चिकित्सालयों के लिए प्रधान सन्दर्भन केन्द्र हैं, की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन प्रमुख सचिव के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है। विभागीय स्तर पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन को विकसित करने तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर चिकित्सा शिक्षा के स्तर का सुधार करने हेतु उत्तरदायी है। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अधीनस्थ दो अपर निदेशक, दो संयुक्त निदेशक एवं एक वित्त नियन्त्रक कार्यरत हैं। राज्य के सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्य, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को सीधे अपनी रिपोर्ट प्रेषित करते हैं।

मार्च, 2016 तक राज्य में उन्नीस¹ राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान हैं। वर्ष 2011–16 की अवधि में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ₹ 11,230.32 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी।

उन्नीस राजकीय मेडिकल कालेजों में से चार, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (के०जी०एम०य००, लखनऊ), लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ (एल०एल०आर०एम०, मेरठ), बाबा राधवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर (बी०आर०डी०, गोरखपुर) एवं महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी (एम०एल०बी०, झाँसी) एस०आर०एस०डब्ल०ओ०आर०² विधि द्वारा लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये गये थे।

नमूना जाँच हेतु चयनित चार राजकीय मेडिकल कालेजों को वर्ष 2011–16 की अवधि में निधियों का आवंटन एवं उसके सापेक्ष व्यय नीचे दिया गया है:

सारणी 1: चार नमूना जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों के आवंटन एवं व्यय का विवरण
(₹ करोड़ में)

नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		महायोग	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय								
बीआरडी०, गोरखपुर	48.69	48.6	59.98	59.65	90.56	82.11	149.45	140.84	103.67	94.93	452.35	426.13
एमएलबी०, झाँसी	119.47	52.13	54.99	47.88	154.6	146.91	164.04	151.66	116.13	108.94	609.23	507.52
एलएलआरएम०, मेरठ	63.36	63.13	65.29	59.62	86.88	65.62	69.67	66.87	101.61	97.23	386.81	352.47
केजीएमय००, लखनऊ	311.71	311.38	396.52	383.03	482.24	467.92	419.75	408.28	466.2	461.81	2076.42	2032.42
योग	543.23	475.24	576.78	550.18	814.28	762.56	802.91	767.65	787.61	762.91	3524.81	3318.54

¹ राज्य सरकार: 16 राजकीय मेडिकल कालेज एवं केन्द्र सरकार : 03 राजकीय मेडिकल कालेज

² एस० आर० एस० डब्ल० ओ० आर० – सिप्पल रैनडम सैम्प्लिंग विदाउट रीस्लेसमेण्ट

उपरोक्त सारणी 1 से स्पष्ट है कि कुल आवंटन ₹ 3,524.81 करोड़ के सापेक्ष चार राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा ₹ 3,318.54 करोड़ अर्थात् 94 प्रतिशत व्यय किया गया था। तथापि एम०एल०बी०, झांसी द्वारा 2011–16 की अवधि में आवंटित निधि का मात्र 83 प्रतिशत व्यय किया गया था तथा 17 प्रतिशत धनराशि का व्यय नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

3.3.2 वित्तीय प्रबंधन

3.3.2.1 वैयक्तिक लेखा खाते का संचालन

उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली, 1998 में यह प्रावधान है कि वैयक्तिक लेखा खाता (पी०एल०ए०) महालेखाकार की सहमति से कार्यालयाध्यक्ष के नाम से खोला जा सकता है।

यद्यपि, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार केवल के०जी०एम०य० के व्यय के परिचालन हेतु पी०एल०ए० के संचालन का प्राधिकार पत्र मार्च 2008 तक के लिए जारी किया गया था। पुनः, मार्च 2008 की अवधि के पश्चात् कोई विस्तार स्वीकृत नहीं किया गया था।

यह पाया गया कि सभी चार नमूना जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए के०जी०एम०य० लखनऊ के पी०एल०ए० में निधियों को रक्षित किया जा रहा था। राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा पी०एल०ए० में निधियों के रक्षण में पायी गयी अन्य अनियमिताओं की नीचे चर्चा की गयी है।

मार्च, 2016 तक के०जी०एम०य०, लखनऊ के पी०एल०ए० में चार नमूना—जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित ₹ 155.71 करोड़ की धनराशि रक्षित की गयी थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

सारणी 2: मार्च, 2016 तक पी०एल०ए० में रखी गयी निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नाम	पी०एल०ए० में रखी गयी धनराशि
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	96.00
2	लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ	18.27
3	बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर	27.38
4	महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी	14.06
योग		155.71

अग्रेतर जाँच में पाया गया कि शासन ने विभिन्न चिकित्सा संस्थानों (चार नमूना—जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों को सम्मिलित करते हुए 14 राजकीय मेडिकल कालेज, निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें) को निर्देश जारी किया (जुलाई, 2013 से मार्च, 2016 तक) था कि वेन्टीलेटर, डिजीटल माइक्रोट्रोम रोटरी, सी—आर्म इमेज इनटेन्सीफायर, जनरल लैपरोस्कोपी सेट (एच डी) आदि उपकरणों के क्रय हेतु अवमुक्त धनराशि के०जी०एम०य०, लखनऊ के पी०एल०ए० में रखी जायेगी तथा आवश्यकतानुसार वित्त विभाग की अनुमति एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रतिहस्ताक्षर पर आहरित की जायेगी। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि ₹ 527.40 करोड़ की धनराशि (चार नमूना जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों में ₹ 155.71 करोड़ को सम्मिलित करते हुए) वित्त अधिकारी, के०जी०एम०य०, लखनऊ के पी०एल०ए० में रक्षित (जुलाई, 2013 से मार्च 2016, तक) थी।

के०जी.एम०य०, लखनऊ के पी०एल०ए० में रक्षित ₹ 527.40 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष ₹ 361.59 करोड़ की धनराशि सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेजों एवं निदेशक, आयुर्वेद सेवायें को जून, 2016 तक अन्तरित कर दी गयी जबकि ₹ 165.81 करोड़ की धनराशि जून, 2016 तक के०जी.एम०य०, लखनऊ के पी.एल.ए. में रक्षित रही जैसा नीचे दर्शाया गया है:

**सारणी ३: के०जी०एम०य०, लखनऊ के पी०एल०ए० में रक्षित
एवं उससे अवमुक्त निधियों का वर्षावार विवरण**

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	रक्षित धनराशि	अवमुक्त धनराशि	(₹ करोड़ में) अन्तिम शेष
2013-14	0.00	204.80	0.00	204.80
2014-15	204.80	147.19	128.03	223.96
2015-16	223.96	175.41	160.36	239.01
2016-17 (06 / 2016 तक)	239.01	0.00	73.20	165.81

(चोत: के०जी.एम०य०, लखनऊ)

पी०एल०ए० में निधियों को रक्षित करके न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया था, अपितु रोगियों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल से भी वंचित रखा गया क्योंकि प्रस्तर 3.3.3 में यथाचर्चित आवश्यक उपकरणों का समय से क्रय नहीं किया गया था।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा के०जी०एम०य० को प्रचलित नियमों के अधीन महालेखाकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया।

3.3.2.2 निधियों का व्यावर्तन

सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के अनुसार प्रत्येक नियन्त्रण अधिकारी का उसके निपटान पर रखी गयी निधियों के सन्दर्भ में यह कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि निधियां जिस प्रयोजन से उपलब्ध करायी गयी हैं, उन्हीं पर उनका व्यय किया जाये।

के०जी०एम०य०, लखनऊ के बजट अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत निधियों का वेतन (₹ 45 करोड़) एवं अन्य बाध्यकारी व्ययों (₹ 25 करोड़) जैसे गृह कर, जल कर, विद्युत, औषधि इत्यादि के भुगतान हेतु बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन किया गया था।

उत्तर में, बताया गया (अगस्त, 2016) कि वेतन एवम् अन्य बाध्यकारी व्ययों के प्रतिबद्ध देयता का भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उपकरणों के क्रय हेतु आंवटित निधि से के०जी०एम०य०, लखनऊ की वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपरोक्त धनराशि का आहरण किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी तथा इस प्रकार के व्यावर्तनों को नियमित किये जाने हेतु के०जी०एम०य० की वित्त समिति प्राधिकृत नहीं थी।

संस्तुति: शासन द्वारा पी०एल०ए० में निधियों के रक्षण को हतोत्साहित करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों का उन्हीं उद्देश्यों हेतु उपयोग किया गया है जिनके लिए स्वीकृत की गयी थी; प्रभावी नियन्त्रण प्रणाली लागू किया जाना चाहिए।

3.3.2.3 शासकीय निधियों पर ब्याज

उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देशित³ किया था (मार्च, 2012) कि शासकीय निधियों पर अर्जित किये गये ब्याज को शासकीय लेखा में अवश्य जमा कर दिया जाये।

के0जी0एम0यू० के अभिलेखों की नमूना—जाँच में पाया गया कि 2011–16 की अवधि में ₹ 210 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु प्रदान की गयी थी। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 2011–16 की अवधि से सम्बन्धित व्यय न की गयी ₹ 58.53 करोड़ की धनराशि मार्च, 2016 तक बचत बैंक खाते में जमा थी। बैंक खाता में रखी गयी धनराशि पर अर्जित न्यूनतम ब्याज ₹ 2.83 करोड़ था।

₹ 2.83 करोड़ के उपरोक्त अर्जित ब्याज के सापेक्ष के0जी0एम0यू० द्वारा मार्च, 2016 तक ₹ 0.95 करोड़ शासकीय लेखा में जमा किया गया था एवं ₹ 1.88 करोड़ वर्तमान में (दिसम्बर, 2016) शासकीय लेखा में जमा किया जाना था।

शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गयी तथा बताया गया कि ब्याज की धनराशि को शासकीय लेखों में जमा किये जाने हेतु के0जी0एम0यू०, लखनऊ को निर्देश जारी किये जायेंगे।

3.3.3 उपकरण प्रबन्धन

3.3.3.1 चिकित्सकीय उपकरणों की कमी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी चारों सम्बद्ध शिक्षण चिकित्सालयों में एम0सी0आई० द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक आवश्यकताओं के सापेक्ष चिकित्सकीय उपकरणों की कमी 43.24 प्रतिशत थी। चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता एवं कमी की राजकीय मेडिकल कालेज वार स्थिति सारणी 4 में दी गयी है।

सारणी 4: चिकित्सकीय उपकरणों की कमी का विवरण

चिकित्सा संस्थान का नाम	चिकित्सकीय विभागों की संख्या	भारतीय चिकित्सा परिषद मानकों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम मात्रा	उपलब्ध मात्रा	कमी	कमी का प्रतिशत
एल0एल0आर0एम0, मेरठ	11	2,535	1,018	1,517	59.84
बी0आर0डी0, गोरखपुर	11	1,683	1,225	458	27.21
एम0एल0बी0, झांसी	12	1,714	1,081	633	36.93
के0जी0एम0यू०, लखनऊ	11	2,916	1,698	1,218	41.77
योग	45	8,848	5,022	3,826	43.24

(स्रोत: सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा प्रस्तुत सूचना)

नमूना—जाँच किये गये शिक्षण चिकित्सालयों में चिकित्सकीय उपकरणों की कमियों का विभागवार विवरण **परिशिष्ट 3.3.1** में दिया गया है।

के0जी0एम0यू०, लखनऊ के पी0एल0ए० में राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु ₹ 165.81 करोड़ उपलब्ध होने के बावजूद राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा चिकित्सकीय उपकरणों के क्रय हेतु पर्याप्त प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गयी थी। चिकित्सकीय उपकरणों की अत्यधिक कमी का न केवल छात्रों को प्रदान की गयी

³ ए-1-122/10/2012/10(33).2010 वित्त (लेखे) अनुभाग-प्रथम, लखनऊ, दिनांक 21.3.2012.

शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था अपितु इसके कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले जनसाधारण को दी जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवायें भी प्रभावित हुई।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों को दूर किये जाने हेतु उचित कार्यवाही किये जाने का अश्वासन दिया गया।

3.3.3.2 शिक्षण उपकरणों की कमी

एम०सी०आई० द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं के सापेक्ष समस्त नमूना–जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों में शिक्षण उपकरणों (गैर चिकित्सकीय) की कमी थी। नमूना–जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों में कमी 50.06 से 72.37 प्रतिशत के मध्य (मार्च 2016) थी जिसका विवरण सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5: उपकरणों (गैर चिकित्सकीय) की कमी का विवरण

चिकित्सा संस्थान का नाम	(गैर चिकित्सकीय) विभागों की संख्या	एम०सी०आई० मानकों के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम मात्रा	उपलब्ध मात्रा	कमी	कमी का प्रतिशत
एल०एल०आर० एम० मेरठ	08	6,037	2,240	3,797	62.90
बी०आर०डी०, गोरखपुर	08	4,477	1,955	2,522	56.33
एम०एल०बी०, झाँसी	08	4,477	2,236	2,241	50.06
के०जी०एम०य० लखनऊ	07	7,310	2,020	5,290	72.37
योग	31	22,301	8,451	13,850	62.10

(चोत: सम्बन्धित सरकारी मेडिकल कालेजों द्वारा प्रस्तुत सूचना)

नमूना–जाँच किये गये राजकीय मेडिकल कालेजों में (गैर चिकित्सकीय) उपकरणों की कमी का विभागवार विवरण **परिशिष्ट 3.3.2** में दिया गया है।

उपरोक्त प्रस्तर 3.3.3.1 में यथार्चित निधियों के उपलब्ध होने के बावजूद चिकित्सकीय उपकरणों की क्रय प्रक्रिया राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा आरम्भ नहीं की गयी थी। शिक्षण उपकरणों की अत्यधिक कमी ने न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया अपितु एम०सी०आई० द्वारा कुछ विभागों/राजकीय मेडिकल कालेजों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द करने की स्थिति उत्पन्न की।

शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया गया एवं कमियों को दूर किये जाने हेतु उचित कार्यवाही किये जाने का अश्वासन दिया गया।

संस्कृति: शिक्षण चिकित्सालयों में उपकरणों का समय से क्रय एवं उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु उपकरणों की क्रय पद्धति को सरल एवं कारगर बनाये जाने तथा सूक्ष्म अनुश्रवण किये जाने की आवश्यकता है।

3.3.3.3 निष्क्रिय चिकित्सकीय उपकरण

ऊपर इंगित किये गये उपकरणों की कमी के अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि चार राजकीय मेडिकल कालेजों में से दो में क्रय किये गये उपकरणों को प्रयोग में नहीं लाया गया था जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

एम०एल०बी० मेडिकल कालेज, झाँसी

कैंसर रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने हेतु सितम्बर, 2006 में ₹ 1.76 करोड़ में क्रय की गयी एकमात्र कोबाल्ट टेलिथिरेपी एवं ब्रेकीथेरेपी यूनिट मेडिकल फिजीसिस्ट एवं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2009 से बन्द पड़ी थी। लेखापरीक्षा द्वारा जून, 2016 में भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि कोबाल्ट टेलिथिरेपी एवं ब्रेकीथेरेपी यूनिट अक्रियाशील थी एवं विभाग के एक कक्ष में ताले में बन्द पायी गयी।

बायोकेमिस्ट्री विभाग हेतु बायोकेमिकल एनेलाईजर जून, 2011 में ₹ 22.99 लाख में क्रय किया गया था। परन्तु यह उपकरण मार्च 2013 से अक्रियाशील था। एम०एल०बी०, झाँसी के विभागाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उपकरण के उचित संचालन हेतु एयर कन्डीशनर एवं डिस्टिल्ड वाटर संयंत्र आवश्यक था, जो उपलब्ध नहीं था।

कै०जी०एम०यू०, लखनऊ

कार्डियोथेरेसिक एवं वैस्क्यूलर सर्जरी विभाग के लिए एक लेफ्ट वेन्ट्रीक्यूलर एसीस्ट डिवाईस (एल०बी०ए०डी०) नवम्बर, 2014 में ₹ 93.80 लाख में क्रय किया गया था। इस उपकरण का प्रयोग रोगियों में हृदय प्रत्यारोपण हेतु किया जाता है। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि उक्त उपकरण का क्रय मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत हृदय/फेफड़ों के प्रत्यारोपण हेतु अनुमति प्राप्त किये बिना किया गया था। प्रत्यारोपण हेतु आवश्यक अनुमति विलम्ब से जून, 2016 में प्राप्त की गयी थी। तथापि, उपकरण को संचालित किये जाने हेतु कै०जी०एम०यू० द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त, 2016 में भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि उक्त उपकरण क्रय किये जाने के लगभग दो वर्ष पश्चात भी स्थापित नहीं किया गया था एवं नीचे चित्र के अनुसार विभाग में पैकेट के अन्दर बन्द पड़ा था।



कै०जी०एम०यू० लखनऊ के सी० टी० वी०एस० विभाग में पैकेट में बन्द पाए गये एल०बी०ए०डी० उपकरण

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कार्डियोथेरेसिक एवं वैस्क्यूलर सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि नेफरोलॉजिस्ट के उपलब्ध न होने के कारण उक्त उपकरण को प्रयोग में नहीं लाया जा सका।

अतः आवश्यक अवसंरचना, सहायक उपकरण, योग्य स्टाफ आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना उपकरणों को क्रय किया गया था एवं उपकरणों के क्रय का

प्रयोजन पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि क्रय की अवधि से ही विभाग द्वारा हृदय प्रत्यारोपण सम्बन्धी कोई शल्य चिकित्सा सम्पादित नहीं की गयी थी। अग्रेतर निवेश किये गये ₹ 2.93 करोड़ भी वृहद रूप में अलाभकारी रहे।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रकरण की जाँच किये जाने का अश्वासन दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपकरण क्रय के पूर्व के 0जी0एम0यू० नेफरोलॉजिस्ट की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में असफल रहा।

3.3.3.4 चिकित्सकीय उपकरणों का रख—रखाव

किसी उपकरण के सुचारु संचालन को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से उपकरण का यथानिर्धारित रख—रखाव किया जाना चाहिए। अतः उपकरण की वारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात उसके वार्षिक मरम्मत अनुबंध (ए०एम०सी०) हेतु प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि एम०एल०बी०, झांसी के 15 विभागों में स्थापित 212 उपकरणों में से 76 उपकरण जिनकी लागत ₹ 2.74 करोड़ थी, ए०एम०सी० के अभाव में क्रियाशील नहीं थे। इसी प्रकार बी०आर०डी०, गोरखपुर में उपकरण जैसे कॉलपोस्कोप (इसका प्रयोग सर्विक्स कैंसर के प्रकरणों के स्क्रीनिंग में किया जाता है), एन०डी०—वाई०ए०जी० लेजर (इसका प्रयोग इनट्राएपीथीलियल लेसियन चिकित्सा में किया जाता है), एन०एस०टी० मशीन (इसका प्रयोग प्रसव के दौरान गर्भावस्था की मॉनीटरिंग में किया जाता है) एवं यू०एस०जी० मशीन (इसका प्रयोग प्रीनेटल एवं गायनोकोलोजीकल डायग्नोसिस में किया जाता है) ए०एम०सी० के अभाव में पांच वर्षों से अधिक समय से क्रियाशील नहीं थे। के०जी०ए०म०यू०, लखनऊ में बायोकेमिकल एवं हारमोनल जाँचें किये जाने हेतु 2008—09 में ₹ 48.00 लाख की कुल लागत पर क्रय किये गये एवं मेडिसिन विभाग के इनडोक्राईनोलॉजी यूनिट में स्थापित किये गये दो⁴ उपकरण ए०एम०सी० के अभाव में क्रियाशील नहीं थे।

इस प्रकार, राजकीय मेडिकल कालेज सर्विक्स कैंसर, गर्भावस्था की मॉनीटरिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस, बायोकेमिकल एवं हारमोनल जाँचें इत्यादि करने में सक्षम नहीं थे।

अग्रेतर पाया गया कि बी०आर०डी०, गोरखपुर के 11 विभागों में स्थापित 218 उपकरण (21.5 प्रतिशत) एवं एम०एल०बी०, झांसी के 10 विभागों में स्थापित 94 उपकरण (9.86 प्रतिशत) की ए०एम०सी० नहीं की गयी थी। ए०एम०सी० हेतु इन कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से अक्टूबर 2015 में ₹ 1.05 करोड़ एवं मई 2016 में ₹ 1.01 करोड़ का धनावंटन किये जाने का अनुरोध किया था। परन्तु अगस्त 2016 तक इन राजकीय मेडिकल कालेजों को निधियों का कोई आवंटन नहीं किया गया था।

शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि उपकरणों के रख—रखाव हेतु बजट में प्रावधान किये जायेंगे।

3.3.3.5 चिकित्सकीय उपकरणों का क्रय

मैग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिंग

मैग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिंग (एम०आर०आई०) शारीरिक संरचना एवं शारीरिक क्रियाओं सम्बन्धी प्रक्रियाओं का प्रतिबिम्ब तैयार करने के लिए रेडियोलॉजी में प्रयोग की जाने

⁴ रोशी कोबस इनटीग्रा 400प्लस, रोशी इलेक्सिस 2010

वाली एक चिकित्सा प्रतिबिम्ब तकनीक है। एम0आर0आई0 स्कैनर शरीर के प्रतिबिम्बों को बनाने के लिए शावितशाली चुम्बकीय क्षेत्रों, रेडियो तरंगों एवं क्षेत्र अवयवों का प्रयोग करते हैं।

शासन ने बी0आर0डी0, गोरखपुर के लिए एम0आर0आई0 मशीन के क्रय हेतु ₹ 8.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान (जुलाई, 2013) किया था एवं आदेश सितम्बर, 2014 में दिया गया तथा आपूर्ति मई, 2015 में प्राप्त की गयी थी।

क्रय अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित अनियमिततायें उजागर हुयी:

क्रयादेश का बृहत मूल्य होने के बावजूद बी0आर0डी0, गोरखपुर द्वारा नियमानुसार⁵ निविदाओं के जमा किये जाने हेतु न्यूनतम एक माह प्रदान किये जाने की आवश्यकता के सापेक्ष निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) जारी होने के बाद निविदाओं को जमा किये जाने के लिए केवल 15 दिन की अनुमति दी गयी।

दो असफल प्रयासों के बाद, तीसरी बार जनवरी, 2014 में एन0आई0टी0 जारी की गयी तथा क्रय समिति द्वारा फरवरी, 2014 में तकनीकी निविदायें खोली गयी। प्राप्त तीन निविदाओं के सापेक्ष दो फर्मों की तनकीकी निविदायें अर्ह थीं। क्रय समिति द्वारा दो फर्मों की वित्तीय निविदायें मार्च, 2014 में खोली गयी तथा ₹ 11.75 करोड़ के न्यूनतम निविदा की छंटनी की गई। धन की कमी को ध्यान में रखते हुए क्रय समिति के सदस्यों ने न्यूनतम निविदादाता के साथ सन्धि वार्ता⁶ किया जो आवश्यक सहायक उपकरण एवं टर्न की मूल्य (समस्त करों एवं चुंगी सहित) के साथ ₹ 8.00 करोड़ की लागत पर एम0आर0आई0 यूनिट प्रदान करने के लिए सहमत हुआ। तथापि, वारण्टी अवधि को पाँच से कम करके दो वर्ष कर दिया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित (अगस्त, 2014) किया गया कि वारण्टी अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि शासन की स्वीकृति का उल्लंघन करते हुए बी0आर0डी0, गोरखपुर ने केवल 2 वर्ष की वारण्टी अवधि के साथ ₹ 8.00 करोड़ की लागत पर एम0आर0आई0 यूनिट के क्रय हेतु आदेश जारी कर दिया (सितम्बर, 2014)। मशीन मई, 2015 में आपूर्ति की गई। इस प्रकार बी0आर0डी0, गोरखपुर ने वारण्टी पाँच वर्ष से घटाकर दो वर्ष करके आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया। यदि ए0एम0सी0 की लागत ₹ 32.00 लाख प्रति वर्ष आधारस्वरूप ली जाती है, तब तीन वर्ष की वारण्टी अवधि जो कम कर दी गयी थी, की लागत होने के कारण अनुचित लाभ की धनराशि ₹ 96.00 लाख होगी।

आयातित मदों के प्रकरण में आपूर्ति हेतु निर्धारित समय क्रयादेश जारी होने की तिथि से 90 दिन था जिसमें असफल होने पर 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह अधिकतम एफ0ओ0बी0 मूल्य का 5 प्रतिशत अर्थदण्ड लगाया जाना था। तथापि, एम0आर0आई0 यूनिट की आपूर्ति में 5 माह से अधिक के विलम्ब के बावजूद बी0आर0डी0, गोरखपुर द्वारा कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया, परिणामस्वरूप विक्रेता को परिनिर्धारित हानियों (लिकिवडेटेड डैमेजेज) का ₹ 40.00 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

निविदादाता को ठेका प्रदान करके निविदा अभिलेख के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन किया गया उदाहरणार्थ (i) निविदा अभिलेख में प्रावधानित था कि उद्धृत की गयी कीमतों में बिक्री कर, वैट, प्रवेशकर, उत्पाद एवं सीमाकर तथा समस्त अन्य प्रभार एवं शासकीय कर अवश्य सम्मिलित होने चाहिए। तथापि निविदादाता ने अपनी वित्तीय

⁵ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 का प्रस्तर-360(2)

⁶ वार्ता की बैठक 14 मार्च, 2014 को हुयी

निविदा में करों एवं चुंगियों को छोड़कर दरें उद्धृत किया था; (ii) निविदा अभिलेख में तीन वर्षों के लिए मानवशक्ति उपलब्ध कराने, रिपोर्टिंग एवं अनुरक्षण कार्य का प्रावधान किया गया था तथापि निविदादाता ने अपनी निविदा में मानवशक्ति तथा रिपोर्टिंग इत्यादि के उत्तरदायित्व को लेने से मना कर दिया।

कम्पनी ने अपनी निविदा में मैग्नेटम, माडल–एरा 1.5 टी एम०आर०आई० यूनिट की आपूर्ति हेतु उद्धृत किया था, तथापि, स्थापित एम०आर०आई० यूनिट के भौतिक सत्यापन (मई, 2016) के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि यूनिट में माडल का नाम मुद्रित नहीं था यद्यपि एन०आई०टी० के सापेक्ष प्रस्तुत की गयी विवरणी में यूनिट में मुद्रित माडल का नाम स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था।

यद्यपि मशीन सितम्बर, 2015 में स्थापित की गयी थी, परन्तु मई, 2016 तक बी०आर०डी०, गोरखपुर के रेडियो डायग्नोसिस विभाग द्वारा उसका अधिग्रहण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, बी०आर०डी०, गोरखपुर द्वारा बताया गया कि एम०आर०आई० यूनिट के विशिष्टियों की आपूर्तिकर्ता से पुष्टि की जायेगी तथा लेखापरीक्षा को अलग से सूचित किया जायेगा। बी०आर०डी०, ने स्वीकार किया कि उनके पास एम०आर०आई० यूनिट के संचालन हेतु आवश्यक स्टाफ नहीं उपलब्ध था।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रधानाचार्य बी.आर.डी., गोरखपुर को अग्रेत्तर तथ्यों को शासन के संज्ञान में लाने हेतु निर्देशित किया।

कोबाल्ट–60 यूनिट

कोबाल्ट–60 यूनिट का उपयोग कैंसर के रोगियों को विकिरण थेरेपी देने के लिए किया जाता है। शासन ने बी०आर०डी०, गोरखपुर में कोबाल्ट–60 यूनिट की स्थापना हेतु ₹ 3.50 करोड़ की स्वीकृति (अक्टूबर, 2014) प्रदान की थी। नवम्बर, 2014 और दिसम्बर, 2014 में निर्गत प्रथम और द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना (एन०आई०टी०), तीन से कम निविदायें प्राप्त होने के कारण निरस्त कर दिये गये थे। तीसरी एन०आई०टी० जनवरी, 2015 में प्रकाशित की गयी थी जिसकी तकनीकी निविदा 3 फरवरी, 2015 को खोला जाना था। तथापि, दो फर्मों के अनुरोध पर निविदा खोलने की तारीख को 10 फरवरी, 2015 तक बढ़ा दिया गया था।

यह देखा गया कि तीसरी एन०आई०टी० के सापेक्ष केवल दो निविदायें प्राप्त हुई थीं और दोनों फर्मों की तकनीकी विशिष्टियां योग्य पाई गई थीं। वित्तीय निविदाओं को (फरवरी, 2015) खोला गया और ₹ 4.34 करोड़ की दर (पांच साल की वारंटी, कर एवं चुंगी, टर्न–की मूल्य और बृहत रख–रखाव अनुबन्ध (सी०एम०सी०) की लागत सम्मिलित करते हुए) न्यूनतम पायी गयी थी। चूंकि कोबाल्ट यूनिट के क्रय हेतु निधियों की उपलब्धता केवल ₹ 3.50 करोड़ थी अतः क्रय समिति द्वारा फर्म से सन्धिवार्ता (मार्च 2015) की गई तथा कोबाल्ट–60 यूनिट की लागत ₹ 3.50 करोड़ पर सहमति बनी जिसमे सी०एम०सी० मूल्य सम्मिलित नहीं था परन्तु वारंटी, कर एवं घटी टर्न–की सम्मिलित थी। सी०एम०सी० की लागत ₹ 61.50 लाख निकाल दी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा क्रय प्रक्रिया में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईं:

एन0आई0टी0 में एक तकनीकी आवश्यकता का प्रावधान किया गया था कि विक्रेता ने उसी मॉडल की 10 यूनिटों की भारत में आपूर्ति की हो। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह आवश्यक शर्त पी0एम0टी0पी0एल0 द्वारा पूरी नहीं की गयी थी, क्योंकि उसने मात्र 6 यूनिट की ही भारत में आपूर्ति की थी। इसके बावजूद पी0एम0टी0पी0एल0 को तकनीकी रूप से अर्ह घोषित किया गया और उसकी वित्तीय निविदा को खोला गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि तकनीकी विशिष्टियों का विवरण नवम्बर 2014 में प्रथम एन0आई0टी0 के जारी होने के पहले ही पी0एम0टी0पी0एल0 के साथ साझा किया गया था। यह तथ्य फर्म के उस पत्र (अक्टूबर, 2014) से स्पष्ट हुआ जिसमें फर्म ने कोबाल्ट-60 यूनिट की विभिन्न तकनीकी विशिष्टियों में संशोधन का सुझाव दिया था। कालेज ने तदनुसार, पी0एम0टी0पी0एल0 द्वारा आपूर्ति के लिए प्रस्तावित की गयी कोबाल्ट-60 यूनिट की विशिष्टियों से मेल खाने के लिए तकनीकी अर्हताओं को संशोधित कर दिया। बी0आर0डी0, गोरखपुर की ओर से यह अत्यधिक अनियमित था कि उसने एन0आई0टी0 जारी करने के पूर्व ही तकनीकी विशिष्टियों को एक विशिष्ट विक्रेता के साथ साझा किया तथा केवल एक विक्रेता के सुझावों के अनुसार विशिष्टियों को निर्धारित किया।

फर्म द्वारा टर्नकी कार्य के क्षेत्र को भी संशोधित प्रस्ताव में कम कर दिया गया जिसमें केवल आधारभूत कक्ष सुधार, विद्युतीकरण एवं कोबाल्ट कक्ष के वातानुकूलन को सम्मिलित किया गया। टर्नकी कार्य के क्षेत्र में कमी के कारण सम्बन्ध वार्ता के पश्चात प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव में टर्नकी लागत संशोधित करके ₹ 23.5 लाख से ₹ 11.79 लाख कर दी गई थी। चूँकि सम्मिलित न की गई सी0एम0सी0 की लागत ₹ 61.50 लाख थी अतः टर्नकी प्रोजेक्ट के क्षेत्र में कमी को स्वीकार करना क्रय समिति की ओर से अनुचित था क्योंकि ₹ 3.50 करोड़ की लागत में पूर्ण टर्नकी लागत सम्मिलित थी।

आपूर्ति आदेश जारी करने के पूर्व परमाणु उर्जा नियामक आयोग से अनुमति नहीं ली गई थी जो विद्यमान मानकों के विपरीत था।

आपूर्ति आदेश (जून, 2015) में जारी किया गया था तथा उपकरण दिसम्बर, 2015 में प्राप्त किया गया था परन्तु टर्नकी कार्य अभी भी पूर्ण न होने से मई, 2016 तक उपकरण स्थापित नहीं किया जा सका था।

वेन्टीलेटरों की आपूर्ति पर अतिरिक्त व्यय

के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा वेन्टीलेटरों के क्रय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ट्रामा सेन्टर, न्यू आई. सी. यू. के लिए 15 वेन्टीलेटर ₹ 24.42 लाख प्रत्येक की दर से ₹ 3.66 करोड़ में क्रय किये गये थे। तथापि, के0जी0एम0यू0 ने दरों की विशुद्धता को सुनिश्चित किये बिना वेन्टीलेटर क्रय किया था (अगस्त, 2015) जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि उसी उपकरण की एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ को उसी फर्म द्वारा ₹ 18.36 लाख प्रति वेन्टीलेटर की दर से आपूर्ति की गयी थी (मार्च, 2015)। इस प्रकार, समुचित तत्परता के अभाव एवं दर विश्लेषण की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा 15 वेन्टीलेटरों के क्रय में ₹ 90.90 लाख⁷ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

⁷ ₹ 24.42-₹ 18.36 x 15 = ₹ 90.90 लाख

शासन द्वारा प्रकरण पर विशिष्ट उत्तर शीघ्र ही लेखापरीक्षा के दिये जाने का आश्वासन दिया गया।

3.3.3.6 निविदा की क्रियाविधि

लेखा परीक्षा में देखा गया कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ में वित्तीय हस्त पुस्तिका में प्रावधानित उपकरणों की आपूर्ति एवं निविदा की सही क्रियाविधि का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु निविदा अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि:

के0जी0एम0यू0. के विभिन्न विभागों हेतु उपकरणों के क्रय हेतु प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) दिसम्बर 2014 में जारी की गयी थी। चूंकि निविदाओं की न्यूनतम वांछित संख्या नहीं प्राप्त हुई, अतः दूसरी एवं तीसरी एन0आई0टी0 क्रमशः जनवरी एवं फरवरी 2015 में जारी की गयी थी। तथापि, न्यूनतम एक माह की निर्धारित अवधि के सापेक्ष दूसरी एवं तीसरी एन0आई0टी0 में निविदाओं को जमा किये जाने हेतु दिये गये दिनों की संख्या घटाकर क्रमशः 16 एवं 9 दिन कर दी गयी थी।

दूसरी एवं तीसरी एन0आई0टी0 जारी किये जाने के पूर्व, के.जी.एम.यू ने पहले वाली एन0आई0टी0 को निरस्त नहीं किया तथा उसके बजाय समस्त निविदाओं, जो पहली, दूसरी एवं तीसरी एन0आई0टी0 के दौरान प्राप्त हुई थीं, को उपकरणों के क्रय का अन्तिमीकरण करने के पूर्व, पर विचार किया गया था।

दूसरी एवं तीसरी एन0आई0टी0 में प्रावधान किया गया था कि जिन फर्मों ने प्रथम अथवा द्वितीय एन0आई0टी0 के क्रम में अपनी निविदा पहले ही दिया हो, को पुनः आवेदन नहीं करना है।

यह भी देखा गया कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा समान प्रक्रिया गत वर्षों में भी अपनायी गयी थी जो निर्धारित वित्तीय नियमों तथा निविदा क्रियाविधि के अनुरूप नहीं थी।

शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया तथा के0जी0एम0यू0 को आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया गया।

संस्तुति: उपकरणों के क्रय में निर्धारित वित्तीय नियमों एवं निविदा प्रक्रिया का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।

3.3.4 निष्कर्ष

यद्यपि शासन द्वारा पर्याप्त निधियों का प्रावधान किया गया था, परन्तु राजकीय मेडिकल कालेजों ने चिकित्सकीय एवं शिक्षण उपकरणों का क्रय नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उपकरणों का अभाव था।

राजकीय मेडिकल कालेज कैंसर/हृदय रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा प्रदान करने में असफल रहे क्योंकि उपकरण जैसे कोबाल्ट टेलिथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी यूनिट, लेपट वेन्ट्रीक्यूलर एसीस्ट डिवाईस इत्यादि चिकित्सकों/तकनीकी कर्मचारियों/अवसंरचना के अभाव के कारण चिकित्सालयों में क्रियाशील नहीं थे। राजकीय मेडिकल कालेजों ने उपकरणों हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा निष्पादित नहीं की थी। परिणामस्वरूप मशीनें

क्रियाशील नहीं थीं एवं सर्विक्स कैंसर, गर्भावस्था मॉनीटरिंग, प्रीनेटल डायगोनसिस, बायोकेमिकल एवं हारमोनल जाँचें आदि किये नहीं जा सके।

राजकीय मेडिकल कालेजों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं का अनुचित पक्षपात करते हुए उपकरणों का अधिक दर पर क्रय करके सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

राजकीय मेडिकल कालेजों का वित्तीय प्रबन्धन पर्याप्त नहीं था क्योंकि पी0एल0ए0 में लम्बी अवधि तक निधियों का अवरोधन, निधियों के व्यावर्तन आदि के प्रकरण थे। इससे न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ अपितु रोगियों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल से भी वंचित रखा गया क्योंकि आवश्यक उपकरणों का समय से क्रय नहीं किया गया था।

कृषि विभाग

3.4 स्वतंत्र फीडर लाइन के निर्माण में विलम्ब

राजकीय कृषि प्रक्षेत्र में नलकूपों को संचालित करने हेतु स्वतंत्र फीडर लाइन निर्माण की परियोजना का कार्य नौ वर्ष के विलम्ब के उपरान्त और परियोजना लागत का शत प्रतिशत भुगतान किये जाने के बावजूद भी अपूर्ण रहना। 591.91 हेक्टेयर भूमि पर बीज उत्पादन नहीं होने के कारण विभाग को ₹ 1.12 करोड़ की हानि एवं फीडर लाइन के निर्माण पर व्यय ₹ 1.60 करोड़ का अलाभकारी रहना।

वित्तीय नियम¹ के अनुसार कार्य हेतु अनुबन्ध, जिन्हें निरपवाद रूप में लिखित में होना चाहिये और कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि एवं किये जाने वाले कार्यों की मात्रा का उल्लेख होना चाहिये। नियमों² के अनुसार जिन प्रकरणों में औपचारिक लिखित संविदा नहीं की गयी हो, ₹ 500 के मूल्य तक के लघु क्रय के अतिरिक्त, कोई भी आपूर्ति आदेश इत्यादि, कम से कम दर हेतु लिखित अनुबन्ध के बिना नहीं दिया जाना चाहिये।

‘राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन बढ़ाने की योजना वर्ष 2006–07’ के अन्तर्गत राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिगत प्रक्षेत्र में स्थापित 40 नलकूपों को संचालित करने एवं प्रक्षेत्र की 1,448.48 हेक्टेयर ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु संडीला उपकेन्द्र से राजकीय ऊसर सुधार प्रक्षेत्र, ढकौनी, हरदोई (प्रक्षेत्र) तक 11 के0वी0ए0 स्वतंत्र फीडर लाइन की स्थापना हेतु शासन द्वारा ₹ 1.12 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति (दिसम्बर 2006) प्रदान की गयी। शासन की स्वीकृति में कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गयी थी।

प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय ऊसर सुधार प्रक्षेत्र, मोहम्मदपुर, हरदोई (प्रक्षेत्र अधीक्षक) (जुलाई 2014) एवं वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (मार्च–अप्रैल 2015) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 11 के0वी0ए0 स्वतंत्र फीडर लाइन की स्थापना हेतु कृषि विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पावर कार्पोरेशन) के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, हरदोई, को अनुबन्ध या समझौता ज्ञाप गठित किये बिना, पूर्ण लागत ₹ 1.12 करोड़ का अग्रिम भुगतान³ कर दिया गया था (जनवरी 2007)। कार्यादेश के अनुसार कार्य को वर्ष 2006–07 में पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया (मई 2016) कि कार्य पूर्ण करने की निर्धारित मूल तिथि से नौ वर्ष व्यतीत होने और पावर कार्पोरेशन को अग्रिम में पूर्ण भुगतान किये जाने के बावजूद भी 11 के0वी0ए0 स्वतंत्र फीडर लाइन के निर्माण का कार्य अपूर्ण था। यह पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा मात्र खंभे लगाये गये थे एवं मूल परियोजना के 88 प्रतिशत लागत की कार्य मद्द मई 2016 तक निष्पादित किया जाना शेष थीं। कृषि विभाग पावर कार्पोरेशन के विरुद्ध परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति आरोपित करने की कोई कार्यवाही करने में असफल था क्योंकि उसके द्वारा पावर कार्पोरेशन को उत्तरदायी बनाने हेतु कोई लिखित अनुबन्ध अथवा समझौता ज्ञाप नहीं किया गया था।

¹ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI, प्रस्तर 351

² वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V, परिशिष्ट XIX(4)

³ बैंक ड्राफ्ट संख्या 127412 दिनांक 17.01.2007

अग्रेतर, अधिशासी अभियन्ता की माँग पर कृषि विभाग द्वारा मूल स्वीकृत परियोजना लागत ₹ 1.12 करोड़ के अलावा अतिरिक्त कार्य मदों हेतु ₹ 48.19 लाख का अतिरिक्त भुगतान⁴ अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2011 के दौरान किया गया। ये अतिरिक्त कार्य की मदं भी मई 2016 तक अपूर्ण थीं।

11 के 0वी0ए० स्वतंत्र फीडर लाइन का कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के फलस्वरूप सिंचाई हेतु नलकूपों के संचालन हेतु विद्युत की अनुपलब्धता के कारण विभाग 591.91 हेक्टेयर भूमि (1,448.48 हेक्टेयर के सापेक्ष) पर बीज उत्पादन करने में असमर्थ था। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रक्षेत्र अधीक्षक द्वारा उत्तर (मई 2016) में बताया गया कि अनुस्मारक प्रेषित किये जाने के बावजूद पावर कार्पोरेशन द्वारा स्वतंत्र फीडर लाइन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। प्रक्षेत्र अधीक्षक का उत्तर मात्र नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा न तो कोई समझौता ज्ञाप हस्ताक्षरित किया गया था और न ही भुगतान प्रक्रिया को कार्य की प्रगति से सम्बद्ध किया गया था, साथ ही कार्य पूर्ण करने के लिए जोर दिये बिना अतिरिक्त भुगतान किया गया था। विभाग द्वारा प्रकरण की जाँच भी नहीं करायी गयी थी। लेखापरीक्षा पृच्छा के उत्तर में प्रक्षेत्र अधीक्षक ने बताया कि 591.91 हेक्टेयर भूमि में बीज उत्पादन नहीं होने के कारण विभाग को ₹ 12.40 लाख प्रतिवर्ष हानि हो रही है।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2016)। शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2016) कि प्रकरण की विस्तृत जाँच करने के पश्चात् आख्या प्रेषित कर दी जायेगी।

तथ्य यथावत रहा कि कृषि विभाग के स्तर पर खामियाँ होने के कारण स्वतंत्र फीडर लाइन के निर्माण की परियोजना नौ वर्ष के विलम्ब के उपरान्त एवं परियोजना लागत का शत प्रतिशत भुगतान किये जाने के बावजूद भी अपूर्ण थी। अग्रेतर, 591.91 हेक्टेयर भूमि में बीज उत्पादन नहीं होने के कारण कृषि विभाग को ₹ 1.12 करोड़⁵ की हानि हुई एवं जिसके फलस्वरूप फीडर लाइन के निर्माण पर व्यय ₹ 1.60 करोड़ अलाभकारी रहा। उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाने हेतु प्रकरण की जाँच किये जाने की आवश्यकता है।

3.5 यमुना एक्सप्रेस—वे प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरित भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने के कारण बीज उत्पादन की हानि

यमुना एक्सप्रेस—वे प्राधिकरण को प्रदान की गयी भूमि के बदले कृषि विभाग द्वारा वैकल्पिक भूमि पर कब्जा प्राप्त करने में विफल रहने के कारण शासन को बीज उत्पादन पर ₹ 1.22 करोड़ की हानि।

यमुना एक्सप्रेस—वे के निर्माण हेतु शासन द्वारा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र राया⁶ मथुरा की 8.882 हेक्टेयर भूमि यमुना एक्सप्रेस—वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) को हस्तान्तरित करने की अनुमति जुलाई 2009 में प्रदान की गई। अग्रेतर, शासन द्वारा निर्णय (सितम्बर 2009) लिया गया कि यमुना एक्सप्रेस—वे प्राधिकरण को हस्तान्तरित भूमि के बदले वैकल्पिक भूमि का चयन संयुक्त दल⁷ द्वारा करके कृषि विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

⁴ रसीद संख्या 01/025083 दिनांक 25.4.2007: ₹ 19.11 लाख, चेक संख्या 345889 दिनांक 21.10.2009: ₹ 18.14 लाख, चेक संख्या 602135 दिनांक 13.12.2011: ₹ 10.94 लाख।

⁵ दर ₹ 12.40 लाख प्रतिवर्ष

⁶ तहसील मांट ग्राम दीवाना, सूरज, तहसील महावन ग्राम ढकू।

⁷ समिति के सदस्य जिला कृषि अधिकारी, सम्बंधित अपर जिलाधिकारी, प्राधिकरण के प्रतिनिधि एवं कंशेसनायर।

उप कृषि निदेशक (शोध), संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र, मथुरा (उप कृषि निदेशक) के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2015 एवं जून 2016) में देखा गया कि कृषि विभाग द्वारा कृषि प्रक्षेत्र राया की 8.882 हेक्टेयर भूमि⁸ (21.947 एकड़) प्राधिकरण को हस्तांतरित की गयी (सितम्बर 2009)। वर्ष 2008 के सर्किल दर⁹ के अनुसार भूमि का मूल्य ₹ 1.62 करोड़¹⁰ था जो कि पुनरीक्षित सर्किल दर (सितम्बर 2015) के अनुसार ₹ 10.87 करोड़¹¹ हो गया था। अधिगृहीत की गई भूमि के बदले प्राधिकरण द्वारा कृषि विभाग को 8.882 हेक्टेयर¹² वैकल्पिक भूमि कब्जा अधिकार पत्र के माध्यम से स्थानान्तरित की गयी जिस पर संयुक्त रूप से कृषि विभाग एवं प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरित वैकल्पिक भूमि पर पाँच वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी कृषि विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त करने एवं राजस्व अभिलेख में भूमि को अपने नाम अंकित कराने हेतु कोई प्रयास प्रारम्भ नहीं किया गया था। प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरित वैकल्पिक 8.882 हेक्टेयर भूमि पर कृषि विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किये जाने के कारण प्रक्षेत्र में ₹ 1.22 करोड़¹³ मूल्य के बीज का उत्पादन नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर उप कृषि निदेशक ने बताया (जून 2016) कि कब्जा अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर (जून 2010) तत्कालीन अधिकारियों को गुमराह करके कराया गया था तथा भूमि आज भी राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण के नाम अंकित है। यद्यपि, भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कृषि विभाग, प्राधिकरण को 6 वर्ष पूर्व प्रदान की गई भूमि के बदले प्राधिकरण से भूमि पर कब्जा प्राप्त करने की प्रभावी कार्यवाही करने में विफल रहा था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2016)। शासन द्वारा उत्तर दिया गया (जनवरी 2017) कि प्रकरण की विस्तृत जाँच के उपरान्त आख्या प्रेषित की जायेगी।

अतः प्राधिकरण को प्रदान की गई भूमि के बदले में प्राप्त भूमि (₹ 1.62 करोड़) पर भौतिक कब्जा प्राप्त करने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 1.22 करोड़ मूल्य के बीज का उत्पादन नहीं हो सका था।

पिछ़ा वर्ग कल्याण विभाग

3.6 अन्य पिछ़ा वर्ग बालिका छात्रावास के निर्माण में निष्फल व्यय

अन्य पिछ़ा वर्ग की बालिकाओं हेतु निर्मित छात्रावास के चार से छः वर्ष से अधिक अनुपयोगी पढ़े रहने के कारण उस पर किया गया व्यय ₹ 1.16 करोड़ निष्फल रहा।

भारत सरकार द्वारा अन्य पिछ़ा वर्ग की छात्राओं को समुचित छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जहां अन्य पिछ़ा वर्ग की जनसंख्या

⁸ जनपद मथुरा तहसील मांट ग्राम दीवाना 5.5513 हेक्टेयर (13.717 एकड़), सूरज 1.909 हेक्टेयर (2.943 एकड़), ग्राम ढकू 2.1398 हेक्टेयर (5.287 एकड़), एक एकड़ = 0.4047 हेक्टेयर।

⁹ ग्राम दीवाना ₹ 8 लाख, ग्राम सूरज ₹ 7 लाख, ग्राम ढकू ₹ 6 लाख प्रति एकड़।

¹⁰ 13.717 एकड़; ₹ 109.75 लाख, 2.943 एकड़; ₹ 20.60 लाख, 5.287 एकड़; ₹ 31.72 लाख।

¹¹ ग्राम दीवाना 5.5513 हेक्टेयर दर ₹ 120 लाख प्रति हेक्टेयर; ₹ 666.15 लाख, ग्राम सूरज 1.909 हेक्टेयर दर ₹ 120 लाख प्रति हेक्टेयर; ₹ 142.90 लाख, ग्राम ढकू 2.1398 हेक्टेयर दर ₹ 130 लाख प्रति हेक्टेयर; ₹ 278.17 लाख।

¹² ग्राम दीवाना खसरा संख्या 482 मी; 5.482 हेक्टेयर, खसरा संख्या 486; 1.664 हेक्टेयर, खसरा संख्या 487 अ० ब०; 1.736 हेक्टेयर (कुल 8.882 हेक्टेयर)।

¹³ वर्ष 2009–10 ₹ 19.11 लाख, वर्ष 2010–11 ₹ 19.31 लाख, वर्ष 2011–12 ₹ 18.28 लाख, वर्ष 2012–13 ₹ 18.38 लाख, वर्ष 2013–14 ₹ 20.65 लाख, वर्ष 2014–15 ₹ 26.76 लाख।

की बहुलता है किन्तु, वहाँ छात्रावास की समुचित व्यवस्था नहीं है, 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त छात्रावास निर्माण योजना (1998–99) प्रारम्भ की गयी।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, हरदोई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जनवरी 2014) एवं अग्रेतर एकत्र की गई सूचना (अप्रैल 2016) से यह प्रकाश में आया कि आवश्यकताओं के आकलन के उपरान्त राजकीय बालिका इन्टर कालेज, पिहानी, हरदोई के परिसर में एक 39 शैय्या वाले छात्रावास का प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई द्वारा बनाया गया था तथा इसे जिलाधिकारी, हरदोई के माध्यम से निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया (अप्रैल 2006)। शासन द्वारा छात्रावास निर्माण के प्रस्ताव हेतु ₹ 51.18 लाख के लागत की स्वीकृति प्रदान की तथा कंस्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज, जल निगम, उ0प्र0 को निर्माण संस्था के रूप में नामित किया गया (जनवरी 2009)। निर्माण कार्य अक्टूबर 2009 में पूर्ण हो गया था एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, हरदोई को फरवरी 2010 में हस्तगत किया गया किन्तु, हस्तगत किए जाने से अब तक छात्रावास भवन अनुपयोगी पड़ा है। तथापि, छात्रावास की क्षमता 39 शैय्या से 50 शैय्या में उच्चीकृत किए जाने हेतु शासन द्वारा अप्रैल 2011 में ₹ 9.21 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी तथा कार्य सितम्बर 2011 में पूर्ण हो गया। छात्रावास खाली पड़े होने के कारण जिलाधिकारी, हरदोई के आग्रह के उपरान्त निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा छात्रावास जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिये कस्तूरबा गांधी विद्यालय के संचालन हेतु हस्तगत किया गया (सितम्बर 2011) क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय भवन निर्माणाधीन था। यद्यपि, कस्तूरबा गांधी विद्यालय भवन पूर्ण होने, तथा उसके अपने भवन में हस्तांतरण होने के बाद भी पुनः छात्रावास सितम्बर 2016 तक खाली रहा।

इसी प्रकार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी (अक्टूबर 2014) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राजकीय बालिका इन्टर कालेज, हैदरगढ़, बाराबंकी कालेज परिसर में एक 33 शैय्या वाले छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा बनाया गया और जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया। कार्य फरवरी 2010 में पूर्ण हो गया। अग्रेतर, छात्रावास की क्षमता बढ़ा कर 50 शैय्या करने के लिये शासन द्वारा फरवरी 2010 में ₹ 13.17 लाख अवमुक्त किया गया। कार्य मार्च 2011 में पूर्ण हो गया था तथा छात्रावास भवन जून 2011 में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी को हस्तगत किया गया। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी के हस्तगत करने के पश्चात् से छात्रावास निष्प्रयोज्य पड़ा है। यद्यपि, छात्रावास को प्रयोग में लाने हेतु निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा अनेक पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, हैदरगढ़, बाराबंकी को प्रेषित किये गए।

प्रकरण शासन को मई 2016 में संदर्भित किया गया। शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2016) कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, हरदोई एवं जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा छात्रावास को क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई को सूचित किया गया है (अगस्त 2016) कि अद्यतन स्थिति के अनुसार छात्रावास में कोई कर्मचारी नहीं है तथा मूलभूत सुविधाओं, यथा बिजली एवं पानी का अभाव है। अग्रेतर, बाराबंकी में स्थित छात्रावास के सम्बन्ध में शासन तथा प्रधानाचार्य दोनों ने उत्तर दिया कि

छात्रावास खाली है क्योंकि छात्राओं के निकटवर्ती गाँवों की होने के कारण छात्रायें छात्रावास में निवास करने की इच्छुक नहीं हैं।

इस प्रकार हरदोई एवं बाराबंकी में छात्रावासों के निर्माण पर आवश्यकताओं का उचित आकलन न करने के कारण ₹1.16 करोड़¹⁴ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि छात्रावास क्रमशः छह एवं चार वर्ष का समय व्यतीत होने पर भी रिक्त थे।

गृह विभाग

3.7 द्रौप कैरियर का अविवेकपूर्ण क्रय

होमगार्ड प्रशिक्षुओं के परिवहन हेतु बसों के स्थान पर द्रौप कैरियर के क्रय के विभाग के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹ 1.25 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 205 एवं 206 में प्रावधानित है कि शासकीय धन के व्यय में एक लोक सेवक द्वारा वही सजगता बरती जानी चाहिए जैसे कि एक सामान्य विवेक सम्मत व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय में बरतता है। अग्रेतर, वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिये, जिससे कि आर्थिक पारदर्शिता परिलक्षित हो।

महानिदेशक होमगार्ड, लखनऊ के लेखा अभिलेखों की जाँच (जुलाई-2013 एवं जून-2016) तथा अग्रेतर एकत्रित सूचना में पाया गया कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के पर्सपैकिट फ्लान (2007-12) के अन्तर्गत फायरिंग अभ्यास हेतु प्रशिक्षुओं को फायरिंग रेंज तक लाने ले जाने हेतु 10 बसों¹⁵ का प्राविधान किया गया था। फायरिंग अभ्यास हेतु प्रशिक्षुओं के परिवहन हेतु 13 बसों (प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के लिये एक बस)¹⁶ के सापेक्ष भारत सरकार को 5 बसों लागत 60.00 लाख का एक संशोधित प्रस्ताव (जनवरी 2008) प्रेषित किया गया था क्योंकि विभाग के पास आठ बसें (45 सीट की क्षमता वाली 3 बसें एवं 32 सीट की क्षमता वाली 5 बसें) पहले से उपलब्ध थीं। भारत सरकार द्वारा योजना वर्ष 2007-08 में ₹ 60.00 लाख और वर्ष 2009-10 में ₹ 62.50 लाख क्रमशः मार्च 2008 एवं नवम्बर 2009 में अवमुक्त किया गया था जिसके सापेक्ष उप कमान्डेण्ट जनरल होमगार्ड द्वारा आठ द्रौप कैरियर हेतु मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को आपूर्ति आदेश¹⁷ (मार्च 2010) दिया गया। द्रौप कैरियरों को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को ₹ 109.27 लाख (मार्च 2010) और ₹ 2.73 लाख (जनवरी 2012) भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2013 से मार्च 2016 तक द्रौप कैरियर का उपयोग¹⁸ शून्य से 421 किमी¹⁹ तक किया गया। यह इंगित करता है कि द्रौप कैरियर बिना उपयोग के बेकार पड़े हुये थे। यह भी देखा गया कि विभाग के द्वारा द्रौप कैरियर की उच्च संचालन लागत एवं अनुपयोगी होने के कारण अपने प्रस्ताव को इस आधार पर संशोधित (जून 2012) करते हुए मोटर साइकिल क्रय करने का प्रस्ताव किया गया था। विभाग की अनुंशसा पर स्टेट इम्पावर्ड कमेटी द्वारा योजना वर्ष 2008-09 में

¹⁴ ₹ 60.39 लाख हरदोई के छात्रावास हेतु + ₹ 55.18 लाख बाराबंकी के छात्रावास हेतु = ₹ 115.57 लाख, अथवा 1.16 करोड़।

¹⁵ प्रत्येक वर्ष दो बस प्रत्येक की लागत ₹ 12 लाख।

¹⁶ 12 जिला प्रशिक्षण केन्द्र और एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान।

¹⁷ योजना वर्ष 2007-08 के सापेक्ष चार द्रौप कैरियर के लिये लागत ₹ 54,63,664.00 और योजना वर्ष 2009-10 के सापेक्ष चार द्रौप कैरियर के लिये लागत ₹ 54,63,664.00 का अपूर्ति आदेश (मार्च 8, 2010)।

¹⁸ जिला प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद-शून्य किमी²⁰, आगरा-140 किमी²⁰; आजमगढ़-301 किमी²⁰; वाराणसी-421 किमी²⁰; और झांसी-300 किमी²⁰।

प्रस्तावित आठ ट्रूप कैरियर जिसके लिये भारत सरकार ने अगस्त–2009 में ₹ 89.60 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के स्थान पर 140 मोटर साईकिलों क्रय करने की संस्तुति की गयी (जुलाई 2012) तदनुसार, विभाग द्वारा 140 मोटर साईकिलों को प्राप्त करने हेतु मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को ₹ 75.47 लाख का आपूर्ति आदेश (मार्च–2013) निर्गत किया गया।



पर 140 मोटर साईकिलों का क्रय यह इंगित करता है कि होमगार्ड प्रशिक्षुओं के परिवहन हेतु 8 ट्रूप कैरियर क्रय किये जाने का विभाग का निर्णय अनौचित्यपूर्ण एवं वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण था।

शासन को विषय संदर्भित किया गया (जून 2016)। शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (दिसम्बर 2016) कि ट्रूप कैरियर को संचालित करने के लिये एक टेक्निकल कमेटी का गठन कर दिया जायेगा और आश्वासन दिया गया कि ट्रूप कैरियर को उपयोग में न लाने के कारणों से अवगत कराया जायेगा।

तथ्य यथावत् रहा कि विभाग के द्वारा होमगार्ड प्रशिक्षुओं को फायरिंग रेंज तक परिवहन हेतु ट्रूप कैरियर क्रय करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ का अलाभकारी व्यय किया गया।

3.8 रेलवे से ₹ 34.44 करोड़ की वसूली प्राप्त न होना।

सरकारी लेखा नियम के प्राविधानों के उल्लंघन के कारण राजकीय रेलवे पुलिस के उत्तर मध्य रेलवे में परिनियोजन से राज्य सरकार को ₹ 34.44 करोड़ की हानि।

सरकारी लेखा नियम 1990¹⁹ के अनुसार गर्वनमेन्ट रेलवे पुलिस की लागत²⁰ 'क्राइम' और 'आर्डर पुलिस' का भेद किये बिना राज्य सरकार एवं रेलवे के द्वारा आधा–आधा वहन किया जायेगा।

¹⁹ अपेन्डिक्स V का आइटम V।

²⁰ लागत में जी0आर0पी0 कर्मचारियों जिसमें कार्यालय एवं पर्यवेक्षण कर्मचारी, पुलिस महानिदेशक स्तर तक के सम्मिलित हैं, बशर्ते वे जी0आर0पी0 के इन्वार्ज हों, के वेतन एवं समस्त भत्ते, कार्यालय व्यय एवं आकस्मिक व्यय, पेन्शनरी चार्जेज की लागत, जी0आर0पी0 कर्मचारियों के द्वारा किराये पर लिये गये भवन की लागत सम्मिलित है।

उप महानिरीक्षक, रेलवे उत्तर प्रदेश सरकार के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2015 और अक्टूबर 2016) में पाया गया कि राजकीय रेलवे पुलिस के द्वारा वर्ष 2006 से 2016 तक अपनी सेवाओं को प्रदान करने के एवज में ₹ 345.77 करोड़ के बिल²¹ उत्तर मध्य रेलवे को प्रेषित किये गये लेकिन रेलवे के द्वारा केवल ₹ 299.99 करोड़ का भुगतान किया गया। अग्रेतर, संवीक्षा में पाया गया कि राजकीय रेलवे पुलिस के देयक से कुल अस्वीकार धनराशि ₹ 45.76 करोड़ में से ₹ 34.44 करोड़²² की धनराशि, जो किराया एवं आवश्यक पेन्शनरी चार्जेज मद की थी, अस्वीकार कर दी गयी। यह इंगित करता है कि रेलवे के द्वारा नियमों का उल्लंघन कर अपने भाग का किराया और आवश्यक पेन्शनरी चार्जेज के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार रेलवे के द्वारा वर्ष 2006 से 2016 तक राजकीय रेलवे पुलिस के देयकों का भुगतान न करने के कारण राज्य सरकार को ₹ 34.44 करोड़ की हानि हुयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर उपमहानिरीक्षक रेलवे के द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया और बताया गया कि रेलवे द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस के बिलों से विस्तृत कटौतियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। उनके द्वारा अग्रेतर बताया गया कि किराया और पेन्शनरी चार्जेज की कटौती के सम्बन्ध में उत्तर मध्य रेलवे से कई बार पत्राचार किया गया है लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम के प्राविधानों के अनुसार मामले को सुलझाने के लिए न तो शासन एवं रेलवे मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के समक्ष मामले को उठाया गया और न ही इस विषय पर वार्ता हेतु कोई बैठक की गयी।

इस प्रकार, रेलवे के समक्ष प्रकरण को प्रभावकारी ढंग से न रखने के कारण वर्ष 2006 से 2016 तक रेलवे में राजकीय रेलवे पुलिस के परिनियोजन पर राज्य सरकार को ₹ 34.44 करोड़ की हानि हुयी तथा नियमों के अनुसार राजकीय रेलवे पुलिस के किराया एवं पेन्शनरी चार्जेज में रेलवे की 50 प्रतिशत सहभागिता को सुनिश्चित नहीं किया गया।

प्रकरण शासन को अक्टूबर 2016 में सन्दर्भित किया गया और वार्तालाप और उत्तर प्रेषित करने हेतु अनुस्मारक जारी (नवम्बर 2016) किया गया। यद्यपि, न तो शासन के द्वारा दिसम्बर 2016 तक उत्तर दिया गया और न ही वार्तालाप हेतु तिथि निर्धारित की गयी।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

3.9 ₹ 32.60 करोड़ को राज्य रोजगार गारण्टी निधि में जमा किया जाना

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की निधि से औद्यानिक परियोजना (उद्यानीकरण) पर किये गये अनाधिकृत व्यय ₹ 32.60 करोड़ को भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुये राज्य रोजगार गारन्टी निधि में जमा नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में औद्यानिक परियोजना 'उद्यानीकरण' का क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय (अक्टूबर 2008) लिया गया, जिसका उद्देश्य महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के

²¹ चेतन, डी०ए०, टी०ए०, अन्य भत्ते (सी०सी०ए०, ए८०आर०ए०, डब्ल्य०ए०, के०ए८०ए०, पी०ए०), आकस्मिक व्यय और 10 प्रतिशत पेन्शनरी चार्जेज सम्मिलित हैं।

²² 50 प्रतिशत किराया एवं 50 प्रतिशत का 10 प्रतिशत पेन्शनरी चार्जेज जिसको जी०ए०आर० 1990 के अपेन्डिक्स-V के आइटम-V के अनुसार रेलवे के द्वारा दिया जाना चाहिये (पेन्शनरी चार्जेज ₹ 17.35 करोड़ और किराया ₹ 17.09 करोड़)।

स्वामित्व वाली निजी भूमि पर एकल गतिविधि के रूप में अथवा सामूहिक गतिविधि के रूप में उद्यान विकसित करना था। अग्रेतर, उद्यानीकरण के अंतर्गत प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे के तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति श्रेणी²³ के परिवारों के जीवन स्तर को उठाने के लिये शाक भाजी, फूल तथा मसाला की खेती का वित्त पोषण मनरेग्स में उपलब्ध धनराशि से 60:40 (श्रमांशः सामग्री) के अनुपात में करने का शासन द्वारा निर्णय (जून 2009) लिया गया। तदनुसार, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मनरेग्स से ₹ 36.04 करोड़²⁴ की धनराशि आवंटित एवं अवमुक्त की गयी और उद्यानीकरण के निष्पादन पर वर्ष 2009–13 की अवधि में ₹ 32.60 करोड़²⁵ का व्यय आवंटित धनराशि के सापेक्ष जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा किया गया था।

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, लखनऊ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (मई 2013 एवं जून 2016) एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास से एकत्र सूचना (जून 2014) से प्रकाश में आया कि राज्य सरकार द्वारा उद्यानीकरण को मनरेग्स से वित्त पोषित किया गया था एवं संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को आदेशित किया गया (सितम्बर 2012) कि परियोजना को समाप्त कर दिया गया है एवं उन्हें निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से मनरेग्स के अंतर्गत कोई भी धन व्यय न किया जाए, चूंकि भारत सरकार ने उद्यानीकरण परियोजना को मनरेग्स के अंतर्गत गैर–अनुमन्य एवं अनाच्छादित पाया था। उन्होंने जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रकरण की जाँच की जाए एवं उद्यानीकरण पर व्यय सम्पूर्ण धनराशि को राज्य रोजगार गारण्टी निधि में वापस जमा किया जाए।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि यद्यपि औद्यानिक परियोजना (उद्यानीकरण) के अंतर्गत शाक भाजी, फूल तथा मसाला की खेती मनरेग्स की अनुसूची—एक में वर्णित किसी भी परियोजनाओं/कार्यों में आच्छादित नहीं थे, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार से पूर्व परामर्श किये बिना ही उद्यानीकरण परियोजना को मनरेग्स से वित्त पोषण एवं क्रियान्वयन हेतु तैयार किया गया था। उत्तर प्रदेश शासन का यह निर्णय अत्याधिक अनियमित एवं मनरेग्स निधि को व्यावर्तित करने के समान था। अग्रेतर, व्यय की जाँच कराने हेतु स्पष्ट निर्देश एवं मनरेग्स के अंतर्गत उद्यानीकरण पर किये गए व्यय के पुनर्वित्तपोषण के निर्देश प्राप्त होने के बावजूद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तीन वर्ष उपरान्त भी ₹ 32.60 करोड़ राज्य रोजगार गारण्टी निधि में वापस जमा करने की कार्यवाही नहीं की गई थी। राज्य सरकार द्वारा प्रकरण की जाँच भी जून 2016 तक नहीं की गई थी।

प्रकरण शासन को संदर्भित (जून 2016) किये जाने पर प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा (नवम्बर 2016) बताया गया कि उद्यान विभाग द्वारा किया गया व्यय ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्गत दिशा—निर्देशों के तहत किया गया था और उसके लिये धनराशि भी ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सीधे जनपदों को उपलब्ध करायी गयी थी। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जनपदों को जो धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी उसका व्यय औद्यानिक परियोजनाओं पर किया गया था। बाद में जब भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मनरेग्स से औद्यानिक परियोजनाओं का वित्त पोषण नहीं किया जा सकता तो उस समय ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से औद्यानिक

²³ गरीबी रेखा के नीचे एवं अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी परिवारों के परिवारों हेतु।

²⁴ अवमुक्त निधिवर्ष 2009–10; ₹ 7.66 करोड़, 2010–11; ₹ 9.71 करोड़, 2011–12; ₹ 16.54 करोड़, 2012–13; ₹ 2.13 करोड़।।

²⁵ व्यय 2009–10; ₹ 554.549 लाख, 2010–11; ₹ 959.042 लाख, 2011–12; ₹ 1612.192 लाख, 2012–13; ₹ 134.058 लाख।

परियोजनाओं पर मनरेग्स से धनराशि व्यय करने पर रोक लगा दी गयी और अवशेष धनराशि की माँग कर ली गई। तदनुसार, औद्यानिक परियोजनाओं पर तत्काल प्रभाव से सभी कार्य रोक दिए गये और अवशेष धनराशि ग्राम्य विकास विभाग को वापस कर दी गई। चूँकि, सभी कार्य ग्राम्य विकास विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार निष्पादित कराये गए थे, अग्रेतर, उद्यानीकरण परियोजना पर पूर्व में व्यय धनराशि का समायोजन कैसे होगा की कार्यवाही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से की जा सकती है।

प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के उत्तर से पुष्टि होती है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अभी तक धनराशि ₹ 32.60 करोड़ को वापस करने एवं उसे राज्य रोजगार गारंटी निधि में जमा करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अतः मनरेग्स निधि से गैर अनुमन्य औद्यानिक परियोजना 'उद्यानीकरण' पर वर्ष 2009–13 के दौरान ₹ 32.60 करोड़ का किया गया व्यय एवं इसे राज्य रोजगार गारंटी निधि में वापस जमा नहीं कराया जाना भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन था।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

3.10 रॉयल्टी की वसूली न होना (₹ 444.82 करोड़)

ताप विद्युत गृहों को आपूर्ति जल पर रॉयल्टी की वसूली में विफलता के कारण शासन को ₹ 444.82 करोड़ की हानि।

उत्तर भारत में सिंचाई, जहाज-रानी एवं जल निकासी के विनियामक नार्दन इंगिड्या कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट 1873²⁶ के अनुसार शासन को सभी नदियों एवं प्राकृतिक प्रवाह में बहने वाली धाराओं, सभी झीलों और दूसरे प्राकृतिक रूप से एकत्रित स्थिर जल को, जनहित में प्रयोग एवं नियंत्रित करने का अधिकार है। नहर के जल²⁷ की प्रत्येक आपूर्ति, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन दरों और निर्धारित शर्तों पर की जायेगी। शासन द्वारा वर्ष 1985 में औद्योगिक/निजी क्षेत्र को अकृषिकारी उपयोग हेतु जल की आपूर्ति की नीति निर्धारित करते समय रॉयल्टी की दर निर्धारित की गयी थी, जिसे समय समय पर संशोधित²⁸ किया गया था।

अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, ओबरा-सोनभद्र (अधीक्षण अभियंता) के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2015) में प्रकाश में आया कि रिहन्द जलाशय सहित रिहन्द जल विद्युत परियोजना जनवरी 2000²⁹ में उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (जल विद्युत निगम) को हस्तांतरित कर दी गयी थी। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि जल विद्युत निगम द्वारा चार ताप विद्युत गृहों को, विद्युत उत्पादन हेतु रिहन्द जलाशय से जल की आपूर्ति, सिंचाई विभाग को किसी रॉयल्टी का भुगतान किये बिना (सितम्बर 2016) निम्न सारणी में प्रदर्शित विवरण के अनुसार की जा रही थी:

²⁶ अनुच्छेद 31।

²⁷ जलाशय सहित।

²⁸ 1998 से ₹ 1,50,000 प्रति क्यूसेक प्रति वर्ष एवं 2011 से ₹ 6,00,000 प्रति क्यूसेक प्रतिवर्ष।

²⁹ अधिसूचना दिनांक 18.01.2000, दिनांक 25.01.2001 को यथा संशोधित।

सारणी 1: वसूली हेतु बकाया रॉयल्टी का विवरण

क्र. सं.	ताप विद्युत गृह का नाम	अवधि	रॉयल्टी की राशि (₹ लाख में)
1	अनपरा ताप विद्युत परियोजना, अनपरा–सोनभद्र, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उ0प्र0	01/2000 से 09/2016	7,931.27
2	विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना, विंध्यनगर, सिंगरौली, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, म0प्र0	03/2000 से 09/2016	15,344.13
3	रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना, बीजपुर, सोनभद्र, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, उ0प्र0	03/2000 से 09/2016	9,606.12
4	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना, शक्तिनगर, सोनभद्र, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, उ0प्र0	03/2000 से 09/2016	11,600.00
योग			44,481.5195 अथवा ₹ 444.82 करोड़

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ताप विद्युत गृहों को बिना किसी रॉयल्टी की वसूली के, जल की आपूर्ति किया जाना शासन की नीतियों एवं अधिनियम के प्रावधानों, जिनके अनुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की वसूली आवश्यक थी, का उल्लंघन था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर जाँच में पाया कि प्रमुख सचिव, सिंचाई की अध्यक्षता में हुई बैठक (अक्टूबर 2013) में निर्णय लिया गया कि जल विद्युत निगम को आपूर्तित जल की रॉयल्टी के भुगतान हेतु देयक प्रेषित किये जायेंगे एवं जल विद्युत निगम द्वारा जल उपभोग करने वाली इकाईयों से इसकी वसूली करके सिंचाई विभाग को भेजा जायेगा। तदनुसार, विभाग द्वारा आपूर्तित जल (मार्च 2014 तक) की रॉयल्टी के भुगतान हेतु ₹ 325.24 करोड़ का एक देयक उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड को प्रेषित किया गया था (अक्टूबर 2014)। तथापि, सितम्बर 2016 तक का ₹ 444.82 करोड़ के संचित देयक का भुगतान दिसम्बर 2016 तक बकाया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2016) कि समझौता ज्ञाप गठित करने हेतु कार्यवाही की जायेगी तथा प्रकरण का निस्तारण प्रमुख सचिव स्तर पर बैठक आहूत कर किया जायेगा।

अतः ताप विद्युत गृहों को आपूर्तित जल की रॉयल्टी की वसूली में विफलता के कारण शासन को ₹ 444.82 करोड़ की हानि हुयी।

3.11 प्रतिशतता प्रभार की वसूली में विफलता

₹ 1.37 करोड़ के प्रतिशतता प्रभार की वसूली में विफलता एवं उस पर ₹ 0.79 करोड़ के ब्याज की परिहार्य हानि।

स्थानीय निकायों एवं अन्य पक्षों के लिये कराये जाने वाले निक्षेप कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी विभाग द्वारा प्रतिशतता प्रभार वसूलने हेतु वित्तीय नियमों³⁰ में प्रावधान हैं। शासन द्वारा कार्यकारी संस्थाओं को गैर शासकीय संगठनों, स्थानीय निकायों एवं वाणिज्यिक विभागों के निक्षेप कार्यों हेतु 12.5 प्रतिशत की दर से प्रतिशतता प्रभार की

³⁰ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 का प्रस्तर 635 एवं 636।

वसूली कर कोषागार में उचित लेखाशीर्ष के अंतर्गत जमा करने हेतु निर्देशित³¹ किया गया था (फरवरी 1997)।

अधिशासी अभियंता, बाराबंकी खण्ड, शारदा नहर बाराबंकी (अधिशासी अभियंता) के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2012 एवं जून 2016) में प्रकाश में आया कि सिंचाई विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ (जल निगम) के अनुरोध पर रजौली राजवाहा एवं मुरादाबाद—चिनहट राजवाहा प्रणाली के पुनरोद्धार की एक परियोजना, सीपेज रोक कर जल निगम को 100 क्यूसेक कच्चा जल उपलब्ध कराने हेतु प्रारम्भ की गयी थी। इस परियोजना को लखनऊ पेयजल परियोजना के अंग के रूप में ₹ 19.01 करोड़ लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी थी (अक्टूबर 2007) जिसका वित्त पोषण जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत किया जाना था। मार्च 2010 में परियोजना की लागत को पुनरीक्षित कर ₹ 28.63 करोड़ कर दिया गया। जल निगम द्वारा सिंचाई विभाग के साथ कोई समझौता ज्ञाप हस्ताक्षरित किये बिना, परियोजना को निक्षेप कार्य के रूप में निष्पादित करने हेतु, सिंचाई विभाग को मार्च 2008 से फरवरी 2013 के मध्य ₹ 17.00 करोड़ उपलब्ध कराये गये थे। वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया (जून 2008) कि कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का उपभोग करने के पूर्व प्रतिशतता प्रभार को कोषागार में जमा कर दिया जाये। ₹ 17.00 करोड़ पर प्रतिशतता प्रभार की धनराशि ₹ 2.12 करोड़ होती है। लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2016) कि ₹ 17.00 करोड़ हेतु प्रतिशतता प्रभार ₹ 2.12 करोड़ में से जल निगम द्वारा ₹ 0.75 करोड़ जमा किया गया (सितम्बर 2013) तथा दिसम्बर 2016 तक अवशेष धनराशि (₹ 1.37 करोड़) जमा नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि संबंधित अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा जल निगम से अवशेष प्रतिशतता प्रभार की वसूली के लिये प्रयास किया जायेगा। तथ्य यथावत रहा कि, यद्यपि, उत्तर प्रदेश शासन के 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) में जल निगम द्वारा प्रतिशतता प्रभार का भुगतान न करने का प्रकरण सम्मिलित किया गया था तथापि, इसकी वसूली हेतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अतः अधिशासी अभियंता द्वारा वित्तीय नियमों के अनुपालन एवं वित्त नियंत्रक के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने में विफलता के कारण विगत तीन वर्षों से ₹ 1.37 करोड़³² का प्रतिशतता प्रभार जल निगम से वसूल नहीं किया गया था, जिससे उस पर ₹ 0.79 करोड़ के ब्याज की परिहार्य हानि हुयी (**परिशिष्ट 3.4**)।

3.12 ठेकेदार को ₹ 6.89 करोड़ का अधिक भुगतान

अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन कर मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-5, बिजनौर द्वारा ठेकेदार को ₹ 6.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 367 के अनुसार अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि अनुबन्ध की शर्तों का कड़ाई से पालन हो एवं अनुबन्ध को रद्द किये जाने अथवा दुरुपयोग करने सम्बन्धी कोई कृत्य न हो।

³¹ सं १० ए-२-८७ / दस-९७-१७(४)-७५ दिनांक 27.02.1997

³² ₹ 2.12 करोड़ – ₹ 0.75 करोड़ = ₹ 1.37 करोड़।

शासन द्वारा जुलाई 2007 में मध्य गंगा नहर परियोजना, द्वितीय चरण के लिये ₹ 1,060.76 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। हेड रेगुलेटर, मुख्य नहर, चन्दौसी नहर शाखा एवं वितरण प्रणाली का निर्माण किया जाना परियोजना में शामिल थे।



स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष मुख्य अभियन्ता, मध्य गंगा नहर परियोजना, अलीगढ़ (मुख्य अभियन्ता) द्वारा ₹ 11.69 करोड़ की लागत से मुख्य नहर कि०मी० 0.000 से 0.350 तक, कि०मी० 0.300 पर सिल्ट इंजेक्टर, स्केप चैनल एवं टेल फाल के निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति (दिसम्बर 2007) प्रदान की गई थी। प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अलीगढ़ (अधीक्षण अभियन्ता) द्वारा ₹ 10.85 करोड़ की लागत के कार्य को कराये जाने हेतु अनुबन्ध³³ गठित किया गया (जनवरी 2008)। चूँकि, भूमि के नीचे खुदाई करते समय सामान्यतः भूगर्भ जल मिलता है अतः कार्य में डिवॉटरिंग मद हेतु 4,98,165 किलोवॉट घन्टा का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया था जिसकी अनुबन्धित दर ₹ 32.17 प्रति किलोवॉट घन्टा थी। निविदा प्रपत्र के अनुसूची-ए में डिवॉटरिंग की मात्रा 5,00,000 किलोवॉट घन्टा निश्चित की गई थी। अनुबन्ध के उपबन्ध 19.06 मे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट था कि अनुसूची-ए में निर्दिष्ट डिवॉटरिंग की मात्रा (5,00,000 किलोवॉट घन्टा) अनुमानित था और यह कम या अधिक हो सकती थी, लेकिन ठेकेदार अनुसूची-ए में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक भुगतान का हकदार नहीं होगा।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के पश्चात मुख्य अभियन्ता के निर्देशानुसार (मई 2008) गाइड बन्ध, प्रान्तीय सड़क पुल एवं मार्ग परिवर्तन के अतिरिक्त कार्यों को शामिल करते हुए प्राक्कलन को ₹ 18.07 करोड़ की लागत से पुनरीक्षित किया गया (जून 2008)। अनुबन्ध गठित करने के पाँच माह के अन्दर कार्य की मात्रा को 55 प्रतिशत बढ़ाया जाना एवं मुख्य अभियन्ता के स्तर से नई निविदा किये बिना अतिरिक्त कार्य को उसी ठेकेदार को आवंटित किया जाना सर्वथा अनियमित था।

लेखापरीक्षा में यह भी प्रकाश में आया कि पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार डिवॉटरिंग की मात्रा 4,98,165 किलोवॉट घन्टा से बढ़ा कर 7,58,591 किलोवॉट घन्टा³⁴ कर दी

³³ सं-01 / अधी. अभि./2007-08, दिनांक-11.01.2008, कार्य समाप्ति की नियत तिथि - 10.07.2009, कार्य समाप्ति की विस्तारित तिथि - 31.08.2011

³⁴ 498165 किलोवॉट घन्टा (मूल कार्य हेतु) + 260426 किलोवॉट घन्टा (गाइड बन्ध एवं प्रान्तीय सड़क पुल के अतिरिक्त कार्य हेतु) = 758591 किलोवॉट घन्टा

गयी थी। प्रान्तीय सड़क पुल के निर्माण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर को नवम्बर 2009 में हस्तांतरित किये जाने के परिणामस्वरूप अनुबन्ध के अन्तर्गत डिवॉटरिंग की मात्रा को घटाकर 7,00,000 किलोवॉट घन्टा³⁵ कर दी गई।

अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड—5, बिजनौर (अधिशासी अभियन्ता) के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2012 एवं जून 2016) में प्रकाश में आया कि ₹ 10.85 करोड़ के अनुबन्ध के सापेक्ष ₹ 22.26 करोड़³⁶ (पुनरीक्षित स्वीकृत प्राक्कलन ₹ 18.07 करोड़ के सापेक्ष ₹ 6.89 करोड़ के भिन्नता सहित) का भुगतान ठेकदार को किया गया जिसमें 7,00,000 किलोवॉट घन्टा डिवॉटरिंग हेतु अनुबंधित लागत ₹ 2.25 करोड़ के सापेक्ष ठेकेदार को 32,52,089 किलोवॉट घन्टा हेतु ₹ 9.14 करोड़ का भुगतान सम्मिलित था, जिसका विवरण निम्नवत है:

सारणी 2: डिवॉटरिंग मद में, सभी लागत—डीजल सेट एवं डिवॉटरिंग हेतु आवश्यक उपकरणों सहित, अधिक भुगतान का विवरण

मद	मूल प्राक्कलन के अनुसार मात्रा	पुनरीक्षित प्राक्कलन में कार्य की मात्रा	कुल (का० 2+3)	अनुबंधित मात्रा	निष्पादित मात्रा	पुनरीक्षित मात्रा से अधिक निष्पादित मात्रा	₹ 27.00 प्रति किलोवॉट घन्टा की दर से किया गया भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	(₹में)
मुख्य नहर किंमी० 0.000 से 0.350	2,00,000	0	2,00,000	5,00,000	32,52,089	25,52,089	6,89,06,403
किंमी० 0.300 पर सिल्ट इंजेक्टर	48,165	0	48,165				
स्केप चैनल	1,00,000	0	1,00,000				
टेल फाल	1,50,000	0	1,50,000				
गाइड बन्ध	0	2,00,000	2,00,000	2,00,000			
प्रान्तीय सड़क पुल	0	60,426	60,426	0			
मार्ग परिवर्तन	0	0	0	0			
योग	4,98,165	2,60,426	7,58,591	7,00,000	32,52,089	25,52,089	6,89,06,403
अथवा (₹ करोड़ में)							6.89

यद्यपि, अनुबन्ध के उपबन्ध 19.06 के अनुसार 7,00,000 किलोवॉट घन्टा से अधिक डिवॉटरिंग का भुगतान अनुमन्य नहीं था, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुबंधित प्राविधानों के अनुसार 7,00,000 किलोवॉट घन्टा डिवॉटरिंग हेतु ₹ 2.25 करोड़ तक सीमित न करके मुख्य अभियन्ता की अनुमति से अनियमित रूप से 32,52,089 किलोवॉट घन्टा हेतु ₹ 9.14 करोड़ का भुगतान किया गया, जिससे ₹ 6.89 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं खण्डीय लेखाकार के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी। अतः अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन कर ठेकेदार को ₹ 6.89 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

³⁵ 500000 किलोवॉट घन्टा (मूल कार्य हेतु) + 200000 किलोवॉट घन्टा (गाइड बन्ध के अतिरिक्त कार्य हेतु) = 700000 किलोवॉट घन्टा

³⁶ 25वां चालू देयक दिनांक 30.01.2012।

3.13 अति–दोहित विकास खण्डों में नलकूपों का अनियमित निर्माण

शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद अति–दोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में नलकूपों के निर्माण पर ₹ 3.13 करोड़ का अनियमित व्यय

शासन द्वारा राज्य के 75 जनपदों के 820 विकास खण्डों में भूगर्भ जल संसाधनों के मूल्यांकन के आधार पर विकास खण्डों को अति–दोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने का आदेश निर्गत (अक्टूबर 2014) किया गया था। तदनुसार, शासन द्वारा 44 जनपदों के 111 अति–दोहित एवं 68 क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों में सभी प्रकार के नलकूपों के निर्माण पर शासनादेश निर्गत होने की तिथि (13 अक्टूबर 2014) से प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। शासन द्वारा, अग्रेतर, यह भी निर्देशित किया गया था कि शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि के पश्चात् इन क्षेत्रों में निर्मित किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियंता, नलकूप निर्माण खण्ड आगरा (अधिशासी अभियंता) के अभिलेखों की जाँच (फरवरी–मार्च 2016) एवं अग्रेतर एकत्रित (जून 2016) सूचनाओं से प्रकाश में आया कि शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के पश्चात् खण्ड द्वारा अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस एवं कासगंज जनपदों में नवम्बर 2014 से जनवरी 2016 के मध्य पाँच अति–दोहित श्रेणी के विकास खण्डों में 22 नलकूपों एवं दो क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों में छ: नलकूपों का ₹ 2.69 करोड़ की लागत से (नवम्बर 2014 से मार्च 2015 : 17 नलकूप लागत ₹ 1.99 करोड़, 2015–16 : 11 नलकूप लागत ₹ 0.70 करोड़) निर्माण किया गया (*परिशिष्ट 3.5*)।

अग्रेतर, शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर इन नलकूपों को मार्च 2015 से मार्च 2016 के मध्य ₹ 44.10 लाख की लागत से ऊर्जीकृत भी कर दिया गया था। इससे स्पष्ट था कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा इन 44 जनपदों के 111 अति–दोहित एवं 68 क्रिटिकल विकास खण्डों में सार्वजनिक/निजी प्रयोक्ताओं द्वारा नलकूपों के निर्माण किये जाने का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा था एवं इन क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण में प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी मुख्य सचिव द्वारा 13 अक्टूबर 2014 को जारी आदेशों के माध्यम से शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों का अनुपालन स्वयं शासन के विभागों द्वारा ही नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि भविष्य के लिये चेतावनी निर्गत की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नलकूपों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लागू करने सम्बन्धी शासन द्वारा अक्टूबर 2014 में निर्गत शासनादेश जारी होने की तिथि से ही प्रभावी किया गया था एवं शासन द्वारा नलकूपों के अवैध निर्माण के विरुद्ध किसी ठोस कार्यवाही के बिना मात्र चेतावनी निर्गत करने से भविष्य में समस्या में वृद्धि होगी।

अतः शासनादेश का उल्लंघन करते हुये अति–दोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में नलकूपों के निर्माण एवं ऊर्जीकरण पर ₹ 3.13 करोड़ (निर्माण: ₹ 2.69 करोड़ एवं ऊर्जीकरण ₹ 0.44 करोड़) का अनियमित व्यय किया गया था।

3.14 ढुलाई की उच्च दर को लागू किये जाने से ₹ 2.56 करोड़ की हानि

आस-पास के क्षेत्र में ढुलाई के लिए प्रचलित न्यूनतम दर से उच्च दर को दर अनुसूची में प्राविधानित किये जाने के कारण शासन को ₹ 2.56 करोड़ की हानि।

वित्तीय नियमों³⁷ के अनुसार प्राक्कलनों को तैयार करने हेतु खण्ड में एक दर अनसूची का रख-रखाव किया जाना चाहिए जिसमें समस्त प्रकार के कार्यों के लिये आस-पास के क्षेत्र में प्रचलित न्यूनतम दरों को दर्शाया जाये।

अधिशासी अभियन्ता, निचली गंगा नहर खण्ड, इटावा के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2014 एवं जून 2016) में प्रकाश में आया कि शासन द्वारा सैफई से अछल्दा तक पक्की सड़क के निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 35.25 करोड़ की लागत की परियोजना को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति³⁸ प्रदान की गई (जनवरी 2014)। यह पाया गया कि लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया गया था। तथापि, प्राक्कलन तैयार करते समय “ग्रैनुलर सब-बेस का निर्माण” एवं “प्रोवाइलिंग एवं लेइंग, स्प्रेडिंग एवं कार्मैकिटिंग स्टोन एग्रीगेट्स ऑफ रेसिफिक साईंज टू वाटर बाउन्ड मैकेडम” कार्य मदों को अनियमित रूप से दो टुकड़ों यथा ‘लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अनुसार रामनगर खदान पर गिट्टी का मूल्य’ एवं ‘सिंचाई विभाग की दर अनुसूची के अनुसार खदान से कार्य स्थल तक ढुलाई दर’ में विभक्त कर दिया गया था। सिंचाई विभाग की दर अनुसूची में गिट्टी की ढुलाई की दर लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची में प्राविधानित दर से अधिक थी। जिसके फलस्वरूप गिट्टी की ढुलाई में ₹ 2.56 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया (परिशिष्ट 3.6)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मुख्य अभियन्ताओं की समिति से दर अनुसूची की जाँच कराई जायेगी।

तथ्य यथावत रहा कि ढुलाई के लिए लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची में प्राविधानित दर (प्राक्कलन को तैयार किये जाने हेतु अपनायी गई) के स्थान पर सिंचाई विभाग की दर अनुसूची पर आधारित उच्च दर का प्राविधान किये जाने से शासन को ₹ 2.56 करोड़ की हानि हुयी।

3.15 बढ़ा चढ़ा कर प्राक्कलन तैयार करने से शासन को क्षति

बढ़ा सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव निरोधक संरचनाओं के निर्माण के प्राक्कलन को बढ़ा चढ़ा कर तैयार किये जाने से शासन को ₹ 4.74 करोड़ की हानि

अप्रयुक्त सामग्रियों एवं अपव्यय को दूर कर कार्य की लागत को कम करने के दृष्टीकोण से राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्यों हेतु वर्टिकल अनुबन्ध गठित किये जाने का आदेश दिया गया (अगस्त 2011) था, जिसमें ठेकेदार को आपूर्ति एवं संरचना के निर्माण सहित सम्पूर्ण कार्य के लिए भुगतान किया जाना था।

अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड-प्रथम, बस्ती (अधिशासी अभियन्ता) के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2016) में प्रकाश में आया कि रथाई बाढ़ समिति द्वारा मई 2010 से अप्रैल 2015 के मध्य घाघरा नदी के बायें तट पर कटाव निरोधक संरचनाओं³⁹ के


³⁷ प्रस्तर 264 एवं 523 वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड 6।

³⁸ सं-7 / 5904 / 13-27-सि-4-83(डब्ल्यू) परि./13 दिनांक 08.01.2014।

³⁹ विक्रम जोत धुसरों तटबंध, कटरियों चौदपुर तटबंध, चौदपुर गौरा तटबंध, गौरा सैफाबाद तटबंध एवं काशीपुर दुबौलिया तटबंध।

निर्माण हेतु ₹ 131.46 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी। मुख्य अभियन्ता द्वारा जनवरी 2014 से जून 2015 के मध्य कार्यों हेतु ₹ 118.98 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। निर्माण कार्य 13 अनुबन्धों के माध्यम से प्रगति पर था। जाँच में अग्रेतर पाया गया कि सभी अनुबंध वर्टिकल स्वरूप के थे एवं पत्थर के कार्य की लागत में (i) पत्थर का मूल्य (ii) खदान से कार्य स्थल तक पत्थर की दुलाई एवं (iii) संरचना के निर्माण पर मजदूरी की लागत शामिल थी। जाँचे गये मदों पर जुलाई 2015 तक इन अनुबन्धों के सापेक्ष ₹ 45.36 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

प्राक्कलन में दी गयी तकनीकी स्वीकृतियों एवं किये गये भुगतानों के अनुसार दुलाई



लेखापरीक्षा में पाया गया कि पत्थर के कार्य की दर को खदान पर लदाई, स्टैक यार्ड पर उतरवाई एवं चट्टा लगाने तथा स्टैक यार्ड पर पुनः लदाई एवं कार्य स्थल पर उतरवाई एवं चट्टा लगाने का प्राविधान करके बढ़ाया चढ़ाया गया था।

स्टैक यार्ड पर एक उतरवाई, चट्टा लगाने एवं लदाई, जो कि पत्थर के कार्य के दर विश्लेषण में पूर्व से ही सम्मिलित था, को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए था। वर्टिकल निविदा के प्रकरण में, जब प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित स्थल पर निर्धारित कार्य दिया गया हो, मध्य मार्ग स्टैक यार्ड का प्राविधान किए जाने का कोई औचित्य नहीं था। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया था कि वास्तव में ठेकेदारों द्वारा बोल्डरों को कार्य में उपयोग करने से पूर्व स्टैक यार्ड पर एकत्र न करके सीधे कार्य स्थलों पर एकत्र किया गया था। अग्रेतर, जाँच में परिलक्षित हुआ कि खण्ड द्वारा मानक परिवर्तन दर एक मीट्रिक टन वजन के पत्थर का आयतन 0.71 घनमीटर के स्थान पर 0.69 घनमीटर आयतन का उपयोग 13 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं के दर विश्लेषण में किया गया था, जबकि दो परियोजनाओं चॉदपुर गौरा बंध के किमी 0.000 से 1.000 तक सुरक्षात्मक कार्य एवं कटारिया चॉदपुर बंध के किमी 4.400 से 5.400 तक सुरक्षात्मक कार्य की परियोजनाओं के दर विश्लेषण में गणना हेतु परिवर्तन दर एक मीट्रिक टन वजन के पत्थर का आयतन 0.71 घन मीटर का ही उपयोग किया गया था। उपर्युक्त दोनों अनियमितताओं के फलस्वरूप ठेकेदारों को कुल ₹ 4.74 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ (परिशिष्ट 3.7)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा दर अनुसूची समिति में शामिल अधीक्षण अभियन्ताओं से स्पष्टीकरण माँगा जायेगा।

अतः प्राक्कलन में बोल्डरों की लदाई, चट्टा लगाने एवं उतरवाई के अतिरिक्त प्राविधान स्वीकृत किये जाने एवं प्रति मीट्रिक टन वजन के पत्थर के आयतन को 0.71 घन मीटर के स्थान पर 0.69 घन मीटर का उपयोग किये जाने के कारण खण्ड द्वारा ठेकेदारों को ₹ 4.74 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

श्रम विभाग

3.16 समारोहों के आयोजन पर परिहार्य व्यय।

बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभार्थियों को चेक वितरण करने हेतु 69 जिलों में समारोहों के आयोजन पर ₹ 15.06 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया जबकि बेरोजगारी भत्ता को लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाना था।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी पात्र बेरोजगार व्यक्तियों⁴⁰ को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना (योजना) मई 2012 में शुरू की गयी। योजना की नियमावली, के नियम 8.4(i) के अनुसार, बेरोजगारी भत्ता का भुगतान लाभार्थी को तिमाही आधार पर उसके द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गये बचत खाते में किया जाना था। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को खोले गये बैंक खाते का विवरण⁴¹ योजना के आवेदन पत्र में भरना था तथा कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता के शीघ्र प्रेषण हेतु सम्बन्धित बैंक प्राधिकारी द्वारा उसे प्रमाणीकृत किया जाना था।

निदेशक, प्रशिक्षण एवं रोजगार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (निदेशक) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में (फरवरी 2016) में पाया गया कि विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान 69 जिलों में 1,26,521 बेरोजगार व्यक्तियों को ₹ 20.58 करोड़ की धनराशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित किया। राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को समारोह स्थल पर लाने में परिवहन पर ₹ 6.99 करोड़ तथा अन्य क्रियाकलापों जैसे – लाभार्थियों के स्थ–अल्पाहार एवं उनके बैठने आदि की व्यवस्था हेतु ₹ 8.07 करोड़ व्यय किये गये। चेक वितरण पर किया गया व्यय परिहार्य था क्योंकि, योजना में बेरोजगारी भत्ता का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाते में आसानी से बिना किसी व्यय के किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर निदेशक ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सचिवों की समिति के निर्णय के क्रम में समारोहों पर व्यय, अन्य व्यय शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि, बेरोजगारी भत्ता नियमावली के दिशा–निर्देशों में लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता के वितरण/भुगतान हेतु इस प्रकार की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2016) कि समारोह पूरी तरह से शासकीय समारोह था तथा चेक वितरण पर किया गया व्यय शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2012 में लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक परिवहन की व्यवस्था तथा अन्य क्रियाकलापों जैसे बैठने की व्यवस्था एवं अल्पाहार की व्यवस्था हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी भत्ता लाभार्थियों के खाते में आसानी से जमा किया जा सकता था क्योंकि लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्र में बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या तथा आईएफएससी कोड भरा गया था जो सम्बन्धित बैंक अधिकारी से प्रमाणीकृत था।

शासन द्वारा वार्ता (नवम्बर 2016) के समय तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि नियमावली में राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलना अनिवार्य था किन्तु लाभार्थियों को बैंक खाते से भुगतान करना बाध्यकारी नहीं था।

⁴⁰ हाई स्कूल उर्तीण ऐसे बेरोजगार पुरुष जिनकी आयु 30 से 40 वर्ष के मध्य हो, उत्तर प्रदेश का निवासी हो एवं जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 36,000 से कम हो, अविवाहित, विद्यवा, अलग/तलाकशुदा महिलाओं के प्रकरणों में उनके माता पिता एवं विवाहित महिलाओं के प्रकरणों में उनके सास–ससुर की समस्त स्रोतों से आय ₹ 1,50,000 से अधिक न हो तथा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

⁴¹ बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड।

अतः लाभार्थियों को मात्र ₹ 20.58 करोड़ के चेक वितरित करने हेतु समारोहों के आयोजन पर किया गया ₹ 15.06 करोड़ का व्यय न्यायोचित नहीं था तथा यह वित्तीय औचित्य एवं शासकीय धन में मितव्ययिता के पूर्णतः अभाव को दर्शाता है।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

3.17 राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की क्रियाशीलता

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ में आवश्यक तकनीकी मानवशक्ति के अभाव एवं रसायनों की खरीदारी में विफलता के कारण विगत छः वर्षों से किसी भी दवा के नमूनों का परीक्षण नहीं हो सका जिससे प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण पर व्यय की गयी धनराशि ₹ 1.78 करोड़ अलाभकारी रही।

31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सिविल) के प्रतिवेदन के प्रस्तर 3.3.18 में औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ (प्रयोगशाला) के अदक्ष कार्य निष्पादन का उल्लेख किया गया था। इसके सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 65.00 लाख के प्राप्त (अप्रैल 2001) होने के उपरांत भी दिसम्बर 2004 तक यह अप्रयुक्त थी। लोक लेखा समिति की बैठक में उक्त प्रस्तर पर नवम्बर 2010 को चर्चा की गई थी, जिसमें सरकार द्वारा शीघ्र ही औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को क्रियाशील बनाने का आश्वासन दिया गया था।

निदेशक, आयुर्वेदिक सेवायें उत्तर प्रदेश, लखनऊ (निदेशक) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2015) तथा अग्रेतर एकत्रित सूचनाओं (मई 2016) से संज्ञान में आया कि प्रयोगशाला के भवन का निर्माण कार्य मार्च 2007 में ₹ 58.14 लाख की लागत से पूर्ण किया गया तथा फरवरी 2008 में विभाग को सौंप दिया गया था। भारत सरकार द्वारा उपकरणों के क्रय के लिए ₹ 65.33 लाख (अक्टूबर 2008) अवमुक्त किया गया था तथा विभाग ने ₹ 65.33 लाख के उपकरणों का क्रय फरवरी 2011 में कर लिया था।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि नये प्रयोगशाला भवन के निर्माण तथा उपकरणों के क्रय के बावजूद, प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं हुई, जिससे पूरा व्यय अलाभकारी हो गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रयोगशाला में एक शासकीय विश्लेषक, एक कनिष्ठ विश्लेषक एवं एक कलर्क को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या केवल तीन थी। शासकीय विश्लेषक का प्रयोगशाला में सबसे वरिष्ठतम् पद था। शासकीय विश्लेषक का दायित्व⁴² औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के नियम के अनुसार औषधि परीक्षण या विश्लेषण के परिणामों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का था। प्रयोगशाला के शासकीय विश्लेषक मई 2009 में सेवानिवृत्त हो गये थे तथा यह पद पिछले सात वर्ष से रिक्त था। तब से प्रयोगशाला एक कनिष्ठ विश्लेषक और एक कलर्क द्वारा संचालित किया जा रहा था। मार्च 2009 से जून 2016 के दौरान उनके बीतने एवं भूतों पर ₹ 55.29 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। मानदंडों⁴³ के अनुसार, प्रयोगशाला द्वारा प्रतिवर्ष 3,000 लाइसेंस प्राप्त दवा विनिर्माण इकाईयों से प्राप्त लगभग 6,000 के नमूनों का परीक्षण किया जाना था तथापि यह पाया गया कि उपरोक्त अवधि में मानदण्डों के अनुरूप आवश्यक 42,000 नमूनों के सापेक्ष केवल 265 नमूने ही प्राप्त हुए थे। यहां तक कि कुल प्राप्त 265 नमूनों में से

⁴² औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 45 के अन्तर्गत।

⁴³ प्रचलित नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष प्रत्येक दवा उत्पादन इकाई से कम से कम दो नमूनों का परीक्षण किया जाना था।

वर्ष 2009–10 में केवल दो नमूनों का ही परीक्षण किया गया था और उसके बाद प्रयोगशाला द्वारा मई 2016 तक किसी भी नमूने का परीक्षण नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, निदेशक द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2015 और मई 2016) कि तकनीकी मानव शक्ति के अभाव और परीक्षण हेतु रसायनों के क्रय न किये जाने के कारण प्रयोगशाला को संचालित नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लोक लेखा समिति को शासन के पश्चात् भी अद्यतन प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं हुई थी जबकि भारत सरकार⁴⁴ द्वारा अतिरिक्त मानवशक्ति के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु तीन अतिरिक्त पदों⁴⁵ की स्वीकृति दी थी (अप्रैल 2011) किन्तु निदेशक द्वारा पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् भी मई 2016 तक मानव शक्ति की नियुक्ति नहीं की गयी थी। अग्रेतर, धन की उपलब्धता⁴⁶ के बाद भी वर्ष 2010–11 से किसी रसायन का क्रय नहीं किया गया था क्योंकि प्रयोगशाला में कोई शासकीय विश्लेषक नियुक्त नहीं था।

इस प्रकार धन की उपलब्धता के बावजूद भी परीक्षण हेतु रसायनों का क्रय न करने एवं आवश्यक तकनीकी मानव शक्ति की कमी होने से प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए किया गया ₹ 1.78 करोड़ का व्यय (₹ 58.14 लाख भवन निर्माण पर ₹ 65.33 लाख उपकरणों के क्रय पर तथा ₹ 55.29 लाख कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर) अलाभकारी रहा।

प्रकरण शासन को जून 2016 में संदर्भित किया गया था। शासन द्वारा तथ्यों एवं ऑकड़ों की पुष्टि की (दिसम्बर 2016) गयी।

3.18 स्थारी विद्युत प्रभार का परिहार्य व्यय।

स्वीकृत विद्युत भार के सापेक्ष वास्तविक उपभोग अत्यन्त कम होने हेतु आवेदन पर भी डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा संस्थान के विद्युत भार को घटाने में विफलता के कारण मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को स्थाई/डिमांड चार्जेज के रूप में ₹1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय।

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के प्रस्तर 4.41 में अपेक्षित है कि जिन उपभोक्ताओं के पास विद्युत खपत की रिकार्डिंग क्षमता युक्त इलेक्ट्रानिक मीटर स्थापित है और उनके द्वारा किया गया बिजली का आवर्तक उपभोग पिछले छः महीने में सामान्य माँग से कम है तो उन सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अनुबन्धित भार में कमी स्वीकार्य होगी।

डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (मार्च 2016) तथा अग्रेतर एकत्रित सूचनाओं की जांच में पाया गया कि निर्माण एजेंसी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने अक्टूबर 2007 में अनुमानित उपभोग के आधार पर संस्थान के लिए 3,333⁴⁷ के0वी0ए० के स्थाई विद्युत भार संयोजन की स्वीकृति के लिए मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (विद्युत वितरण निगम) से अनुरोध किया था। मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने संस्थान के स्वीकृत मानचित्र तथा आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर स्वतंत्र फीडर के माध्यम से 33 के0वी0

⁴⁴ अप्रैल 2001 से मार्च 2008 तक ₹ 10 लाख तथा उसके पश्चात मई 2016 तक ₹ 6.86 लाख।

⁴⁵ वैज्ञानिक अधिकारी-3, विश्लेषक/लैब तकनीशियन-2 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4।

⁴⁶ रसायनों के क्रय के लिए प्रयोगशाला को धन उपलब्ध कराया गया— 2011–12 में ₹ एक लाख, 2012–13 में ₹ 2.50 लाख, 2013–14 में ₹ 2.50 लाख, 2014–15 में ₹ 2.50 लाख, 2015–16 में ₹ 2.50 लाख।

⁴⁷ 3000 कि.वा. = 3333 के0वी.ए. (0.9 कि.वा. = 1 के0वी.ए.)।

आपूर्ति वोल्टेज पर दर अनुसूची एच.वी.-1 के अन्तर्गत 6,298 के 0वी0ए0 विद्युत भार की स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2008) तथा अक्टूबर 2012 से विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कर दी। दर अनुसूची एच.वी.-1 के अनुसार फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्जज, वास्तविक भार के उपभोग या स्वीकृत भार के 75 प्रतिशत (ऐसे प्रकरण जिनमें वास्तविक उपयोग, स्वीकृत भार के 75 प्रतिशत से कम हो) के आधार पर बिजली का बिल दिया जाना था। बिजली की वास्तविक खपत के अनुसार विद्युत शुल्क के अलावा ₹ 240/- प्रति के 0वी0ए0 की दर से फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्जज भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि स्थापित मीटर द्वारा दर्ज उपभोग जून 2013 से मार्च 2016 तक 1,200 से 2,257.80 के 0वी0ए0 था, जो यह दर्शाता है कि अक्टूबर 2007 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 3333 के 0वी0ए0 भार की स्वीकृति की माँग उपयुक्त थी। तथापि, संस्थान अपनी विद्युत आवश्यकताओं को निश्चित नहीं कर सका था, तथा यूपी. विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के नियम 4.41 के तहत वास्तविक माँग के स्वरूप के आधार पर स्वीकृत लोड 3333 के 0वी0ए0 तक कम करवाने के लिए विद्युत वितरण निगम के समक्ष प्रकरण ले जाने की कार्यवाही में असफल रहा। यदि, संस्थान ने स्वीकृत लोड को 3333 के 0वी0ए0 तक कम करवा लिया होता तो वह फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्जज को जून 2013 से मार्च 2016 की अवधि के लिए ₹ 3.85 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.04 करोड़ का भुगतान करता। इस प्रकार विद्युत भार की माँग को संशोधित करवाने में अपनी विफलता के कारण संस्थान ने विद्युत वितरण निगम को ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया (परिशिष्ट 3.8)।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर संस्थान ने बताया कि विद्युत वितरण निगम विद्युत लोड स्वीकृत करने का अन्तिम प्राधिकारी था। यद्यपि, लेखापरीक्षा की आपत्ति पर संस्थान ने उक्त प्रकरण को विद्युत वितरण निगम के समक्ष (अगस्त 2016) उठाया तथा विद्युत वितरण निगम द्वारा लोड को कम करके 3000 के 0वी0ए0 (सितम्बर 2016) कर दिया गया। यद्यपि, विद्युत भार को कम कराने के लिए संस्थान द्वारा की गयी कार्यवाही सराहनीय है तथापि, तथ्य यथावत् है कि संस्थान प्रबन्धन विद्युत बिल में दर्ज अधिकतम माँग सूचक (एम.डी.आई.) के अनुसार लोड को कम करने के लिए कार्यवाही करने तथा अनावश्यक व्यय से बचने के लिए एवं अच्छे वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से निर्णय लेने में असफल रहा।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के अनुसार, वास्तविक उपभोग के आधार पर स्वीकृत लोड में कमी के लिए आवेदन न कर पाने के कारण संस्थान द्वारा विद्युत वितरण निगम को फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्जज के रूप में ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

प्रकरण शासन को जुलाई 2016 में संदर्भित किया गया था। वार्ता के दौरान शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की गयी (दिसम्बर 2016)।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग

3.19 निम्न दर की निविदाओं को अस्वीकृत करने के कारण ₹ 1.04 करोड़ की हानि

कारण निर्दिष्ट किये बिना निम्न दर की निविदाओं को अस्वीकृत कर अधिक दर पर अनुबन्ध गठित करने से शासन को ₹ 1.04 करोड़ की हानि

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 21 में वित्तीय औचित्य के मानक प्राविधानित हैं जिनके अनुसार प्रत्येक अधिकारी को लोकधन को व्यय अथवा प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के उच्च मानदण्डों से निर्देशित होना चाहिये। प्रत्येक अधिकारी को

वित्तीय नियम एवं कड़ी मितव्यप्रियता को भी लागू करना चाहिये एवं देखा जाना चाहिये कि उसके स्वयं के कार्यालय एवं अधीनस्थ संवितरण अधिकारियों द्वारा सभी वित्तीय नियमों एवं प्राविधानों का पालन किया गया है एवं लोकधन के व्यय में उसी प्रकार की सतर्कता बरते जाने की अपेक्षा की जाती है जैसा कि एक सामान्य विवेक के व्यक्ति द्वारा निजी धन के व्यय में बरती जाती है। अग्रेतर, शासन द्वारा आदेश दिया गया (दिसम्बर 2007) कि निविदा आमंत्रित करने वाला अधिकारी निविदादाताओं से विभागीय प्राक्कलन से कम दर पर अपनी दरें देने का विस्तृत औचित्य पूछे एवं यह भी निर्देशित किया गया था (जून 2012) कि प्राक्कलित दरों से कम दर देने वाले निविदादाताओं से अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति जमा करायी जाये।

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, हमीरपुर (अधिशासी अभियन्ता) के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2013 एवं जनवरी 2016) में पाया गया कि 27 चेकडैमों के निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित⁴⁸ की गयी थीं एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा 26 चेकडैमों की निविदाओं को निरस्त कर दिया गया था जिनकी दरें विभागीय प्राक्कलन की तुलना में 15.43 प्रतिशत से 39.55 प्रतिशत कम दी गयी थीं। निविदादाताओं से कम दरें दिये जाने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं माँगा गया था। अधिशासी अभियन्ता के स्तर से यह अनुचित था कि निर्देशों के अनुसार निविदादाताओं से विभागीय दर से कम दर दिये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत औचित्य पूछे बिना ही निविदाओं को निरस्त कर दें। अधिशासी अभियन्ता द्वारा निविदाओं को निरस्त करने के कारण को भी अभिलिखित नहीं किया गया था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा उक्त समस्त कार्यों हेतु पुनः निविदायें⁴⁹ आमंत्रित कर 22 चेकडैमों के निर्माण हेतु निरस्त की गई निविदाओं की दरों से अधिक दर पर अनुबन्ध गठित किये गये थे। जिसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 1.04 करोड़ की हानि हुई (परिशिष्ट 3.9)। अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में बताया कि स्वस्थ प्रतियोगी भावना के स्थान पर कार्य को रोकने के उद्देश्य से निविदादाताओं द्वारा जानबूझ कर बार-बार न्यूनतम दरों की निविदा उद्धृत की गयी थी। तथापि, यह पाया गया कि अगली बार उसी कार्य हेतु प्राक्कलित दरों से कम दरों (13.87 से 31.52 प्रतिशत) पर निविदायें उद्धृत की गयी थीं जिन्हें अधिशासी अभियन्ता द्वारा पूर्व के प्रकरणों में दिये गए तर्क के आधार पर निरस्त कर दिया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, निविदाओं के विवेकहीन अस्वीकृति एवं उच्च दर पर कार्य कराये जाने के कारण शासन को ₹ 1.04 करोड़ की हानि हुई।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (सितम्बर 2016)। शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया एवं बताया (दिसम्बर 2016) कि उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3.20 ₹ 5.94 करोड़ का अलाभकारी व्यय

रेन वॉटर हार्डस्टिंग/रिचार्जिंग संरचनाओं के निर्माण पर ₹ 5.94 करोड़ का अलाभकारी व्यय

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 के अनुसार किसी भी परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट में प्रारम्भिक पर्यावरणीय विश्लेषण एवं जोखिम कारकों पर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

⁴⁸ निविदा सं 01 / 07.11.2012।

⁴⁹ निविदा सं 03 / 03.12.2012, 05 / 21.12.2012, 06 / 09.01.2013, 07 / 24.02.2012।

भारत सरकार के जल संसाधन मन्त्रालय द्वारा भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजनान्तर्गत प्रदर्शनात्मक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिंग परियोजना की स्वीकृति (नवम्बर 2010) प्रदान की गई। परियोजना के अंतर्गत, जनपद लखनऊ में चिन्हित 116 उद्यानों में रिचार्जिंग कार्य हेतु ₹ 10.61 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। आवंटित धनराशि के सापेक्ष ₹ 7.29 करोड़ प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई (नवम्बर 2010)।

निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ (निदेशक) की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2014 एवं जुलाई 2016) तथा अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड से एकत्रित सूचना में पाया गया की भूगर्भ जल विभाग द्वारा ₹ 2.94 करोड़ की लागत से 42 उद्यानों में रिचार्जिंग संरचनाओं का निर्माण किया गया (अक्टूबर 2012) तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा ₹ 3.00 करोड़ की लागत से 38 उद्यानों में रिचार्जिंग संरचनाओं का निर्माण किया गया (जनवरी 2012)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा यह सुनिश्चित करने का निर्देश⁵⁰ (जून 2011) दिया गया कि वर्षा ऋतु में कोई प्रदूषित जल, जिसमें हानिकारक तत्व एवं रसायन हों, का रिसाव भूमि में न किया जाये जिससे भूगर्भ जल प्रदूषित हो। यह भी पाया गया कि भारतीय विषविज्ञान अनुसन्धान संस्थान (अनुसन्धान संस्थान) द्वारा सुझाव (अक्टूबर 2011) दिया गया था कि भूगर्भ जल की रिचार्जिंग नियोजित एवं सुव्यवस्थित तरीके से समुचित निगरानी के साथ किये जाने पर भूगर्भ जल के प्रदूषित होने का खतरा नहीं होगा। विशेष सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग के निर्देश (जुलाई 2012) पर इंदिरा नगर और गोमती नगर के उद्यानों से सितम्बर 2012 में अनुसन्धान संस्थान द्वारा जल के नमूने एकत्र⁵¹ किये गये और पाया कि जीवाणु गुणवत्ता अस्वीकार्य थी। अनुसन्धान संस्थान द्वारा रिचार्जिंग प्रणाली में समस्याओं के सुधार हेतु दिए गये सुझाव के अनुसार निराकरण किये जाने के स्थान पर माननीय मंत्री, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की अध्यक्षता (अक्टूबर 2012) में रिचार्जिंग संरचनाओं को नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। अग्रेतर, प्रदूषित जल का रिसाव भूमि में न हो इसे सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली विकसित करने के स्थान पर भूगर्भ जल विभाग और लघु सिंचाई विभाग द्वारा रिचार्जिंग संरचनाओं को प्लग कर दिया गया। भूगर्भ जल विभाग द्वारा (मई एवं जून 2016) बताया गया कि 42 उद्यानों के रिचार्जिंग संरचनाओं को जनवरी 2013 में नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित किया गया। यद्यपि, यह पाया गया कि रिचार्जिंग संरचनाओं को अब तक नगर निगम, लखनऊ को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2016), शासन ने बताया (दिसम्बर 2016) कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बोर–वेलों को प्लग किया गया था। शासन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मात्र यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि कोई भी प्रदूषित जल का रिसाव भूगर्भ जल में न हो परन्तु विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के स्थान पर बोर–वेलों को प्लग कर दिया गया था। अग्रेतर, विभाग के कथन के विपरीत बोर–वेलों को अभी तक नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

इससे स्पष्ट था कि विभाग द्वारा पर्याप्त व्यवहार्यता अध्ययन किये बिना परियोजना का क्रियान्वयन किया गया था जिसके फलस्वरूप ₹ 5.94 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ।

⁵⁰ जनपद के इंदिरा नगर एवं गोमती नगर क्षेत्रवासियों द्वारा दाखिल जनहित याचिका।

⁵¹ भूगर्भ जल विभाग, लघु सिंचाई विभाग, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड के अधिकारियों के दल एवं आई.आई.टी.आर. के प्रतिनिधियों के संयुक्त दल द्वारा एकत्रित जल नमूने।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं वक्फ विभाग

3.21 पॉलीटेक्निक भवन निर्माण पर निष्फल व्यय

बागपत जिले में पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के सिविल कार्य पर ₹ 8.00 करोड़ का व्यय निष्फल रहा एवं ₹ 4.30 करोड़ सरकारी खाते के बाहर पड़े रहने के परिणामस्वरूप ₹ 0.81 करोड़ के ब्याज की क्षति।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 456 के अनुसार, ठेकेदारों को अग्रिम का भुगतान निषिद्ध है अतः इस बात का हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए कि वास्तविक रूप से किए गए कार्य के अतिरिक्त ठेकेदारों को कोई अन्य भुगतान न किया जाए। इसके अतिरिक्त शासकीय हित सुरक्षित रखने हेतु लोक निर्माण विभाग का आदर्श निविदा प्रपत्र⁵² (जनवरी 2007) में ठेकेदार द्वारा कार्य को निर्धारित समयबद्धता का अनुपालन न किए जाने की दशा में ठेकेदार पर अर्थदण्ड आरोपित किए जाने का प्राविधान है। नियमों में कार्य को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दिये जाने का भी प्राविधान है।

अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में केन्द्र प्रायोजित बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने (अप्रैल 2011) बागपत जिले के किरथल में ₹ 12.30 करोड़ की लागत से एक राजकीय पॉलीटेक्निक (दो छात्रावासों सहित) निर्माण की स्वीकृति दी। स्वीकृत धनराशि ₹ 12.30 करोड़ में, ₹ 8.00 करोड़ सिविल कार्यों हेतु तथा ₹ 4.30 करोड़ फर्नीचर, वाहन, पुस्तकालय, मशीनरी इत्यादि के लिए सम्मिलित थे।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बागपत के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2015) एवं तत्पश्चात् निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण (निदेशक) से सूचनाओं का संग्रह किए जाने पर ज्ञात हुआ कि शासन द्वारा अप्रैल 2011 में उ0प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को बिना किसी प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया तथा निर्माण कार्य हेतु उ0प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं शासन के मध्य समझौता ज्ञाप हस्ताक्षरित किया गया। ₹ 6.15 करोड़ की धनराशि (सिविल कार्य हेतु चिन्हित धनराशि का 77 प्रतिशत) शासन द्वारा उ0प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को समझौता ज्ञाप हस्ताक्षर होने के पूर्व अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गई (अप्रैल 2011) जो कि वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम 456 में उल्लिखित मूलभूत वित्तीय सिद्धान्तों का उल्लंघन है। उ0प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ने प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जनवरी 2013 में प्रस्तुत किया। इसके बाद जुलाई 2013 में शासन ने दूसरी किश्त इस शर्त पर अवमुक्त की कि कार्य चार महीने के अन्दर पूर्ण करना होगा तथा परियोजना की लागत में वृद्धि होने की दशा में कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।

लेखापरीक्षा से अग्रेतर ज्ञात हुआ कि निदेशक द्वारा सितम्बर 2013 में ₹ 6.15 करोड़ की द्वितीय किश्त उपलब्ध कराई गई जिसमें फर्नीचर, गाड़ी, पुस्तकालय एवं मशीनरी हेतु निश्चित राशि ₹ 4.30 करोड़ भी सम्मिलित थी, जो कि उ0प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के पास अक्टूबर 2016 तक लम्बित थी। उ0प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मई 2014 में सिविल कार्य हेतु ₹ 14.06 करोड़ का संशोधित आगणन प्रस्तुत किया गया जिसका जिले की तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया तथा ₹ 13.62 करोड़ का संशोधित आगणन स्वीकृत हेतु शासन को भेजा गया (अक्टूबर 2014)। मल्टी सेक्टरल योजनाओं के संशोधित लागत के परीक्षण हेतु गठित समिति ने संशोधित

⁵² अनुबन्ध की मानक नियम एवं शर्तें जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा जिस पर आम सहमति है।

आगणन के प्रस्ताव को इस आधार पर अनुचित पाया (जून 2015) कि प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने में उल्लेखनीय विलम्ब होने के कारण लागत में वृद्धि हुई है। दिसम्बर 2014 तक उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सिविल कार्य हेतु अग्रिम रूप में अवमुक्त ₹ 8.00 करोड़ व्यय करके मात्र 64 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया। कार्य जनवरी 2015 में रोक दिया गया और आगे इसमें कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ने शासन को प्रस्तुत संशोधित आकलन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि की माँग की थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया (मार्च 2015) कि लागत वृद्धि एवं धन की अनुपलब्धता के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को वित्तीय नियमों के उल्लंघन के बावजूद अग्रिम के रूप में धन अवमुक्त किया गया तथापि उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त कार्य निर्धारित लागत पर दिया गया था तथा लागत में कोई संशोधन अनुमन्य नहीं था। उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किए गए कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति कार्य में कोई सामंजस्य न होने पर भी उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। ₹ 4.30 करोड़ जो कि फर्नीचर, वाहन, पुस्तकालय, मशीनरी, इत्यादि के लिए चिन्हित थे अभी भी उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के पास पड़े थे।

इस प्रकार विभाग की विफलता के कारण, धनराशि की द्वितीय एवं अन्तिम किश्त अवमुक्त होने (सितम्बर 2013) के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सिविल कार्य पूर्ण नहीं हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.00 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त फर्नीचर, गाड़ी, मशीनरी, पुस्तकालय मद की राशि ₹ 4.30 करोड़ का उपयोग राजकीय पॉलीटेक्निक किरथल, बागपत को क्रियाशील बनाने हेतु नहीं किया जा सका तथा धनराशि सरकारी खाते के बाहर उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के पास पड़ी होने के कारण ₹ 0.81 करोड़ की ब्याज की धनराशि (जिसकी गणना शासन द्वारा उधार लिए जाने की तत्कालीन दरों⁵³ पर की गई) की हानि हुई। इस प्रकार अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने का लक्ष्य अपूर्ण रहा तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थी, रोजगार उन्मुख प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहे।

शासन ने वार्ता के समय (नवम्बर 2016) तथ्यों एवं ऑकड़ों को स्वीकार किया।

लोक निर्माण विभाग

3.22 ठेकेदारों को अनधिकृत भुगतान

प्रान्तीय खण्ड, मऊ और वाराणसी द्वारा इण्डियन रोड कॉन्स्ट्रक्शन के मानदण्डों और प्रमुख अभियन्ता के आदेशों का उल्लंघन कर सड़क के सुदृढ़ीकरण में डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम की परत डालने में, अधिक बिटुमिन कर्नेट का उपयोग करने के कारण ठेकेदारों को ₹ 2.35 करोड़ का अनधिकृत भुगतान किया जाना

इण्डियन रोड कॉन्स्ट्रक्शन-111-2009⁵⁴ के अनुसार, मार्ग के निर्माण में, जहाँ डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम की परत की मोटाई 7.5 सेमी से अधिक है वहाँ 4 प्रतिशत

⁵³ 2013-14: ₹ 0.27 करोड़ (6.43 प्रतिशत), 2013-14: ₹ 0.27 करोड़ (6.40 प्रतिशत), 2013-14: ₹ 0.27 करोड़ (6.35 प्रतिशत) गणना औसत दर पर की गई।

⁵⁴ प्रस्तर 3.52

बिटुमिन कन्टेंट स्वीकार्य है। अग्रेतर, प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र (जुलाई 2012) के अनुसार, जहाँ डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम क्रस्ट की मोटाई 7.5 से 0मी0 से अधिक है वहाँ 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट का प्रयोग होना था और इससे अधिक बिटुमिन कन्टेंट पर ठेकेदार को अतिरिक्त धनराशि देय नहीं थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इण्डियन रोड कॉग्रेस की विशिष्टियों और प्रमुख अभियन्ता के विनिर्देशों, के विपरीत निम्नलिखित विचलन करके वांछित 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट के स्थान पर 4.5 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट का प्रयोग किया गया था:

प्रकरण—I

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मऊ के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2015) में पाया गया कि शासन द्वारा “अलीनगर—इन्दारा—मझवारा—मधुबन मार्ग (शहीद मार्ग)” के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 12.00 और कि0मी0 12.00 से कि0मी0 23.40 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु क्रमशः ₹ 22.22 करोड़ और ₹ 21.84 करोड़ की लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2013) की गयी। मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, द्वारा विस्तृत आगणन, जिसमें विशिष्टियों के अनुसार 9 से 0मी0 डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम क्रस्ट के लिए स्वीकार्य 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट के विरुद्ध 4.5 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2013) की गयी। तदनुसार, अधीक्षण अभियन्ता, बलिया वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बलिया द्वारा जनवरी 2013 में दो अनुबन्ध⁵⁵ क्रमशः ₹ 20.20 करोड़ और ₹ 19.76 करोड़ के गठित किये गये और कार्य अभी प्रगति में था। ठेकेदार को उपरोक्त दोनों कार्यों के लिये माह मार्च 2016 एवं जून 2015 तक क्रमशः ₹ 20.14 करोड़⁵⁶ और ₹ 18.54 करोड़⁵⁷ का भुगतान किया जा चुका था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मानदण्ड के अनुसार डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम में वाँछित 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट के अनुरूप 18.00 टन बिटुमिन के विपरीत खण्ड द्वारा 4.5 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट अर्थात् 20.250 टन का प्रयोग किया गया था। मुख्य अभियन्ता द्वारा मानदण्ड का अतिक्रमण कर अधिक बिटुमिन कन्टेंट का अनुमोदन करके डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम में 2.250 टन⁵⁸ का अधिक उपयोग किये जाने से ₹ 00.80 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था। (परिशिष्ट 3.10)।

प्रकरण-II

इसी प्रकार, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर, 2015) में पाया गया कि शासन द्वारा “मोहन सराय—कैण्ट मार्ग (शहरी भाग)” के कि0मी0 319.00 से कि0मी0 330.30 (कुल 11.300 किमी) तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु लागत ₹ 40.39 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (सितम्बर 2013) की गयी। मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र द्वारा तैयार किए गये विस्तृत आगणन जिसमें विशिष्टियों के अनुसार 12 से 0मी0 डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम क्रस्ट के लिए स्वीकार्य 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट के विरुद्ध 4.5 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (सितम्बर 2013) की गयी।

⁵⁵ अनुबन्ध संख्या—08 / एस0ई0—बलिया वृत्त दिनांक 19.01.2013 ₹ 20.20 करोड़ और अनुबन्ध संख्या—09 / एस0ई0—बलिया वृत्त दिनांक 19.01.2013 ₹ 19.76 करोड़

⁵⁶ 9वाँ चालू देयक दिनांक 31.03.2016

⁵⁷ 10वाँ चालू देयक दिनांक 18.06.2015

⁵⁸ रोड़ी मिश्रण के भार का 4.5 प्रतिशत बिटुमिन 20.250 टन — रोड़ी मिश्रण के भार का 4 प्रतिशत बिटुमिन 18.000 टन = 2.250 टन।

तदनुसार, अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी वृत्त, वाराणसी द्वारा सितम्बर 2013 में ₹ 34.83 करोड़ का अनुबन्ध⁵⁹ गठित किया गया और कार्य सितम्बर 2015 में पूर्ण कर लिया गया तथा सम्पादित कार्य के सापेक्ष कुल ₹ 37.50 करोड़⁶⁰ का व्यय मार्च 2016 तक किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मानदण्ड के अनुसार डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम में वॉचित 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट के अनुरूप 18.00 टन बिटुमिन के विपरीत खण्ड द्वारा 4.5 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेंट (20.250 टन) का प्रयोग किया जाना स्वीकार किया गया था। उसी रूप में, मुख्य अभियन्ता द्वारा अधिक बिटुमिन कन्टेंट का अनुमोदन करके 2.250 टन⁶¹ का अधिक उपयोग किये जाने से ₹ 1.55 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया था (*परिशिष्ट 3.10*)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (मई 2016), वार्ता (नवम्बर 2016) में शासन ने अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मऊ के तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, वाराणसी के सम्बन्ध में बताया गया कि डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम की लेयर, दो लेयरों में अर्थात् 70 मि०मी० एवं 50 मि०मी० की डाली गयी जो कि दिशा-निर्देशों के अनुरूप था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र के अनुसार यदि डेन्स ग्रेडेड बिटुमिन मैकेडम लेयर की कुल मोटाई 75 मि०मी० से अधिक है तब मिश्रण में 4 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेन्ट का उपयोग होगा। अग्रेतर, प्रमुख अभियन्ता के द्वारा निर्गत, निर्देशों में यह प्राविधान नहीं था कि यदि डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम की लेयर 75 मि०मी० से अधिक है तो उसको दो लेयरों में विभक्त करके 4.5 प्रतिशत बिटुमिन कन्टेन्ट का उपयोग होगा।

इस प्रकार, मुख्य अभियन्ता द्वारा मानदण्डों का उल्लंघन करके डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम में 2.250 टन⁶² अधिक बिटुमिन मात्रा के अनुमोदन से ₹ 2.35 करोड़ (₹ 0.80 करोड़ + ₹ 1.55 करोड़) का परिहार्य व्यय किया गया था।

3.23 वेट मिक्स मैकेडम की अधिक खपत

मार्ग के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण में वेट मिक्स मैकेडम की अधिक मात्रा का उपयोग करने के कारण ₹ 2.79 करोड़ का परिहार्य व्यय।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 318 में प्राविधानित है कि प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति का तात्पर्य ऐसे प्राक्कलन से है जो वास्तविकता के अनुरूप तैयार किया गया हो तथा प्राक्कलन में पर्याप्त एवं वास्तविक आंकड़ों के आधार पर गणना की गयी हो। मार्ग के सुदृढीकरण के कार्य में सामान्यतः ओवरले की मोटाई बिटुमिनस मैकेडम लेयर की मोटाई के सापेक्ष अभिव्यक्त की जाती है। यदि ओवरले में अन्य संयोजन जैसे वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम, और बिटुमिनस कांक्रीट का उपयोग किया जाता है तो सुदृढीकरण के लिये ओवरले की मोटाई प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित समतुल्य गुणक प्रयोग में लाया जाता है:

$$1 \text{ से}0\text{मी}0 \text{ बिटुमिनस मैकेडम} = 1.5 \text{ से}0\text{मी}0 \text{ वेट मिक्स मैकेडम}$$

⁵⁹ अनुबन्ध संख्या-55 / एस030-वाराणसी वृत्त दिनांक 27.09.2013 ₹ 34.83 करोड़।

⁶⁰ 37वें अन्तिम देयक दिनांक 31.03.2016।

⁶¹ रोड़ी मिश्रण के भार का 4.5 प्रतिशत बिटुमिन 20.250 टन – रोड़ी मिश्रण के भार का 4 प्रतिशत बिटुमिन 18.000 टन = 2.250 टन।

⁶² रोड़ी मिश्रण के भार का 4.5 प्रतिशत बिटुमिन 20.250 टन – रोड़ी मिश्रण के भार का 4 प्रतिशत बिटुमिन 18.000 टन = 2.250 टन।

1 से०मी० बिटुमिनस मैकेडम =0.7 से०मी० डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम/बिटुमिनस कांक्रीट

लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त नियम के प्राविधान का उल्लंघन करने के अधिक परिहार्य व्यय हुआ जैसा कि निम्नवत् परिचर्चित है :

शासन ने बुलन्दशहर—अनूप शहर मार्ग (एम०डी०आर०—५८), किमी ०२.०० से २०.०० (कुल १९.०० किमी) तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए राज्य मार्ग निधि के अन्तर्गत ₹ ४१.६१ करोड़ लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जनवरी २०१३ में प्रदान की थी। मुख्य अभियंता, मेरठ क्षेत्र, ने समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (जनवरी २०१३)। तकनीकी स्वीकृति के अनुसार, मार्ग का चौड़ीकरण ५.५० मीटर से ७.०० मीटर तक तथा मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिये मार्ग की वर्तमान क्रस्ट की मोटाई २२.५० से०मी० से बढ़ाकर ५६.५० से०मी० करने के लिये नॉन बिटुमिनस कार्य जैसे वेट मिक्स मैकेडम, बिटुमिनस कार्य जैसे डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम एवं बिटुमिनस कांक्रीट कराया जाना था। अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर वृत्त, के द्वारा उक्त कार्य के निष्पादन हेतु अनुबन्ध पत्र^{६३} (फरवरी २०१३) में गठित किया और कार्य ₹ ३३.०३ करोड़^{६४} व्यय करने के उपरान्त सितम्बर २०१४ में समाप्त किया गया था।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, बुलन्दशहर की लेखापरीक्षा (नबम्बर २०१४) में, अग्रेतर संवीक्षा मई २०१६ में पुनः पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता की स्वीकृति के पश्चात्, इण्डियन रोड कॉर्पोरेशन विशिष्टियों के अनुसार २६.४२ से०मी० बिटुमिनस मैकेडम के समतुल्य ओवरले मोटाई के सापेक्ष ३१.४२ से०मी० बिटुमिनस मैकेडम बिछाई गयी। विस्तृत आगणन जिसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा बनाया गया, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संस्तुति की गयी तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, की लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिटुमिनस मैकेडम की मोटाई के समतुल्य वेट मिक्स मैकेडम मोटाई की लेयर को बदलने में त्रुटि की गयी जिसके परिणामस्वरूप ५ से०मी० अधिक ओवरले की स्वीकृति निम्न सारणी के अनुसार सम्पादित की गयी:

सारणी ५: वेट मिक्स मैकेडम की अधिक ओवरले का विवरण

क्र. सं.	कार्य का माद	इण्डियन रोड कॉर्पोरेशन ८१—१९९७ के अनुसार २६.४२ से०मी० ओवरले का मानदंड		तकनीकी स्वीकृति के अनुसार		वास्तविक सम्पादन		अधिक ओवरले (से०मी० में) (कॉलम ८-६)
		कार्य जो सम्पादित किया जाना चाहिए था (से०मी० में)	बिटुमिनस मैकेडम मोटाई के समतुल्य (से०मी० में)	कार्य जो सम्पादित किया जाना चाहिए था (से०मी० में)	बिटुमिनस मैकेडम मोटाई के समतुल्य (से०मी० में)	कार्य जो सम्पादित किया गया (से०मी० में)	बिटुमिनस मैकेडम मोटाई के समतुल्य (से०मी० में)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
1.	डब्ल्यू०एम०	15.00	10.00	22.50	10.00	22.50	15.00	5.00
2.	डी०बी०एम०	7.50	10.71	7.50	10.71	7.50	10.71	0.00
3.	बी०सी०	4.00	5.71	4.00	5.71	4.00	5.71	0.00
कुल योग		26.50	26.42	34.00	26.42	34.00	31.42	5.00

अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा आगणन को तैयार करने में गलती के कारण तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा तकनीकी स्वीकृति में गलती के कारण, बिटुमिनस

^{६३} सी०बी०न०१६/एस०इ०—बी०एस०आर०ओ०/१२—१३ दिनांक ०५.०२.२०१३।

^{६४} १३वाँ रनिंग बिल नं० २४ दिनांक २२.०९.२०१४।

मैकेडम के समतुल्य 26.42 से0मी0 आवश्यक ओवरले के स्थान पर 31.42 से0मी0⁶⁵ ओवरले बिछाई गयी जिसके परिणामस्वरूप कार्य की समाप्ति पर (जनवरी 2014), 10,500 घनमीटर वेट मिक्स मैकेडम का अधिक कार्य संपादित किया गया। इस प्रकार, मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य में, मार्ग पर अधिक ओवरले के कारण, ₹ 2.79 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

लेखा परीक्षा में इंगित (नबम्बर 2014) किये जाने पर, मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकार किया गया (मई 2015) कि आई0आर0सी0 81–1997 के अनुसार ओवरले की डिजाइन में बिटुमिनस मैकेडम के समतुल्य 22.5 से0मी0 वेट मिक्स मैकेडम को 15 से0मी0 लेने के स्थान पर गलती से 10 से0मी0 ले लिया गया था। अग्रेतर उनके द्वारा बताया गया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विषय को प्रमुख अभियन्ता के पास अग्रसारित कर दिया गया है।

शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की गयी (दिसम्बर 2016) तथा बताया गया कि तकनीकी स्वीकृति इण्डियन रोड कॉंग्रेस 81–1997 के अनुसार दी गयी थी परन्तु कार्य इण्डियन रोड कॉंग्रेस – 37 के अनुसार संपादित किया गया था। उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खण्ड के द्वारा मुख्य अभियन्ता द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति का उल्लंघन किया गया तथा वेट मिक्स मैकेडम की अधिक मात्रा का उपयोग करने के कारण ₹ 2.79 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

3.24 मार्ग के निर्माण पर ₹ 12.72 करोड़ का अधिक व्यय

विभाग के आदेशों के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग के दो खण्डों द्वारा 71 कि0मी0 मार्ग के निर्माण में ड्रेनेज लेयर के रूप में 150 मि0मी0 ग्रेनुलर सबबेस बिछाये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 12.72 करोड़ का परिहार्य व्यय।

इण्डियन रोड कॉंग्रेस के दिशा–निर्देश के प्रस्तर 3 के अनुसार काली कपासी मिट्टी के सबग्रेड में 225 मि0मी0 मोटाई का ब्लैंकेट कोर्स सबबेस के रूप में प्रभावी इन्ड्रूजन बैरियर की तरह कार्य करने के लिए पूर्ण फॉरमेशन की चौड़ाई में बिछाया जाना चाहिये। प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के द्वारा निर्देशों (सितम्बर, 2005) में दोहराया गया कि वह मार्ग जो काली कपासी मिट्टी से होकर जाते हैं वहाँ पर 225 मि0मी0 मोटाई का ब्लैंकेट कोर्स मीडियम सैंड, स्टोन डस्ट या नॉन प्लास्टिक मोरम के रूप में पूर्ण फॉरमेशन चौड़ाई में बिछाया जाना चाहिये।

शासन ने एरच–गुरसहाय–मऊरानीपुर मार्ग (एम0डी0आर0–31), किमी 01.00 से कि0मी0 71.00 (कुल 71.00 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए ₹ 142.25 करोड़⁶⁶ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जनवरी 2014 में प्रदान की थी। मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र, झांसी ने इस कार्य के विस्तृत आगणन के लिए समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति जनवरी 2014 में प्रदान की। विस्तृत आगणन के अनुसार मार्ग की कैलिफोरनिया बियरिंग रेशियो 3 प्रतिशत एवं मिलियन स्टैन्डर्ड एक्सल (एम0एस0ए0) 29.60 था। इस अनुसार, पेवमेन्ट की रचना में 415 मि0मी0 क्रस्ट की मोटाई में 300 मि0मी0 वेट मिक्स मैकेडम, 75 मि0मी0 डेन्स ग्रेड बिटुमिनस मैकेडम एवं 40 मि0मी0 बिटुमिनस कंक्रीट स्वीकृत की गयी। चूंकि, मार्ग काली कपासी मिट्टी वाले क्षेत्र में था, अतः 225 मि0मी0 स्टोन डस्ट की ब्लैंकेट कोट की लेयर (आगणित मात्रा 1,54,204 घन मीटर) का प्राविधान सबग्रेड की पूर्ण फॉरमेशन चौड़ाई⁶⁷ में काली कपासी मिट्टी पर इन्ड्रूजन बैरियर की तरह किया गया। अग्रेतर, 150 मि0मी0 ग्रेनुलर

⁶⁵ डी0बी0एम0 7.50 से0मी0 बी0एम0 के समतुल्य गुणक=10.71 से0मी0, डब्ल्यू0एम0एम=22.50 से0मी0 बी0एम0 के समतुल्य गुणक=15 से0मी0, बी0सी0=4.00 से0मी0 बी0एम0 के समतुल्य गुणक=5.71 से0मी0 कुल योग=31.42 से0मी0 बी0एम0 के समतुल्य।

⁶⁶ किमी0 1.00 से 20.00 तक ₹ 40.05 करोड़ और किमी0 21.00 से किमी0 71.18 तक ₹ 102.20 करोड़।

⁶⁷ फॉरमेशन या रोड–वे की चौड़ाई कैरिज–वे की चौड़ाई, सेपरेटर और सोल्डर्स को समिलित कर होती है।

सबबेस (आगणित मात्रा 127274 घन मीटर) की लेयर का प्राविधान भी ड्रेनेज के उद्देश्य से किया गया। अधीक्षण अभियन्ता, झांसी वृत्त, झांसी द्वारा कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए दो अनुबन्ध⁶⁸, जिसके कार्य समाप्त करने की तिथि अगस्त 2015 थी, निम्न दो फर्मों के साथ गठित किये गये:

सारणी 6: अनुबन्धों का विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	लम्बाई	अनुबन्ध संख्या	प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	निर्माण खण्ड-III, लोक निर्माण विभाग, झांसी	किमी 1.00 से किमी 20.00	सीबी नं. 74/एसई-जे एचएस सर्कुलर/ 2013-14 दिनांक 03.02.2014 (11.25 प्रतिशत अधिक पर)	03.02.2014	02.08.2015	35.64
2	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झांसी	किमी 21.00 से किमी 71.18	सीबी नं. 76/एसई-जे एचएस सर्कुलर/ 2013-14 दिनांक 12.02.2014 (14.00 प्रतिशत अधिक पर)	12.02.2014	11.08.2015	91.93

अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2015) और अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, झांसी (फरवरी 2016) और अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-III, झांसी (अप्रैल 2016) से अग्रेतर एकत्रित सूचना में पाया गया कि मार्ग की पूर्ण फॉरमेशन चौड़ाई में सबग्रेड की काली कपासी मिट्टी के इन्दूजन बैरियर को रोकने के लिये 1,38,911 घन मीटर⁶⁹ स्टोन डस्ट की ब्लैकेट कोट की लेयर बिछाई गयी। अग्रेतर, ब्लैकेट कोट के ऊपर पूर्ण फॉरमेशन चौड़ाई में ड्रेनेज लेयर के रूप में 150 मि०मी० ग्रेनुलर सबबेस बिछाई गयी, जिसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 225 मि०मी० स्टोन डस्ट का ब्लैकेट कोट इन्दूजन बैरियर की तरह कार्य करता है तथा काली कपासी मिट्टी में नमी एवं वर्षा के कारण क्षति रोकने में सक्षम था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, शासन द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2016) कि मार्ग के चौड़ीकरण में पूरी फॉरमेशन चौड़ाई में सबबेस के निर्माण में सबग्रेड के ऊपर 225 मि०मी० मोटाई की स्टोन डस्ट के बाद 150 मि०मी० मोटाई की ग्रेनुलर सबबेस फिल्टर लेयर के रूप में कार्य करने के लिये बिछायी गयी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मार्ग के चौड़ीकरण भाग के पश्चात, मार्ग के कैरिजवे के बाद से फॉरमेशन एज तक 68175.30 घन अधिक ग्रेनुलर सबबेस का अधिक उपयोग किये जाने से ₹ 12.72 करोड़⁷⁰ का परिहार्य व्यय हुआ (परिशिष्ट 3.11)।

3.25 ठेकेदार को ₹ 2.62 करोड़ का अधिक भुगतान

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग से सम्बन्धित उच्च विशिष्टि अपनाये जाने के कारण तथा त्रुटिपूर्ण रूप से कैरेक्टिरिस्टिक डिफलेक्शन की गणना के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 2.62 करोड़ का अधिक भुगतान।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 318 के अनुसार कार्य की तकनीकी स्वीकृति यह सुनिश्चित करती है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सही हैं तथा आगणन की गणनाएँ सटीक एवं समुचित ऑकड़ों पर आधारित हैं। अग्रेतर, इण्डियन रोड कॉग्रेस⁷¹ में यह प्राविधान है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिये बैकलमैनबीम टेस्ट में इन्डिविजुअल डिफलेक्शन में स्टैन्डर्ड डैवियेशन का दुगुना जोड़कर ओवरले क्रस्ट डिजाइन निर्धारित होती है। यद्यपि, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग

⁶⁹ ब्लैकेट कोट लेयर की मात्रा प्रान्तीय खण्ड में 98,645 घनमीटर और निर्माण खण्ड में 40,266 घनमीटर।

⁷⁰ प्रान्तीय खण्ड में 48,882 घन मीटर x ₹ 1647.00 = ₹ 8,05,09,148 + ₹ 12,71,281 (करार की दर से 14.00 प्रतिशत अधिक पर) ₹ 9.17 करोड़ (53वें रनिंग वाउचर नं० 49 दिनांक 31.12.2015) और निर्माण खण्ड में 19,296 घन मीटर x ₹ 1650.00 = ₹ 3,18,38,400 + ₹ 35,81,820 (करार की दर से 11.25 प्रतिशत अधिक पर) ₹ 3.54 करोड़ (10 वें रनिंग वाउचर नं० 28 दिनांक 18.01.2016)।

⁷¹ आईआरआर०सी० 81-1997।

रोड के अतिरिक्त अन्य मार्गों के लिये इन्डिविजुअल डिप्लेक्शन⁷² में स्टैन्डर्ड डेवियेशन एक बार जोड़ा जाता है।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कन्नौज के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (सितम्बर 2015) कि शासन ने कन्नौज में रामाश्रम से जी0टी0 रोड, किमी 00.00 से 19.500 (कुल 19.500 किमी) के चौड़ीकरण कार्य के लिए ₹ 11.87 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अन्य जिला मार्ग के रूप में वर्गीकृत करते हुए प्रदान की थी (जनवरी 2013)। मुख्य अभियंता, कानपुर क्षेत्र, कानपुर ने इस कार्य के विस्तृत आगणन की ₹ 11.19 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2013)। अधीक्षण अभियन्ता कन्नौज–फरल्खाबाद वृत्त, के द्वारा उक्त कार्य की समाप्ति के लिये जुलाई–2014 की तिथि निर्धारित करते हुए अनुबन्ध⁷³ गठित किया गया (जुलाई 2013)। यह पाया गया कि जुलाई 2013 में चौड़ीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा दो किमी0 की लम्बाई में मार्ग (17.500 से 19.500 किमी0 तक) बनाने पर ₹ 28.79 लाख व्यय करने के पश्चात् शासन द्वारा कार्य के क्षेत्र को बढ़ाते हुए “चौड़ीकरण” से “चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण” करते हुए मार्ग की पुनः संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 28.83 करोड़ की प्रदान की गयी। तदनुसार, मुख्य अभियंता, कानपुर क्षेत्र, कानपुर द्वारा इस कार्य के विस्तृत आगणन के लिए ₹ 27.63 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2015) सुदृढ़ीकरण की विशिष्टियों के साथ वेट मिक्स मैकेडम, डेन्स ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडम एवं सेमीडेन्स बिटुमिनस मैकेडम की उच्च विशिष्टियों को अपनाते हुये जो केवल राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के लिये अनुमन्य थी, प्रदान की गयी।

अग्रेतर, विभाग द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिये बैकलमैन बीम डिप्लेक्शन टेस्ट⁷⁴ (अक्टूबर 2013) कराया गया था जिसमें दोनों चैनेजों के लिये कैरेक्टिरिस्टिक डिप्लेक्शन⁷⁵ की गणना, इन्डिविजुल डिप्लेक्शन में स्टैन्डर्ड डेवियेशन का दुगुना जोड़कर 4.2 और 4.8 की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन्डिविजुल डिप्लेक्शन में स्टैन्डर्ड डेवियेशन का दुगुना केवल राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के लिये ही मान्य है न कि अन्य जिला मार्ग के प्रकरण में। लेखापरीक्षा में अग्रेतर, देखा गया कि कैरेक्टिरिस्टिक डिप्लेक्शन दोनों चैनेजों के लिये 3.0 आता है जबकि त्रुटिपूर्ण रूप से दोनों चैनेजों के लिये 4.2 और 4.8 लिया गया था। तदनुसार ओवरले दोनों चैनेजों⁷⁶ के लिये बिटुमिनस मैकेडम के समतुल्य 190 मिमी0 के स्थान पर क्रमशः बिटुमिनस मैकेडम मद में 220 मिमी0 और 240 मिमी0 ली गयी थी (परिशिष्ट 3.1.2)।

कार्य नवम्बर 2015 में पूर्ण कर लिया गया था तथा ₹ 23.30 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को किया गया जिसमें ₹ 2.62 करोड़ का परिहार्य व्यय भी सम्मिलित था (परिशिष्ट 3.13)। शासन ने तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि की तथा स्वीकार किया कि मार्ग की क्रस्ट डिजाइन त्रुटिपूर्ण गणना के आधार पर की गयी थी।

इस प्रकार उच्च विशिष्टि अपनाये जाने तथा कैरेक्टिरिस्टिक डिफ्लेक्शन की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण ₹ 2.62 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

⁷² राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के लिये $D_c = x + 2\alpha$ राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा मार्ग के लिये $D_c = x + \alpha$ (जहाँ x = इन्डिविजुअल डिप्लेक्शन α = स्टैन्डर्ड डेवियेशन और D_c = कैरेक्टिरिस्टिक डिप्लेक्शन)

⁷³ सी0बी0न066 / एस0झ0—कै0एफ0सी0 / 2013–14 दिनांक 25.07.2013 को 9.47 करोड़।

⁷⁴ पलैक्सिबिल पेवमेन्ट के सुदृढ़ीकरण के लिये बी0एम0 के समतुल्य कस्ट की आवश्यकता के लिए बैकलमैन बीम डिप्लेक्शन टेस्ट कराया जाता है।

⁷⁵ इसका परिमाण मिलियन स्टैन्डर्ड एक्सल के साथ बी0एम0 के समतुल्य आवश्यक ओवरले तय करता है।

⁷⁶ चैनेज 0.000 से 6.300 और 6.300 से 19.500 किमी0 तक।

राजस्व विभाग

3.26 आवासीय भवनों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

आवासीय भवनों के निर्माण के लिये अविवेकपूर्ण रूप से स्थान के चयन के कारण पाँच साल से 84 आवासों के रिक्त रहने के कारण अलाभकारी व्यय।

सामान्य वित्तीय नियम-2005 के नियम 21 और वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V (भाग-1) के प्रस्तर 169 में प्रावधानित है कि शासकीय धन के व्यय में एक लोक सेवक द्वारा वही सजगता बरती जानी चाहिए जैसे कि एक सामान्य विवेक सम्मत व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय में बरतता है। उत्तर पदेश बजट मैन्युअल के प्रस्तर 212 में प्रावधानित है कि व्यवहार्यता प्रतिवेदन यह सुनिश्चित करने लिये बनाया जाना चाहिये कि परियोजना वैचारिक रूप से व्यवहार्य एवं युक्तियुक्त है।

जिलाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2014) तथा अग्रेतर एकत्रित सूचना (मई 2016) में पाया गया कि शासन के द्वारा तहसील सदर में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अवासीय भवनों के निर्माण के लिये ₹ 1.74 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय⁷⁷ स्वीकृति प्रदान की गयीं (जनवरी 2007)। इसी प्रकार, तहसील जेवर में आवासीय भवन उपलब्ध कराने के लिये शासन द्वारा ₹ 1.74 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति⁷⁸ (फरवरी 2008) प्रदान की गयी।



शासन द्वारा तहसील सदर एवं जेवर प्रत्येक में 42 आवासीय भवनों के निर्माण के लिये क्रमशः “उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवम् शीत गृह संघ लिमिटेड (पैकफेड) मेरठ” को जनवरी 2007 में तथा “उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन, गाजियाबाद” को फरवरी 2008 में कार्यदायी संस्था नामित किया गया। यद्यपि, उक्त भवनों के निर्माण से पूर्व आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया था। तहसील सदर एवं जेवर से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा भवनों का निर्माण पुनः संशोधित स्वीकृति ₹ 2.32 करोड़ (अप्रैल 2010) एवं ₹ 3.00 करोड़ (मई 2010) के सापेक्ष ₹ 2.31 करोड़ एवं ₹ 2.99 करोड़ व्यय करके क्रमशः जनवरी 2011 एवं मई 2011 में पूर्ण किया गया। “उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवम् शीत गृह संघ लिमिटेड एवं “उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के द्वारा पूर्ण निर्मित आवासों को क्रमशः अप्रैल 2011 और मई 2011 में विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया। अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि पूर्ण निर्मित आवास रिक्त पड़े हुए थे क्योंकि तहसील सदर में 42 आवासों⁷⁹ में से किसी का भी आवंटन नहीं हुआ था तथा तहसील जेवर में 42 आवासों में से केवल तीन कर्मचारियों को आवासों का आंवंटन हुआ था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा बताया (मई 2016) गया कि आवासीय भवनों का निर्माण एकान्त इलाके में होने के कारण जो मुख्य मार्ग से तीन से चार किमी दूर था, सार्वजनिक साधन उपलब्ध नहीं हो पाता था। सार्वजनिक

⁷⁷ शा०आ० सं 167 / १-५-०७-५३ / ०६ दिनांक 19.01.2007।

⁷⁸ शा०आ० सं 396 / १-५-०८-१९६ / २००७ दिनांक 13.02.2008।

⁷⁹ टाइप I-19, टाइप II-18, टाइप III-04, टाइप IV-01।

यातायात साधन एवं सुरक्षा उपलब्ध न होने के कारण तहसील के कर्मचारी आवासों को आवंटित कराने के इच्छुक नहीं थे।

जिलाधिकारी के उत्तर से स्पष्ट है कि तहसील मुख्यालय के कर्मचारियों से आवासों की मँग का आकलन नहीं किया गया तथा स्वीकृति से पूर्व आवासीय भवनों के निर्माण स्थल पर पहुँच की सुगमता को सत्यापित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, आवासों के निर्माण से पूर्व मँग का आकलन किये बिना, आवासों के अविवेकपूर्ण स्थल के चयन के कारण 84 आवासीय भवनों के निर्माण पर ₹ 5.30 करोड़ का अलाभकारी व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2011 से मार्च 2016 तक कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते का भुगतान कर ₹ 39.30 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2016) कि भवनों का उपयोग बदल गया था और अब अंवटन प्रारम्भ हो चुका है। तथ्य यथावत है कि स्थान के अविवेकपूर्ण चयन के कारण हस्तान्तरण के पाँच वर्ष पश्चात् भी 84 आवासीय भवन अभी तक अधिनिवासन की प्रतिक्षा में हैं।

समाज कल्याण विभाग

3.27 अनुसूचित जाति की बालिकाओं के छात्रावास के निर्माण पर निष्फल व्यय।

अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु दो छात्रावासों के निर्माण पर हुआ व्यय ₹ 1.71 करोड़ निष्फल रहा क्योंकि निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त 6 से 11 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर भी अनुसूचित जाति की बालिकाओं द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया।

अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना के अन्तर्गत, उ0प्र0 शासन द्वारा ग्राम रसूलपुर, पिरथी, जनपद बिजनौर में अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु पचास शैय्या वाले छात्रावास निर्माण हेतु ₹ 80.90 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2008)। इस कार्य हेतु उ0प्र0 समाज कल्याण निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया तथा कार्यदायी संस्था को सितम्बर 2008 में भूमि उपलब्ध कराई गई।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2015) एवं अग्रेतर एकत्र की गई सूचना (अगस्त 2016) से ज्ञात हुआ कि कार्य अक्टूबर 2008 में प्रारम्भ हुआ तथा मूल्य वृद्धि के कारण परियोजना की लागत पुनरीक्षित कर ₹ 90.16 लाख कर दी गई। उ0प्र0 समाज कल्याण निगम द्वारा ₹ 90.16 लाख व्यय कर कार्य पूर्ण किया गया तथा अक्टूबर 2009 में छात्रावास भवन को जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर को हस्तगत करा दिया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मई 2016 तक छात्रावास का संचालन नहीं किया गया था तथा छात्रावास को क्रियाशील किए जाने हेतु किसी कर्मचारी, अधीक्षक/वार्डेन इत्यादि की नियुक्ति भी नहीं की गई थी। यह भी पाया गया कि छात्रावास भवन शहरी क्षेत्र से दूर एकान्त स्थान पर बनाया गया था। बालिकायें सुरक्षा कारणों से इस छात्रावास में रहने की अनिच्छुक थीं, अतः जिलाधिकारी, बिजनौर ने निदेशक, समाज कल्याण से उक्त छात्रावास को बालक छात्रावास में परिवर्तित करने की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया (मई 2015)। इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर ने बताया (अगस्त 2016) कि छात्रावास को बालक छात्रावास में परिवर्तित करके क्रियाशील किया जा चुका है।

चूँकि, छात्रावास बालिकाओं हेतु निर्मित किया जा रहा था अतः स्थल चयन में बालिकाओं की सुरक्षा व बचाव के विचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। यह तथ्य कि बालिकायें छात्रावास के एकान्त में स्थित होने के कारण उसमें रहने की इच्छुक नहीं हैं, इस ओर इंगित करता है कि उचित स्थल चयन हेतु व्यवहार्यता का अध्ययन नहीं किया गया था जिसके कारण अनुसूचित जाति की छात्राओं को छात्रावास उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिसके लिये उक्त छात्रावास का निर्माण हुआ था।

इसी तरह, डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा परिसर में विशेष घटक योजना के अन्तर्गत 100 शैय्या वाले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास निर्माण उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा ₹ 65.24 लाख की लागत से किया गया (मार्च 2003)। छात्रावास दिसम्बर 2004 में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को हस्तगत कर दिया गया था किन्तु, अभी तक यह उपयोग में नहीं आया (दिसम्बर 2016)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिसम्बर 2004 छात्रावास के हस्तान्तरण के उपरान्त समाज कल्याण विभाग ने छ: वर्ष तक किसी अधीक्षक की नियुक्ति नहीं की तथा बालिका छात्रावास को क्रियाशील किए जाने हेतु सात वर्ष तक फर्नीचर आदि की व्यवस्था भी नहीं की गयी थी। सितम्बर 2010 में अधीक्षक की नियुक्ति की गई तथा ₹ 15.64 लाख का आवन्तन छात्रावास के फर्नीचर हेतु किया गया (जनवरी 2012)। यह पाया गया कि सम्पूर्ण धनराशि ₹ 15.64 लाख को फर्नीचर की खरीद पर व्यय किया गया तथा जुलाई 2016 तक अधीक्षक को ₹ 3.25 लाख वेतन का भुगतान किया गया।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010 में अधीक्षक की नियुक्ति किए जाने तथा तत्पश्चात् फर्नीचर की व्यवस्था किए जाने के बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा मई 2016 तक छात्रावास का संचालन नहीं किया गया। 2012 के बाद भी छात्रावास के संचालित न किए जाने का मुख्य कारण विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रावास संचालन की अनुमति न दिया जाना तथा जैसा कि जिला समाज कल्याण अधिकारी ने वर्ष 2012–13 में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को सूचित किया था विश्वविद्यालय के शिक्षकों व अन्य लोगों का छात्रावास के कमरों पर कब्जा था। छात्रावास के कमरों का विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित प्रकार से विश्वविद्यालय के अभिलेखों को रखने हेतु भी किया जा रहा था। मुख्य विकास अधिकारी, आगरा ने अक्टूबर 2015 में विश्वविद्यालय के कुलसचिव से इस विषय में शिकायत की थी कि अनुसूचित जाति की छात्रायें विश्वविद्यालय परिसर के बाहर किराए के आवासों में निवास कर रही हैं फिर भी छात्रावास का संचालन नहीं किया जा रहा है।

यह इस बात की ओर इंगित करता है कि विभाग तथा विश्वविद्यालय 11 वर्ष के समयान्तराल में भी छात्रावास को संचालित करने में विफल रहे। विश्वविद्यालय ने छात्रावास भवन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया न ही शासन से विश्वविद्यालय को छात्रावास रखरखाव व संचालन की अनुबन्ध की शर्त एवं नियमों को बाध्यकारी बनाने की दिशा में कोई प्रयास किया।

शासन ने बताया कि डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में निर्मित छात्रावास हेतु एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया जाएगा तथा समिति की सलाह के आधार पर छात्रावास को संचालित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। बिजनौर में निर्मित छात्रावास के सम्बन्ध में शासन ने सूचित किया गया (नवम्बर 2016) कि छात्रावास को बालक छात्रावास में रूपान्तरित कर दिया गया है तथा वर्तमान में उसमें 45 छात्र निवास कर रहे हैं। तथ्य यह है कि दोनों छात्रावास, बालिका छात्रावास के रूप में उपयोग नहीं हो पा रहे, जो कि बालिकाओं के छात्रावास के लिए निर्मित एवं मंजूर किए गये थे। अनुसूचित जाति की बालिकायें अभी भी सुरक्षित, उपयुक्त, सस्ते आवास से वंचित हैं।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय परिसर, आगरा में छात्रावास संचालित किए जाने में विभाग की विफलता तथा बिजनौर जिले में छात्रावास का निर्माण एकान्त स्थान पर किए जाने के परिणामस्वरूप किया गया व्यय ₹ 1.74 करोड़ (₹ 65.24 लाख एवं ₹ 15.64 लाख आगरा में तथा ₹ 90.16 लाख बिजनौर जिले में) निष्फल रहा क्योंकि दोनों छात्रावास 11 वर्ष व 6 वर्ष से अनुसूचित जाति की बालिकाओं द्वारा प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

3.28 पॉलीटेक्निक भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय।

गाजीपुर जिले में पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण अनुमोदन प्राप्त होने के 6 वर्ष बाद भी पूर्ण न होने के कारण उस पर किया गया ₹ 4.23 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत फरवरी 2010 में शासन ने गाजीपुर जिले के जमनिया तहसील स्थित ग्राम लहुवार में पॉलीटेक्निक स्थापित करने का प्रशासकीय अनुमोदन दिया तथा पॉलीटेक्निक भवन निर्माण हेतु ₹ 6.45 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। वित्तीय स्वीकृति के अनुसार पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण कार्य उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड⁸⁰ द्वारा निष्पादित होना था तथा कार्य जनवरी 2012 तक पूर्ण होना था। स्वीकृत राशि उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को दो बराबर किश्तों में अवमुक्त की जानी थी, प्रथम किश्त उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात् तथा द्वितीय किश्त पहली किश्त के 75 प्रतिशत व्यय होने तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित करने के बाद अवमुक्त की जानी थी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, गाजीपुर के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2016) एवं तत्पश्चात् एकत्र की गई सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि शासन के हितों की रक्षा को ध्यान में रखे बिना कार्य नामांकन के आधार पर बिना प्रतिस्पर्धात्मक निविदा तथा बिना अनुबन्ध/समझौता ज्ञाप क्रियान्वित किये आवन्ति किया गया। ₹ 2.00 करोड़ की धनराशि विभाग द्वारा उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को मार्च 2010 में अवमुक्त की गयी किन्तु विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को भूमि जनवरी 2011 में उपलब्ध करायी गयी। शेष धनराशि ₹ 4.45 करोड़ कार्यदायी संस्था को जुलाई 2011 में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर (निदेशक) द्वारा बिना कार्य की प्रगति की समीक्षा तथा बिना प्रथम उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए अवमुक्त की गयी (सितम्बर 2012)। अग्रेतर, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ₹ 4.23 करोड़ का व्यय किए जाने के उपरान्त (कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 20 प्रतिशत थी) मई 2012 में कार्य रोक दिया गया क्योंकि उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा निर्माण के लिए अवमुक्त धनराशि का दुरुपयोग कर लिया गया था।

दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने में समय व्यतीत होने के कारण दिसम्बर 2014 में उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने ₹ 13.41 करोड़ का संशोधित आगणन निदेशक प्राविधिक, शिक्षा को प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक गाजीपुर के माध्यम से कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत किया। निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि शासन द्वारा ₹ 11.56 करोड़ के संशोधित आगणन की स्वीकृति प्रदान (मार्च 2015) कर दी गयी थी किन्तु, संशोधित आगणन के सापेक्ष कोई भी राशि अवमुक्त नहीं की गई है क्योंकि पूर्व में अवमुक्त राशि ₹ 6.45 करोड़ में से अप्रयुक्त राशि ₹ 2.22 करोड़ अभी भी कार्यदायी संस्था के पास थी।

⁸⁰ उम्प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, वाराणसी (इकाई-II)।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2016)। शासन ने (नवम्बर 2016) उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया। शासन द्वारा बताया गया कि प्रकरण की जाँच हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा जो कि अपनी जाँच आख्या तीन माह में प्रस्तुत करेगी तथा जाँच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् अगली कार्यवाही की जाएगी। अग्रेतर, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में निर्माण कार्य हेतु समझौता ज्ञाप अवश्य गठित किया जाएगा जिसमें प्रत्येक कार्य पूर्ण करने हेतु समय अनुसूची भी समिलित होगी व समय प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जायेगी।

इस प्रकार, विभाग द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के साथ अनुबन्ध/समझौता ज्ञाप गठित न किए जाने, कार्य की भौतिक प्रगति को ध्यान में रखे बिना सम्पूर्ण स्वीकृत राशि को अवमुक्त किए जाने तथा कार्य का समुचित अनुश्रवण न किए जाने के कारण पॉलीटेक्निक भवन निर्माण पर किया गया ₹ 4.23 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, जमानिया तहसील, ग्राम लहुवार में पॉलीटेक्निक स्थापित किए जाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तथा विद्यार्थियों को पॉलीटेक्निक की शिक्षा ग्रहण करने हेतु ग्राम अंधाऊ, तहसील गाजीपुर के पास मौजूद पॉलीटेक्निक में लगभग 30 किमी का सफर करके जाना पड़ता है।

व्यावसायिक शिक्षा विभाग

3.29 आई0टी0आई0 भवन के निर्माण में किया गया निष्फल व्यय

विभाग द्वारा निर्माण कार्य के मानदण्डों का पालन करने में विफल रहने के कारण जनपद सन्त कबीर नगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) भवन पर ₹ 2.78 करोड़ व्यय किये जाने तथा पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। कार्य में अत्यधिक विलम्ब होने तथा निर्माण के अधोमानक सामग्री का उपयोग करने और कार्यकुशलता खराब होने के बाद भी विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनुसूचित जाति के उप योजना के अन्तर्गत हैंसर बाजार, सन्त कबीर नगर में ₹ 3.59 करोड़ की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी (दिसम्बर 2010)।

प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मेंहन्दवाल, सन्त कबीर नगर के अभिलेखों के जांच (मई 2015) और अग्रेतर एकत्र की गई सूचनाओं (अप्रैल 2016) से ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य के लिये कुल स्वीकृत लागत ₹ 3.59 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 1.44 करोड़ कार्यदायी संस्था उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड को दिसम्बर 2010 में बिना समझौता ज्ञाप हस्ताक्षरित किए अथवा अनुबन्ध गठित किये ही अवमुक्त किया गया। उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड ने कार्य जनवरी 2011 में शुरू किया। द्वितीय किश्त ₹ 144.36 लाख कार्यदायी संस्था को मार्च 2012 में अवमुक्त की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

विभाग द्वारा उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड को समस्त नियम व शर्तें समाहित करते हुए समझौता ज्ञाप हस्ताक्षरित किए बिना ही निर्माण कार्य सौंपा गया था।। इसके अतिरिक्त, शासकीय स्वीकृति में कार्य पूर्ण किए जाने कि कोई समय सीमा भी नहीं निर्धारित की गई थी। विलम्ब होने की स्थिति में और निर्माण की समय-सीमा का पालन न करने एवं गुणवत्ता का मापदण्ड पूर्ण न होने पर कार्यदायी संस्था को उत्तरदायी ठहराया जाने के लिये, विभागीय स्तर पर निर्माणदायी संस्था के

साथ अनुबन्ध गठित ना किया जाना अथवा समझौता ज्ञाप हस्ताक्षरित ना किया जाना पूर्णतया अनुचित था ।

विभाग द्वारा ₹ 2.88 करोड़ (स्वीकृत लागत का 80 प्रतिशत) निर्माणदायी संस्था को कार्य की वास्तविक प्रगति के सार्वक्ष भुगतान किये जाने को ध्यान में रखे बिना ही अवमुक्त कर दिया गया । यह वित्तीय नियमों की घोर उल्लंघन था जो विभाग में अनुश्रवण के पूर्णतः अभाव को दर्शाता था ।

₹ 2.78 करोड़ व्यय करने के उपरान्त उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (मई 2016) के अनुसार किये गये कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 40 प्रतिशत थी, तथा कार्य सितम्बर 2012 में बन्द कर दिया गया था । अवशेष धनराशि ₹ 0.10 करोड़ अभी भी (अगस्त 2016) उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड के पास थी । विभाग द्वारा अवशेष धनराशि के साथ साथ ब्याज की धनराशि को दोषी निर्माणदायी संस्था से वापस लिये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी । धनराशि के समय से अवमुक्त किये जाने के बाद भी निर्माणदायी संस्था के कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर न तो कोई दण्ड आरोपित किया गया और न ही जाँच करने तथा विलम्ब का उत्तरदायित्व तय करने के लिये प्रकरण उचित संस्था के सौंपा गया ।

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ, (निदेशक) द्वारा उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड के स्थान पर अन्य निर्माणदायी संस्था का नामांकन करने के लिये अनुरोध करने पर (अक्टूबर 2012), शासन द्वारा उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड को अग्रेतर धन अवमुक्त करने पर रोक लगाने तथा लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग के तकनीकी लेखापरीक्षा कोष्ठ द्वारा निर्माण कार्य के गुणवत्ता तथा कार्य की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की जाँच कर रिपोर्ट को शीघ्रतीशीघ्र भेजने के निर्देश दिये गये (नवम्बर 2012) । शासन द्वारा तकनीकी लेखापरीक्षा कोष्ठ से जाँच कराने की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गयी थी तथापि, निदेशक द्वारा (दिसम्बर 2012) प्रधानाचार्य को एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये गये । यद्यपि, लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के अभियंताओं की दो सदस्यीय जाँच कमेटी मार्च 2013 में बनायी गयी थी किन्तु कमेटी द्वारा निदेशक को रिपोर्ट बहुत विलम्ब से सौंपी गयी (नवम्बर 2013) । कमेटी द्वारा इस जाँच रिपोर्ट में बताया गया कि निर्माण इकाई द्वारा अधोमानक सामग्री का उपयोग किया गया था तथा कार्यकुशलता बहुत खराब थी, फिर भी शासन अथवा निदेशक द्वारा गड़बड़ी/कमी को निर्माणदायी संस्था से ठीक कराने अथवा पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

शासन द्वारा विलम्ब से (जनवरी 2015) उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड के स्थान पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्माणदायी संस्था के रूप में नामित किया गया, परन्तु आगणन की स्वीकृति में प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के कारण कोई भी धनराशि नामित निर्माणदायी संस्था को अवशेष कार्य पूर्ण करने के लिये उपलब्ध नहीं करायी गयी ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (मई 2015 और अप्रैल 2016) प्रधानाचार्य तथा निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा बताया गया कि अधोमानक कार्य के कारण आई0टी0आई0 भवन के निर्माण कार्य को रोक दिया गया था । शासन ने बताया (नवम्बर 2016) कि निर्माणदायी संस्था का खाता आयकर अधिकारियों द्वारा सील कर दिया गया था तथा शासन द्वारा बची हुई धनराशि को उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारिता संघ लिमिटेड से वसूल नहीं किया जा सका है ।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निर्माणदायी संस्था को बिना प्रतिस्पर्धी दर आमंत्रित किये ही नामांकन के आधार पर कार्य आबंटित कर दिया गया था, जो कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के आदेश (जुलाई 2007) का उल्लंघन था । केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा यह

आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के उपरान्त निर्गत किया गया था जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि राज्यों, उसके निगमों एवं शासकीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निविदा/नीलामी के माध्यम से योग्य संस्थाओं द्वारा निविदायें आमंत्रित करके कार्य आबंटित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विस्तृत नियम एवं शर्तों को निर्धारित करते हुए कोई अनुबन्ध भी गठित नहीं किया गया था। यहाँ तक कि कार्य पूर्ण किये जाने की समय सीमा भी निर्धारित नहीं थी। इस प्रकार, कार्य के निष्पादन एवं प्रगति के अनुश्रवण के लिये कोई मापदण्ड नहीं था जिसका परिणाम कार्य में रुकावट तथा निर्माण में अधोमानक सामग्री के उपयोग/खराब कार्यकुशलता के रूप में परिलक्षित हुआ।

इस प्रकार, अनुसूचित जाति के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने का उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि पाँच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ जिससे ₹ 2.87 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(पी० के० कटारिया)

इलाहाबाद

प्रधान महालेखाकार (जी एण्ड एस०एस०ए०)

दिनांक 05 मार्च 2017

उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

दिनांक - 8 मार्च 2017

परिशिष्टयाँ

परिशिष्ट 2.1.1

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य क्रियाकलापों का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.1)

क्र. सं.	क्रियाकलापों का विवरण
1.	सभी स्तरों पर सूक्ष्म नियोजन हेतु प्रारंभिक क्रियाकलाप, हाउसहोल्ड सर्वेक्षण, अध्ययन, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय—आधारित गतिविधियाँ, प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण आदि।
2.	शिक्षकों की नियुक्ति।
3.	नए प्राथमिक विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा की सुविधा जैसे शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवम् अभिनव शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।
4.	नए उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।
5.	अतिरिक्त कक्षा—कक्षों, विद्यालयों एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण।
6.	विद्यालयीय भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत।
7.	सभी बालिकाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान।
8.	विद्यालय यूनिफार्म का प्रावधान।
9.	प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों का नियमित विद्यालय के रूप में उच्चीकरण या नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु शिक्षण अधिगम उपकरण का प्रावधान।
10.	उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पठन—पाठन उपकरण।
11.	विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान।
12.	विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों हेतु क्रियाकलाप।
13.	बालिकाओं की शिक्षा, शिशुकाल की देखभाल और शिक्षा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों के लिये अभिनव क्रियाकलाप।
14.	उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कम्प्यूटर शिक्षा।
15.	विद्यालय अनुदान।
16.	शिक्षक अनुदान।
17.	प्रबंधन लागत।
18.	शिक्षक प्रशिक्षण।
19.	समुदाय के अग्रणी लोगों का प्रशिक्षण।
20.	ब्लॉक संसाधन केन्द्रों/समूह संसाधन केन्द्रों की स्थापना।
21.	अनुसंधान, मूल्यांकन, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण।
22.	राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

परिशिष्ट 2.1.2

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के पूर्ण होने की समयसीमा (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.1)

क्रियाकलाप	समय सीमा
पड़ोस के विद्यालय की स्थापना	3 वर्ष (31 मार्च 2013)
विद्यालय अवसरंचना, सर्वरक्षित विद्यालय भवन, एक कक्षा कक्ष—एक शिक्षक, कार्यालय सह—भण्डार सह—प्रधान अध्यापक कक्ष, शौचालय एवम पेयजल, बाधारहित प्रवेश, पुस्तकालय, खेल का मैदान, बाड़ा / बाउंड्रीवाल	3 वर्ष (31 मार्च 2013)
निर्धारित छात्र—शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों का प्रावधान	3 वर्ष (31 मार्च 2013)
अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण	5 वर्ष (31 मार्च 2015)
सभी गुणवत्ता क्रियाविधियाँ एवम अन्य प्रावधान	तत्काल प्रभाव से

(स्रोत: शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क)

परिशिष्ट 2.1.3

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की निष्पादन लेखापरीक्षा के मापदण्ड का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.4)

क्र. सं.	निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु प्रयुक्त मापदण्ड
1.	नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
2.	नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011, उत्तर प्रदेश
3.	नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
4.	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा का नियोजन और कार्यान्वयन मैनुअल।
5.	नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पर आधारित रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क (संशोधित फ्रेमवर्क 2011)
6.	वित्तीय प्रबंधन और अधिप्राप्ति पर सर्व शिक्षा अभियान का मैनुअल।
7.	परियोजना अनुमोदन बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना।
8.	नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अन्तर्गत, चुनाव हेतु शिक्षकों की तैनाती के सम्बन्ध में धारा—35 (1) के अधीन दिशा निर्देश।
9.	अधिनियम की धारा 25(1) के कार्यान्वयन के संबंध में धारा 35(1) के दिशानिर्देश।
10.	बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर दिशा—निर्देश।
11.	नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 31 एवं 32 के कार्यान्वयन पर सलाह।
12.	नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 35(1) के अन्तर्गत विद्यालयों में शारीरिक दंड के उन्मूलन पर निर्देश।
13.	शिक्षा का अधिकार नियमावली / दिशानिर्देश / मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति।
14.	उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठकों का एजेंडा / कार्यवृत्।
15.	उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा कार्यान्वयन हेतु निर्गत आदेश एवं निर्देश।
16.	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली।
17.	सर्व शिक्षा अभियान का मूल्यांकन प्रतिवेदन।
18.	राज्य वित्तीय नियम।

परिशिष्ट 2.1.4

गोरखपुर, कानपुर देहात, पीलीभीत, रामपुर एवं सोनभद्र जनपदों के नमूना चयनित विद्यालयों में जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आँकड़ों एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण के आँकड़ों में भिन्नता का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.6.2)

विवरण	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार	लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली से भिन्नता (प्रतिशत में)
नामांकित बच्चों की संख्या	17,729	15,999	10
तैनात शिक्षकों की संख्या	494	539	-9
उपलब्ध चहारदीवारी की संख्या	92	87	5
उपलब्ध शौचालयों की संख्या	131	130	1
बालक एवं बालिकाओं हेतु अलग-अलग शौचालयों की संख्या	129	115	11
उपयोग हो रहे शौचालयों की संख्या	131	117	11
विद्यालयों में पेयजल सुविधा की उपलब्धता	122	123	-1
विद्यालयों ¹ में खेल के मैदान की उपलब्धता	90	87	3
वायरिंग / विद्युत संयोजन की उपलब्धता	67	60	10
रसोईघर-सह-भण्डार की उपलब्धता	69	71	-3
नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या	68	51	25
पुस्तकालय की उपलब्धता	98	50	49
उपलब्ध कक्षाकक्षों की संख्या	668	601	10
क्या विद्यालय प्रबन्ध समिति के संयुक्त खातों का संचालन किया गया	84	81	4

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आँकड़े एवं विद्यालयों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण)

परिशिष्ट 2.1.5

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, कार्ययोजना एवं विद्यालयों की संख्या के दो समूहों के आँकड़ों में भिन्नता का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.6.2)

वर्ष	विद्यालयों की संख्या के सन्दर्भ में			नामांकन के सन्दर्भ में		
	कार्ययोजना के अनुसार	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार	अन्तर	हाउसहोल्ड सर्वेक्षण के अनुसार	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार	अन्तर
2010–11	1,59,443	2,01,475	-42,032	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2011–12	2,18,854	2,21,653	-2,799	3,87,23,343	3,54,04,745	33,18,598
2012–13	2,28,488	2,39,817	-11,329	3,92,75,777	3,70,98,290	21,77,487
2013–14	2,34,021	2,40,332	-6,311	3,85,78,870	3,67,26,500	18,52,370
2014–15	2,46,867	2,43,014	3,853	3,79,76,795	3,68,38,720	11,38,075
2015–16	2,46,013	2,45,919	94	3,82,16,571	3,64,25,633	17,90,938

(स्रोत: एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, कार्ययोजना एवं हाउसहोल्ड सर्वेक्षण)

¹ सोनभद्र एवं गोरखपुर जनपदों के नमूना चयनित विद्यालयों में यह पाया कि प्रत्येक जनपद में 10–10 खेल के मैदान थे जबकि जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार इन जनपदों में क्रमशः 18 एवं 2 खेल के मैदान थे।

परिशिष्ट 2.1.6

उपभोग प्रमाणपत्रों एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदित व्यय के आंकड़ों में अन्तर का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.7.2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार वास्तविक व्यय	उपभोग प्रमाणपत्र में प्रदर्शित व्यय	अन्तर
	(अ)	(ब)	(ब – अ)
2010–11	4,888.63	5,202.08	313.45
2011–12	5,151.51	5,482.35	330.84
2012–13	6,871.21	7,181.45	310.24
2013–14	8,697.04	8,830.97	133.93
2014–15	7,642.84	8,020.00	377.16
2015–16	12,545.82	12,686.39	140.57
योग	45,797.05	47,403.24	1,606.19

(स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं उपभोग प्रमाणपत्र)

परिशिष्ट 2.1.7

सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सम्बन्धी मार्गस्थ निधियों की वर्षवार स्थिति
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.7.3)

वर्ष	राज्य परियोजना कार्यालय से जिलास्तरीय कियान्वयन इकाइयों को		जिला स्तरीय कियान्वयन इकाइयों से राज्य परियोजना कार्यालय को	
	मदों की संख्या	धनराशियाँ (₹ में)	मदों की संख्या	धनराशियाँ (₹ में)
2002–03	2	15,37,800.00		
2003–04	7	53,50,440.00		
2004–05	5	21,58,970.00		
2005–06	2	11,74,650.00		
2006–07	3	4,06,380.00		
2007–08	8	56,06,317.00		
2008–09	2	16,37,800.00		
2009–10	1	1,00,000.00		
2010–11	1	1,90,000.00		
5 वर्ष की अधिक अवधि से असमाशोधित (अ)		1,81,62,357.00		
2011–12	2	23,400.00		
2012–13	16	2,77,63,239.00	10	16,71,918.00
2013–14	13	13,16,75,930.00	6	7,53,75,459.00
2014–15	0	0	0	0
2015–16	7	1,18,210,333.00	2	2,51,500.00
उप योग (ब)	69	27,76,72,902.00	18	7,72,98,877.00
समाशोधन के अन्तर्गत मार्गस्थ धनराशि (स)		30,18,707.35		1,42,41,187.49
योग (अ + ब+ स)		29,88,53,966.35(द)		9,15,40,064.49(य)
सकल योग (द + य)				39,03,94,030.84
				अर्थात् ₹ 39.03 करोड़

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय का वार्षिक वित्तीय विवरण)

परिशिष्ट 2.1.8

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कई बैंक खातों के संचालन का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.7.3)

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	घटक, जिससे सम्बन्धित है	एकल/ संयुक्त संचालन	खाता खोलने की तिथि	अन्तिम लेनदेन की तिथि	31.03.2016 को अवशेष (₹ में)
1	बैंक ऑफ बड़ौदा, नरही शाखा	08700100018403	पूँजीगत	संयुक्त	09.10.2014	31.03.2016	6,81,87,653
2	बैंक ऑफ बड़ौदा, नरही शाखा	08700100016693	सामान्य	संयुक्त	13.03.2014	31.03.2016	39,54,27,156
3	केनरा बैंक, हजरतगंज	0363101028088	बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	संयुक्त	22.07.2005	31.03.2016	1,36,09,250
4	केनरा बैंक, हजरतगंज	0363101556543	पूँजीगत	संयुक्त	20.04.2011	31.03.2016	36,04,28,500
5	केनरा बैंक, हजरतगंज	0363101027801	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	संयुक्त	09.02.2005	29.02.2016	1,19,77,055
6	केनरा बैंक, हजरतगंज	0363101022825	सामान्य	संयुक्त	02.02.1999	31.03.2016	3,56,72,31,409
7	इलाहाबाद बैंक	50257868143	सामान्य	संयुक्त	08.01.2015	31.03.2016	12,94,90,841
						उप-योग	4,54,63,51,864 अर्थात ₹ 454.64 करोड़
8	बैंक ऑफ बड़ौदा, नरही शाखा	08700100016851	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	संयुक्त	14.07.2014	31.12.2015	5,41,915
9	इंडियन ओवरसीज बैंक, मुख्य शाखा, लखनऊ	020701000049052	सामान्य	संयुक्त	19.02.2001	28.02.2016	2,02,056
10	इंडियन ओवरसीज बैंक, राजभवन, लखनऊ	192201000010001	सामान्य	संयुक्त	12.12.2012	28.02.2016	4,22,933
						उप-योग	11,66,904 अर्थात ₹ 0.11 करोड़
						सकल योग	45,47,518,768 अर्थात ₹ 454.75 करोड़

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट)

परिशिष्ट 2.1.9

विद्यालय भवन के निर्माण हेतु प्राप्त निधियों के संदिग्ध दुर्विनियोजन का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.7.3)

विकास खण्ड	विद्यालय	वर्ष	निधियों का उपभोग (₹ लाख में)	आहरित निधियाँ (₹ लाख में)	स्थिति
निधियाँ आहरित की गयीं परन्तु निर्माण नहीं हुआ					
सुलतानपुर					
कूड़ेभार	उच्च प्राथमिक विद्यालय अरवल कीरी करवत	2011–12	9.01	45.10	विद्यालयों का निर्माण नहीं हुआ।
धनपतगंज	उच्च प्राथमिक विद्यालय धर्मदासपुर	2011–12	9.01		
दोस्तपुर	उच्च प्राथमिक विद्यालय माधवपुर	2011–12	9.01		
	प्राथमिक विद्यालय कटात पुरुषोत्तम	2008–09	4.53		
जयसिंहपुर	उच्च प्राथमिक विद्यालय कटात गुडबड़	2011–12	9.01		
कादीपुर	प्राथमिक विद्यालय हुसुनपुर	2008–09	4.53		
		योग (अ)	45.10	45.10	
सोनभद्र					
नगर्वै	उच्च प्राथमिक विद्यालय दुबेपुर	2008–09	₹ 5.40 लाख आहरित	5.40	अज्ञात व्यक्ति द्वारा निधियाँ आहरित किए जाने से विद्यालय निर्माण नहीं हुआ
			योग (ब)	5.40	
			योग (अ + ब)	50.50	
महाराजगंज					
भिठौरा	प्राथमिक विद्यालय परशाचक गोबरही	2012–13	2.01	2.01	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण नहीं हुआ।
निधियाँ आहरित की गयीं परन्तु विद्यालयों का आंशिक निर्माण हुआ					
सोनभद्र					
न्योरपुर	उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलहत्थी	2003–04	एक अध्यापक, जिसकी नियुक्ति फर्जी थी, को इन कार्यों का निर्माण प्रभारी बनाया गया और उसने ₹ 4.22 लाख का गबन किया।	2.05	8 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय खाडपाथर	2003–04		2.34	1 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
चतरा	उच्च प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुर	2003–04		2.73	6 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय हिरनखुरी	2003–04		1.32	1 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
नगर्वै	प्राथमिक विद्यालय बरवाटोला	2003–04	एक दूसरे अध्यापक को, जिसकी नियुक्ति फर्जी थी, इन कार्यों का निर्माण प्रभारी बनाया गया और उसने ₹ 10.81 लाख का गबन किया।	2.41	7 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय बैजनाथ	2003–04		2.80	8 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय मारकुण्डी	2003–04		2.80	6 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय चेरवी	2003–04		2.80	6 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
			योग	19.25	

(स्रोत: जिला परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

परिशिष्ट 2.1.10

जनपद सुलतानपुर में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाये गए अर्द्धनिर्मित भवन एवं अतिरिक्त कक्षा कक्ष का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.1)

विकास खण्ड	विद्यालय	वर्ष	आहरित धनराशि (₹ लाख में)	स्थिति
लम्हुआ	उच्च प्राथमिक विद्यालय धरियामाऊ	2008-09	5.15	नींव स्तर तक निर्मित
	प्राथमिक विद्यालय खरभुजही	2012-13	3.00	अपूर्ण
	प्राथमिक विद्यालय सुलतानपुर	2011-12	3.83	अर्द्धनिर्मित
योग			11.98	

(स्रोत: विद्यालयों का संयुक्त भौतिक सत्यापन)

परिशिष्ट 2.1.11

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के कम नामांकन का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

वर्ष	हाउस होल्ड सर्वेक्षण के अनुसार चिन्हित			जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार नामांकन			बच्चे जो आच्छादित नहीं किये गए		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2011-12	79,36,278	71,68,979	1,51,05,257	45,72,356	46,43,586	92,15,942	33,63,922	25,25,393	58,89,315
2012-13	79,50,677	72,12,126	1,51,62,803	51,51,707	52,75,380	1,04,27,087	27,98,970	19,36,746	47,35,716
2013-14	77,44,328	70,14,092	1,47,58,420	53,82,427	54,02,487	1,07,84,914	23,61,901	16,11,605	39,73,506
2014-15	75,61,053	68,13,253	1,43,74,306	55,17,106	55,14,685	1,10,31,791	20,43,947	12,98,568	33,42,515
2015-16	75,19,497	67,71,943	1,42,91,440	55,94,629	55,60,656	1,11,55,285	19,24,868	12,11,287	31,36,155
योग			7,36,92,226			5,26,15,019			2,10,77,207

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रस्तुत हाउस होल्ड सर्वेक्षण के आंकड़े एवं जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.12

प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अधिक नामांकन का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

वर्ष	हाउस होल्ड सर्वेक्षण के अनुसार चिन्हित			जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार नामांकन			चिन्हित बच्चों की तुलना में अधिक नामांकन
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2011-12	1,26,09,144	1,11,17,317	2,37,26,461	1,34,30,576	1,27,58,227	2,61,88,803	24,62,342
2012-13	1,28,24,059	1,13,53,355	2,41,77,414	1,36,58,006	1,30,13,197	2,66,71,203	24,93,789
2013-14	1,26,86,162	1,12,12,387	2,38,98,549	1,33,36,608	1,26,04,978	2,59,41,586	20,43,037
2014-15	1,24,89,281	1,11,53,713	2,36,42,994	1,32,19,384	1,25,87,545	2,58,06,929	21,63,935
2015-16	1,22,97,660	1,10,41,282	2,33,38,942	1,29,35,607	1,23,34,741	2,52,70,348	19,31,406
योग			11,87,84,360			12,98,78,869	1,10,94,509

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रस्तुत हाउस होल्ड सर्वेक्षण के आंकड़े एवं जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.13

नमूना चयनित जनपदों में बच्चों के चिन्हांकन और नामांकन का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

अवधि	जनपद	चिन्हांकन		नामांकन		अन्तर	
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
2011-16	बहराइच	22,61,040	13,88,994	23,17,159	7,24,910	-56,119	6,64,084
2011-16	फरुखाबाद	11,27,653	6,87,649	13,03,207	5,54,418	-1,75,554	1,33,231
2011-16	फिरोजाबाद	12,25,217	7,99,292	15,14,736	5,98,607	-2,89,519	2,00,685
2011-16	गाजियाबाद	16,21,399	9,13,605	17,05,644	6,70,037	-84,245	2,43,568
2011-16	गाजीपुर	24,91,384	15,09,649	28,02,166	12,59,500	-3,10,782	2,50,149
2011-16	गोरखपुर	26,69,326	15,48,379	23,53,913	10,26,810	3,15,413	5,21,569
2011-16	झौसी	10,84,129	6,51,063	11,63,754	5,99,924	-79,625	51,139
2011-16	कानपुर देहात	8,90,882	6,18,898	7,85,493	3,83,345	1,05,389	2,35,553
2011-16	लखीमपुर खीरी	25,92,328	16,07,018	26,76,391	10,16,112	-84,083	5,90,906
2011-16	महराजगंज	19,16,338	10,81,433	18,46,281	6,35,855	70,057	4,45,578
2011-16	मऊ	13,07,799	7,48,021	13,83,277	6,43,752	-75,478	1,04,269
2011-16	पीलीभीत	11,22,117	7,50,264	12,11,032	5,62,562	-88,915	1,87,702
2011-16	रामपुर	13,47,198	8,31,509	20,53,822	5,10,400	-7,06,624	3,21,109
2011-16	सोनभद्र	11,06,530	6,81,752	13,06,205	5,52,801	-1,99,675	1,28,951
2011-16	सुलतानपुर	14,44,129	9,37,037	15,46,946	7,52,456	-1,02,817	1,84,581
2011-16	उन्नाव	16,86,585	10,68,563	18,21,409	6,24,063	-1,34,824	4,44,500
योग		2,58,94,054	1,58,23,126	2,77,91,435	1,11,15,552		

(स्रोत: राज्य कार्यान्वयन इकाई द्वारा प्रस्तुत हॉउस होल्ड सर्वेक्षण के आंकड़े एवं जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.14
बच्चों के विद्यालय से बाहर रहने के कारणों का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

क्र. सं.	वर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
		कुल बालक	कुल बालिकाएँ								
1	घरेलू कार्य में संलिप्तता	20,397	22,380	12,012	12,748	13,150	12,463	5,896	5,833	3,195	3,065
2	कूड़ा बीनना	819	761	637	460	555	373	494	344	275	184
3	घरेलू सहायता	576	730	656	662	462	323	267	140	114	138
4	खदानों/ईंट भट्टों पर कार्यरत	1,427	1,008	653	306	995	657	476	342	345	222
5	कारखानों/गैरोज पर कार्यरत	844	110	554	56	501	99	311	108	234	71
6	कृषि	3,122	1,264	1,907	786	1,233	451	982	243	458	185
7	पारम्परिक शिल्प	1,258	865	988	776	641	447	676	641	358	249
8	छोटे होटल/ढाबों पर कार्यरत	696	313	434	321	328	393	293	175	171	98
9	छोटे भाई बहनों की देखभाल	6,646	9,674	3,276	5,549	3675	6,050	2,051	2,825	1,128	1,510
10	विद्यालय से दूरी	2,370	2,685	1,037	1,259	1,353	1,336	1,273	1,111	700	721
11	कक्ष कक्ष में अधिक बच्चे	74	57	41	113	32	30	45	175	2	16
12	अध्यापकों का अनुचित व्यवहार	80	54	34	36	23	19	19	42	4	8
13	अध्यापक उपलब्ध न होने के कारण सीखने में कठिनाई	1,148	849	419	344	464	274	419	250	293	251
14	बिना कारण	149	241	94	139	117	110	43	48	13	9
15	घुमंतू परिवार	1,472	1,297	813	672	704	590	733	606	430	300
16	गरीबी	3,288	2,097	1,951	1,215	2,178	1,677	1,476	957	868	570
17	गंभीर विकलांगता	0	0	0	0	0	0	1,842	1,297	2,377	1,317
18	अन्य	12,360	8,566	8,301	5,193	14,920	11,476	4,941	3,131	2,396	1,636
योग		56,726	52,951	33,807	30,635	41,331	36,768	22,237	18,268	13,361	10,550

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया हॉउस होल्ड सर्वेक्षण)

परिशिष्ट 2.1.15

वर्ष 2011–16 की अवधि में विद्यालय न जाने वाले चिन्हित एवं
नामांकित बच्चों का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

वर्ष	विद्यालय न जाने वाले चिन्हित बच्चे	विद्यालय न जाने वाले आच्छादित बच्चे	आच्छादन का प्रतिशत
2011-12	1,09,677	1,07,888	98.37
2012-13	64,442	64,202	99.63
2013-14	78,099	77,756	99.56
2014-15	40,505	40,491	99.96
2015-16	23,911	उपलब्ध नहीं	-
योग	3,16,634	2,90,337	

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.16

वर्ष 2010–16 की अवधि में 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के नामांकन का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग
2010-11	10,39,047	2,01,800	12,40,847
2011-12	10,41,405	9,08,575	19,49,980
2012-13	11,64,764	3,08,600	14,73,364
2013-14	11,64,212	3,88,383	15,52,595
2014-15	11,11,990	3,57,015	14,69,005
2015-16	10,75,229	3,55,924	14,31,153

(स्रोत: वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2016–17)

परिशिष्ट 2.1.17

निजी और सरकारी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि/गिरावट का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

वर्ष	शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन			निजी/बिना शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन		
	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग
2010-11	1,54,30,350	42,59,229	1,96,89,579	85,34,809	37,02,551	1,22,37,360
2011-12	1,50,49,324	44,94,100	1,95,43,424	1,08,82,447	46,58,110	1,55,40,557
2012-13	14,159,320	44,60,533	1,86,19,853	1,19,37,930	58,64,099	1,78,02,029
2013-14	1,35,23,506	41,88,647	1,77,12,153	1,16,94,774	63,65,946	1,80,60,720
2014-15	1,30,70,057	40,26,868	1,70,96,925	1,19,92,756	68,47,725	1,88,40,481
2015-16	1,27,44,955	38,57,774	1,66,02,729	1,13,49,123	53,57,716	1,67,06,839
	नामांकन में गिरावट (%)		18.59	नामांकन में वृद्धि (%)		36.52

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.18
वर्ष 2010–16 की अवधि में उपस्थिति हेतु लक्ष्य और
उसके सापेक्ष प्राप्ति का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

वर्ष	लक्ष्य (प्रतिशत)		प्राप्ति (प्रतिशत)	
	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
2010-11	95	95	90	91
2011-12	95	95	91	90
2012-13	75	75	62	54
2013-14	95	95	63	60
2014-15	70	85	61	64 ²
2015-16	80	85	68	72

(स्रोत: वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (2010–15) एवं निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (2015–16))

परिशिष्ट 2.1.19
2010–11 के दौरान त्रुटिपूर्ण एवं अधोमानक कागज प्रयुक्त करने वाले
उन प्रकाशकों के नामों का विवरण जिनके साथ 2015–16 के दौरान
अनुबंध किया गया
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

क्र. सं.	प्रकाशकों के नाम	प्रकाशकों के नाम	
		2010-11	2015-16
1.	मे0 मुद्रण महल, आगरा	मे0 मुद्रण महल, आगरा	
2.	मे0 सिंघल एजेंसी, लखनऊ	मे0 सिंघल एजेंसी, लखनऊ	
3.	मे0 महेश पुस्तकालय, मथुरा	मे0 महेश पुस्तकालय, मथुरा	
4.	मे0 नेशनल प्रिंटर, रांची	मे0 नेशनल प्रिंटर, रांची	
5.	मे0 रामराजा प्रिंटर्स एवं पब्लिशर्स, झाँसी	मे0 रामराजा प्रिंटर्स एवं पब्लिशर्स, झाँसी	
6.	मे0 सरस्वती प्रेस, मथुरा	मे0 सरस्वती प्रेस, मथुरा	
7.	मे0 प्रतिभा प्रिंटिंग प्रेस, मथुरा	मे0 प्रतिभा प्रिंटिंग प्रेस, मथुरा	
8.	मे0 भागवत प्रिंटिंग प्रेस, मथुरा	मे0 भगवती प्रिंटिंग प्रेस, मथुरा	
9.	मे0 रावत प्रकाशन मंदिर, हाथरस	मे0 रावत प्रकाशन मंदिर, हाथरस	
10.	मे0 उपकार प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, आगरा	मे0 उपकार प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, आगरा	
11.	मे0 वीर बुन्देलखण्ड प्रेस, झाँसी	मे0 वीर बुन्देलखण्ड प्रेस, झाँसी	
12.	मे0 काज़मी एसोसिएट्स, इलाहाबाद	मे0 काज़मी एसोसिएट्स, इलाहाबाद	
13.	मे0 पायनियर प्रिंटर्स, आगरा	मे0 पायनियर प्रिंटर्स, आगरा	
14.	मे0 शील प्रिंटर्स, मथुरा	मे0 शील प्रिंटर्स, मथुरा	

(स्रोत: निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)

² 2014–15 के दौरान निदेशक, बेसिक शिक्षा द्वारा प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 60 और 61 प्रतिशत उपस्थिति सूचित की गयी।

परिशिष्ट 2.1.20

वर्ष 2012–16 के दौरान अधिक पाठ्य पुस्तकों के क्रय का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

(₹ में)

जनपद का नाम	नामांकित बच्चों की संख्या	आवश्यक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की संख्या	क्रय की गयी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की संख्या	अधिक क्रय की गयी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की संख्या	पुस्तकों की कुल लागत	एक पुस्तक का औसत मूल्य $\{(6)/(4)\}$	अधिक पुस्तकों का कुल मूल्य $\{(5)*(7)\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
महराजगंज	12,15,525	74,23,281	83,60,376	9,37,095	9,21,31,662	11.02	1,03,26,787
फिरोजाबाद	8,38,285	52,38,037	62,33,866	9,95,829	7,28,77,156	11.69	1,16,41,241
गाजीपुर	15,17,174	96,46,156	1,04,11,095	7,64,939	12,81,34,165	12.31	94,16,399
सोनभद्र	10,51,638	64,24,066	71,94,699	7,70,633	10,17,37,557	14.14	1,08,96,751
महायोग				34,68,496		4,22,81,178	
				अर्थात् ₹ 34.68 लाख		अर्थात् ₹ 4.23 करोड़	

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.21

नमूना चयनित जनपदों में पुस्तकों के परिवहन का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

जनपद का नाम	पुस्तकों की डुलाई के लिए अपनाई गई प्रक्रिया	2011–16 के दौरान परिवहन पर व्यय (रुपये में)	न्यूनतम और अधिकतम व्यय (रुपये में)	वर्ष 2011–16 की अवधि में अधिकतम व्यय में प्रतिशत वृद्धि, किसी भी वर्ष में सबसे कम की तुलना में	पुस्तकों की अधिप्राप्ति में गिरावट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहराइच	वर्ष 2011–12 के दौरान फहले के वर्षों में अनुमोदित दर के आधार पर; वर्ष 2012–13 के दौरान जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर; उसके बाद निविदा प्रक्रिया के आधार पर।	2011-12: 99,000 2012-13: 2,19,700 2013-14: 21,05,890 2014-15: 13,08,450 ³ 2015-16: 10,50,000	न्यूनतम (2011-12): ₹ 99,000 अधिकतम (2013-14): ₹ 21,05,890	वर्ष 2011–12 में व्यय की गयी ₹ 0.99 लाख की धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में पुस्तकों के जनपद से विकास खण्ड एवं विकास खण्ड से विद्यालय तक परिवहन पर कुल ₹ 21.06 लाख की धनराशि व्यय की गयी। इस प्रकार वर्ष 2011–12 के दौरान व्यय की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान 2027 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 30,86,208 2012-13: 33,25,435 2013-14: 32,24,393 2014-15: 33,19,660 2015-16: 33,52,892 प्रतिशत बढ़ोत्तरी (2011-14): 6.72
फर्रखाबाद	2011–13: निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के क्रय की अवशेष धनराशि के माध्यम से भुगतान। 2013–15: निविदा प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान। 2015–16: जिला अधिकारी ने परिवहन विभाग को उपरोक्त कार्य के लिए निर्देश दिया।	2011-12: 2,30,550 2012-13: 1,97,892 2013-14: 4,36,312 2014-15: 4,62,502 2015-16: 1,33,436	न्यूनतम (2015-16): ₹ 1,33,436; अधिकतम (2014-15): ₹ 4,62,502	वर्ष 2014–15 के दौरान पुस्तकों के परिवहन पर किया गया व्यय ⁴ वर्ष 2015–16 के दौरान पुस्तकों के परिवहन पर किये गये व्यय का 246 प्रतिशत था।	2011-12: 18,44,416 2012-13: 14,54,029 2013-14: 14,00,626 2014-15: 14,46,994 2015-16: 13,40,126 प्रतिशत गिरावट (2014-16) : 7.38
फिरोजाबाद	वर्ष 2011–12 के दौरान खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों/शिक्षकों के सहयोग से पुस्तकों को विद्यालयों तक पहुँचाया गया। वर्ष 2012–13 की अवधि में जिलाधिकारी द्वारा वाहनों की अनुमोदित किराया दर पर पुस्तकों को न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों तक पहुँचाया गया। वर्ष 2013–16 के दौरान जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर पर वाहनों को किराये पर लेकर पुस्तकों को विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया।	2011-12: शून्य 2012-13: 1,55,384 2013-14: 5,13,216 2014-15: 6,13,605 2015-16: 5,98,520	न्यूनतम (2012-13): ₹ 1,55,384 अधिकतम (2014-15): ₹ 6,13,605	वर्ष 2014–15 में पुस्तकों के परिवहन पर वर्ष 2012–13 की तुलना में 294 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 16,35,013 2012-13: 16,13,208 2013-14: 18,77,640 2014-15: 13,52,675 2015-16: 13,90,343 प्रतिशत गिरावट (2012-15): 16.15

³ वर्ष 2014–15 में ₹ 15.30 लाख के देयक के सापेक्ष ₹ 13.08 लाख का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा, जो पुस्तकों के मूल्य की 4 प्रतिशत थी, के सापेक्ष जनपद द्वारा वर्ष 2015–16 में ₹ 1.75 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया।

⁴ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पुस्तकों के परिवहन पर व्यय की निर्धारित अधिकतम सीमा, जो पुस्तकों के मूल्य की 4 प्रतिशत थी, के कारण वर्ष 2015–16 में पुस्तकों के परिवहन पर व्यय घटा।

गाजीपुर	2011–13: पुस्तकों के परिवहन का कार्य ब्लॉक संसाधन केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों से किया गया। 2013–14: खुली निविदा के माध्यम से, परन्तु किसी ने भी निविदा में भाग नहीं लिया। इसलिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा, चुनाव 2012 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर पुस्तकों के परिवहन का निर्णय लिया गया।	2011-12: शून्य 2012-13: शून्य 2013-14: 4,11,034 2014-15: 8,04,151 2015-16: 8,50,116;	न्यूनतम (2013-14): ₹ 4,11,034 अधिकतम (2015-16): ₹ 8,50,116;	वर्ष 2015–16 के दौरान पुस्तकों की परिवहन लागत वर्ष 2013–14 के दौरान किये गये व्यय की तुलना में 107 प्रतिशत अधिक थी।	2011-12: 32,54,364 2012-13: 29,03,167 2013-14: 27,20,689 2014-15: 25,28,984 2015-16: 22,58,255 प्रतिशत गिरावट: (2013-16): 17
गाजियाबाद	सूचना / अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।				
गोरखपुर	निविदा प्रक्रिया अपनाये बिना दैनिक किराये एवं ईंधन की खपत के आधार पर।	2011-12: 2,31,585 2012-13: 2,26,384 2013-14: 2,52,575 2014-15: 40,94,52 2015-16: 7,72,000	न्यूनतम (2012-13): ₹ 2,26,384 अधिकतम (2015-16): ₹ 7,72,000.	वर्ष 2015–16 के दौरान पुस्तकों के परिवहन पर किया गया व्यय वर्ष 2012–13 की अवधि में किये गये व्यय की तुलना में 241 प्रतिशत अधिक थी।	2011-12: 30,93,472 2012-13: 25,29,373 2013-14: 38,53,884 2014-15: 30,75,809 2015-16: 22,98,657 प्रतिशत गिरावट (2012-16): 9.12
झाँसी	जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा न तो निविदा आमंत्रित की गयी और न ही परिवहन दर का अनुमोदन किया गया। इसके स्थान पर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से प्राप्त दर के आधार पर विभिन्न एजेंसियों को कार्यादेश दिये गये।	2011-12: 1,94,904 2012-13: 1,75,310 2013-14: 1,37,340 2014-15: 2,13,260 2015-16: 3,48,630	न्यूनतम (2013-14): ₹ 1,37,340; अधिकतम (2015-16): ₹ 3,48,630	वर्ष 2015–16 के दौरान पुस्तकों के परिवहन पर किया गया व्यय वर्ष 2013–14 के दौरान किये गये व्यय की तुलना में 154 प्रतिशत अधिक थी।	2011-12: 16,48,089 2012-13: 13,86,945 2013-14: 14,89,707 2014-15: 13,58,996 2015-16: 12,58,869 प्रतिशत गिरावट (2013-16): 15.50
कानपुर देहात	2011–12: विद्यालय विकास निधि एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की अवशेष धनराशि के माध्यम से भुगतान 2012–14: निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के क्रय की अवशेष धनराशि के माध्यम से भुगतान। 2014–15: खुली निविदा के माध्यम से जिला अधिकारी द्वारा अनुमोदित दर पर। 2015–16: चुनाव–2014 के आधार पर, परिवहन विभाग/जिला अधिकारी की अनुमोदित दर पर	2011-12: शून्य 2012-13: शून्य 2013-14: 1,62,000 2014-15: 8,79,765 2015-16: 1,37,397	न्यूनतम (2015-16): ₹1,37,397; अधिकतम (2014-15): ₹ 8,79,765	वर्ष 2014–15 की अवधि में पुस्तकों के परिवहन पर किया गया व्यय ⁵ वर्ष 2015–16 में किये गये व्यय का 540 प्रतिशत था।	2011-12: 14,30,725 2012-13: 11,78,310 2013-14: 15,01,123 2014-15: 11,96,238 2015-16: 11,31,104 प्रतिशत गिरावट (2014-16): 5.44
लखीमपुर खीरी	2011–12: ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के कर्मचारियों के माध्यम से। 2012–14: चुनाव 2012 के लिए अनुमोदित दर पर परिवहन किया गया; निःशुल्क पाठ्यपुस्तक क्रय	2011-12: शून्य 2012-13: 3,91,130 2013-14: 6,94,620	न्यूनतम (2012-13): ₹ 3,91,130; अधिकतम	वर्ष 2012–13 में किये गये व्यय की तुलना में वर्ष 2013–14 में पुस्तकों के परिवहन व्यय में 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 33,25,779 2012-13: 32,35,971 2013-14: 31,55,426

⁵ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पुस्तकों के परिवहन की निर्धारित अधिकतम सीमा, जो पुस्तकों के मूल्य की 4 प्रतिशत थी, के कारण वर्ष 2015–16 में पुस्तकों के परिवहन पर व्यय घटा।

	की अवशेष धनराशि से भुगतान किया गया। 2014–16: ब्लॉक संसाधन केन्द्र के कर्मचारियों के माध्यम से।	2014-15: शून्य 2015-16: शून्य ⁶	(2013-14): ₹ 6,94,620		2014-15: 29,05,794 2015-16: 29,37,081 प्रतिशत गिरावट (2012-14): 2.49
महाराजगंज	वर्ष 2011–12 के मध्य पुस्तकों का परिवहन ब्लाक संसाधन केन्द्रों द्वारा किया गया था। जिला परियोजना अधिकारी द्वारा परिवहन पर कोई व्यय नहीं किया गया था। दूसरे वर्षों में पुस्तकों का परिवहन कोटेशन/निविदा के माध्यम से किया गया।	2011-12: शून्य 2012-13: 33,252 2013-14: 1,54,050 2014- 15:36,000 2015-16: 2,44,915	न्यूनतम (2014-15): ₹ 36,000; अधिकतम (2015-16): ₹ 2,44,915	वर्ष 2014–15 की अवधि में किये गये व्यय की तुलना में वर्ष 2015–16 में पुस्तकों के परिवहन व्यय में 636 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 23,23,383 2012-13: 19,99,236 2013-14: 21,16,676 2014-15: 21,04,069 2015-16: 20,40,398 प्रतिशत गिरावट (2014-16) : 3.03
मऊ	निविदा प्रक्रिया	2011-12: 1,14,410 2012-13: 1,48,643 2013-14: 1,54,099 2014- 15:2,00,000 2015-16: 2,12,948	न्यूनतम (2011-12): ₹ 1,14,410; अधिकतम (2015-16): ₹ 2,12,948	वर्ष 2011–12 की अवधि में किये गये व्यय की तुलना में वर्ष 2015–16 में पुस्तकों के परिवहन व्यय में 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 19,97,470 2012-13: 19,10,473 2013-14: 17,26,948 2014-15: 16,45,947 2015-16: 16,16,481 प्रतिशत गिरावट (2011-16): 19
पीलीभीत	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।				
रामपुर	वर्ष 2012–16 के मध्य पुस्तकों का परिवहन जिला अधिकारी द्वारा चुनाव हेतु अनुमोदित दरों पर किया गया। वर्ष 2011–12 में निविदा प्रक्रिया के द्वारा पुस्तकों का परिवहन किया गया।	2011-12: 1,52,110 2012-13: 2,94,403 2013-14: 3,68,110 2014-15: 3,92,400 2015-16: 3,87,716	न्यूनतम (2011-12): ₹ 1,52,110 अधिकतम (2014-15): ₹ 3,92,400	वर्ष 2011–12 की अवधि में किये गये व्यय की तुलना में वर्ष 2015–16 में पुस्तकों के परिवहन व्यय पर 158 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 18,54,680 2012-13: 16,16,215 2013-14: 14,71,352 2014-15: 13,05,196 2015-16: 12,86,561 प्रतिशत गिरावट (2011-15): 29.63
सोनभद्र	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए वाहन को ईधन उपलब्ध कराकर तथा चालक को पारितोषिक देकर पुस्तकों का परिवहन किया गया था।	2011-12: 89,902 2012-13: 1,12,668 2013-14: 81,651 2014-15: 90,000 2015-16: 4,37,499	न्यूनतम (2013-14): ₹ 81,651; अधिकतम (2015-16): ₹ 4,37,499	वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2015–16 में पुस्तकों के परिवहन की लागत में 436 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 18,63,506 2012-13: 19,06,490 2013-14: 17,36,518 2014-15: 17,50,797 2015-16: 18,00,894 प्रतिशत बढ़ा (2013-16): 3.71

⁶ जिला समिति की बैठक न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया था।

सुलतानपुर	डीजल एवं पुस्तकों ⁷ की चढ़ाई एवं उत्तराई की लागत उपलब्ध कराकर पुस्तकों का परिवहन किया गया। (ट्रांसपोर्टर द्वारा ईधन की खपत की मांग अलग अलग वर्षों में अलग अलग की गयी, अलग-अलग वाहनों के लिये चढ़ाई एवं उत्तराई की लागत में बहुत अन्तर था और वर्ष 2014-15, 2015-16 के मध्य परिवहन पर किया गया व्यय बिना कारण के कई गुना बढ़ गया था)।	2011-12: 5,21,343 2012-13: 4,99,560 2013-14: 5,75,103 2014-15: 15,17,178 ⁸ 2015-16: 13,46,758	न्यूनतम (2012-13): ₹ 4,99,560; अधिकतम (2014-15): ₹ 15,17,178	वर्ष 2014-15 में पुस्तकों के परिवहन पर किये गये व्यय में वर्ष 2012-13 की तुलना में 204 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 25,84,997 2012-13: 21,99,148 2013-14: 19,08,959 2014-15: 20,81,858 2015-16: 1880734 प्रतिशत गिरावट (2012-15): 5.33
उन्नाव	जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित, ब्लाक स्टर तक प्रति फेरा दर के आधार पर पुस्तकों का परिवहन किया गया। भुगतान ब्लाक स्टर तक 3 फेरे के आधार पर किया गया।	2011-12: 1,46,997 2012-13: 1,38,661 2013-14: 1,91,547 2014-15: 2,13,432 2015-16: 2,99,130	न्यूनतम (2011-12): ₹ 1,38,661; अधिकतम (2015-16): ₹ 2,99,130	वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2015-16 में 116 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 23,54,829 2012-13: 22,66,603 2013-14: 20,08,436 2014-15: 18,73,904 2015-16: 18,70,278 प्रतिशत घटा (2010-16): 20.58

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूचना)

⁷ (अ) निविदा आमत्रित करते समय कुछ अवयवों जैसे डीजल एवं मोबिल आयल की खपत, जो कि अचर की जा सकती थी, उसे परिवहक के निर्णय पर छोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप, विभिन्न परिवहकों ने विभिन्न वर्षों में टाटा ट्रक के लिए 3 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर; आइशर 407 के लिए 1.5 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर; टाटा 307 के लिए 6 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर और टाटा मैजिक हाफ के लिये 10 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर डीजल की खपत उद्धृत की। इसी प्रकार मोबिल आयल की खपत दर विभिन्न वर्षों में, टाटा ट्रक के लिए 25 से 20000 किलोमीटर प्रति लीटर; आइशर 407 के लिए 300 से 25000 किलोमीटर प्रति लीटर, टाटा 307 के लिए 500 से 25000 किलोमीटर प्रति लीटर और टाटा मैजिक हाफ के लिए 800 से 25000 किलोमीटर प्रति लीटर के मध्य विस्तारित थी, जिसका तदनुसार भुगतान किया गया। डीजल एवं मोबिल आयल की खपत में बड़ा अन्तर औचित्यपूर्ण नहीं था।

(ब) माल चढ़ाई एवं उत्तराई प्रभार में बहुत अधिक भिन्नता थी, जोकि टाटा ट्रक के लिए ₹ 1,080 से ₹ 2,400; आइशर 407 हेतु ₹ 540 से ₹ 2,400, टाटा 307 हेतु ₹ 540 से ₹ 1,800 और टाटा मैजिक हाफ हेतु ₹ 540 से ₹ 1,200 के मध्य विस्तारित थी।

(स) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान पुस्तकों के परिवहन हेतु परिवहन लागत ₹ 499560 से ₹ 575103 का भुगतान किया गया था, जिसका औसत ₹ 5.37 लाख प्रतिवर्ष था। तथापि अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय बढ़कर ₹ 15.17 लाख हो गया, जो कि विगत वर्ष में किये गये व्यय का 2.85 गुना था और पुस्तकों की लागत (₹ 2.11 करोड़) का 8.8 प्रतिशत था, जो कि पुस्तकों के परिवहन व्यय के राज्य स्तरीय औसत की लगभग दुगुनी थी। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 के दौरान पुस्तकों के परिवहन पर किया गया व्यय ₹ 13.47 लाख था, जो कि पुस्तकों की लागत (₹ 1.88 करोड़) का 7.19 प्रतिशत था जबकि पूरे प्रदेश का औसत पिछले वर्ष 3.28 प्रतिशत था। यह पाया गया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान परिवहक द्वारा उद्धृत दर का औचित्य निर्धारण वर्ष 2013-14 के दौरान अनुमोदित दर के आधार पर नहीं किया गया था। विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि न्यूनतम निविदादाता (परिवहक) द्वारा वर्ष 2014-15 और 2015-16 में उद्धृत डीजल की खपत दर वर्ष 2013-14 के दौरान उद्धृत खपत दर की तुलना में 8 से 60 प्रतिशत अधिक थी। इसी प्रकार माल चढ़ाई एवं उत्तराई अधिभार अधिक था तथा वर्ष 2013-14 के दौरान उद्धृत दर की तुलना में वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान कमश 77.5 प्रतिशत और 233 प्रतिशत के मध्य अधिक था, जो कि बिना किसी विश्लेषण के अनुमोदित किया गया था। परिणामस्वरूप विगत वर्ष में हुये व्यय की तुलना में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान कमश: ₹ 12.04 लाख एवं ₹ 8.15 लाख अधिक व्यय किया गया था।

⁸ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा ऐसे जनपदों की, जिन्होंने पुस्तकों के परिवहन पर पुस्तक मूल्य का 6 प्रतिशत से अधिक व्यय किया था, विशेष लेखापरीक्षा करने के निर्णय के परिणामस्वरूप वर्ष 2014-15 में ₹ 17.36 लाख के बिल के भुगतान को ₹ 15.17 लाख पर सीमित कर दिया गया।

परिशिष्ट 2.1.22

**वर्ष 2010–16 के मध्य निःशुल्क पुस्तकों की आपूर्ति एवं
वितरण में विभिन्न स्तरों पर हुए विलम्ब का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)**

जिलों का नाम	आपूर्ति आदेश के प्रेषण में देरी (दिनों में)	मुद्रकों द्वारा जिलों को आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों की प्रारम्भिक आपूर्ति की तिथि						प्राप्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की कुल संख्या (सर्व शिक्षा अभियान + उत्तर प्रदेश सरकार)	जुलाई माह के बाद वितरित की गयी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की संख्या
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16		
बहराइच	0-16	23.07.2010	10.09.2011	18.09.2012	18.09.2013	30.05.2014	08.08.2015	1,93,29,940	1,09,42,311
फर्रुखाबाद	2-23	15.06.2010	19.06.2011	20.06.2012	22.05.2013	15.06.2014	28.07.2015	89,30,234	26,79,059
फिरोजाबाद	0-20	02.06.2010	06.07.2011	09.06.2012	30.05.2013	25.06.2014	02.06.2015	95,87,201	29,56,583
गाजियाबाद	1-15	25.07.2010	28.08.2011	18.07.2012	28.10.2013	11.07.2014	22.07.2015	52,08,146	14,04,681
गाजीपुर	1-18	12.06.2010	14.07.2011	09.06.2012	29.05.2013	09.06.2014	08.06.2015	1,69,37,390	77,03,058
गोरखपुर	0-16	30.06.2010	21.07.2011	02.07.2012	19.06.2013	17.06.2013	10.06.2015	1,82,82,467	73,12,988
झाँसी	0-23	18.06.2010	16.07.2011	08.06.2012	10.05.2013	09.06.2014	09.06.2015	86,77,175	36,18,722
कानपुर देहात	1-12	14.06.2010	12.07.2011	26.07.2012	04.06.2013	05.06.2014	19.06.2015	73,37,761	28,31,771
लखीमपुर खीरी	0-10	06.2010	06.2011	05.2012	06.2013	05.2014	06.2015	1,80,26,972	21,39,387
महाराजगंज	2-18	01.07.2010	05.07.2011	04.07.2012	25.06.2013	29.06.2014	06.07.2015	1,25,22,824	4,46,584
मऊ	0-27	02.07.2010	14.07.2011	02.06.2012	24.06.2013	23.06.2014	24.06.2015	1,09,58,404	24,05,165
पीलीभीत					अभिलेख / सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई				
रामपुर	0-16	29.05.2010	03.07.2011	04.06.2012	02.06.2013	31.05.2014	09.06.2015	95,83,039	31,33,838
सोनभद्र	0-18	15.05.2010	18.07.2011	07.06.2012	10.05.2013	03.06.2014	08.06.2015	1,10,64,487	43,10,518
सुलतानपुर	0-103	30.05.2010	01.07.2011	06.06.2012	08.05.2013	28.05.2014	12.06.2015	1,43,25,588	51,02,857
उन्नाव	0-2	11.07.2010	10.08.2011	10.07.2012	17.07.2013	27.06.2014	17.08.2015	1,27,71,233	21,21,670
योग								18,35,42,861	5,91,09,192

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.23

**निःशुल्क पाठ्य पुस्तक घटक पर आवंटन, व्यय एवं बच्चों के आच्छादन का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)**

वर्ष	आवंटन	व्यय	शेष	लक्ष्य	वास्तविक नामांकन	वास्तविक आच्छादन	(अंकों में)	
							(अंकों में)	(अंकों में)
2010-11	114.81	82.21	32.60	1,47,84,400	उपलब्ध नहीं	1,43,40,731		
2011-12	114.98	97.95	17.03	1,43,38,431	उपलब्ध नहीं	1,41,99,371		
योग (अ)	229.79	180.16	49.63	2,91,22,831		2,85,40,102		
2012-13	129.65	103.39	26.26	1,41,62,630	1,44,73,717	1,41,58,397		
2013-14	252.02	126.30	125.72	1,40,12,396	1,40,10,725	1,39,34,258		
2014-15	199.60	129.35	70.25	1,38,31,943	1,36,77,895	1,35,34,304		
2015-16	186.41	152.30	34.11	1,32,94,158	1,32,39,443	1,31,53,093		
योग (ब)	767.68	511.34	256.34	5,53,01,127	5,54,01,780	5,47,80,052		
महायोग	997.47	691.50	305.97	8,44,23,958	5,54,01,780	8,33,20,154		

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना, नामांकन जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार)

परिशिष्ट 2.1.24

छात्रों को विलम्ब से यूनिफार्म की आपूर्ति का विवरण (सम्पूर्ण राज्य) (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

क्र. सं.	वर्ष	यूनिफार्म वितरण की निर्धारित तिथि	निर्धारित तिथि तक यूनिफार्म वितरण की स्थिति	बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध कराने में देरी
1	2011-12	11.11.11	बच्चों को केवल एक सेट यूनिफार्म उपलब्ध कराया गया था	
2.	2013-14	30.11.13	21 जनपद दिनांक 10.12.2013 तक यूनिफार्म वितरण में असफल रहे। अन्य जनपदों द्वारा वितरण हेतु नियत तिथियों तक एक से 71 प्रतिशत ⁹ तक यूनिफार्म का वितरण किया गया।	दिनांक 26.08.2013 (75 प्रतिशत) एवं 07.01.2014 (25 प्रतिशत) को निधियों के विलंब से अंतरण के कारण यूनिफार्म का समय से वितरण संभव नहीं था।
3	2014-15	30.9.14	46 जनपदों में 30 अक्टूबर 2014 तक यूनिफार्म वितरित नहीं किये गये शेष जनपदों में नियत तिथि तक 50 से 74 प्रतिशत ही यूनिफार्म वितरण किया गया।	यूनिफार्म के वितरण हेतु निधियां 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की दो किश्तों में क्रमशः दिनांक 15.09.2014 एवं 25.02.2015 को हस्तांतरित की गयी।
4.	2015-16	20.8.15	समय से यूनिफार्म का वितरण नहीं किया गया।	सत्र अप्रैल 2015 में आरम्भ हुआ। यूनिफार्म हेतु निधियां दो किश्तों में क्रमशः 28.07.2015 (75 प्रतिशत) एवं 27.01.2016 (25 प्रतिशत) को हस्तांतरित की गयी।

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

⁹ 9, 20, 05, एवं 18 जनपदों द्वारा क्रमशः 1 से 30 प्रतिशत, 31 से 60 प्रतिशत, 61 से 70 प्रतिशत एवं 71 प्रतिशत के मध्य यूनिफार्म वितरित किया गया।

परिशिष्ट 2.1.25

बच्चों को यूनिफार्म वितरण में विलम्ब का विवरण (चयनित जनपदों में) (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

क्र. सं.	जिला का नाम	अवधि	छात्रों की संख्या	विलम्ब दिनों में
1	बहराइच	2012-16	38,894	39 से 199
2	फिरोजाबाद	2011-16	44,336	31 से 168
3	फर्रुखाबाद	2012-13	6,560	61
4	गाजियाबाद	सूचना / अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।		
5	गाजीपुर	2011-16	1,44,418	67 से 230
6	गोरखपुर	2012-15	33,732	58 से 221
7	झाँसी	2011-13, 2015-16	15,573	34 से 130
8	कानपुर देहात	2011-16	00	समय से वितरित
9	लखीमपुर खीरी	2011-16	86,004	61 से 107
10	महाराजगंज	2011-16	1,18,866	39 से 138
11	मऊ	2011-16	3,09,733	33 से 209
12	पीलीभीत	2011-16	00	समय से वितरित
13	रामपुर	2011-16	28,077	20 से 145
14	सोनभद्र	2012-13, 2014-15	36,507	59 से 121
15	सुलतानपुर	2011-13, 2014-16	1,00,719	32 से 111
16	उन्नाव	2012-16	42,572	32 से 174
योग			10,05,991	

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.26

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की वर्षवार स्थिति का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय ¹⁰					उच्च प्राथमिक विद्यालय ¹¹				
	स्वीकृत	विगत वर्ष के अवशेष विद्यालय	निर्मित	निर्माणाधीन	अनारम्भ	स्वीकृत	विगत वर्ष के अवशेष विद्यालय	निर्मित	निर्माणाधीन	अनारम्भ
2010-11	0	703	670	33	0	1,126	918	1943	101	0
2011-12	10,364	33	714	6,762	2,921	1,052	101	87	648	418
2012-13	0	9,683	5,709	3,491	483	0	1,066	617	364	85
2013-14	0	3,974	3,044	560	370	0	449	217	190	42
2014-15	0	930	367	102	461	0	229	115	37	77
2015-16	0	563	17	77	469	0	114	19	22	73
योग	10,364		10,521			2,178		2,998		

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना)

¹⁰ 1 अप्रैल 2010 को विगत वर्ष के अनिर्मित प्राथमिक विद्यालय का प्रारम्भिक अवशेष 703 था जिसे वर्ष 2010-16 के मध्य 10,364 स्वीकृत विद्यालयों में जोड़ दिया जाये तो वर्ष 2010-16 में कुल 11,067 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण होना था।

¹¹ 1 अप्रैल 2010 को विगत वर्ष के अनिर्मित उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रारम्भिक अवशेष 918 था जिसे वर्ष 2010-16 में स्वीकृत 2,178 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जोड़ने तथा वर्ष 2014-15 के मध्य समर्पित तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को घटाने पर वर्ष 2010-16 में कुल 3,093 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण होना था।

परिशिष्ट 2.1.27

विद्यालयों का निर्माण न होने के कारणों का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

जनपद का नाम	विद्यालयों के निर्माण हेतु अपर्याप्त लागत
सुलतानपुर	वर्ष 2011–12 की अवधि में 344 नवीन प्राथमिक विद्यालयों (₹ 6.73 लाख प्रति प्राथमिक विद्यालय की दर से) एवं 12 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (₹ 9.01 लाख प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय की दर से) के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि इन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की निर्माण लागत सम्बन्धित विद्यालय प्रबंध समितियों को हस्तांतरित कर दी गयी परन्तु चार वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी 48 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया क्योंकि निर्माण प्रभारियों द्वारा लागत में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी थी। इन अनिर्मित विद्यालय में से 12 विद्यालय प्रबंध समितियों द्वारा कुल धनराशि ₹ 29.64 लाख वापस नहीं की गयी थी, जबकि उसे दिसंबर 2014 तक वापस किये जाने के निर्देश थे।
भूमि विवाद	
18 जनपद ¹²	वर्ष 2011–12 की अवधि में 18 जनपदों में 35 प्राथमिक विद्यालयों एवं पांच उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु ₹ 280.60 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। भूमि विवाद के कारण, धनराशि अवमुक्त होने से चार वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण नहीं हुआ।
विवादित स्थल का चयन	
गोरखपुर	भूमि का स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त किये बिना विकास खण्ड खोराबार के उच्च प्राथमिक विद्यालय अमैया (2002–03 में स्वीकृत) का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। आंशिक निर्माण की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर अपना दावा पेश करने के कारण विद्यालय का निर्माण कार्य रोक दिया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि यह विद्यालय बाद में स्वीकृत पांच अतिरिक्त कक्ष कक्षों में संचालित था।
गोरखपुर	भूमि का स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त किये बिना प्राथमिक विद्यालय पयासी, विकास खण्ड खोराबार (2007–08 में स्वीकृत) का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। अर्धनिर्मित स्थिति में (लगभग 95 प्रतिशत) विद्यालय भवन पर एक व्यक्ति द्वारा भूमि का स्वामी होने का दावा करके कब्ज़ा कर लिया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि पशुओं एवं पशुओं को खिलाने का भूसा विद्यालय के कमरे में रखा गया था और प्राथमिक विद्यालय पयासी उच्च प्राथमिक विद्यालय पयासी के भवन में संचालित था।
मानकों के विरुद्ध विद्यालयों की स्वीकृति	
उन्नाव	13 उच्च प्राथमिक विद्यालय मानकों के विरुद्ध स्वीकृत थे जिनका जनवरी 2013 में समर्पण कर दिया गया था परन्तु कुल धनराशि ₹ 1.18 करोड़ राज्य परियोजना कार्यालय को हस्तांतरित नहीं की गयी।
गोरखपुर	निर्धारित मानकों के विरुद्ध चयनित 47 प्राथमिक एवं 3 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अन्य विद्यालयों के साथ बदल दिया गया।

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय एवं सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालयों के अभिलेख)

¹² अलीगढ़, आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, चित्रकूट, एटा, फैजाबाद, गोंडा, हाथरस, जौनपुर, कन्नौज, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, प्रतापगढ़, संतरविदास नगर (भदोही), सीतापुर एवं श्रावस्ती।

परिशिष्ट 2.1.28

भवनविहीन, किराये के भवन में एवं जर्जर भवन में संचालित विद्यालयों का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

जनपद	बिना भवन के संचालित विद्यालयों की संख्या	किराये के भवनों ¹³ में संचालित विद्यालयों की संख्या	जर्जर भवनों में संचालित विद्यालयों की संख्या
बहराइच	2 ¹⁴	10	7
फर्स्टखाबाद	0	34	3
फिरोजाबाद	0	39	14
गाजीपुर	0	1	0
गाजियाबाद	0	15	1
गोरखपुर	0	15	4
झाँसी	0	12	32
कानपुर देहात	1	7	12
लखीमपुर खीरी	8	6	6
महराजगंज	0	3	4
मऊ	0	3	5
पीलीभीत	0	10	0
रामपुर	0	12	0
सोनभद्र	0	0	0
सुलतानपुर	0	0	4
उन्नाव	0	1	2
योग	30	168	94

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आँकड़े एवं सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारियों के अभिलेख)

¹³ विद्यालयों के भौतिक सत्यापन में जनपद उन्नाव में एक सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महराजगंज में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय बिना किसी शिक्षण क्रियाकलाप के जर्जर स्थिति में पाये गये।

¹⁴ विकास खंड महसी में 8 विद्यालय 6 से 11 वर्ष से बिना भवन के संचालित थे; विकास खंड मिहीपुरवा में एक विद्यालय 10 वर्ष से घास फूस के छप्पर में संचालित था; विकास खंड महसी के 3 विद्यालय एवं विकास खंड पयागपुर के 2 विद्यालय अतिरिक्त कक्ष में संचालित थे, विकास खंड बलहा के 7 विद्यालयों के भवन बाढ़ में ध्वस्त हो जाने के कारण अतिरिक्त कक्ष में संचालित थे।

परिशिष्ट 2.1.29

एक ही भवन में संचालित कई विद्यालयों का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

जनपद का नाम	एक ही भवन में संचालित विद्यालयों की संख्या	ऐसे भवनों की संख्या	इन भवनों में संचालित विद्यालयों की संख्या
बहराइच	2 से 3	5	11
फिरोजाबाद	2 से 3	26	55
गोरखपुर	2	7	14
झाँसी	2	10	20
पीलीभीत	2 से 3	10	25
सुलतानपुर	2 से 3	5	12
उन्नाव	2 से 3	9	23
	योग	72	160

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालयों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.1.30

चयनित जनपदों में कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण की स्थिति का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

जनपद का नाम	स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	निर्माण की स्थिति	टिप्पणी
सुलतानपुर	1 (अक्टूबर 2011)	41.04	मार्च 2012	निर्माण कार्य पूर्ण (2013)	संचालित नहीं, क्योंकि दरवाजे/खिड़कियाँ एवं विद्युत कार्य पूर्ण नहीं थे।
गोरखपुर	2 (जनवरी 2010)	71.24	जून 2010	पूर्ण (जुलाई 2011)	संचालित नहीं, एक विद्यालय में एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित था।
	1 (अक्टूबर 2011)	41.04	मार्च 2012	अपूर्ण	कार्यदायी संरथा द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी परन्तु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी।
लखीमपुर खीरी	2 (अक्टूबर 2011)	82.08	मार्च 2012	अपूर्ण/अहस्तांतरित	एक विद्यालय अपूर्ण था एवं दूसरा हस्तांतरित नहीं हुआ था।
	योग	235.40	अर्थात ₹ 2.35 करोड़		

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालयों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.1.31
अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण में मानकों के उल्लंघन
एवं अनियमितताओं का विवरण
 (सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

(₹ लाख में)

जनपद का नाम	वर्ष	शिक्षा का अधिकार अधिनियम ¹⁵ के मानकों का उल्लंघन करते हुये		शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों को बिना सुनिश्चित किये		भूमि की उपलब्धता के बिना निर्मित		बिना मांग के दिया गया	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
फर्रुखाबाद	2011-12	193	387.93	0	0	45	90.45	34	68.34
फिरोजाबाद	2010-11	117	235.17	0	0	0	0	0	0
	2011-12	0	0	0	0	11	22.11	10	20.10
	2012-13	73	146.73	0	0	8	16.08	10	20.10
गोरखपुर	2010-11	29	58.29	0	0	0	0	0	0
	2011-12	162	325.62	0	0	0	0	0	0
	2012-13	67	134.67	139 ¹⁶	279.39	0	0	0	0
	2014-15	0	0	46	158.70	0	0	0	0
गाजीपुर	2010-11	3	6.03	0	0	4	8.04	181	363.81
	2012-13	11	22.11	0	0	5	10.05	51	102.51
	2014-15	105	362.25	0	0	0	0	77	265.65
झाँसी	2010-11	51	104.55	0	0	0	0	0	0
	2014-15	14	48.3	68 ¹⁷	234.60	0	0	0	0
कानपुर देहात	2010-11	30	60.30	0	0	1	2.01	4	8.04
	2011-12	3	6.03	0	0	0	0	0	0
	2014-15	22	75.90	0	0	0	0	0	0
महाराजगंज	2010-11	214	430.14	0	0	91	182.91	0	0
	2011-12	9	18.09	0	0	0	0	0	0
	2012-13	0	0	0	0	0	0	53	106.53
पीलीभीत	2010-11	13	26.13	0	0	0	0	0	0
	2011-12	43	86.43	0	0	0	0	0	0
	2012-13	3	6.03	0	0	0	0	0	0
	2014-15	5	17.25	0	0	0	0	0	0
रामपुर	2011-12	298	598.98	0	0	30	60.30	45	90.45
सोनभद्र ¹⁸	2010-11	38	76.38	133 ¹⁹	294.69	0	0	0	0
	2011-12	54	108.54			0	0	0	0
	2012-13	75	150.75			0	0	0	0
	2014-15	4	13.80			0	0	0	0
योग	1,636	3,506.4	386	967.38	195	391.95	465	1,045.53	
सकल योग (अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या)		2,682							
महायोग (लागत)		₹ 5,911.26 लाख		अर्थात्	59.11 करोड़				

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालय के अभिलेख)

¹⁵ शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों को ध्यान में रखते हुए नामांकित बच्चों हेतु आवश्यक कक्षा कक्ष से अधिक का आवंटन।¹⁶ प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा कक्षों को अन्य प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किये बिना हस्तांतरित किया गया।¹⁷ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आँकड़ों को 30 सितंबर के लिए संकलित किया गया, जबकि 2014-15 के दौरान 99 अतिरिक्त कक्षा कक्ष 31 मार्च 2015 को स्वीकृत किए गए। 75 विद्यालय जिन्हें 2014-15 की अवधि में अतिरिक्त कक्षा कक्ष स्वीकृत किये गये थे उनके पास पहले से ही 267 अतिरिक्त कक्षा कक्ष उपलब्ध थे। इस प्रकार उपलब्ध करायी गयी त्रिट्यूपूर्ण सूचना के द्वारा 35 विद्यालयों ने 57 अतिरिक्त कक्ष (कुल लागत ₹ 1.97 करोड़) बिना आवश्यकता के प्राप्त किये। इन विद्यालयों में से एक विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय पलीदा, ल्हॉक बबीना, झाँसी) के 7.6.2016 को किये गये भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय के पास एक पुराना भवन प्रधानाध्यापक कक्ष सहित था। निरीक्षण के समय उपलब्ध शिक्षक द्वारा बताया गया कि भवन शिक्षण के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष (2006-07 में निर्मित) भी विद्यालय में उपलब्ध थे। फिर भी, विद्यालय में मात्र एक ही कक्षा-कक्ष की उपलब्धता को सूचित कर एक और अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्राप्त किया गया।¹⁸सूची में अंकित टिप्पणी –सुरक्षा बल (7 अतिरिक्त कक्षा कक्ष) वनवासियों के अधीन (1 अतिरिक्त कक्षा कक्ष) एवं नक्सल (21 अतिरिक्त कक्षा कक्ष)।¹⁹ बिना किसी तकनीकी रिपोर्ट के विद्यालय को जर्जर घोषित किये जाने के कारण।

परिशिष्ट 2.1.32

चयनित जनपदों में अवरुद्ध धनराशि का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अवरुद्ध धनराशि का विवरण	अवरुद्ध धनराशि
विद्यालयों का निर्माण		
1.	जनपद उन्नाव में, मानकों के विपरीत 13 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुए जिनको जनवरी 2013 में समर्पित कर दिया गया परन्तु कुल धनराशि ₹ 1.18 करोड़ राज्य परियोजना कार्यालय को अन्तरित नहीं की गयी।	1.18
हैंडपम्प		
2.	जनपद सुलतानपुर में 2011–15 के दौरान स्वीकृत 429 हैंडपम्पों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर द्वारा मात्र 340 हैंडपम्प स्थापित किए गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 34.60 लाख का उपयोग नहीं हुआ।	0.35
3.	जनपद झाँसी में विद्यालयों के सूखाग्रस्त क्षेत्र में स्थित होने के कारण 2011–12 के दौरान प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ स्वीकृत 35 हैंडपम्प स्थापित नहीं किए गए। तथापि, कुल ₹ 18.62 लाख की धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय को वापस नहीं की गयी।	0.19
4.	कानपुर देहात के पांच विद्यालयों हेतु स्वीकृत (2010–11) पांच हैंडपम्पों को अवस्थापित करने हेतु यूपी एग्रो को ₹ 1.60 लाख अवमुक्त किये जाने के बावजूद कोई हैंडपम्प अवस्थापित नहीं किया गया।	0.20
ब्लाक संसाधन केन्द्रों का निर्माण		
5.	चयनित जनपद सुलतानपुर में सितम्बर 2010 में निर्माण लागत ₹ 8.00 लाख पर स्वीकृत एक ब्लाक संसाधन केन्द्र (कराँदी कला) का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को प्रदान किया गया। तथापि, अतिरिक्त निर्माण लागत की मांग के कारण भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा स्तर पर ₹ 8.00 लाख अवरुद्ध थे।	0.08
6.	चयनित जनपद बहराइच में कुल निर्माण लागत ₹ 80.00 लाख (₹ 5.00 लाख प्रत्येक) के 15 ब्लाक संसाधन केन्द्र प्रशिक्षण हॉल और एक संसाधन कक्ष का निर्माण स्वीकृत (2011–12) किया गया। यह पाया गया कि निर्माण लागत का मात्र 50 प्रतिशत कार्यदायी संस्था (सी.एंड.डी.एस.) को प्रदान किया गया। परिणामस्वरूप भवन पूर्ण नहीं किये जा सके, जिससे ₹ 40 लाख अवरुद्ध हो गये।	0.40
7.	चयनित जनपद गोरखपुर में कुल निर्माण लागत ₹ 100 लाख (₹ 5.00 लाख प्रत्येक) के 20 ब्लाक संसाधन केन्द्र प्रशिक्षण हॉल का निर्माण स्वीकृत (मई 2011) हुआ। यह पाया गया कि मात्र ₹ 73.28 लाख कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम) को उपलब्ध कराये गए। जिसके परिणामस्वरूप, भवन पूर्ण नहीं कराये जा सके, जिससे ₹ 73.28 अवरुद्ध हो गये।	0.73
योग		3.13

(स्रोत: जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त अभिलेख)

परिशिष्ट 2.1.33
**शासकीय / शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में
2010–16 के मध्य छात्र शिक्षक अनुपात का विवरण**
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.4)

वर्ष	शासकीय / शासकीय सहायक प्राप्त विद्यालय		निजी विद्यालय	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
2010-11	40	38	55	41
2011-12	39	36	57	42
2012-13	35	32	56	40
2013-14	36	29	52	38
2014-15	34	28	49	35
2015-16	36	24	46	35

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.34
विद्यालयों में अधिक शिक्षकों की तैनाती का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.4)

प्राथमिक विद्यालय					
नामांकन	3 शिक्षक	4 शिक्षक	5 शिक्षक	5 शिक्षक से अधिक	योग
20से कम	469	202	39	10	720
25-50	4,101	1,853	451	139	6,544
योग	4,570	2,055	490	149	7,264
उच्च प्राथमिक विद्यालय					
20 से कम		182	39	19	240
25-50		1,452	443	242	2,137
योग		1,634	482	261	2,377

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.35
विद्यालयों में कम शिक्षकों की तैनाती का विवरण
 (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.4)

प्राथमिक विद्यालय					
नामांकन	1 शिक्षक	2 शिक्षक	3 शिक्षक	4 शिक्षक	योग
150—200	845	2,532	4,011	3,332	10,720
200 से अधिक	510	1,613	2,594	2,295	7,012
योग	1,355	4,145	6,605	5,627	17,732
उच्च प्राथमिक विद्यालय					
नामांकन	1 शिक्षक	2 शिक्षक	3 शिक्षक	4 शिक्षक	योग
150—200	76	181	257	394	908
200 से अधिक	31	64	130	216	441
योग	107	245	387	610	1,349

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.36
2010—16 के मध्य शैक्षिक दिवस प्राप्ति का विवरण
 (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.4)

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय		योग
	175 से कम	175 से 200	175 से कम	175 से 200	
2010—11	1,03,444	0	42,650	0	1,46,094
2011—12	1,02,079	0	44,027	0	1,46,106
2012—13	1,07,649	0	45,331	0	1,52,980
2013—14	772	1,017	245	126	2,160
2014—15	42	700	10	313	1,065
2015—16	00	00	26	40328	40,354

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.37

नमूना चयनित जनपदों में कंप्यूटर की उपलब्धता एवं उनके उपयोग का विवरण (सन्दर्भः प्रस्तर संख्या 2.1.8.4)

विवरण	बहुइच	फर्क्याबाद	फिरोजाबाद	गाजियाबाद ²⁰	गांधीपुर	गोरखपुर ²¹	झाँसी	कानपुर देहात	लखमपुर खीरी	महाराजांज	मऊ	रामपुर	पीलीभीत	सोनमढ	सुलतानपुर ²²	उन्नाव	योग
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
जनपदों द्वारा कुल क्रय किये गये कंप्यूटर ²³	123	91	107	70	115	0	116	84	124	90	94	86	89	115	103	112	1519
विद्यालयों में कंप्यूटर की उपलब्धता	82	61	87	40	83	0	98	79	114	81	82	70	71	114	80	77	1219
विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अवस्थापित कंप्यूटर	40	28	16	26	28	0	15	01	8	3	8	15	17	0	20	33 ²⁴	258
कंप्यूटर उपलब्ध पर संचालित नहीं	34	3	33	30	10	0	24	31	28	4	6	16	6	50	0	6	281
चोरी हुए कंप्यूटर	1	2	4	4	4	0	3	04	2	6	4	1	1	1	3	2	42
कंप्यूटर उपलब्ध पर अनुदेशक नहीं	42	61	71	35	35	0	66	52	4	67	38	60	27	62	65	77	762
अनुदेशक उपलब्ध पर कंप्यूटर नहीं	15	2	0	3	3	0	24	2	1	16	12	2	7	5	3	0	95

(स्रोतः संबंधित जिला परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूचना)

²⁰ 2011–12 के मध्य क्रय किये गये चार कंप्यूटर न तो भंडार में उपलब्ध थे न ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों को निर्गत किये गये थे।

²¹ लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार अनुरोध किये जाने के उपरांत भी अभिलेख/सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी गयी।

²² कुल संख्या में 2010–11 में क्रय किये गये 20 कंप्यूटर 17" मॉनिटर के स्थान पर एन–कोला निर्मित मॉनीटर्स की आपूर्ति की एवं आपूर्ति की गयी सामग्री खराब थी। जब तक कि विक्रेता ने अपने पत्र दिनांक 04.03.15 के द्वारा संतोषपूर्ण आपूर्ति के सत्यापन के उपरान्त अवमुक्त किये जाने हेतु रोकी रखे जाने वाली 10 प्रतिशत धनराशि जब्त करने की अपनी लिखित सहमति प्रदान नहीं की तब तक आपूर्ति स्वीकार नहीं की गयी, यद्यपि मुख्य कोषाधिकारी, सुलतानपुर ने यह सचेत किया था कि यह समझौता सरकार के लित में नहीं है। प्रकरण के समाधान के समय 2011–14 के मध्य बच्चों को शिक्षा प्रदान न कर पाने का प्रकरण संज्ञान में नहीं लिया गया। अग्रेतर, 17" मॉनिटर वाले 20 कंप्यूटर में से 18 कंप्यूटर चुनाव कार्यों हेतु विपक्षित किये गये जो कि वापस प्राप्त नहीं हुए, एवं 2 खराब कंप्यूटर यथावत रखे रहे। 40" के 5 कंप्यूटरों का उल्लेख जिनका मूल्य ₹ 5,08 लाख था, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित सूचना में नहीं किया गया एवं उन 5 विद्यालयों में से एक विद्यालय के, जहाँ इन्हें प्रेषित किया गया था, संयुक्त भौतिक निरीक्षण में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं पाया गया।

²³ वर्ष 2010–11 की अवधि में, 71 जनपदों में से प्रत्येक जनपद के ब्लाक स्तर के उच्च प्राथमिक विद्यालय को आदर्श कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हेतु बिना यह विवेचित किये ही कि आदर्श कंप्यूटर सहायतित शिक्षा केन्द्रों की स्थापना से क्या तात्पर्य है एवं वे अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों से किस प्रकार से अलग हैं जिन्हें 17"/18.5" मॉनिटर के साथ कंप्यूटर प्रदान किये गये हैं, 40" मॉनिटर के साथ 5 कंप्यूटर प्रदान किये गये। इस प्रकार प्रति कम्प्यूटर ₹ 28,500 का परिहार्य व्यय हुआ।

²⁴ 2011–12 में क्रय, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण में प्रयुक्त। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उन्नाव ने मार्च एवं सितम्बर, 2014 में 32 कंप्यूटर वापस किये जो कियाशील नहीं थे। शेष 2 कंप्यूटर वापस नहीं किये गये।

परिशिष्ट 2.1.38

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष नामांकित बालिकाओं की संख्या का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.9.1)

संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ²⁵			बालिकाओं का नामांकन (कक्षा 6 से 8 तक)						
वर्ष	योग	कुल उपलब्ध सीट	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	गरीबी रेखा के नीचे	अल्पसंख्यक	योग	कमी (प्रतिशत में)
2010–11	454	44,800	17,530	647	15,433	4,545	4,363	42,547	2,253 (5%)
2011–12	746	74,000	29,617	670	23,718	7,066	5,664	66,735	726 (10%)
2012–13	746	74,000	29,617	670	23,718	7,066	5,664	66,735	7,265 (10%)
2013–14	746	74,000	31,528	923	27,270	6,261	5,961	71,953	2,047 (3%)
2014–15	746	74,000	29,238	945	24,798	4,948	11,069	70,998	3,002 (4%)
2015–16	746	74,000	29,788	894	24,922	4,672	12,493	72,769	1,231 (2%)
योग		4,14,800							3,91,737

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.39

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर किये गये परिहार्य व्यय का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.9.2)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में चिन्हित/दर्शाये गए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में स्पिल औवर सम्मिलित करते हुए अनुमोदित धनराशि (रुलाख में)	इकाई दर (₹)	विशिष्ट आवश्यकता वाले नामांकित बच्चों की संख्या	कुल व्यय (रुलाख में)	प्रति विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे पर व्यय (₹में)	विना विकलांगता प्रमाण—पत्र वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या	परिहार्य व्यय (7x8) (रुकरोड में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2010–11	4,14,554	7,254.18	1,750	3,63,438	4,386.56	1,206.96	315,639	38.10
2011–12	3,97,511	8,739.17	2,200	3,75,319	6,382.27	1,700.49	331,726	56.41
2012–13	4,10,888	9,514.26 ²⁶	2,280	3,70,413	5,941.50	1,604.02	342,350	54.91
2013–14	1,14,668 ²⁷	3,440.04	3,000	2,15,400	3,284.83	1,524.99	177,855	27.12
2014–15	2,89,642	4,923.87	1,700	2,88,395	4,101.77	1,422.28	252,737	35.95
2015–16	2,88,395	5,767.90	2,200	2,62,879	4,691.83	1,784.79	246,547	44.00
योग	18,76,544	39,639.42		18,75,844	28,788.76		16,66,854	256.49

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

²⁵ वर्ष 2010–11 में 442 मॉडल-1 व 12 मॉडल-2, और 2011–12 एवं उससे आगे 734 मॉडल-1 व 12 मॉडल-2।

²⁶ ₹ 146 करोड़ स्पिल औवर की धनराशि सम्मिलित करते हुए।

²⁷जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार विशिष्ट आवश्यकता वाले 3,47,896 बच्चे संस्तुत।

परिशिष्ट 2.1.40

मदरसा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.9.2)

मदरसा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (2010–11) के अन्तर्गत अरबी एवं फारसी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बच्चों को 3–4 घटे की औपचारिक शिक्षा दी जानी थी। अग्रेतर, शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों हेतु निर्धारित पुस्तकें सभी नामांकित बच्चों को प्रदान की जानी थी। बच्चों के शिक्षण के लिये ₹ 2,000/- प्रति माह की दर से दस माह के लिये अनुदेशकों की तैनाती की जानी थी। नमूना परीक्षित जनपदों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को निम्नवत् संक्षेपित किया गया है:

जनपद का नाम	अनुमोदित		वास्तविक आच्छादन		टिप्पणी	उपभोग नहीं की गयी धनराशि (₹ लाख में)
	पुराने	नवीन	पुराने	नवीन		
2010-11 ²⁸						
बहराइच	16	63	16	56	नवीन आच्छादित मदरसों के अनुदेशकों को मात्र सात माह का मानदेय प्रदान किया गया। इस प्रकार अनुदेशकों द्वारा 10 माह के मानक के सापेक्ष सात माह की ही अधिगम सहायता प्रदान की गयी।	27.93 -20.61 7.32
फिरोजाबाद	7	9	5	6	₹ 5.49 लाख आबंटन के सापेक्ष मात्र ₹ 3.55 लाख का उपभोग किया गया तथा ₹ 1.94 लाख का उपभोग नहीं हो सका जिससे दो पुराने तथा तीन नवीन मदरसे आच्छादित नहीं हो सके।	5.49 -3.55 1.94
गोरखपुर	0	41	0	39	एक मदरसे को मात्र छः माह की प्रशिक्षण सहायता प्रदान की गयी।	14.00 -12.22 1.78
झांसी	0	43	0	43	दो मदरसों को मात्र 6½ माह की अधिगम सहायता प्रदान की गयी।	13.67 -12.90 0.77
कानपुर देहात	7	14	7	14	लेखापरीक्षा को सम्बन्धित पत्रावलियां उपलब्ध नहीं करायी गयी।	6.93 -6.25 0.68
पीलीभीत	14	16	14	16	सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।	9.77 -9.17 0.60
रामपुर	8	0	8	0	पुराने आच्छादित मदरसों के अनुदेशकों को मात्र नौ माह का मानदेय प्रदान किया गया। इस प्रकार अनुदेशकों द्वारा 10 माह के मानक के सापेक्ष सात माह की ही अधिगम सहायता प्रदान की गयी।	2.54 -2.54 0.00
सोनभद्र	4	8	4	8	सम्पूर्ण धनराशि उपभोगित नहीं की गयी।	4.17 -3.77 0.40
सुलतानपुर	20	36	18	36	36 नवीन मदरसों के अनुदेशकों को मात्र सात माह का मानदेय प्रदान किया गया। इस प्रकार अनुदेशकों द्वारा 10 माह के मानक के सापेक्ष सात माह की ही अधिगम सहायता प्रदान की गयी।	19.41 -15.66 3.75
	76	230	72	218		

²⁸ फर्खाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, महराजगंज, मऊ, तथा उन्नाव ने वांछित सूचनाओं/अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

2011–12 ²⁹						
बहराइच	67	29	62	23	नवीन आच्छादित मदरसों के अनुदेशकों को मात्र सात माह का मानदेय प्रदान किया गया। इस प्रकार अनुदेशकों द्वारा 10 माह के मानक के सापेक्ष सात माह की ही अधिगम सहायता प्रदान की गयी। 2010–11 में आच्छादित 10 मदरसे 2011–12 में आच्छादित नहीं हुए।	30.50 -25.53 5.03
फिरोजाबाद	11	2	11	0	धनराशि की उपलब्धता के बावजूद दो नवीन अनुमोदित मदरसे योजना में आच्छादित नहीं हुए।	4.23 -3.16 1.07
गोरखपुर	40	98	40	98	सम्बन्धित पत्रावली/मदरसों का वास्तविक आच्छादन उपलब्ध नहीं कराया गया।	45.77 -28.75 17.02
झांसी	43	74	43	74	₹ 5.28 लाख व्यय नहीं किये गये। अग्रेतर ₹ 1.91 लाख, जो डायट को दिया जाना था, नहीं दिया गया।	41.64 -31.90 9.74
कानपुर देहात	19	6	19	4	धनराशि की उपलब्धता के बावजूद छः नवीन अनुमोदित मदरसों में से मात्र चार ही आच्छादित हुए तथा दो मदरसे योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने से रह गये।	7.89 -7.21 0.68
लखीमपुर खीरी	50	20	50	0	₹ 37.68 लाख के आबंटन के सापेक्ष मात्र ₹ 26.48 लाख का उपभोग किया गया तथा ₹ 11.20 लाख का उपभोग नहीं हो सका, जिससे धनराशि की उपलब्धता के बावजूद 20 नवीन अनुमोदित मदरसे योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने से रह गये।	37.68 -26.48 11.20
पीलीभीत	30	51	30	51	पुराने एवं नवीन 81 मदरसों के अनुदेशकों को 10 माह के मानक के सापेक्ष मात्र नौ माह के मानदेय का भुगतान किया गया। फलस्वरूप ₹ 26.64 लाख के आबंटन के सापेक्ष मात्र ₹ 23.58 लाख का उपभोग किया गया तथा ₹ 3.06 लाख का उपभोग नहीं हो सका।	26.64 -23.58 3.06
रामपुर	8	40	8	28	₹ 16.12 लाख के आबंटन के सापेक्ष मात्र ₹ 9.99 लाख का उपभोग किया गया तथा ₹ 6.13 लाख का उपभोग नहीं हो सका, जिससे धनराशि की उपलब्धता के बावजूद 12 नवीन अनुमोदित मदरसे योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने से रह गये। इसके अतिरिक्त अनुदेशकों द्वारा नये मदरसों में बच्चों को 10 माह के मानक के सापेक्ष 4 से 7 माह की ही अधिगम सहायता प्रदान की गयी।	16.12 -9.99 6.13
सोनभद्र	12	4	12	4	सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं किया गया।	5.19 -5.06 0.13
सुलतानपुर	35	30	34	3	2010–11 में आच्छादित 20 मदरसे 2011–12 में आच्छादित नहीं हुए। 35 अनुमोदित मदरसों में से मात्र 34 मदरसे ही आच्छादित हुए।	11.78 -11.65 0.13
	315	354	309	285		

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

²⁹ फरुखाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, महराजगंज, मऊ, तथा उन्नाव ने वांछित सूचनाओं/अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

परिशिष्ट 2.1.41

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान—पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन न होने का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.9.2)

गणित और विज्ञान की समझ बढ़ाने तथा शिक्षण—अधिगम के लिये वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों एवं शहरी क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान—पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम संचालित किया गया (2015–16) तथा प्रत्येक जनपद को वर्ष 2015–16 में दोनों कार्यक्रमों हेतु प्रत्येक के लिये ₹ 5 लाख प्रदान किया गया। योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक वर्गीयथा—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, शहरी क्षेत्र के वंचित बच्चों एवं बालिकाओं (कुल 20 विद्यालयों) हेतु चयनित पाँच विद्यालय को प्रति वर्ग ₹ 13,000 की दर से (कुल ₹ 65,000) विज्ञान एवं गणित किट के क्य हेतु सहायता प्रदान की गयी। यद्यपि बाद में प्रत्येक वर्ग के सात विद्यालयों को, प्रति किट ₹ 888/- की दर से प्रति विद्यालय दो गणित किट उपलब्ध कराये जाने हेतु, आदेश को संशोधित कर दिया गया।

नमूना जांच हेतु चयनित जनपदों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पायी गयी अनियमितताएं निम्नवत् थीं:

क्र. सं.	जनपद का नाम	प्राप्त धनराशि (₹ लाख में)	उपभोगित धनराशि (₹ लाख में)	अवशेष धनराशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
पढ़े भारत—बढ़े भारत³⁰					
1.	बहराइच	5.00	0.00	5.00	कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
2.	फिरोजाबाद	5.00	3.80	1.20	कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
3.	गोरखपुर	5.00	5.00	0.00	धनराशियां 2015–16 में उपभोग की जानी थी, किन्तु सम्पूर्ण धनराशि स्पष्ट रूप से 2016–17 में उपभोग किये जाने हेतु 31.03.2016 को अन्तरित की गयी।
4.	झांसी	5.00	0.00	5.00	पुस्तकालय की स्थापना के लिये स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण धनराशि उपभोग नहीं की जा सकी।
5.	पीलीभीत	5.00	3.60	1.40	देर से प्राप्त होने के कारण धनराशि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं की जा सकी।
6.	रामपुर	5.00	3.28	1.72	कार्यक्रम के अधिकांश घटक आंशिक रूप में लागू किये गए।
7.	सोनभद्र	5.00	0.00	5.00	कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
8.	सुलतानपुर	5.00	5.00	0.00	धनराशियां 2015–16 में उपभोग की जानी थी, किन्तु सम्पूर्ण धनराशि स्पष्ट रूप से 2016–17 में उपभोग किये जाने हेतु 31.03.2016 को अन्तरित की गयी।
9.	उन्नाव	5.00	2.30	2.70	कार्यक्रम के अधिकांश घटक नहीं/आंशिक रूप में लागू किये गए।
राष्ट्रीय आविष्कार अभियान³¹					
1.	बहराइच	5.00	0.00	5.00	धनराशियों का उपभोग नहीं किये जाने का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
2.	फिरोजाबाद	5.00	2.73	2.27	धनराशियों का उपभोग नहीं किये जाने का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
3.	गोरखपुर	5.00	5.00	0.00	धनराशियां 2015–16 में उपभोग की जानी थी, किन्तु सम्पूर्ण धनराशि स्पष्ट रूप से 2016–17 में उपभोग किये जाने हेतु 31.03.2016 को अन्तरित की गयी।
4.	झांसी	5.00	0.00	5.00	राज्य परियोजना कार्यालय से गणित किटों की दरों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण
5.	पीलीभीत	5.00	3.35	1.65	राज्य परियोजना कार्यालय के आदेश में स्पष्टता न होने के कारण गणित किटों हेतु प्राप्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।
6.	रामपुर	5.00	2.71	2.29	कार्यक्रम के अधिकांश घटक आंशिक रूप में लागू किये गए।
7.	सोनभद्र	5.00	0.00	5.00	कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
8.	सुलतानपुर	5.00	2.90	2.10	राज्य परियोजना कार्यालय के आदेश में स्पष्टता न होने के कारण गणित किटों हेतु प्राप्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका। निधियों को 31.03.16 को अन्तरित किया गया।
9.	उन्नाव	5.00	3.62	1.38	राज्य परियोजना कार्यालय के आदेश में स्पष्टता न होने के कारण गणित किटों हेतु प्राप्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।
योग					
	45.00	20.31	24.69		

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

³⁰ फरुखाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, महराजगंज, तथा मऊ द्वारा वांछित सूचनाओं एवं अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया गया।

³¹ फरुखाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, महराजगंज, मऊ, तथा उन्नाव द्वारा वांछित सूचनाओं/अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया गया।

परिशिष्ट 2.1.42

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बाल—अधिकार के क्रियान्वयन के अनुश्रवण का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.10)

अनुश्रवण अभिकरण	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
<p>शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा—25(2) यह प्रावधान करती है कि बाल अधिकार से सम्बन्धित कोई भी शिकायत ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति को इसके सदस्य—सचिव (प्रधानाध्यापक) के माध्यम से की जायेगी, जिसकी अपील विकास खण्ड स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी³² को की जायेगी। इन शिकायतों का अनुश्रवण बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आनलाईन अनुश्रवण तंत्र में माध्यम से किया जाना था।</p>	<p>428 नमूना चयनित विद्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 359 विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा शिकायत पंजिका का रख—रखाव नहीं किया गया था। दूसरे विद्यालयों में, जहां इस पंजिका का रख—रखाव किया गया था, कोई शिकायत पंजीकृत³³ नहीं थी। बेसिक शिक्षा परिषद में इन शिकायतों के लिये आनलाईन अनुश्रवण तंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।</p>

(स्रोत: नमूना चयनित विद्यालयों की लेखापरीक्षा, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद)

परिशिष्ट 2.1.43

अवधि 2010–16 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 7.11 में उल्लिखित निर्धारित बैठकों के मानक के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न वास्तविक बैठकों का विवरण।

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.10)

वर्ष	मानक के अनुसार होने वाली बैठकों की संख्या	वास्तविक सम्पन्न बैठकों की संख्या	कमी	कमी का प्रतिशत
2010–11	4	2	2	50
2011–12	4	1	3	75
2012–13	4	3	1	25
2013–14	4	2	2	50
2014–15	4	2	2	50
2015–16	4	01	3	75
योग	24	11	13	54

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

³² ग्रामीण और नगरीय मामलों में द्वितीय अपील क्रमशः जिला पंचायत/नगर महापालिका को की जायेगी।

³³ सहायता प्राप्त विद्यालयों एम.एस.लारी इस्लामिया जूनियर हाईस्कूल महाराजगंज (27 शिकायत), सेठ पूरनमल जयपुरिया जूनियर हाईस्कूल आनन्द नगर, महाराजगंज (30 शिकायत) और श्री चन्द्र गुप्त मौर्य इन्टर कालेज मधुपुर सोनभद्र (60 शिकायत) के प्रकरणों को छाड़कर।

परिशिष्ट 2.1.44

कार्यकारिणी समिति द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू न किये जाने का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.10)

23.03.2011	एजेंडा बिन्दु 3: अवशेष कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाये। समिति के संज्ञान में लाया गया कि निर्माण कार्य शासकीय एजेंसी से कराये जाने के निर्देशों के विपरीत, जिलाधिकारियों के स्तर से कठिनपय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवनों का निर्माण जिलाधिकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड को सौंपा गया। विभिन्न जनपदों में 64 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निर्माण जिलाधिकारी स्तर से उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड को दिया गया था, जिसके सापेक्ष 19 भवन पूर्ण हो गये तथा 45 भवन अपूर्ण हैं। एजेंसी को विद्यालय भवन पूर्ण करने हेतु निर्देश भी भेजे गये किन्तु कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड को आबंटित निर्माण कार्यों, उनकी अद्यतन प्रगति और निर्माण की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में जनपदवार रिपोर्ट स्पष्ट करते हुए उत्तरदायी अधिकारियों तथा एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाये।
01.11.2012	एजेंडा बिन्दु 13: उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवनों के अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एक सुविचारित प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये। प्रस्ताव का पत्रावली पर परीक्षण कर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।
05.03.2013	एजेंडा बिन्दु 2: उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड द्वारा अधूरे छोड़े गये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक सूचनायें जनपदों से प्राप्त कर ली जाये और प्रकरणवार प्रस्ताव शासन को भेजकर निर्णय प्राप्त किया जाय। एजेंडा बिन्दु 4: जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार 2010 प्राथमिक विद्यालयों तथा 288 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता थी। भूमि की उपलब्धता के आधार पर 1497 प्राथमिक विद्यालय तथा 237 उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्ययोजना में प्रस्तावित किये गये थे। समिति द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि भूमि की उपलब्धता न होने के कारण मानक पूरा करने वाली जिन बस्तियों में नवीन विद्यालय प्रस्तावित नहीं किये गये थे, उनमें नवीन विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करा लिया जाय। इन बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार कर प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।
23.08.2013	एजेंडा बिन्दु 2: उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड द्वारा अधूरे छोड़े गये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में माननीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अपूर्ण 41 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निर्माण पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अतः इसके लिये धनराशि की आवश्यकता हेतु प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के निर्माण का कार्य सौंपे जाने की परिस्थितियाँ तथा इस एजेंसी को नामित करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के सम्बन्ध में आख्या शासन को प्रस्तुत की जाये।
01.03.2014	एजेंडा बिन्दु 5: माननीय समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्तावित एजेंडा पर विचार-विमर्श हुआ। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह प्रकाश में आया कि जनपद प्रतापगढ़ में ₹ 69816358.50 का ऐसा आहरण पाया गया जिसके सम्बन्ध में जनपद स्तर पर न तो कोई अभिलेख प्रस्तुत किये गये और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया। समिति द्वारा इंगित किये जाने पर अवगत कराया गया कि वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस प्रकार की गम्भीर वित्तीय अनियमितता का कोई प्रकरण प्रतापगढ़ के अतिरिक्त अन्य किसी जनपद में में नहीं पाया गया। विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये: 1. जनपद प्रतापगढ़ के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में, अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा तीन दिन के अंदर पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाय। एजेंडा बिन्दु 8: शिक्षायत निवारण प्रणाली – वेब-आधारित हेल्पलाइन विकसित किये जाने सम्बन्धी एजेंडा प्रस्ताव पर समिति का मत था कि इस सम्बन्ध में और अधिक तकनीकी परामर्श एवं विचार विमर्श की आवश्यकता है। समिति द्वारा सर्व सम्मति से इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया और तदनुसार पत्रावली मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।

(स्रोत: सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त)

परिशिष्ट 2.1.45

2010–15 के दौरान किये गये शोध अध्ययनों, जिन्हें कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, का विवरण। (संदर्भः प्रस्तर सं. 2.1.10)

₹ लाख में

क्र. सं.	शोध / अध्ययन प्रतिवेदन का शीर्षक	स्वीकृति बजट
2011–12		
1	कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों की अधिगम उपलब्धि पर कार्य पुस्तिकाओं के प्रभाव का अध्ययन	5.85
2	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की भूमिका एवं कार्य-कलापों तथा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में उनकी प्रभावकारिता का अध्ययन	6.86
3	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की उत्तम प्रथाओं का अभिलेखन	7.45
4	अधिगम वृद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिये पठन एवं अंकगणितीय कौशल विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन	5.36
5	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की किशोरियों के लिये आयोजित जीवन कौशल शिविर के प्रभाव का अध्ययन	6.00
6	उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 4 में अंकगणित और कक्षा 7 में विज्ञान में बच्चों की अधिगम उपलब्धि का सर्वेक्षण	7.18
7	शासकीय और निजी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालयीय सुविधाओं तथा शैक्षिक वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन	13.50
2012–13		
1	यूनिफार्म वितरण योजना और इसका बच्चों के नामांकन तथा उनकी उपस्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन	8.14
2	विद्यालयों के अभिलेखों, सम्बन्धित बसावटों के हॉउस-होल्ड सर्वेक्षण तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुप्रयोग द्वारा विद्यालयों के बच्चों के ड्राप-आउट की दर का अध्ययन	9.95
3	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर सहायित अधिगम की स्थिति का अध्ययन	8.50
2013–14		
1	राजकीय तथा निजी विद्यालयों में नामांकन, रुझान तथा प्रभावकारी कारकों का अध्ययन	6.00
2	अल्पसंख्यक बहुल जनपदों में अल्पसंख्यक बालिकाओं तथा बालकों के नामांकन, संक्रमण, ठहराव तथा ड्राप-आउट की दर का अध्ययन	7.70
3	हाउस-होल्ड सर्वेक्षण 2012–13 का नमूना अध्ययन	6.98
2014–15		
1	रायबरेली, बलरामपुर, गाजियाबाद, ललितपुर तथा वाराणसी जनपदों में प्रारम्भ किये गये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रभावकारिता तथा उसमें सुधार के लिये सुझाव का अध्ययन	7.30
2	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समेकन पूर्व शिविर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने तथा ठहराव के मूल्यांकन का अध्ययन	3.62
3	शासकीय और अन्य संगठनों द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का, प्रशासनिक, सुरक्षा, साफ-सफाई तथा शैक्षिक पहलुओं के आच्छादन सहित, मूल्यांकन	9.90
4	विद्यालय प्रबन्ध समितियों के कार्यों का मूल्यांकन	5.85
5	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा प्रारम्भिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के ड्राप आउट की दर के कारणों का लिंगवार, जातिवार, अल्पसंख्यक, कक्षा वार अध्ययन	8.25
योग		134.39

(स्रोतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.46

**विकास खण्ड तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा मानकों के सापेक्ष
किये गये अनुश्रवण का विवरण**
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.10)

वर्ष	राज्य में शिक्षा विभाग के कुल विद्यालयों की संख्या	विकास खण्ड संसाधन केन्द्र के सहायक समन्वयकों द्वारा कभी निरीक्षण न किये गये विद्यालयों की संख्या		न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा कभी निरीक्षण न किये गये विद्यालयों की संख्या		विकास खण्ड संसाधन केन्द्र के सहायक समन्वयकों/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा कभी निरीक्षण न किये गये विद्यालयों की संख्या	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2010–11	1,47,521	88,706	60	72,492	49	68,836	47
2011–12	1,50,766	1,00,326	67	84,382	56	81,052	54
2012–13	1,58,402	57,131	36	48,508	31	40,917	26
2013–14	1,58,013	38,437	24	30,022	19	23,019	14
2014–15	1,61,038	44,996	28	33,765	21	27,789	17
2015–16	1,61,562	71,549	44	60,091	37	55,837	35

(स्रोत: एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट 2.2.1

भारत सरकार द्वारा मदवार स्वीकृत धनराशि एवं प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.8.3)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मद	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित धनराशि (2013–16)	कुल व्यय
1	डाटा सेन्टर इनफार्स्ट्रक्चर	125.00	0.00	0.00
2	राज्य मुख्यालय खाद्य एवं रसद कार्यालय (एक एण्ड सी एस)	6.23	3.74	3.74
3	जिला खाद्य एवं रसद कार्यालय	272.63	384.85	268.55
4	ब्लाक खाद्य एवं रसद कार्यालय	1,622.20	1,689.81	1,135.40
5	राज्य गोदाम	1,096.55	863.00	510.43
6	परियोजना प्रबंधन इकाई	136.80	45.60	45.60
7	प्रशिक्षण	116.50	124.55	17.29
8	तकनीकी सहायक खाद्य एवं रसद कार्यालय	2,500.50	1,514.47	1,316.45
9	अनुप्रयोग सहायक	114.00	49.18	49.18
10	मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन लेखापरीक्षा	10.00	0.98	0.98
11	एस एस एस लागत	78.67	0.00	0.00
12	जागरूकता लागत	187.17	42.20	9.72
13	टोल फी काल सेंटर	57.25	62.68	40.21
14	पोर्टल	20.00	0.00	0.00
15	मूल्यांकन	6.00	0.00	0.00
16	डिजिटाइजेशन	3,528.85	4,105.35	1,764.72
17	वार्षिक अनुरक्षण संविदा	974.52	752.57	237.77
योग		10,852.87	9,638.98	5,400.04
		अर्थात ₹ 108.53 करोड़	अर्थात ₹ 96.39 करोड़	अर्थात ₹ 54 करोड़

(स्रोत: प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

परिशिष्ट 2.2.2

**जिलावार धनराशि का आवंटन एवं व्यय, प्रतिशत व्यय के साथ
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.8.3)**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिलों के नाम	कुल आवंटन	कुल व्यय	प्रतिशत व्यय
60 प्रतिशत से कम व्यय				
1	शाहजहांपुर	139.46	28.88	20.71
2	कानपुर नगर	209.02	70.75	33.85
3	बांदा	94.64	34.41	36.36
4	मऊ	125.62	49.65	39.52
5	गोरखपुर	147.48	58.68	39.79
6	इलाहाबाद	326.70	130.64	39.99
7	कानपुर देहात	120.83	49.96	41.35
8	गाजीपुर	228.44	95.22	41.68
9	औरेया	86.20	37.59	43.61
10	शामली	69.30	31.25	45.09
11	रायबरेली	202.58	91.40	45.12
12	कासगंज	90.50	41.11	45.43
13	इटावा	91.60	41.75	45.58
14	सीतापुर	250.93	114.64	45.69
15	चन्दौली	132.83	60.85	45.81
16	बलरामपुर	103.75	47.86	46.13
17	फैजाबाद	141.93	66.61	46.93
18	जौनपुर	266.28	126.56	47.53
19	बहराइच	137.68	66.67	48.42
20	सहारनपुर	208.17	101.42	48.72
21	आजमगढ़	201.07	99.68	49.57
22	सम्मल	77.35	38.54	49.83
23	लखनऊ	144.77	73.58	50.83
24	वाराणसी	180.48	91.89	50.91
25	महाराजगंज	136.50	69.55	50.95
26	सुलतानपुर	154.81	78.94	50.99
27	देवरिया	177.67	90.94	51.18
28	बागपत	82.20	42.44	51.63
29	रामपुर	106.16	54.90	51.71
30	बदायूँ	179.97	93.32	51.85
31	फिरोजाबाद	140.63	75.55	53.72
32	कौशाम्बी	106.10	57.15	53.86
33	हाथरस	89.32	48.28	54.05
34	मथुरा	120.19	65.53	54.52
35	पीलीभीत	112.61	61.39	54.52
36	सोनभद्र	98.85	54.11	54.74
37	गोण्डा	156.81	88.92	56.71
38	उन्नाव	152.71	86.80	56.84
39	ललितपुर	61.98	35.69	57.58
40	बिजनौर	151.72	88.69	58.46

41	गाजियाबाद		92.95	54.86	59.02
42	फरुखाबाद		70.20	41.46	59.06
43	मुरादाबाद		100.32	59.35	59.16
44	चित्रकूट		47.28	28.17	59.58
45	आगरा		192.50	114.74	59.61
46	बाराबंकी		151.81	90.83	59.83
47	भदोही		80.21	48.00	59.84
योग		6,541.11	3,179.20	48.60	

डिजिटाइजेशन शीर्ष के अन्तर्गत 2013–16 में अभ्यर्पित धनराशि

क्र. सं.	जिला	आवंटन 2013–16	व्यय 2013–16	बचत	प्रतिशत व्यय
1	बहराइच	59.44	5.10	54.34	8.58
2	आजमगढ़	82.79	9.15	73.64	11.05
3	शाहजहांपुर	58.12	7.14	50.98	12.28
4	मऊ	47.53	7.00	40.53	14.73
5	कानपुर नगर	103.21	21.00	82.21	20.35
6	शामली	39.13	8.13	31.00	20.78
7	कानपुर देहात	29.54	6.17	23.37	20.89
8	औरैया	25.39	5.50	19.89	21.66
9	गोरखपुर	70.65	15.53	55.12	21.98
10	बांदा	32.54	8.00	24.54	24.59
11	सोनभद्र	47.00	12.33	34.67	26.23
12	गाजीपुर	105.19	28.36	76.83	26.96
13	फरुखाबाद	32.61	9.50	23.11	29.13
14	सीतापुर	95.13	28.46	66.67	29.92
15	बाराबंकी	68.57	20.84	47.73	30.39
16	खीरी	89.95	27.84	62.11	30.95
17	फतेहपुर	49.55	15.34	34.21	30.96
18	कासगंज	31.76	9.93	21.83	31.27
19	बलिया	68.20	21.81	46.39	31.98
20	गोण्डा	70.94	22.90	48.04	32.28
21	ललितपुर	24.66	8.09	16.57	32.81
22	जौनपुर	95.25	31.87	63.38	33.46
23	फैजाबाद	51.32	17.45	33.87	34.00
24	इलाहाबाद	191.32	66.80	124.52	34.92
25	सिद्धार्थ नगर	31.14	11.00	20.14	35.32
26	बलरामपुर	35.71	12.64	23.07	35.40
27	कन्नौज	23.52	8.50	15.02	36.14
28	रामपुर	65.93	24.07	41.86	36.51
29	हाथरस	36.28	13.54	22.74	37.32
30	इटावा	29.21	10.94	18.27	37.45
31	भदोही	45.22	17.03	28.19	37.66
32	आगरा	106.74	40.97	65.77	38.38
33	सुलतानपुर	38.62	14.97	23.65	38.76
34	अलीगढ़	76.88	30.80	46.08	40.06
35	मैनपुरी	43.04	17.28	25.76	40.15

36	कुशीनगर	64.60	25.98	38.62	40.22
37	झांसी	50.40	20.35	30.05	40.37
38	मिर्जापुर	47.18	19.07	28.11	40.42
39	चन्दौली	53.58	22.31	31.27	41.64
40	चित्रकूट	21.49	8.96	12.53	41.69
41	मथुरा	73.89	31.02	42.87	41.99
42	देवरिया	58.74	25.71	33.03	43.77
43	बिजनौर	86.39	38.41	47.98	44.46
44	फिरोजाबाद	57.87	26.13	31.74	45.15
45	हापुड़	30.49	13.79	16.70	45.23
46	वाराणसी	106.08	49.03	57.05	46.22
47	बुलन्दशहर	78.92	36.54	42.38	46.30
48	महाराजगंज	36.70	17.27	19.43	47.06
49	बागपत	27.81	13.13	14.68	47.21
50	गाजियाबाद	63.69	30.39	33.30	47.72
51	सहारनपुर	97.08	47.96	49.12	49.40
52	श्रावस्ती	18.17	9.06	9.11	49.86
53	लखनऊ	72.24	36.15	36.09	50.04
54	बरेली	93.41	47.19	46.22	50.52
55	पीलीभीत	47.81	25.13	22.68	52.56
56	बदायूँ	64.09	33.78	30.31	52.71
57	मुरादाबाद	46.07	24.62	21.45	53.44
58	अम्बेडकर नगर	38.82	21.74	17.08	56.00
59	रायबरेली	59.32	33.66	25.66	56.74
60	कौशाम्बी	38.63	22.32	16.31	57.78
61	महोबा	19.93	11.81	8.12	59.26
62	अमेठी	36.30	23.19	13.11	63.89
63	जी.वी. नगर	28.03	18.28	9.75	65.22
64	संत कबीर नगर	28.12	19.33	8.79	68.74
65	मेरठ	56.25	42.35	13.90	75.29
66	बरस्ती	43.12	32.90	10.22	76.30
67	जालौन / उरई	29.29	23.24	6.05	79.34
68	हरदोई	47.67	38.78	8.89	81.35
69	अमरोहा	26.01	21.63	4.38	83.16
70	एटा	20.14	16.78	3.36	83.32
71	सम्मल	34.36	29.90	4.46	87.02
72	मुजफ्फर नगर	52.38	45.61	6.77	87.08
73	उन्नाव	66.85	62.05	4.80	92.82
74	हमीरपुर	13.82	13.91	-0.09	100.65
75	प्रतापगढ़	67.53	69.26	-1.73	102.56
योग		4,105.35	1,764.70	2,340.65	42.99

(स्रोत: प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

परिशिष्ट 2.2.3

हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सामग्रियों की अधिक खरीद

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.8.7)

क्र. सं.	जिला	सामग्री	दिशा निर्देश के अनुसार सामग्री की अपेक्षित संख्या	क्रय सामग्री की संख्या	क्रय आधिक्य की संख्या	कर सहित इकाई दर ₹ में	अधिक भुगतान ₹ में	
1	इलाहाबाद	लैपटाप	22	24	02	46,926.08	93,852.16	
		लेजर/डाटमेट्रिक प्रिंटर	45	47	02	13,300.00	26,600.00	
2	मिर्जापुर	लेजर/डाटमेट्रिक प्रिंटर	27	39	12	15,200.00	1,82,400.00	
3	कानपुर नगर	लेजर/डाटमेट्रिक प्रिंटर	26	36	10	11,979.00	1,19,790.00	
4	लखनऊ	डेस्कटाप	21	26	05	30,082.50	1,50,412.50	
		लैपटाप	10	11	01	35,175.00	35,175.00	
		लेजर/डाटमेट्रिक प्रिंटर	21	33	12	8,925.00	1,07,100.00	
		एम एस ऑफिस लाइसेंस	31	37	06	11,340.00	68,040.00	
							गोग 7,83,369.66	
							अर्थात् ₹ 7.83 लाख	

(स्रोत: नमूना जाँच जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

परिशिष्ट 2.2.4

जिला, ब्लॉक और गोदामों में हार्डवेयर सामग्रियों का विलम्ब से वितरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.8.7)

क्र. सं.	जिला	आपूर्ति आदेश दिनांक	आपूर्ति तिथि	आपूर्ति में विलम्ब (दिवस में)	ब्लॉक में वितरण की तिथि	विलम्ब (माह में)	गोदाम में वितरण की तिथि	विलम्ब (माह में)
1	इलाहाबाद	21/03/15	21/03/15	-	17/12/15 से 06/01/16	9	04/01/16 से 07/05/16	13
2	वाराणसी	17/03/15	14/05/15 से 18/05/15	50	04/06/15 से 22/04/16	11	16/05/15	
3	मिर्जापुर	20/03/15	30/03/15	-	14/07/15 से 28/07/15	3	10/02/16	10
4	कानपुर नगर	25/03/15	04/06/15 से 10/07/15	95	अवितरित		अवितरित	
5	अलीगढ़	11/03/15	17/04/15 से 02/06/15	71	अवितरित		अवितरित	
6	चित्रकूट	30/03/15	16/04/15	7	अवितरित		अवितरित	
7	गाजियाबाद	11/03/15	17/04/15 से 06/05/15	45	08/06/15 से 18/08/15	3	09/06/15	1
8	लखनऊ	26/03/15	01/09/15 और 14/10/15	188	अवितरित		अवितरित	

(स्रोत: नमूना जाँच जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

परिशिष्ट 2.2.5

**नमूना जांच जिलों में राज्य द्वारा आवंटित खाद्यान्न
एवं जिलों द्वारा आबंटित खाद्यान्नों में अन्तर**
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.9.3)

(भौतिक टन में)

क्र. सं.	जिला	राज्य स्तर पर आवंटित खाद्यान्न की मात्रायें	जिला स्तर पर आवंटित खाद्यान्न की मात्रायें	अंतर
चून आवंटन				
1	मिर्जापुर	10108.17	10068.79	39.38
2	लखनऊ	14016.94	13907.28	109.66
3	वाराणसी	14081.55	13885.11	196.44
4	अलीगढ़	13729.05	13708.16	20.89
5	इलाहाबाद	22787.54	22673.76	113.78
6	कानपुर नगर	16706.05	16611.29	94.76
योग		91429.30	90854.39	574.91
आधिक्य आवंटन				
7	चित्रकूट	4393.24	4396.31	-3.07
8	गाजियाबाद	9641.21	9641.27	-0.06
योग		14034.45	14037.58	-3.13

(स्रोत: प्रदेश सरकार और विभागीय वेब पोर्टल से प्राप्त की गयी सूचनायें)

परिशिष्ट 2.2.6

लाभार्थियों के मोबाइल पर एस.एम.एस. अलर्ट
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.9.4)

(संख्या में)

क्र. सं.	जिला	माह की रिपोर्ट	एस.एम.एस. अलर्ट के लिए प्राप्त किये गये अनुरोध	अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में संग्रहित किये गये मोबाइल नम्बर	प्रेषित एस.एम.एस. अलर्ट
1	इलाहाबाद	09/2015	1,52,599	44,709	6,051
2	चित्रकूट	02/2016	11,545	8,166	3,020
3	गाजियाबाद	02/2016	1,99,680	58,332	58,332
4	कानपुर नगर	02/2016	3,13,911	1,61,967	0
5	लखनऊ	02/2016	56,204	53,389	0
6	वाराणसी	01/2016	5,07,049	28,882	13,903
योग			12,40,988	3,55,445	81,306
अर्थात्			12.41 लाख	3.55 लाख	0.81 लाख

(स्रोत: नमूना जांच जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

परिशिष्ट 3.1.1

चयनित जनपदों में प्रपत्र-बी में पूर्ण सूचना न उपलब्ध कराना
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.3.2)

क्र. सं.	खाद्य कारोबार कर्ताओं का नाम	लाईसेंस संख्या	निर्गमन की तिथि
1.	श्री राइस मिल्स, सैहारी, लखीमपुर खीरी	12714068000219	10.08.14
2.	श्रीमती सीमा गुप्ता, लखीमपुर खीरी	12714068000183	29.07.14
3.	कवल साहनी, लखीमपुर खीरी	12714068000116	06.07.14
4.	अनुभव गुप्ता, लखीमपुर खीरी	12714068000065	18.06.14
5.	मेसर्स शिव पार्वती, लखीमपुर खीरी	12714068000285	26.09.14
6.	नरेश कुमार साहनी, लखीमपुर खीरी	12714068000274	19.09.14
7.	मेसर्स अशोक शुगर मिल, लखीमपुर खीरी	12714068000288	26.09.14
8.	श्रीमती सारिका गुप्ता, लखीमपुर खीरी	12714068000144	18.07.14
9.	पवन कुमार जायसवाल, हाथरस	12714057000063	31.03.14
10.	श्याम गट्टानी, हाथरस	12714057000076	31.03.14
11.	राधेश्याम तलवार, हाथरस	12714057000077	31.03.14
12.	पवन कुमार तलवार, हाथरस	12714057000069	31.03.14
13.	गिर्जा किशोर, हाथरस	12714057000068	31.03.14
14.	प्रमोद कुमार, हाथरस	12714057000066	31.03.14
15.	विष्णु स्वरूप, हाथरस	12714057000067	31.03.14
16.	गौरव बन्सल, हाथरस	12714057000068	31.03.14
17.	आदित्येन्द्र कुमार, हाथरस	12714057000001	25.01.14
18.	सत्या शिव साई फूड प्रा० लि०, हाथरस	12714057000022	03.02.14

(झोत: अभिहीत अधिकारी, लखीमपुर खीरी और हाथरस)

परिशिष्ट 3.1.2

चयनित जनपदों में अपंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं के फेल सैम्पलों की संख्या
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.3.5)

क्र. सं०	जनपद का नाम	अपंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं की संख्या	अपंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं के फेल सैम्पलों की संख्या
1	बदायूँ	70	25
2	चन्दौली	08	08
3	गौतमबुद्ध नगर	74	69
4	हाथरस	70	68
5	लखीमपुर खीरी	113	113
योग		335	283

(स्रोत: सम्बन्धित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

परिशिष्ट 3.1.3

केन्द्रीय लाईसेंस शुगर इकाई द्वारा मोलाईसेस हेतु लाईसेंस
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.3.5)

क्र. सं०	खाद्य कारोबार कर्ताओं का नाम (शुगर इकाई)	लाईसेंस संख्या	निर्गमन की तिथि
1	डीएससीएल शुगर अजबापुर,, लखीमपुर खीरी	10012051000184	01.04.2012
2	कुम्ही चीनी मिल, लखीमपुर खीरी	10012051000216	01.04.2012
3	बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि�0, लखीमपुर खीरी	10012051000189	01.04.2012
4	बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि�0, पलिया कलॉ, लखीमपुर खीरी	10012051000190	01.04.2012
5	सेक्सरियॉ बिसवां, सीतापुर	10012051000346	01.04.2012
6	डालमिया चीनी मिल एण्ड डिस्ट्रिलरी, जवाहरपुर, रामकोट, सीतापुर	10014051001219	01.04.2012
7	अवध शुगर मिल लि�0, हरगाँव, सीतापुर	10012051000301	01.04.2012
8	डालमिया चीनी मिल, रामगढ, सीतापुर	10012051001258	01.04.2012
9	डालमिया चीनी मिल, जवाहरपुर, सीतापुर	10012051000261	01.04.2012

(स्रोत: सम्बन्धित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

परिशिष्ट 3.1.4

10 चयनित जनपदों में वर्षवार निर्गत किये गये पंजीकरण एवं लाईसेंस धारकों का सावधिक निरीक्षण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.4.1)

वर्ष	पंजीकरण				लाईसेंस			
	पंजीकृत खाद्य कारोबार कर्ताओं की संख्या	पंजीकृत खाद्य कारोबार कर्ताओं के वार्षिक निरीक्षणों की संख्या	पंजीकृत खाद्य कारोबार कर्ताओं के न किये गये वार्षिक निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण न किये जाने का प्रतिशत	लाईसेंसी खाद्य कारोबार कर्ताओं की संख्या	लाईसेंसी खाद्य कारोबार कर्ताओं के वार्षिक निरीक्षणों की संख्या	लाईसेंसी खाद्य कारोबार कर्ताओं के न किये गये वार्षिक निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण न किये जाने का प्रतिशत
2011-12	00	00	00	00	94	60	34	36
2012-13	11,118	4,584	6,534	59	4,126	2,854	1,272	31
2013-14	27,190	13,986	13,204	49	3,037	1,853	1,184	39
2014-15	32,092	6,050	26,042	81	4,481	2,148	2,333	52
2015-16	27,249	8,418	18,831	69	5,651	3,067	2,584	46
योग	97,649	33,038	64,611	66	17,389	9,982	7,407	43

(स्रोत: सम्बन्धित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

10 चयनित जनपदों में वर्षवार निर्गत किये गये पंजीकरण धारकों का सावधिक निरीक्षण

वर्ष	जिले का नाम	पंजीकृत खाद्य कारोबार कर्ताओं की संख्या	पंजीकृत खाद्य कारोबार कर्ताओं के वार्षिक निरीक्षणों की संख्या	पंजीकृत खाद्य कारोबार कर्ताओं के न किये गये वार्षिक निरीक्षणों की संख्या
2012-13	बदायूँ	1,068	446	622
2012-13	चन्दौली	164	164	0
2012-13	गौतमबुद्धनगर	427	252	175
2012-13	रायबरेली	1,532	845	687
2012-13	वाराणसी	2,105	210	1895
2012-13	आगरा	1,295	0	1295
2012-13	हाथरस	1,060	1060	0
2012-13	कानपुर नगर	0	0	0
2012-13	लखीमपुर खीरी	1,812	1607	205
2012-13	सीतापुर	1,655	0	1655
योग	11,118	4584	6534	
2013-14	बदायूँ	1,495	507	988
2013-14	चन्दौली	3,011	3011	0
2013-14	गौतमबुद्धनगर	738	362	376
2013-14	रायबरेली	1,391	942	449
2013-14	वाराणसी	494	48	446
2013-14	आगरा	6,075	6075	0
2013-14	हाथरस	1,497	1497	0
2013-14	कानपुर नगर	8,941	0	8941
2013-14	लखीमपुर खीरी	1,644	1544	100
2013-14	सीतापुर	1,904	0	1904
योग	27,190	13986	13204	

2014-15	बदायूँ	1,693	618	1075
2014-15	चन्दौली	1,409	1409	0
2014-15	गौतमबुद्धनगर	2,262	1174	1088
2014-15	रायबरेली	175	105	70
2014-15	वाराणसी	204	25	179
2014-15	आगरा	4,202	190	4012
2014-15	हाथरस	1,573	1573	0
2014-15	कानपुर नगर	15,277	0	15277
2014-15	लखीमपुर खीरी	2,660	956	1704
2014-15	सीतापुर	2,637	0	2637
योग		32,092	6050	26042
2015-16	बदायूँ	1,367	585	782
2015-16	चन्दौली	1,143	1143	0
2015-16	गौतमबुद्धनगर	2,537	1241	1296
2015-16	रायबरेली	2,440	2398	42
2015-16	वाराणसी	4,186	425	3761
2015-16	आगरा	2,915	102	2813
2015-16	हाथरस	1,349	1349	0
2015-16	कानपुर नगर	6,083	0	6083
2015-16	लखीमपुर खीरी	2,949	1175	1774
2015-16	सीतापुर	2,280	0	2280
योग		27,249	8418	18831

10 चयनित जनपदों में वर्षवार निर्गत किये गये लाईसेंस धारकों का सावधिक निरीक्षण

वर्ष	जिले का नाम			
2011-12	बदायूँ	0	0	0
2011-12	चन्दौली	21	0	21
2011-12	गौतमबुद्धनगर	11	11	0
2011-12	रायबरेली	55	49	6
2011-12	वाराणसी	7	0	7
2011-12	आगरा	0	0	0
2011-12	हाथरस	0	0	0
2011-12	कानपुर नगर	0	0	0
2011-12	लखीमपुर खीरी	0	0	0
2011-12	सीतापुर	0	0	0
योग		94	60	34
2012-13	बदायूँ	230	117	113
2012-13	चन्दौली	134	0	134
2012-13	गौतमबुद्धनगर	488	488	0
2012-13	रायबरेली	47	38	9
2012-13	वाराणसी	1,073	510	563
2012-13	आगरा	1,303	1,303	0
2012-13	हाथरस	336	336	0

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

2012-13	कानपुर नगर	0	0	0
2012-13	लखीमपुर खीरी	204	62	142
2012-13	सीतापुर	311	0	311
	योग	4,126	2,854	1,272
2013-14	बदायूँ	134	76	58
2013-14	चन्दौली	69	0	69
2013-14	गौतमबुद्धनगर	625	625	0
2013-14	रायबरेली	45	36	9
2013-14	वाराणसी	307	157	150
2013-14	आगरा	315	315	0
2013-14	हाथरस	401	401	0
2013-14	कानपुर नगर	534	0	534
2013-14	लखीमपुर खीरी	293	243	50
2013-14	सीतापुर	314	0	314
	योग	3,037	1,853	1,184
2014-15	बदायूँ	71	45	26
2014-15	चन्दौली	99	0	99
2014-15	गौतमबुद्धनगर	1,056	567	489
2014-15	रायबरेली	152	144	8
2014-15	वाराणसी	108	55	53
2014-15	आगरा	1,386	915	471
2014-15	हाथरस	343	343	0
2014-15	कानपुर नगर	604	0	604
2014-15	लखीमपुर खीरी	318	78	240
2014-15	सीतापुर	344	1	343
	योग	4,481	2,148	2,333
2015-16	बदायूँ	82	47	35
2015-16	चन्दौली	96	15	81
2015-16	गौतमबुद्धनगर	1,192	1,192	0
2015-16	रायबरेली	128	119	9
2015-16	वाराणसी	939	470	469
2015-16	आगरा	1,224	876	348
2015-16	हाथरस	234	234	0
2015-16	कानपुर नगर	1,008	0	1,008
2015-16	लखीमपुर खीरी	384	106	278
2015-16	सीतापुर	364	8	356
	योग	5,651	3,067	2,584

परिशिष्ट 3.1.5

विश्लेषण हेतु जिलेवार लिये गये सैम्पलों का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.4.2)

क्र. सं.	जिला	वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		कुल 4 वर्ष	
		खाद्य कारोबारकर्ता (पंजीय+लाई)	लिये गये सैम्पल	कुल खाद्य कारोबारकर्ता (पंजीय+लाई)	लिये गये कुल सैम्पल						
1.	आगरा	2,598	188	6,390	261	5,588	294	4,139	499	18,715	1,242
2.	बदायूँ	1,298	196	1,629	186	1,764	197	1,449	223	6,140	802
3.	चन्दौली	298	79	3,080	61	1,508	113	1,239	124	6,146	377
4.	गौतमबुद्ध नगर	915	255	1,363	208	3,318	367	3,729	420	9,336	1,250
5.	हाथरस	1,396	111	1,898	107	1,916	167	1,583	199	6,793	584
6.	कानपुर नगर	0	221	9,475	169	15,881	406	7,091	508	32,447	1,304
7.	लखीमपुर खीरी	2,016	146	1,937	178	2,978	170	3,333	208	10,264	702
8.	रायबरेली	1,579	131	1,436	166	327	164	2,568	205	5,965	666
9.	सीतापुर	1,966	163	2,218	202	2,981	157	2,644	144	9,809	666
10.	वाराणसी	3,178	116	801	191	312	217	5,125	302	9,423	826
योग		15,244	1,606	30,227	1,729	36,573	2,252	32,900	2,832	1,15,038	8,419
प्रतिशत में		13%		6%		6%		9%		7%	

(स्रोत: सम्बन्धित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

परिशिष्ट 3.1.6

कम फीस लिये जाने का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.4.4)

प्रयोगशाला का नाम	रेलवे के सैम्पल			अन्य के सैम्पल			कुल कम ली गयी फीस (4+7)-(3+6)
	सैम्पलों की संख्या	ली गयी फीस प्रति सैम्पल ₹100	ली जाने वाली फीस प्रति सैम्पल ₹1,000	सैम्पलों की संख्या	ली गयी फीस प्रति सैम्पल ₹100	ली जाने वाली फीस प्रति सैम्पल ₹1,000	
1	2	3	4	5	6	7	8
लखनऊ	272	27,200	2,72,000	1,006	2,01,200	10,06,000	10,49,600
आगरा	शून्य	शून्य	शून्य	64	12800	64,000	51,200
वाराणसी	28	2,800	28,000	69	13,800	69,000	80,400
योग	300	30,000	3,00,000	1,139	2,27,800	1,139,000	11,81,200
₹ लाख में							11.81
₹ करोड़ में							0.12

(स्रोत: राजकीय प्रयोगशाला)

परिशिष्ट 3.1.7

चयनित राजकीय प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमी का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.5.3)

राजकीय प्रयोगशाला का नाम	क्र. सं.	उपकरण का नाम	राजकीय प्रयोगशाला का नाम	क्र. सं.	उपकरण का नाम
वाराणसी	1	डिजीटल सेन्ट्रीफ्यूज मशीन	लखनऊ	1	डिजीटल सेन्ट्रीफ्यूज मशीन
	2	यौवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर		2	यौवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
	3	एटामिक एब्सार्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर		3	एटामिक एब्सार्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
	4	हाई परफारमेन्स लिविड क्रोमैटोग्राफ		4	हाई परफारमेन्स लिविड क्रोमैटोग्राफ
	5	गैस लिविड क्रोमैटोग्राफी		5	डाइजेस्ट यूनिट चैम्बर
	6	आयन एक्सचेज क्रोमैटोग्राफी		6	डीन स्टार्क अप्रैटस
	7	डिजीटल बी० आर० मशीन		7	आल माइक्रोबायलाजिकल इन्स्ट्रुमेण्ट्स
	8	वाटर प्यूरीफाइंग सिस्टम		8	माइस्चर बैलेंस
	9	माइस्चर बैलेंस		9	डिजीटल हाइग्रोमीटर
	10	डीप फ्रीजर		10	फ्लैश प्वाइन्ट अप्रैटस
	11	डिजीटल हाइग्रोमीटर		11	आटो टाईट्रेटर
लखनऊ					
	12	कन्डकिटिविटी मीटर			
	13	मल्टीपल डाइजेशन और टाईट्रेटर यूनिट			
	14	अल्ट्रा सोनीकेटर			
	15	डिजीटल माइक्रोस्कोप विथ कम्प्यूटर			
	16	मेलिंग प्वाइन्ट अप्रैटस			
	17	इलेक्ट्रानिक बैलेंस			
	18	रोटैटोरी शेकर			
	19	ऐफीजेरेटर			
	20	लैब ग्रिन्डिंग मिल			
	21	एचपीटीएलसी			
	22	आइसीपीएम एस			
	23	जीसीएमएस			
	24	टीडीएस मीटर			
	25	अप्रैटस फार वोलाटाइल आयल			
	26	मल्टीपल शालेट अप्रैटस			

(स्रोत: राजकीय खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला वाराणसी और लखनऊ)

परिशिष्ट 3.1.8

रेफरल लैब कोलकाता को प्रेषित प्रकरण जिनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.6.2)

क्र. सं.	कोड सं०	खाद्य कारोबारकर्ता का नाम	सैम्पत्ति का विवरण	तिथि जब रेफरल लैब को प्रेषित की गयी	27.06.2016 तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं
आगरा					
1	ए० जी०-०३५३/FSSAI-२०१५	सुरेश चन्द्र बंसल, बंसल ट्रेडर्स	मिर्च पाउडर	२३.०१.२०१६	१५६
2	ए० जी०-१६४/FSSAI-२०१५-१६	जीतेन्द्र कुमार, देवयानी इन्टरनेशनल लिं०	हॉट एण्ड स्पाइसी मैरीनेड	०७.०१.२०१६	१७२
3	ए० जी०-०४१५/FSSAI-२०१५/RC-४५	मुकेश चन्द्र कुशवाहा	कटी मूँगफली	०१.०२.२०१६	१४७
4	ए० जी०-२१८/FSSAI-२०१५-१६/MFSO-२०	मनोज अग्रवाल	वेजेटेबिल सॉस (अनमोल ब्रान्ड)	२९.०२.२०१६	११९
5	ए० जी०-२१२/FSSAI-२०१५-१६ MFSO-१९	मनोज अग्रवाल	वेजेटेबिल सॉस	२९.०२.२०१६	११९
6	ए० जी०-३१३/FSSAI-२०१५-१६/MS-३७	भीमसेन	मिक्स्ड मिल्क	०८.०३.२०१६	१११
7	Central Mobile Squad/ए० जी०-३८०/FSSAI-२०१५-१६	संजीव मिश्रा, सनराईज फूड प्रॉलिं०	सनराईज सब्जी मसाला	०८.०३.२०१६	१११
8	ए० जी०-३०७/FSSAI-२०१५-१६/MFSO-२९	लव कुमार	कोमल लालीपाप	१४.०३.२०१६	१०५
9	ए० जी०-४२७/FSSAI-२०१५-१६/MS-४६	नितिन अग्रवाल	धनिया पाउडर	२२.०३.२०१६	९७

(स्रोत: अभिहीत अधिकारी, आगरा)

परिशिष्ट 3.1.9

आभिहीत अधिकारियों द्वारा जब्त की गयी सामग्री का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.7.1)

क्र. सं.	जिले का नाम	जब्ती का वर्ष	सामग्री का नाम	खाद्य सामग्री की मात्रा	खाद्य सामग्री का मूल्य
1	हाथरस	2013-14	ग्लूकोज पाउडर	275 कि.ग्रा.	8,250
2			एस.एम.पी	100 कि.ग्रा.	17,500
3			केमिकल आयल	665 लीटर	1,13,000
4			डिटर्जन्ट पाउडर	24 कि.ग्रा.	1,440
5			पोस्टर कलर	15 कि.ग्रा.	900
6			पाम कार्नेल आयल	1000 कि.ग्रा.	60,000
7			पाम आयल	60 कि.ग्रा.	3,600
8			डब्लू.पी.पी.	1440 कि.ग्रा.	2,52,000
9			एस.एम.पी.	2725 कि.ग्रा.	15,26,875
10			ग्लूकोज पाउडर	32250 कि.ग्रा.	9,67,500
11			केमिकल आयल	1800 लीटर	3,60,000
12	2014-15	2014-15	वैजिटेबिल आयल	540 लीटर	6,450
13			सोया सॉस	200 कि.ग्रा.	3,600
14			कान्टीनेन्टल सॉस	18 पेटी	5,400
15			स्टार्च	200 कि.ग्रा.	5,400
16			सोया सॉस	85 कि.ग्रा.	2,125
17			वैजिटेबिल सॉस	87 कि.ग्रा.	1,218
18			ग्लूकोज पाउडर	7500 कि.ग्रा.	13,12,500
19			मेग स्टार्च	7500 कि.ग्रा.	3,75,000
20			लिकिवड ग्लूकोज	23100 कि.ग्रा.	9,24,000
21			एस.एम.पी.	165 कि.ग्रा.	28,775
22	लखीमपुर खीरी	2014-15	मस्टर्ड आयल	60 टीन	90,000
योग					60,65,533
(लाख ₹ में)					60.66

(स्रोत: अभिहीत अधिकारी, हाथरस और लखीमपुर खीरी)

परिशिष्ट 3.1.10

चयनित जिलों में सलाहकार समिति की बैठक (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.8.1)

क्र. सं.	जिले का नाम	क्या कमेटी का गठन हुआ है	बैठकों की संख्या	बैठक की तिथि
1	आगरा	हाँ	शून्य	बैठक नहीं हुई
2	बदायूँ	हाँ	शून्य	बैठक नहीं हुई
3	कानपुर नगर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	सीतापुर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	गौतमबुद्धनगर	हाँ	शून्य	बैठक नहीं हुई
6	लखीमपुर खीरी	हाँ	शून्य	बैठक नहीं हुई
7	रायबरेली	हाँ	01	16.01.2014
8	हाथरस	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	चन्दौली	हाँ	शून्य	बैठक नहीं हुई
10	वाराणसी	हाँ	10	04.05.2011, 11.11.2011, 13.03.2012, 17.07.2012, 15.11.2012, 16.05.2013, 20.10.2013, 20.04.2014, 12.10.2014, 29.02.2015

(स्रोत: आयुक्त कार्यालय और चयनित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

परिशिष्ट 3.2.1

**भौतिक प्रगति सुनिश्चित किये बिना जारी किये गए निधियों का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.2.3)**

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुवर्ती किश्तें (₹ करोड़ में)	माह जिनमें अनुवर्ती किश्तें दी गई	माह जिनमें कार्य आरम्भ हुआ	भौतिक प्रगति
1	बलिया में 14 न्यायालय कक्षों का निर्माण	5.24	1/2015	11/2014	शून्य
2	बलिया में 4 न्यायालय कक्ष के भवन का निर्माण	2.54	1/2015	11/2014	शून्य
3	गौतम बुद्ध नगर में 17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	3.60	3/2008 से 3/2009	02/2010	शून्य
योग		11.38			

(स्रोत: चयनित जनपदों द्वारा दी गई सूचना)

परिशिष्ट 3.2.2

**अर्जित ब्याज की धनराशि को शासकीय राजस्व में जमा नहीं किये जाने का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.2.3)**

(₹ लाख में)

वर्ष	जनपद	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	अर्जित ब्याज	जमा किया गया ब्याज	अवशेष
2012-13	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं आई डी बी आई	60113242617 एवं 1029104000030524	4.37	0	4.37
2013-14	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं आई डी बी आई	60113242617 एवं 1029104000030524	9.29	0	9.29
2014-15	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं आई डी बी आई	60113242617 एवं 1029104000030524	14.48	0	14.48
2015-16	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं आई डी बी आई	60113242617 एवं 1029104000030524	10.11	0	10.11
2013-14	इलाहाबाद	25 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	519702010008514	5.41	0	5.41
2014-15	इलाहाबाद	25 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	519702010008514	14.37	0	14.37
2015-16	इलाहाबाद	25 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	519702010008514	17.89	0	17.89
2014-15	चित्रकूट	टाइप-V के 10 आवास	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं इलाहाबाद बैंक	51970201000997 एवं 50268196802	2.56	0	2.56
2015-16	चित्रकूट	टाइप- V के 10 आवास	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं इलाहाबाद बैंक	51970201000997 एवं 50268196802	2.57	0	2.57
2011-12	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में टाइप- IV के 2 आवास	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1592151005144	0.01	0	0.01
2012-13	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में टाइप- IV के 2 आवास	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1592151005144	0.006	0	0.006
2013-14	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में टाइप- IV के 2 आवास	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1592151005144	0.0002	0	0.0002
2011-12	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1592151005151	0.03	0	0.03
2012-13	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1592151005151	0.07	0	0.07
2013-14	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1592151005151	0.005	0	0.005

2012-13	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष, सम्बन्धित भवन एवं विकास कार्य	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	इलाहाबाद बैंक	50103801810	2.45	0	2.45
2013-14	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष, सम्बन्धित भवन एवं विकास कार्य	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	इलाहाबाद बैंक	50103801810	0.66	0	0.66
2014-15	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष, सम्बन्धित भवन एवं विकास कार्य	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	इलाहाबाद बैंक	50206454029	0.4	0	0.4
2015-16	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष, सम्बन्धित भवन एवं विकास कार्य	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	इलाहाबाद बैंक	50206454029	0.39	0	0.39
2013-14	लखीमपुर खीरी	2 ब्लॉक्स में 12 न्यायालय कक्षों का निर्माण	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन ओवरसीज बैंक	142201000005668	12.88	0	12.88
2014-15	लखीमपुर खीरी	2 ब्लॉक्स में 12 न्यायालय कक्षों का निर्माण	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन ओवरसीज बैंक	142201000005668	0.63	0	0.63
2015-16	लखीमपुर खीरी	2 ब्लॉक्स में 12 न्यायालय कक्षों का निर्माण	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन ओवरसीज बैंक	142201000005668	3.09	0	3.09
2013-14	लखीमपुर खीरी	न्यायिक अधिकारियों के 8 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	एक्सेस बैंक	911010052302044	2.17	0	2.17
2014-15	लखीमपुर खीरी	न्यायिक अधिकारियों के 8 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	एक्सेस बैंक	911010052302044	0.25	0	0.25
2015-16	लखीमपुर खीरी	न्यायिक अधिकारियों के 8 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	एक्सेस बैंक	911010052302044	1.35	0	1.35
2015-16	लखीमपुर खीरी	जनपद न्यायालय में रेन वाटर हार्डिंग सिस्टम	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	आई डी बी आई	314104000091048	0.01	0	0.01
2013-14	जौनपुर	सिविल कोर्ट परिसर में ओवर हेड टैंक	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	3412040000050	0.06	0	0.06
2014-15	जौनपुर	सिविल कोर्ट परिसर में ओवर हेड टैंक	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	3412040000050	0.42	0	0.42
2015-16	जौनपुर	सिविल कोर्ट परिसर में ओवर हेड टैंक	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	3412040000050	0.42	0	0.42
2014-15	बलिया	फॅमिली कोर्ट	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	पंजाब नेशनल बैंक	504000100249803	4.45	4.45	0
2014-15	बलिया	14 न्यायालय कक्ष	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	पंजाब नेशनल बैंक	504000100249797	20.5	20.5	0
2014-15	बलिया	टाइप- V के 16 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	पंजाब नेशनल बैंक	504000100249788	17.64	17.64	0

2011-12	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	702000000000696	17.99	0	17.99
2012-13	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	702000000000696	9.61	0	9.61
2013-14	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	702000000000696	6.42	0	6.42
2014-15	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	702000000000696	3.04	0	3.04
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	702000000000696	4.43	0	4.43
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	न्यायालय परिसर में बाउंड्री वाल	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	कोटक महिंद्रा बैंक गाजियाबाद	508010272720	1.11	0	1.11
2011-12	गौतम बुद्ध नगर	हवालात भवन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	702000000001408	0.15	0	0.15
2012-13	गौतम बुद्ध नगर	हवालात भवन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	702000000001408	0.5	0	0.5
2013-14	गौतम बुद्ध नगर	हवालात भवन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	702000000001408	0.27	0	0.27
2014-15	गौतम बुद्ध नगर	हवालात भवन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	702000000001408	0.15	0	0.15
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	हवालात भवन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	702000000001408	0.083	0	0.083
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	जनपद न्यायाधीश का आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	एच डी एफ सी	50100103586000	0.51	0	0.51
2015-16	बागपत	जनपद न्यायाधीश का आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन ओवरसीज बैंक गाजियाबाद	45701000022520	2.97	0	2.97
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	टाइप-V के 16 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	बैंक ऑफ इंडिया	711610310001374	14.65	0	14.65
2012-13	गौतम बुद्धनगर	अनावासीय भवन जेवर	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक नॉएडा	6064151577	3.38	0	3.38
2014-15	गौतम बुद्ध नगर	अनावासीय भवन जेवर	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक नॉएडा	6064151577	15.14	0	15.14
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	अनावासीय भवन जेवर	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक नॉएडा	6064151577	2.68	0	2.68
2011-12	बागपत	17 न्यायालय कक्ष	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक गाजियाबाद	929166531	0.24	0	0.24

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

2014-15	बागपत	17 न्यायालय कक्ष	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक गाजियाबाद	929166531	30.1	0	30.1
2015-16	बागपत	17 न्यायालय कक्ष	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक गाजियाबाद	929166531	9.51	0	9.51
2012-13	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में आवासीय भवन	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक नॉएडा	6064154840	2.02	0	2.02
2014-15	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में आवासीय भवन	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक नॉएडा	6064154840	6.27	0	6.27
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में आवासीय भवन	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक नॉएडा	6064154840	1.32	0	1.32
2014-15	बागपत	ट्रांजिट हॉस्टल (जी+I+II)	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	एक्सिस बैंक नॉएडा	912010006653098	5.78	0	5.78
2015-16	बागपत	ट्रांजिट हॉस्टल (जी+I+II)	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	एक्सिस बैंक नॉएडा	912010006653098	0.83	0	0.83
2014-15	बागपत	न्यायिक अधिकारीयों हेतु 14 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	पंजाब नेशनल बैंक गाजियाबाद	180000103090549	3.47	0	3.47
2015-16	बागपत	न्यायिक अधिकारीयों हेतु 14 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	पंजाब नेशनल बैंक गाजियाबाद	180000103090549	12.02	0	12.02
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में वाह्य न्यायालय, जेवर के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय परिसर कल बाउन्ड्रीवाल की ऊँचाई बढ़ाये जाने का कार्य	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	पंजाब नेशनल बैंक गाजियाबाद	2051000100439740	1.42	0	1.42
2015-16	कासगंज	18 न्यायालय भवन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स कासगंज	15702191026860	7.12	0	7.12
2014-15	कासगंज	कासगंज न्यायालय परिसर में बाउन्ड्री वाल	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स कासगंज	15702191022336	0.48	0	0.48
2015-16	कासगंज	कासगंज न्यायालय परिसर में बाउन्ड्री वाल	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स कासगंज	15702191022336	4.25	0	4.25
2015-16	चित्रकूट	11 (जी + 2) न्यायालय कक्ष	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	बैंक ऑफ बड़ोदा	24920100015250	0.02	0	0.02
स्रोत: कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दी गई सूचनाएं					योग	316.8742 अथवा ₹ 3.17 करोड़	42.59 अथवा ₹ 0.43 करोड़	274.2842 अथवा ₹ 2.74 करोड़

(स्रोत: कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दी गई सूचनाएं)

परिशिष्ट 3.2.3
चयनित जनपदों में कार्यों में लागत वृद्धि
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यदायी संस्थाओं के नाम	कार्यों की संख्या	मूल लागत	कार्यों की संख्या जिनमें लागत का पुनरीक्षण हुआ	कॉलम 5 में वर्णित कार्यों की मूल लागत	कॉलम 5 में वर्णित कार्यों की पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4	5	6	7
1	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	14	70.15	08	42.97	70.89
2	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	11	55.54	04	20.81	47.64
3	लोक निर्माण विभाग	08	2.79	02	0.31	0.77
4	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड	02	0.99	02	0.99	2.51
5	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	01	9.96	00	0.00	0.00
योग		36	139.43	16	65.08	121.81

(स्रोत: चयनित जनपदों द्वारा दी गई सूचना)

परिशिष्ट 3.2.4

लागत में पुनरीक्षण के कारणों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.3)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	आगणित लागत (₹ लाख में)	पुनरीक्षित लागत (₹ लाख में)	लागत में वृद्धि (₹ लाख में)	कार्यदायी संस्था का नाम	कारण
1	इलाहाबाद	सिविल कोर्ट परिसर में बाउंड्री वाल का निर्माण	16.43	40.83	24.4	लोक निर्माण विभाग	अवरोध को नहीं हटाना
2	बागपत	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	1,989.52	3,553.36	1563.84	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	दर अनुसूची में पुनरीक्षण एवं अन्य अतिरिक्त कार्य
3	बागपत	ट्रांजिट हॉस्टल, बागपत के दूसरे तल का निर्माण	191.49	207.4	15.91	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	दर अनुसूची में पुनरीक्षण
4	बागपत	न्यायिक अधिकारियों हेतु ट्रांजिट हॉस्टल के भूमि तल एवं प्रथम तल का निर्माण	395.87	445.17	49.3	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	दर अनुसूची में पुनरीक्षण एवं विशिष्टियों में परिवर्तन
5	बलिया	फॅमिली कोर्ट का निर्माण	46.95	109.09	62.14	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	दर अनुसूची में पुनरीक्षण एवं कार्य स्थल का खाली न होना
6	चित्रकूट	जनपद न्यायाधीश के आवास में कार्यालय कक्ष का निर्माण	13.9	36.54	22.64	लोक निर्माण विभाग	दर अनुसूची में पुनरीक्षण
7	गौतम बुध नगर	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	1,806.74	4,261.65	2454.91	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	दर अनुसूची में पुनरीक्षण
8	गौतम बुध नगर	वाह्य कोर्ट जेवर में अनावासीय भवन का निर्माण	379.05	498.92	119.87	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	विशिष्टियों में परिवर्तन
9	गौतम बुध नगर	वाह्य कोर्ट जेवर में आवासीय भवन का निर्माण	300.54	496.18	195.64	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	विशिष्टियों में परिवर्तन
10	लखीमपुर खीरी	12 न्यायालय कक्ष भवनों के दो ब्लॉक्स का निर्माण	845.58	1,396.06	548.48	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	कार्य क्षेत्र में परिवर्तन एवं दर अनुसूची में पुनरीक्षण
11	लखीमपुर खीरी	टाइप-V के आठ आवासों का निर्माण	147.95	382.49	234.54	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	विशिष्टियों में परिवर्तन
12	लखीमपुर खीरी	वाह्य कोर्ट मोहम्मदी में दो न्यायालय कक्षों के भवन का निर्माण	33.88	74.73	40.85	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	विशिष्टियों में परिवर्तन

13	लखीमपुर खीरी	वाह्य कोर्ट मोहम्मदी में टाइप-IV के दो आवासों का निर्माण	24.87	48.49	23.62	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	विशिष्टियों में परिवर्तन
14	लखीमपुर खीरी	वाह्य कोर्ट निधासन में एक न्यायालय कक्ष का निर्माण	69.21	207.34	138.13	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड	विशिष्टियों में परिवर्तन
15	लखीमपुर खीरी	वाह्य कोर्ट निधासन में टाइप-V के एक आवास का निर्माण	30.26	43.76	13.5	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड	विशिष्टियों में परिवर्तन
16	लखीमपुर खीरी	वाह्य कोर्ट मोहम्मदी में दो न्यायालय कक्षों तथा सम्बंधित कार्यालयों का निर्माण	215.93	379.47	163.54	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	उपलब्ध नहीं
योग		6,508.17 अथवा ₹ 65.08 करोड़	12,181.48 अथवा ₹ 121.81 करोड़				

(स्रोत: चयनित जनपदों द्वारा दी गई सूचना)

परिशिष्ट 3.2.5

चयनित जनपदों में अपर्याप्त सर्वेक्षण के प्रकरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	कार्यदायी संख्या	लेखा परीक्षा टिप्पणी
1	चित्रकूट	वाहा कोर्ट मऊ में टाइप V के दो आवासों का निर्माण	0.97	1.99	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड	शासन द्वारा नवम्बर 2014 में वाहा कोर्ट मऊ में टाइप V श्रेणी के दो आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य जुलाई 2016 तक पूर्ण किया जाना था। परन्तु टाइप V के दो आवासों का निर्माण कार्य उचित सर्वेक्षण किये बिना ही आरंभ कर दिया गया। स्थल के ऊपर से उच्च शक्ति विद्युत लाइन के गुजरने के फलस्वरूप निर्माण स्थल के एक भाग पर कार्य रोक दिया गया तथा इसे हटाने के लिए अगस्त 2015 में विद्युत विभाग को ₹ 8.84 लाख का भुगतान किया गया। कार्य का पुनः आरम्भ मई 2016 में उच्च शक्ति विद्युत लाइन को हटाने के 10 माह पश्चात हुआ। अग्रेतर, स्थल विकास कार्य जोड़े जाने के कारण, जो मूल आगणन में सम्मिलित नहीं था, कार्य की पुनरीक्षित लागत ₹ 1.99 करोड़ हो गई। कार्य अब तक प्रगति में था।
2	चित्रकूट	टाइप-V के 10 आवासों एवं टाइप-VI के एक आवास का निर्माण	5.34	5.34 (कार्य लागत का पुनरीक्षण नहीं हुआ)	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	शासन ने सितम्बर 2014 में टाइप- V के 10 आवासों हेतु ₹ 4.56 करोड़ एवं टाइप-VI के एक आवास के निर्माण हेतु ₹ 0.78 करोड़ की स्वीकृतियां प्रदान की थी। निर्माण कार्य सड़क के मध्य से 82 फीट (25 मीटर) की दूरी के स्थान पर 60 फीट की दूरी पर एवं बिना लिंथ को ऊँचा किये ही आरंभ किया गया। माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश ने फरवरी 2016 में पाया कि सड़क को चित्रकूट-सतना हाईवे के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित था तथा सड़क की ऊँचाई बढ़ाये जाने के फलस्वरूप आवासीय काम्प्लेक्स में जल जमाव होगा क्योंकि लिंथ को ऊँचा नहीं किया जा सकता था। कार्य अब तक प्रगति में था।
3	लखीमपुर खीरी	आठ आवासों का निर्माण	1.48	2.38	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम)	न्यायिक अधिकारियों के आठ टाइप-IV आवासों के निर्माण हेतु शासन ने मई 2011 में स्वीकृति प्रदान की जिसके अनुसार कार्यदायी संख्या ने बिना उचित सर्वेक्षण किये चार ब्लाकों में आठ आवासों के निर्माण हेतु आगणन तैयार किया। बाद में यह पाया गया कि स्थल दो ब्लाकों में मात्र चार आवासों के लिए ही उपलब्ध था। अग्रेतर आवासों की विशिष्टियों को टाइप- IV से टाइप- V में भी परिवर्तित किया गया। अंततः दो ब्लाकों की ऊँचाई बढ़ा कर टाइप- V के मात्र छ: आवासों का निर्माण किया गया। इसके फलस्वरूप कार्य बढ़ी हुई लागत ₹ 2.38 करोड़ पर सम्पादित हुआ तथा दो आवासों का निर्माण नहीं हो सका।
4	लखीमपुर खीरी	28 आवासों का निर्माण	0.63	0.83	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	अत्यधिक जल जमाव की स्थिति के कारण भवनों को विगत 10 वर्षों से उपयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि इनका निर्माण भट्टे की जमीन पर किया गया था जिस पर निर्माण कार्य के पूर्व जमीन की सतह को ऊँचा किया जाना आवश्यक था।
योग			8.42	10.54		

(स्रोत: चयनित जनपदों के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.2.6

**चयनित जनपदों में अवरोध रहित स्थल की अनुपलब्धता के प्रकरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.4)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	कार्य की मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	कार्यदायी संस्था	लेखा परीक्षा टिप्पणी
1	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्षों का निर्माण	24.55	24.55 (लागत का पुनरीक्षण नहीं हुआ)	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	शासन द्वारा कार्य की स्वीकृति मार्च 2012 में प्रदान की गई, जिसे मार्च 2013 तक पूर्ण किया जाना था। परन्तु स्थल की पैमाइश नहीं होने एवं स्थल से वृक्षों को हटाये नहीं जाने के फलस्वरूप, कार्य वास्तव में कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के उपरांत अप्रैल 2013 में आरम्भ हुआ। कार्य के पूर्ण होने की पुनर्निर्धारित तिथि के अनुसार कार्य दिसंबर 2015 तक पूर्ण किया जाना था। परन्तु इस तिथि तक भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका तथा नवम्बर 2016 तक कार्य प्रगति में था।
2	इलाहाबाद	25 न्यायालय कक्षों का निर्माण	9.96	9.96 (लागत का पुनरीक्षण नहीं हुआ)	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	₹ 9.96 करोड़ लागत के 25 न्यायालय कक्षों का निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा अक्टूबर 2013 में आरंभ किया गया जिसे मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना था। कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्) ने निर्माण उपकरणों के मुक्त आवागमन एवं मार्ग में अवैध निर्माण के आधार पर होने वाली बाधा के विषय में सूचित किया एवं बार-बार बाधाओं को दूर किये जाने हेतु अनुरोध किया। नवम्बर 2016 तक कार्य प्रगति में था।
3	इलाहाबाद	लॉक अप तथा बाउंड्री वाल का निर्माण	0.53	0.53 (लागत का पुनरीक्षण नहीं हुआ)	लॉक निर्माण विभाग	लॉक अप तथा 562 मीटर बाउंड्री वाल का निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा जुलाई 2011 में आरंभ किया गया। लॉक अप के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया परन्तु 472 मीटर बाउंड्री वाल का निर्माण करने के पश्चात मई 2013 में कार्य रोक दिया गया। बाउंड्री वाल के अवशेष निर्माण कार्य को अप्रैल 2016 तक आरंभ नहीं किया गया था।
4	बलिया	टाइप IV के 16 आवासों का निर्माण	3.59	13.56	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम)	शासन द्वारा टाइप IV के 16 आवासों के निर्माण की स्वीकृति नवम्बर 2011 में प्रदान की गई थी। कार्य को सितम्बर 2012 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु स्थल से पुराने भवन एवं वनस्पतियों को नहीं हटाये जाने के कारण कार्यदायी संस्था को कार्यादेश मार्च 2013 में निर्गत किया जा सका। इसके अतिरिक्त टाइप-IV आवासों के विशिष्टियों को टाइप-V में परिवर्तित करने एवं विलम्ब के फलस्वरूप सामग्री की मूल्य में वृद्धि के कारण कार्य की लागत ₹ 3.59 करोड़ से बढ़कर ₹ 13.56 करोड़ हो गई। कार्य प्रगति में था।
5	बलिया	फेमिली कोर्ट का निर्माण	0.47	1.09	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम)	कार्य को मार्च 2013 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था परन्तु स्थल से पुराने भवन एवं वनस्पतियों को नहीं हटाये जाने के कारण कार्यदायी संस्था को कार्यादेश अप्रैल 2013 में निर्गत किया जा सका। कार्य की लागत पुनरीक्षित होकर ₹ 0.47 करोड़ से ₹ 1.09 करोड़ हो गई तथा कार्य 36 माह विलम्ब से मार्च 2016 में पूर्ण हुआ।
योग			39.10	49.69		

(स्रोत: चयनित जनपदों के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.2.7

चयनित जनपदों में मानचित्रों के विलम्ब से अनुमोदन के प्रकरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	कार्य की मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	कार्यदायी संस्था	लेखा परीक्षा टिप्पणी
1	बलिया	18 (12+6) न्यायालय कक्षों का निर्माण	7.41	23.19	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम)	कार्य नवम्बर 2011 में स्वीकृत हुआ तथा कार्यदायी संस्था ने नक्शे को स्वीकृति हेतु अप्रैल 2012 में प्रस्तुत किया। परन्तु मानकों में बदलाव (अक्टूबर 2012) के कारण संशोधित नक्शे की स्वीकृति मार्च 2013 में हुई। इस कारण भूमि छ: न्यायालयों के लिए कम पड़ गई। मार्च 2014 में यह निर्णय लिया गया कि दो तलों का एक भवन जिसमें प्रत्येक तल पर दो न्यायालय कक्ष (कुल चार न्यायालय कक्ष) तथा सात तलों का दूसरा भवन जिसमें प्रत्येक तल पर दो न्यायालय कक्ष (कुल चौदह न्यायालय कक्ष) का निर्माण किया जायेगा। संशोधित नक्शों को शासन में मई 2014 में प्रस्तुत किया गया जिसकी स्वीकृति नवम्बर 2014 में हुई। कार्य की लागत पुनरीक्षित होकर ₹ 23.19 करोड़ हो गई। जुलाई 2016 तक कार्य की प्रगति 10 प्रतिशत से कम थी।
2	चित्रकूट	जनपद न्यायाधीश के आवास पर कैम्प कार्यालय का निर्माण	0.14	0.37	लोक निर्माण विभाग	कार्य की स्वीकृति अक्टूबर 2011 में हुई परन्तु मानचित्रों की स्वीकृति एवं अनुबंध गठित होने में विलम्ब के कारण कार्य वास्तव में मार्च 2013 में आरम्भ हुआ। 40 प्रतिशत कार्य होने के उपरांत कार्य को अगस्त 2014 में रोक दिया गया ₹ 0.37 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन अक्टूबर 2016 तक शासन में स्वीकृति हेतु लंबित था।
3	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्षों का निर्माण	18.07	42.62	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	नवम्बर 2007 में स्वीकृत कार्य को वास्तव में फरवरी 2010 में आरंभ किया गया क्योंकि कार्यदायी संस्था ने परियोजना स्वीकृत होने के 12 माह पश्चात् मानचित्रों को अनुमोदन हेतु नोएडा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया। मानचित्रों को नवम्बर 2009 में अनुमोदित किया गया। समय वृद्धि एवं अन्य कार्यों के कारण कार्य की लागत पुनरीक्षित होकर ₹ 42.62 करोड़ हो गई।
योग			25.62	66.18		

(स्रोत: चयनित जनपदों के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.2.8

चयनित जनपदों में 2011–16 के मध्य लिये गये कार्यों का विवरण (संदर्भः प्रस्तर संख्या 3.2.3.5)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	कार्यदायी संस्था
1	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्षों का निर्माण।	2,455.42	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
2	इलाहाबाद	इलाहाबाद में 25 न्यायालय कक्षों एवं कार्यालय का निर्माण (द्वितीय चरण)।	995.86	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
3	इलाहाबाद	सिविल कोर्ट परिसर की बाउन्ड्री वाल का निर्माण।	16.43	लोक निर्माण विभाग
4	बागपत	श्रेणी V के 14 आवासों का निर्माण।	657.39	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
5	बागपत	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण।	1,989.52	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
6	बागपत	जनपद न्यायाधीश आवास का निर्माण।	82.52	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
7	बागपत	बागपत में ट्रांजिट हास्टल के द्वितीय तल का निर्माण।	191.49	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
8	बागपत	न्यायिक अधिकारियों के लिये ट्रांजिट हास्टल के भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण।	395.87	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
9	बलिया	श्रेणी IV के 16 आवासों का निर्माण।	359.11	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
10	बलिया	सिविल कोर्ट परिसर की बाउन्ड्री वाल का निर्माण।	69.48	लोक निर्माण विभाग
11	बलिया	बलिया में 14 न्यायालय कक्षों का निर्माण।	741.16	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
12	बलिया	बलिया में 04 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण।	508.69	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
13	बलिया	न्यायाधीश कालोनी की बाउन्ड्री का निर्माण।	40.13	लोक निर्माण विभाग
14	बलिया	फेमिली कोर्ट का निर्माण।	46.95	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
15	बलिया	पुरानी मुन्सिफी बिल्डिंग की बाउन्ड्री वाल का निर्माण	25.56	लोक निर्माण विभाग
16	चित्रकूट	जनपद न्यायाधीश आवास में कार्यालय कक्ष का निर्माण	13.90	लोक निर्माण विभाग
17	चित्रकूट	चित्रकूट में श्रेणी—V के 10 आवासों का निर्माण	456.26	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
18	चित्रकूट	वाह्य न्यायालय मठ में 02 न्यायालय कक्षों एवं इसके सम्बद्ध भवन का निर्माण	419.77	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
19	चित्रकूट	चित्रकूट में अनावासीय भवन का निर्माण	2,574.93	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
20	चित्रकूट	वाह्य न्यायालय मठ में श्रेणी—V के 02 आवासों का निर्माण	96.64	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
21	चित्रकूट	सिविल कोर्ट परिसर की बाउन्ड्री वाल का निर्माण	8.50	लोक निर्माण विभाग
22	चित्रकूट	चित्रकूट में श्रेणी—VI के 01 आवास का निर्माण	77.89	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
23	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर में पॉच प्रवेश द्वारों पर पोर्टिको का निर्माण	165.14	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
24	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर में कर्मचारियों के लिये एम.एस. शेड एवं जनरल पार्किंग एरिया का निर्माण	382.65	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
25	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में श्रेणी—V के 16 आवासों का निर्माण	915.18	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
26	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर की बाउन्ड्री वाल का उच्चीकरण	111.12	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
27	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	1,806.74	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम

28	गौतम बुद्ध नगर	नवनिर्मित 17 न्यायालय कक्ष भवन के लिये फर्नीचर का क्रय	116.86	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
29	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में अनावासीय भवन का निर्माण	379.05	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
30	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में श्रेणी- VI के एक आवास का निर्माण (जनपद न्यायाधीश के लिये)	86.64	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
31	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में आवासीय भवन का निर्माण	300.54	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
32	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर, गौतम बुद्ध नगर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय परिसर की बाउन्ड्री वाल का उच्चीकरण	84.82	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
33	जौनपुर	सर्वर रूम तथा रजिस्ट्री आफिस, जौनपुर के बगल बाउन्ड्री वाल एवं लॉन का निर्माण	19.98	लोक निर्माण विभाग
34	जौनपुर	सिविल कोर्ट परिसर, जौनपुर में ओवर हेड टैंक का निर्माण	19.35	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
35	जौनपुर	फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थापना	83.20	लोक निर्माण विभाग
36	जौनपुर	जजेज कालोनी में ओवर हेड टैंक का निर्माण	16.91	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
37	कासगंज	कांशीराम नगर जजी की 18 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण (जी 11, एफ 07)	4,604.88	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
38	कासगंज	जनपद न्यायाधीश आवास	84.92	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
39	कासगंज	कांशीराम नगर जजी की बाउन्ड्री वाल का निर्माण	329.00	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
40	कासगंज	अधिकारी आवास, मामो, श्रेणी- V : 13	618.53	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
41	लखीमपुर खीरी	12 न्यायालय कक्ष भवन के दो खण्डों का निर्माण	845.58	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
42	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय, मोहम्मदी में दो सर्वेंट क्वार्टर्स का निर्माण	8.82	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
43	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी जजी में नवीन न्यायालय भवन तथा एफ.टी.सी. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना	12.14	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
44	लखीमपुर खीरी	श्रेणी- V के 08 आवासों का निर्माण	147.95	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
45	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी में मिनी ट्यूबवेल एवं इसके सम्बद्ध कार्यों का निर्माण	7.78	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
46	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी में 2 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	33.88	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
47	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी में श्रेणी- IV के 02 आवासों का निर्माण	24.87	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
48	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय निधासन में एक न्यायालय कक्ष का निर्माण	69.21	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड
49	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय निधासन में श्रेणी- V के एक आवास का निर्माण	30.26	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड
50	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय, मोहम्मदी में नवनिर्मित 2 न्यायालय कक्ष भवन में फर्नीचर की स्थापना	14.29	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
51	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय मोहम्मदी में 02 न्यायालय भवन एवं इसके सम्बद्ध कार्यालयों का निर्माण	215.93	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
कुल		23,759.69 अथवा ₹ 237.60 करोड़		

(स्रोत: माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं चयनित जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

परिशिष्ट 3.2.9

**चयनित जनपदों में 2011–16 के मध्य सार्वजनिक श्रेत्र के उपकरणों को
बगैर अनुबंध/सहमति पत्र के सौंपे गये कार्यों का विवरण**
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.4)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	कार्यदायी संस्था
1	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्षों का निर्माण।	2,455.42	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
2	इलाहाबाद	इलाहाबाद में 25 न्यायालय कक्षों एवं कार्यालय का निर्माण (द्वितीय चरण)।	995.86	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
3	बागपत	श्रेणी V के 14 आवासों का निर्माण।	657.39	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
4	बागपत	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण।	1,989.52	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
5	बागपत	जनपद न्यायाधीश आवास का निर्माण।	82.52	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
6	बागपत	बागपत में ट्रांजिट हास्टल के द्वितीय तल का निर्माण।	191.49	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
7	बागपत	न्यायिक अधिकारियों के लिये ट्रांजिट हास्टल के भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण।	395.87	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
8	बलिया	श्रेणी IV के 16 आवासों का निर्माण।	359.11	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
9	बलिया	बलिया में 14 न्यायालय कक्षों का निर्माण।	741.16	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
10	बलिया	बलिया में 04 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण।	508.69	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
11	बलिया	फेमिली कोर्ट का निर्माण।	46.95	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
12	चित्रकूट	चित्रकूट में श्रेणी-V के 10 आवासों का निर्माण	456.26	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
13	चित्रकूट	वाह्य न्यायालय मठ में 02 न्यायालय कक्षों एवं इसके सम्बद्ध भवन का निर्माण	419.77	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
14	चित्रकूट	चित्रकूट में अनावासीय भवन का निर्माण	2,574.93	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
15	चित्रकूट	वाह्य न्यायालय मठ में श्रेणी-V के 02 आवासों का निर्माण	96.64	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
16	चित्रकूट	चित्रकूट में श्रेणी-VI के 01 आवास का निर्माण	77.89	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
17	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर में पॉच प्रवेश द्वारों पर पोटिकों का निर्माण	165.14	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
18	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर में कर्मचारियों के लिये एम.एस. शेड एवं जनरल पार्किंग एरिया का निर्माण	382.65	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
19	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में श्रेणी-V के 16 आवासों का निर्माण	915.18	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
20	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर की बाउन्ड्री वाल का उच्चीकरण	111.12	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
21	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	1,806.74	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
22	गौतम बुद्ध नगर	नवनिर्मित 17 न्यायालय कक्ष भवन के लिये फर्नीचर का क्रय	116.86	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
23	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में अनावासीय भवन का निर्माण	379.05	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
24	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में श्रेणी- VI के एक आवास का निर्माण (जनपद न्यायाधीश के लिये)	86.64	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम

25	गौतम बुद्ध नगर	वाहय न्यायालय जेवर में आवासीय भवन का निर्माण	300.54	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
26	गौतम बुद्ध नगर	वाहय न्यायालय जेवर, गौतम बुद्ध नगर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय परिसर की बाउन्ड्री वाल का उच्चीकरण	84.82	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
27	जौनपुर	सिविल कोर्ट परिसर, जौनपुर में ओवर हेड टैंक का निर्माण	19.35	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
28	जौनपुर	जजेज कालोनी में ओवर हेड टैंक का निर्माण	16.91	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
29	कासगंज	कांशीराम नगर जजी की 18 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण (जी 11, एफ 07)	4,604.88	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
30	कासगंज	जनपद न्यायाधीश आवास	84.92	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
31	कासगंज	कांशीराम नगर जजी की बाउन्ड्री वाल का निर्माण	329.00	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
32	कासगंज	अधिकारी आवास, मामो, श्रेणी—V : 13	618.53	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
33	लखीमपुर खीरी	12 न्यायालय कक्ष भवन के दो खण्डों का निर्माण	845.58	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
34	लखीमपुर खीरी	वाहय न्यायालय, मोहम्मदी में दो सर्वेट क्वार्टर्स का निर्माण	8.82	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
35	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी जजी में नवीन न्यायालय भवन तथा एफ.टी.सी. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना	12.14	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
36	लखीमपुर खीरी	श्रेणी—V के 08 आवासों का निर्माण	147.95	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
37	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी में मिनी ट्यूबवेल एवं इसके सम्बद्ध कार्यों का निर्माण	7.78	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
38	लखीमपुर खीरी	वाहय न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी में 2 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	33.88	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
39	लखीमपुर खीरी	वाहय न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी में श्रेणी—IV के 02 आवासों का निर्माण	24.87	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
40	लखीमपुर खीरी	वाहय न्यायालय निधासन में एक न्यायालय कक्ष का निर्माण	69.21	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड
41	लखीमपुर खीरी	वाहय न्यायालय निधासन में श्रेणी— V के एक आवास का निर्माण	30.26	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड
42	लखीमपुर खीरी	वाहय न्यायालय, मोहम्मदी में नवनिर्मित 2 न्यायालय कक्ष भवन में फर्नीचर की स्थापना	14.29	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
43	लखीमपुर खीरी	वाहय न्यायालय मोहम्मदी में 02 न्यायालय भवन एवं इसके सम्बद्ध कार्यालयों का निर्माण	215.93	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
कुल		23482.51		
अथवा		₹ 234.83 करोड़		

(स्रोत: माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं चयनित जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

परिशिष्ट 3.2.10

चयनित जनपदों में समय वृद्धि के प्रकरणों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.5)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	कार्यदायी संस्था	कार्य प्रारम्भ की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि	कार्य प्रारम्भ की वास्तविक तिथि	कार्य पूर्ण किये जाने की वास्तविक तिथि	समय में वृद्धि
1	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर में पॉच प्रवेश द्वारों पर पोर्टिको का निर्माण	165.14	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	30.4.2015	31.03.16	30.04.15	लम्बित	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण (2 माह)
2	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर में कर्मचारियों के लिये एम.एस. शेड एवं जनरल पार्किंग एरिया का निर्माण	382.65	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	30.4.2015	31.3.16	30.4.15	लम्बित	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण (2 माह)
3	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में अनावासीय भवन का निर्माण	379.05	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	26.12.2011	25.12.12	26.12.11	30.9.15	33 माह
4	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में आवासीय भवन का निर्माण	300.54	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	27.12.2011	26.12.2012	27.12.2011	30.9.15	33 माह
5	बागपत	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण।	1989.52	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	03/11	31.5.12	03/2011	22.03.2014	24 माह
6	बागपत	बागपत में ट्रांजिट हास्टल के द्वितीय तल का निर्माण।	191.49	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	17.02.12	30.6.12	17.2.12	31.03.2015	33 माह
7	बागपत	न्यायिक अधिकारियों के लिये ट्रांजिट हास्टल के भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण।	395.87	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	15.12.12	31.05.13	15.12.12	31.3.2015	22 माह

8	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्षों का निर्माण।	2455.42	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अपैल-13	दिसम्बर-15	अपैल-13	कार्य प्रगति पर	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण (6 माह)
9	इलाहाबाद	इलाहाबाद में 25 न्यायालय कक्षों एवं कार्यालय का निर्माण (द्वितीय चरण)।	995.86	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अक्टूबर-13	मार्च-15	अक्टूबर-13	कार्य प्रगति पर	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण (15 माह)
10	बलिया	फेमिली कोर्ट का निर्माण।	46.95	उत्तर प्रदेश जल निगम	NA	मार्च-13	फरवरी-13	मार्च-16	36 माह
11	बलिया	पुरानी मुन्सिफी बिल्डिंग की बाउन्ड्री वाल का निर्माण	25.56	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग	NA	मार्च-13	अगस्त-12	मई-13	2 माह
		कुल	7,328.05						
		अथवा ₹ 73.28 करोड़							
कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण कार्यों का विवरण									
1	इलाहाबाद	सिविल कोर्ट परिसर की बाउन्ड्री वाल का निर्माण।	16.43	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग	अक्टूबर-11	अपैल-12	दिसम्बर-11	कार्य प्रगति पर	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण (50 माह)
2	चित्रकूट	जनपद न्यायाधीश आवास में कार्यालय कक्ष का निर्माण	13.90	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग	दिसम्बर-11	31.03.2012	मार्च-13	कार्य प्रगति पर	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण (51 माह)
		कुल	30.33						
		अथवा ₹ 0.30 करोड़							

(झोत: चयनित जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

परिशिष्ट 3.3.1
चिकित्सकीय विभागों में शिक्षण उपकरणों की कमी
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3.3.1)

(अंकों में)

क्र. सं.	चिकित्सकीय उपकरण का नाम	भारतीय चिकित्सा परिषद के मानक के अनुसार आवश्यक मात्रा	उपलब्ध मात्रा	कमी	कमी का प्रतिशत
एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ					
1	मेडिसिन	373	236	137	36.73
2	पीडियाट्रिक्स	609	39	570	93.60
3	टी0बी0 एवं चेस्ट	22	8	14	63.64
4	साईकेट्री	25	5	20	80.00
5	सर्जरी	238	88	150	63.03
6	आपथलमोलोजी	122	122	0	0.00
7	ई0एन0टी0	157	140	17	10.83
8	आब्सटेक्ट्रीक्स एवं गाईनकोलाजी	904	345	559	61.84
9	एनेस्थीसियोलाजी	33	15	18	54.55
10	रेडियोडाइग्नोसिस	18	8	10	55.56
11	आर्थोपेडिक्स	34	12	22	64.71
योग		2,535	1,018	1,517	59.84
बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर					
1	टी0बी0 एवं चेस्ट	22	4	18	81.82
2	पीडियाट्रीक्स	114	106	8	7.02
3	सर्जरी	239	203	36	15.06
4	आर्थोपेडिक्स	25	6	19	76.00
5	आपथलमोलोजी	122	38	84	68.85
6	साईकेट्री	20	8	12	60.00
7	ई0एन0टी0	155	91	64	41.29
8	एनेस्थीसियोलाजी	30	14	16	53.33
9	रेडियोडाइग्नोसिस	20	9	11	55.00
10	आब्सटेक्ट्रीक्स एवं गाईनकोलाजी	628	499	129	20.54
11	मेडिसिन	308	247	61	19.81
योग		1,683	1,225	458	27.21
एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी					
1	जनरल मेडिसिन	308	178	130	42.21
2	पीडियाट्रीक्स	114	114	0	0.00
3	टी0बी0 एवं चेस्ट	22	12	10	45.45
4	साईकेट्री	20	17	3	15.00
5	सर्जरी	239	61	178	74.48
6	आर्थोपेडिक्स	25	23	2	8.00
7	आपथलमोलोजी	122	36	86	70.49
8	ई0एन0टी0	155	155	0	0.00
9	आब्सटेक्ट्रीक्स एवं गाईनकोलाजी	628	454	174	27.71
10	एनेस्थीसियोलाजी	30	19	11	36.67
11	रेडियोडाइग्नोसिस	20	10	10	50.00
12	रेडियोथेरेपी	31	2	29	93.55
योग		1,714	1,081	633	36.93

किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ						
1	जनरल मेडिसिन	627	251	376	59.97	
2	पीडियाट्रिक्स	101	76	25	24.75	
3	साईकेट्री	35	35	0	0.00	
4	जनरल सर्जरी	330	156	174	52.73	
5	पीडियाट्रिक्स सर्जरी	104	75	29	27.88	
6	आर्थोपेडिक्स	41	39	2	4.88	
7	आपथलमोलोजी	102	66	36	35.29	
8	ई0एन0टी0	191	185	6	3.14	
9	आब्सटेविट्रीक्स एवं गाईनकोलाजी	1325	770	555	41.89	
10	रेडियोडाइग्नोसिस	24	14	10	41.67	
11	रेडियोथेरेपी	36	31	5	13.89	
		योग	2,916	1,698	1,218	41.77

(स्रोत: सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेज)

परिशिष्ट 3.3.2

विभागवार शिक्षण उपकरणों की कमी (गैर-चिकित्सकीय)
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3.3.2)

(संख्या में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	भारतीय चिकित्सा परिषद के मानकों के अनुसार आवश्यक मात्रा	उपलब्ध मात्रा	कमी	कमी का प्रतिशत
एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ					
1	एनाटमी	313	260	53	16.93
2	फिजियोलॉजी	621	372	249	40.10
3	बायोकेमेस्ट्री	245	126	119	48.57
4	पैथालॉजी	860	482	378	43.95
5	माइक्रोबायोलॉजी	1,378	119	1259	91.36
6	फार्माकोलॉजी	2,351	759	1592	67.72
7	फोरेन्सिक मेडिसिन	186	61	125	67.20
8	कम्प्यूनिटी मेडिसिन	83	61	22	26.51
योग		6,037	2240	3797	62.90
बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर					
1	एनाटमी	235	206	29	12.34
2	फिजियोलॉजी	445	365	80	17.98
3	बायोकेमेस्ट्री	244	41	203	83.20
4	पैथालॉजी	603	243	360	59.70
5	माइक्रोबायोलॉजी	951	394	557	58.57
6	फार्माकोलॉजी	1,761	621	1140	64.74
7	फोरेन्सिक मेडिसिन	167	33	134	80.24
8	कम्प्यूनिटी मेडिसिन	71	52	19	26.76
योग		4,477	1955	2522	56.33
एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी					
1	एनाटमी	235	181	54	22.98
2	फिजियोलॉजी	445	170	275	61.80
3	बायोकेमेस्ट्री	244	92	152	62.30
4	पैथालॉजी	603	603	0	0.00
5	माइक्रोबायोलॉजी	951	383	568	59.73
6	फार्माकोलॉजी	1,761	660	1101	62.52
7	फोरेन्सिक मेडिसिन	167	91	76	45.51
8	कम्प्यूनिटी मेडिसिन	71	56	15	21.13
योग		4,477	2,236	2241	50.06
किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ					
1	एनाटमी	471	450	21	4.46
2	फिजियोलॉजी	1,008	431	577	57.24
3	बायोकेमेस्ट्री	328	44	284	86.59
4	पैथालॉजी	1,115	384	731	65.56
5	माइक्रोबायोलॉजी	724	39	685	94.61
6	फार्माकोलॉजी	3,471	590	2881	83.00
7	फोरेन्सिक मेडिसिन	193	82	111	57.51
योग		7,310	2,020	5290	72.37

(स्रोत: सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेज)

परिशिष्ट 3.4

शासन को प्रतिशतता प्रभार पर ब्याज की हानि का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.11)

क्र. सं.	प्राप्त धनराशि (₹ लाख में)	प्राप्ति की तिथि	देय प्रतिशतता प्रभार 12.5 प्रतिशत की दर से (₹ लाख में)	अवधि	माह	ऋण पर ब्याज की दर (प्रतिशत में)	प्रतिशतता प्रभार पर ब्याज (₹ लाख में)	
1	500	31 मार्च 2008	62.50	अप्रैल–08	मार्च–09	12	6.29	3.93
				अप्रैल–09	मार्च–10	12	6.16	3.85
				अप्रैल–10	मार्च–11	12	6.67	4.17
				अप्रैल–11	मार्च–12	12	6.62	4.14
				अप्रैल–12	मार्च–13	12	6.73	4.21
				अप्रैल–13	मार्च–14	12	6.43	4.02
				अप्रैल–14	मार्च–15	12	6.40	4.00
				कुल ब्याज			28.31	
2	400	01 सितम्बर 2008	50	अक्टूबर–08	मार्च–09	6	6.29	1.57
				अप्रैल–09	मार्च–10	12	6.16	3.08
				अप्रैल–10	मार्च–11	12	6.67	3.34
				अप्रैल–11	मार्च–12	12	6.62	3.31
				अप्रैल–12	मार्च–13	12	6.73	3.37
				अप्रैल–13	मार्च–14	12	6.43	3.22
				अप्रैल–14	मार्च–15	12	6.40	3.20
				कुल ब्याज			21.08	
3	100	17 फरवरी 2009	12.5	मार्च–09	मार्च–09	1	6.29	0.07
				अप्रैल–09	मार्च–10	12	6.16	0.77
				अप्रैल–10	मार्च–11	12	6.67	0.83
				अप्रैल–11	मार्च–12	12	6.62	0.83
				अप्रैल–12	मार्च–13	12	6.73	0.84
				अप्रैल–13	मार्च–14	12	6.43	0.80
				अप्रैल–14	मार्च–15	12	6.40	0.80
				कुल ब्याज			4.94	
4	500	16 फरवरी 2010	62.5	मार्च–10	मार्च–10	1	6.16	0.32
				अप्रैल–10	मार्च–11	12	6.67	4.17
				अप्रैल–11	मार्च–12	12	6.62	4.14
				अप्रैल–12	मार्च–13	12	6.73	4.21
				अप्रैल–13	मार्च–14	12	6.43	4.02
				अप्रैल–14	मार्च–15	12	6.40	4.00
				कुल ब्याज			20.85	
				कुल ब्याज			1.53	
6	75	31 जनवरी 2012	9.375	जुलाई–11	मार्च–12	9	6.62	0.31
				अप्रैल–12	मार्च–13	12	6.73	0.42
				अप्रैल–13	मार्च–14	12	6.43	0.40
				अप्रैल–14	मार्च–15	12	6.40	0.40
				कुल ब्याज			1.94	
				कुल ब्याज			0.30	
				कुल ब्याज			0.30	
				कुल ब्याज			78.95 अथवा ₹ 0.79 करोड़	

परिशिष्ट 3.5

शासन द्वारा अक्टूबर 2014 में प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद अति-दोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में नलकूपों के निर्माण का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.13)

अवधि	योजना का नाम	नलकूप संख्या	विकास खण्ड का नाम	जनपद	विकास खण्ड की श्रेणी	निर्माण का माह	लागत (₹ लाख में)	ऊर्जाकरण की तिथि	ऊर्जाकरण की लागत (₹ लाख में)	प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य के स्वीकृति की तिथि	अनुबन्ध की तिथि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
नवम्बर 2014 से मार्च 2015	डा० राम मनोहर लोहिया 3000 नवीन नलकूप योजना (सा) वर्ष 2014-15	330 शि. बाद	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	12/14	13.77	07/15	2.51	07/15	16.06.14	24.07.14	
		338 शि. बाद	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	11/14	14.93	03/15	2.52	05/15	11.09.14	08.11.14	
		108 ई.के.	खेर	अलीगढ़	अति-दोहित	11/14	9.23	06/15	2.15	03/16	17.09.14	27.10.14	
		258 ई.जी.	निधौलीकलौं	एटा	क्रिटिकल	12/14	13.33	10/15	2.65	10/15	11.12.14	29.12.14	
		294 के.जी.	सहावर	कासगंज	अति-दोहित	12/14	5.46	03/16	2.52	03/16	15.09.14	17.03.15	
	डा० राम मनोहर लोहिया 3000 नवीन नलकूप योजना (एस०पी०पी०) वर्ष 2014-15	340 शि. बाद	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	12/14	14.85	06/15	2.95	07/15	11.09.14	10.11.14	
		339 शि. बाद	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	12/14	14.30	03/15	2.34	07/15	11.09.14	10.11.14	
		259 ई.जी.	निधौलीकलौं	एटा	क्रिटिकल	01/15	10.29	06/15	2.19	06/15	11.12.14	14.01.15	
	डा० राम मनोहर लोहिया 1054 ट्यूबवेल आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2014-15	133 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	02/15	10.98	07/15	1.21	10/15	18.01.15	13.11.14	
		147 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	02/15	11.36	07/15	2.15	09/15	18.01.15	13.11.14	
		50 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	11/14	13.81	07/15	2.12	09/15	14.09.14	17.07.14	
		39 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	01/15	12.51	03/15	1.99	06/15	18.10.14	13.11.14	
		107 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	11/14	12.13	08/15	2.45	10/15	18.01.15	13.11.14	
		131 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	02/15	11.69	07/15	1.35	09/15	04.01.15	13.11.14	
		148 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	11/14	13.61	03/15	1.18	06/15	04.01.15	17.07.14	
		37 डब्लू के.	खेर	अलीगढ़	अति-दोहित	01/15	8.52	07/15	1.00	07/15	03.01.15	06.01.15	
		68 ई.के.	खेर	अलीगढ़	अति-दोहित	01/15	8.01	06/15	0.39	06/15	28.06.14	22.01.15	
योग						198.78		33.67					
वर्ष 2015-16	डा० राम मनोहर लोहिया 1054 ट्यूबवेल आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2015-16	99 एच.जी.	सासनी	हाथरस	अति-दोहित	09/15	7.31	03/16	0.50	03/16	25.06.15	28.08.15	
		7 एच.जी.	सासनी	हाथरस	अति-दोहित	01/16	6.13	03/16	2.35	03/16	18.09.15	06.11.15	
		77 एच.जी.	मुरसान	हाथरस	अति-दोहित	01/16	5.48	03/16	0.10	03/16	18.09.15	17.12.15	
		63 डब्लू के.	खेर	अलीगढ़	अति-दोहित	07/15	7.21	03/16	1.94	03/16	25.06.15	06.08.15	
		18 डब्लू के.	खेर	अलीगढ़	अति-दोहित	08/15	2.53	03/16	0.84	03/16	25.06.15	07.08.15	
		24 डब्लू के.	खेर	अलीगढ़	अति-दोहित	09/15	7.21	03/16	0.96	03/16	25.06.15	21.08.15	
		32 डब्लू के.	चन्दौस	अलीगढ़	क्रिटिकल	01/16	5.98	03/16	0.98	03/16	29.09.15	02.01.16	
		71 डब्लू के.	चन्दौस	अलीगढ़	क्रिटिकल	01/16	6.00	03/16	समायोजित			29.09.15	
		68 डब्लू के.	चन्दौस	अलीगढ़	क्रिटिकल	12/15	5.99	03/16	0.83	03/16	29.09.15	17.12.15	
		52 ई.जी.	निधौलीकलौं	एटा	क्रिटिकल	09/15	9.92	-	1.13	-	08/2015	11.09.15	
		150 के.जी.	सहावर	कासगंज	अति-दोहित	07/15	6.12	-	0.80	-	11.05.15	02.05.15	
कुल						69.88		10.43					
महायोग						268.66		44.10					
निर्माण और ऊर्जाकरण का कुल योग (कालम 8+10)						312.76							
								अथवा ₹ 3.13 करोड़					

परिशिष्ट 3.6

दर अनुसूची में ढुलाई की उच्च दर का प्राविधान किये जाने के कारण
किये गये अधिक भुगतान का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.14)

क्र0 सं0	सङ्क का चैनेज (किमी)	अनुबन्ध सं0	प्रयुक्त गिट्टी की मात्रा (घन मी0)	सिंचाई विभाग की दर अनुसूची के अनुसार ढुलाई की दर (₹ प्रति घन मी0)	लो0 निर्विका की दर अनुसूची के अनुसार ढुलाई की दर (₹ प्रति घन मी0)	प्रति घन मी0 ढुलाई हेतु अधिक भुगतान (₹ प्रति घन मी0)	ढुलाई हेतु कुल अधिक भुगतान (₹)
1	2	3	4	5	6	7= (कॉ.5—कॉ. 6)	8= (कॉ.4xकॉ.7)
1	44.700 से 66.400	20 / एस0ई0 / 2013–14	27374	1729.72	1271.00	458.72	1,25,57,001.28
2	66.400 से 70.600 एवं 79.900 से 104.600	21 / एस0ई0 / 2013–14	33880	1558.45	1173.50	384.95	1,30,42,106.00
योग							2,55,99,107.28
अथवा ₹ 2.56 करोड़							

परिशिष्ट 3.7

अतिरिक्त दुलाई, लदाई, उत्तरवाई, चट्ठा लगाने एवं त्रुटिपूर्ण परिवर्तन दर के कारण अधिक भुगतान की गणना (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.15)

क्र. सं.	कार्य का नाम	मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृति/ तकनीकी स्वीकृति का विवरण	अनुबंध संख्या एवं तिथि	कार्य की मद	कार्य की दर का विवरण (₹)				दर में अन्तर (कॉ. 9-कॉ. 8) (₹)	अद्यतन निष्पादित मात्रा (घन मी०)	अधिक भुगतान (कॉ. 10 x कॉ. 11) (₹)	मदों पर कुल भुगतान (कॉ. 10 x कॉ. 11) (₹)
					प्राक्कलन के अनुसार (₹)	अनुबंधित दर (₹)	लेखपरीक्षा द्वारा गणना की गयी दर (₹)	भुगतान की दर (₹)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	विक्रमजोत धूसवॉ तटबंध पर कि. मी. 7.300 एवं 8.600 के मध्य बाढ़ सुरक्षा कार्य	32 / 2013–14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 1210.56 लाख	04 / अधी. अभि. / 2013–14 दिनांक 24.12. 2013	स्पर के स्लोप पर स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,297.50	3,297.50	3,063.17	3,100.00	36.83	932.538	34,345.37	28,90,867.80
2	विक्रमजोत धूसवॉ तटबंध पर कि. मी. 10.750 एवं 10.925 के मध्य बाढ़ सुरक्षा कार्य	34 / 2013–14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 515.09 लाख	06 / अधी. अभि. / 2013–14 दिनांक 24.12. 2013	स्पर के स्लोप पर स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,297.50	3,297.50	3,063.17	3,150.00	86.83	678.970	58,954.97	21,38,755.50
3	स्पर संख्या 22 बी. कि. मी. 12.86; डैम्पनर संख्या 23 बी. कि.मी. 13. 025; 24 बी. कि.मी.13. 160; 26 बी. कि.मी. 13. 44 एवं 27 बी. कि.मी.13. 50 के पुनर्स्थापना का कार्य	28 / 2013–14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 964.61 लाख	07 / अधी. अभि. / 2013–14 दिनांक 24.12. 2013	लौचिंग एप्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,267.30	3,245.35	2,905.23	3,100.00	194.77	13,353.700	26,00,900.15	4,13,96,470.00
4	काशीपुर दुबौलिया तटबंध के कि. मी. 4.010 से 4. 320 तक बाढ़ सुरक्षा कार्य	25 / 2013–14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 740.58 लाख	08 / अधी. अभि. / 2013–14 दिनांक 24.12. 2013	लौचिंग एप्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,294.96	3,253.45	2,931.76	3,100.00	168.24	7,552.917	12,70,702.76	2,34,14,042.70
				तटबंध के स्लोप पर स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,503.65	3,503.80	2,832.76	3,200.00	367.24	1,014.378	3,72,520.18	32,46,009.60
5	काशीपुर दुबौलिया तटबंध के कि. मी. 0.660 से 2. 350 तक बाढ़ सुरक्षा कार्य	26 / 2013–14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 288.20 लाख	09 / अधी. अभि. / 2013–14 दिनांक 24.12. 2013	लौचिंग एप्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,267.30	3,222.00	2,905.23	3,040.00	134.77	741.240	99,896.91	22,53,369.60
6	कटरियॉ चॉदपुर तटबंध के कि. मी. 0.390 से 2. 382 तक बाढ़ सुरक्षा एवं	29 / 2013–14 दिनांक 20.01.2014	10 / अधी. अभि. / 2013–14 दिनांक 24.12.	लौचिंग एप्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,304.15	3,280.20	2,905.23	3,000.00	94.77	14,257.320	13,51,166.22	4,27,71,960.00

लेखपरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

	कटरिया चांदपुर का तटबंध कार्य	₹ 1160.24 लाख	2013	स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,513.35	3,513.35	2,806.23	3,400.00	593.77	2,316.350	13,75,379.14	78,75,590.00			
7	गोरा सेफाबाद तटबंध के कि. मी. 3.300 से 4.700 तक चौड़ीकरण एवं कि. मी. 3.300 पर स्पर का निर्माण	30 / 2013–14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 591.91 लाख	11 / अधी. अभि. / 2013–14 दिनांक 24.12. 2013	स्पर बनाने हेतु स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,368.90	3,332.50	2,910.68	3,200.00	289.32	7,963.490	23,03,996.93	2,54,83,168.00			
				स्पर के शैंक के स्लोप पर स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,574.20	3,574.20	2,954.68	3,400.00	445.32	1,216.890	5,41,905.45	41,37,426.00			
8	काशीपुर दुबोलिया तटबंध के कि. मी. 1.240 एवं कि. मी. 1.780 पर स्पर का निर्माण	27 / 2013–14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 574.41 लाख	13 / अधी. अभि. / 2013–14	लौचिंग एप्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,267.30	3,233.30	2,905.23	3,040.00	134.77	1,476.580	1,98,998.69	44,88,803.20			
9	काशीपुर दुबोलिया तटबंध के कि. मी. 2.300 से 2.750 तक बाढ़ सुरक्षा कार्य	15 / 2015–16 दिनांक 29.04.2015 ₹ 1144.43 लाख	03 / अधी. अभि. / 2015–16 दिनांक 01.05. 2015	लौचिंग एप्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,289.53	2,800.00	2,863.53	3,285.00	421.47	6,413.250	27,02,992.48	2,10,67,526.25			
				स्लोप पर स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,354.63	-	2,907.53	3,350.00	442.47	1,071.720	4,74,203.95	35,90,262.00			
10	कटरियों चाँदपुर तटबंध के कि. मी. 4.400 से 5.400 तक कटाव निरोधक कार्य	50 / 2015–16 दिनांक 10.06.2015 ₹ 1536.70 लाख	11 / अधी. अभि. / 2015–16 दिनांक 10.06. 2015	लौचिंग एप्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,974.11	3,800.00	3,478.79	3,950.00	471.21	20,783.020	97,93,166.85	8,20,92,929.00			
				शैंक के स्लोप पर स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	4,242.44	4,250.00	3,558.79	4,220.00	661.21	3,909.090	25,84,729.40	1,64,96,359.80			
11	चाँदपुर गोरा तटबंध के कि. मी. 0.000 से 1.000 तक कटाव निरोधक कार्य	18 / 2015–16 दिनांक 29.04.2015 ₹ 2442.64 लाख	12 / अधी. अभि. / 2015–16 दिनांक 10.06. 2015	लौचिंग एप्रन में स्टोन बोल्डर को एकत्र करना एवं हाथ से बिछाने का कार्य (बिना क्रेट)	3,974.11	3,565.00	3,478.79	3,960.00	481.21	35,541.537	1,71,02,943.02	14,07,44,486.52			
				लौचिंग एप्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ वायर क्रेट में बिछाने का कार्य	4,883.11	4,750.00	4,204.79	4,870.00	665.21	1,460.320	9,71,419.47	71,11,758.40			
				शैंक के स्लोप पर स्टोन की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	4,242.44	3,815.31	3,558.79	4,235.00	676.21	5,298.320	35,82,776.97	2,24,38,385.20			
										योग	4,74,20,998.89	45,36,38,169.57			
										अथवा ₹	4.74 करोड़	45.36 करोड़			

परिशिष्ट 3.8

विद्युत भार को पुनरीक्षित कराने में असफल रहने के कारण परिहार्य भुगतान का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.18)

माह	दर (प्रति के.वी.ए.)	स्वीकृत भार (के.वी.ए. में)	विद्युत विल के अनुसार स्थाई प्रभार (के.वी.ए. में) (कॉलम 3*0.75)	नियत/माँग प्रभार के अनुसार भुगतानित धनराशि (कॉलम 2* कॉलम 4)	वास्तविक उपभोगित भार	माँग की गई विद्युत भार के.वी.ए.)	विद्युत भार के माँग के अनुरूप नियत प्रभार (के.वी.ए.) (कॉलम 7*0.75)	विद्युत भार के माँग के अनुरूप नियत प्रभार के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि (कॉलम 2*कॉलम 8)	स्थायी प्रभार जिसका अधिक भुगतान किया गया (के.वी.ए.) (कॉलम 4-कॉलम 8)	परिहार्य भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जून-13	240	6,298	4,724	11,33,760	1,800	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जुलाई-13	240	6,298	4,724	11,33,760	2,016	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अगस्त-13	240	6,298	4,724	11,33,760	2,016	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
सितम्बर-13	240	6,298	4,724	11,33,760	2,100	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अक्टूबर-13	240	6,298	4,724	11,33,760	1,443	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
नवम्बर-13	240	6,298	4,724	11,33,760	1,500	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
दिसम्बर-13	240	6,298	4,724	11,33,760	1,260	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जनवरी-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,200	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
फरवरी-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,380	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
मार्च-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,200	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अप्रैल-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,297.8	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
मई-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,464	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जून-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,860.6	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जुलाई-14	240	6,298	4,724	11,33,760	2,100	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अगस्त-14	240	6,298	4,724	11,33,760	2,059.8	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
सितम्बर-14	240	6,298	4,724	11,33,760	2,040	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अक्टूबर-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,800	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
नवम्बर-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,500	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
दिसम्बर-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,260	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760

लेखपरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

जनवरी-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,330.8	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
फरवरी-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,346.4	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
मार्च-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,260.8	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अप्रैल-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,371.6	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
मई-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,467.6	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जून-15	240	6,298	4,724	11,33,760	2,011.2	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जुलाई-15	240	6,298	4,724	11,33,760	2,103	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अगस्त-15	240	6,298	4,724	11,33,760	2,027.4	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
सितम्बर-15	240	6,298	4,724	11,33,760	2,195.4	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,,33,760
अक्टूबर-15	240	6,298	4,724	11,33,760	2,257.8	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
नवम्बर-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,775.4	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
दिसम्बर-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,408.2	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जनवरी-16	240	6,298	4,724	11,33,760	1,260	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
फरवरी-16	240	6,298	4,724	11,33,760	1,425	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
मार्च-16	240	6,298	4,724	11,33,760	1,332	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
योग				3,85,47,840				2,04,00,000		1,81,47,840

परिशिष्ट 3.9
न्यूनतम दरों की निविदाओं को निरस्त कर उच्च दरों पर
अनुबन्ध निष्पादित करने से हानि का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.19)

क्र. सं.	गाँव का नाम	प्राक्कलित लागत (₹)	अनुबन्ध सं0	अनुबन्धित राशि (₹)	अनुबन्धित लागत (₹)	प्राक्कलित लागत के सापेक्ष अनुबन्धित लागत का प्रतिशत	भुगतानित राशि (₹)	कुल भुगतानित राशि (₹)	प्रथम निविदा की न्यूनतम राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	अंसुई	18,99,000	16/2012-13	16,25,215	16,25,215	14.42	16,13,334	16,13,334	12,49,890	3,63,444
2	अतरा	33,02,000	21/2012-13	14,42,267	27,98,988	15.23	14,42,036	27,98,283	21,67,130	6,31,153
			35/2012-13	13,56,721			13,56,247			
3	अतरैया	25,14,000	34/2012-13	12,02,696	21,65,272	13.87	12,06,185	21,65,041	16,84,126	4,80,915
			42/2012-13	9,62,576			9,58,856			
4	बजेहटा	24,44,000	6/2012-13	19,28,585	19,28,585	21.09	19,28,621	19,28,621	14,28,277	5,00,344
5	बान्धुर खुर्द	25,07,000	23/2012-13	8,19,147	21,46,362	14.39	8,17,397	21,43,229	16,27,532	5,15,697
			37/2012-13	13,27,215			13,25,832			
6	बरेहरा	39,37,000	38/2012-13	19,51,285	33,63,704	14.56	19,47,730	33,56,137	26,26,116	7,30,021
			26/2012-13	14,12,419			14,08,407			
7	बिलौटा	18,81,500	5/2012-13	15,56,203	15,56,203	17.29	15,55,784	15,55,784	13,55,177	2,00,607
8	धगवा	21,89,000	12/2012-13	18,60,899	18,60,899	14.99	19,33,213	19,33,213	13,84,138	5,49,075
9	गुन्देला	21,72,000	11/2012-13	18,60,755	18,60,755	14.33	18,69,335	18,69,335	11,90,470	6,78,865
10	घुरौली	23,24,000	19/2012-13	19,38,706	19,38,706	16.58	19,77,106	19,77,106	14,90,644	4,86,462
11	गुरदहा	18,31,000	04/2012-13	15,64,127	15,64,127	14.58	15,44,081	15,44,081	11,03,102	4,40,979
12	हुसैना	26,37,000	27/2012-13	8,62,971	22,46,531	14.81	8,62,683	22,46,653	17,49,912	4,96,741
			39/2012-13	13,83,560			13,83,970			
13	इन्दलपुरा	28,98,000	25/2012-13	11,55,839	24,94,399	13.93	11,10,174	24,41,774	19,78,005	4,63,769
			40/2012-13	13,38,560			13,31,600			
14	बेरी इन्द्रपुरी	21,63,000	07/2012-13	14,81,201	14,81,201	31.52	14,79,958	14,79,958	14,08,306	71,652
15	इंगोहटा	20,68,000	08/2012-13	17,03,486	17,03,486	17.63	16,54,858	16,54,858	14,01,504	2,53,354
16	जिगनी	27,75,000	22/2012-13	10,04,698	23,74,425	14.44	10,04,701	23,74,337	17,84,530	5,89,807
			36/2012-13	13,69,727			13,69,636			
17	कम्बौली	23,40,000	14/2012-13	19,93,284	19,93,284	14.82	19,86,107	19,86,107	12,15,222	7,70,885
18	खेड़ा शिलाजीत	20,23,000	15/2012-13	17,28,789	17,28,789	14.54	17,28,120	17,28,120	13,91,922	3,36,198
19	पतारा	19,30,000	10/2012-13	16,45,453	16,45,453	14.74	16,32,376	16,32,376	12,03,096	4,29,280
20	राजामऊ	27,41,000	18/2012-13	19,07,930	19,07,930	30.39	18,97,947	18,97,947	16,08,722	2,89,225
21	रुरीपारा	24,13,000	03/2012-13	19,97,461	19,97,461	17.22	20,05,895	20,05,895	14,69,811	5,36,084
22	सरसेन्डा	22,17,000	09/2012-13	19,01,985	19,01,985	14.21	19,01,486	19,01,486	13,32,954	5,68,532
योग										1,03,83,089
अथवा ₹ करोड़ में										1.04

परिशिष्ट 3.10

ठेकेदार को बिटुमिन के अधिक प्रयोग के लिये किये गये भुगतान का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.22)

कार्य का नाम (यूनिट = घनमीटर)	इकाई	प्रकरण 1—मोहन सराय—कैण्ट मार्ग			प्रकरण 2 — अलीनगर—इन्दारा—मझवारा—मधुबन मार्ग		
		मात्रा	दर	योग	मात्रा	दर	योग
सामग्री उत्पादन लेने पर = 195 घनमीटर (450 टन)	टन	20.250	58,870.00	11,92,117.50	20.250	49,320.00	9,98,730.00
मिश्रित रोड़ी के कुल भार का @ 4.50% बिटुमिन							
मिश्रण का कुल भार = 450 टन							
बिटुमिन का भार = 20.25 टन							
रोड़ी का भार = 450 -20.25 = 429.75 टन							
रोड़ी का घनत्व लेने पर= 1.5 टन/घनमीटर							
रोड़ी का आयतन = 286.50 घनमीटर							
ग्रेडिंग - II 19 एम०एम० (नामिनल आकार)							
25 - 10 मि०मी०: 30 प्रतिशत	घनमीटर	280.77	1,345.00	3,77,635.65	286.50	1,772.50	5,07,821.25
10 - 5 मि०मी०: 28 प्रतिशत	घनमीटर						
5 मि०मी० और कम: 40 प्रतिशत	घनमीटर						
रोड़ी के भार का फिलर @ 2 प्रतिशत	टन	5.73	985.00	5,644.05			
				15,75,397.20			15,06,551.25
दर प्रति घनमीटर = योग/195 (ग्रेडिंग-II के लिए) सामग्री				8,078.95			7,725.90
मिश्रित रोड़ी के कुल भार का @ 4.00% बिटुमिन	टन	18.00	58,870.00	10,59,660.00	18.00	49,320.00	8,87,760.00
मिश्रण का कुल भार = 450 टन							
बिटुमिन का भार = 18.00 टन							
ग्रेडिंग - I 40 मि०मी० (नामिनल आकार)							
37.5 - 25 मि०मी०: 22 प्रतिशत	घनमीटर	282.24	1,345.00	3,79,612.80	288.00	1,772.50	5,10,480.00
25 - 10 मि०मी०: 13 प्रतिशत	घनमीटर						
10 - 4.75 मि०मी०: 19 प्रतिशत	घनमीटर						
4.75 मि०मी० और कम: 44 प्रतिशत	घनमीटर						
रोड़ी के भार का फिलर @ 2 प्रतिशत	टन	5.76	985.00	5,673.60			
				14,44,946.40			13,98,240.00
दर प्रति घनमीटर = योग/195 (ग्रेडिंग-I के लिए) सामग्री				7,409.98			7,170.46
							7,200.74

लेखपरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्रति घनमीटर की दर में अन्तर	₹ 8,078.95 – ₹ 7,409.98 = ₹ 668.97 प्रति घनमी	₹ 7,725.90 – ₹ 7,170.46 = ₹ 555.44 प्रति घनमी	₹ 7,756.02 – ₹ 7,200.74 = ₹ 555.28 प्रति घनमी
कुल सम्पादित ₹१०बी०एम० कार्य	19135.67 घनमी X ₹ 668.97 प्रति घनमी = 1,28,01,189.15	6142.50 घनमी X ₹ 555.44 प्रति घनमी = ₹ 34,11,790.20	5769.10 घनमी X ₹ 555.28 प्रति घनमी = ₹ 32,03,465.85
10 प्रतिशत ओवरहेड की दर लागू करने पर	12,80,118.915	3,41,179.02	3,20,346.59
कुल योग (₹)	14081308.065	37,52,969.22	35,23,812.44
10 प्रतिशत कन्ट्रैक्टर की दर लागू करने पर	14,08,130.806	3,75,296.92	3,52,381.24
₹१०बी०एम० के कार्यान्वित कार्य पर कुल अधिक देय धनराशि (₹)	1,54,89,438.87	41,28,266.14	38,76,193.68
			80,04,459.82
	₹ 1.55 करोड़		0.80 करोड़

परिशिष्ट 3.11

**एरच—गुरसहाय—मऊरानीपुर मार्ग (एम०डी०आर०—३१),
किमी ०१.०० से किमी० ७१(१८०) (कुल ७१.००किमी) के चौड़ीकरण
एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए अधिक जी०एस०बी० की गणना का विवरण**
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.24)

क्र. सं.	मार्ग की लम्बाई	मार्ग की लम्बाई मीटर में	वर्तमान चौड़ाई	चौड़ीकरण वाले भाग में जी०एस०बी० बिछाने के लिये आवश्यक चौड़ाई (7.3-D)	चौड़ीकरण वाले भाग में जी०एस०बी० बिछाने के लिये आवश्यक क्रस्ट की मोटाई	जी०एस०बी० की आवश्यक मात्रा	जी०एस०बी० की अधिक मात्रा = (14-7.3)* मार्ग की लम्बाई *०.१५
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
1	किमी० १ से ३ और ९	4,000	5.5	1.8	0.25	1800	4020
2	किमी० ४ से ८ और किमी० १० से २०	15,200	3.7	3.6	0.25	13680	15276
3	किमी० २१ से २७ =७ किमी०, किमी० ३१ से ५२= २२ किमी०, किमी० ५४ से ५६= ३ किमी०, किमी० ५९ से ६२ = ४ किमी०, किमी० ६४ से ६६= ३ किमी०, किमी० ६७ (५००)= ०.५० किमी०, किमी० ६८(५००)=०.५० किमी०	40,000	3.7	3.6	0.29	41760	40200
4	किमी० २९(२८०)=०.२८ किमी०, किमी० ३० =१.०० किमी०, किमी० ६९,७०,७१(१८०)=२.१८ किमी०	3,460	5.7	1.6	0.29	1605.44	3477.3
5	किमी० ५८ =१.०० किमी०	1,000	6.5	0.8	0.29	232	1005
6	किमी० ५३ = १.०० किमी०, किमी० ५७=१.०० किमी०, किमी० ६३ = १.०० किमी० किमी० ६७ (५००) = ०.५० किमी०, किमी० ६८(५००)= ०.५० किमी०	4,000	7	0	0	0	4200
7	किमी० २८= १.०० किमी०, किमी० २९(७२०)= ०.७२ किमी०	1,720	10			0	0
						59,077.44	68178.3
	7.०० मीटर में मार्ग को चौड़ीकरण के लिये जी०एस०बी० की आवश्यक मात्रा					59,077.44	
	7.०० मीटर में मार्ग को चौड़ीकरण के लिये जी०एस०बी० की अधिक मात्रा					68,178.30	
	योग					1,27,255.70	
	आगणन के अनुसार 7.०० मीटर चौड़ीकरण के लिये जी०एस०बी० की आवश्यक मात्रा					37,049	
	आगणन के अनुसार 7.०० मीटर में मार्ग को चौड़ीकरण के लिये जी०एस०बी० की आवश्यक मात्रा					90,225	
	योग					1,27,274	
क्र. सं.	खण्ड का नाम	अधिक मात्रा (क्यूबिक मीटर)	दर (क्यूबिक मीटर)	योग	अनुबन्ध के अनुसार अधिक दर को सम्मिलित करते हुए	विभागीय दर से कम/अधिक % पर अनुबन्ध का गठन	
1	अ०अ०, नि०ख०-III, ल००नि०वि०, झांसी	19,296	1,650	3,18,38,400	3,54,20,220	टेण्डर दर से 11.25 % अधिक पर	
2	अ०अ०, प्र०ख०, ल००नि०वि०, झांसी	48,882.3	1,647	8,05,09,148	9,17,80,429	टेण्डर दर से 14.00 % अधिक पर	
	योग	68,178.3			12,72,00,649		
					अथवा ₹ 12.72 करोड़		

परिशिष्ट 3.12

बिटुमिनस मैकेडम के समतुल्य में दोनों चैनेजों की आवश्यकता के सापेक्ष ओवरले का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.25)

मार्ग की लम्बाई	अधिकतम डिफलेक्शन	स्टेन्डर्ड डेविएशन आरटेरियल मार्ग के लिए दुगुना	एम०एस०ए०	आई०आर०सी०-८१ के अनुसार कैरेक्टरिस्टिक डिफलेक्शन	रिपोर्ट के अनुसार कैरेक्टरिस्टिक डिफलेक्शन	रिपोर्ट में संस्तुत ओवरले	आई०आर०सी० के अनुसार आवश्यक ओवरले
6.300 किमी०	2.6820	$0.1770 \times 2 = 0.3540$	5	$(2.682 + 0.3540) = 3.0360$ अथवा 3.0	4.2	220	190 $(83.33 \text{ मि०मी० डब्ल्यू०एम०ए०} + 71.43 \text{ मि०मी० डी०बी०एम०} + 35.71 \text{ मि०मी० एस०डी०बी०सी०})$
11.200 किमी०	2.6820	$0.1887 \times 2 = 0.3774$	5	$(2.682 + 0.3540) = 3.0594$ अथवा 3.0	4.8	240	190 $(83.33 \text{ मि०मी० डब्ल्यू०एम०ए०} + 71.43 \text{ मि०मी० डी०बी०एम०} + 35.71 \text{ मि०मी० एस०डी०बी०सी०})$

ओवरले की मोटाई आई०आर०सी०-८१-१९९७ के प्रस्तर 7.4 के अनुसार ली गयी है।

परिशिष्ट 3.13

उच्च विशिष्टियों के अपनाने एवं कैरेक्टरिस्टिक डिफलेक्शन के त्रुटिपूर्ण आगणन का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.25)

विवरण	लम्बाई (मीटर में) (i)	चौड़ाई (मीटर में) (ii)	विस्तृत आगणन में प्राविधान के अनुसार	आई०आर०सी० के प्राविधानों के अनुसार	
				गहराई (मीटर में) (iii)	मात्रा (घन मीटर में) (i)x(ii)x(iii)
6.300 किमी० के लिये डब्ल्यू०एम०ए०	6,300	7.00	0.175	7,717.50	0.125 (83.33 मि०मी० बी०एम० के संदर्भ में)
11.200 किमी० के लिये डब्ल्यू०एम०ए०	11,200	7.00	0.200	15,680.00	0.125 (83.33 मि०मी० बी०एम० के संदर्भ में)
योग				24,255.88	
डब्ल्यू०एम०ए० का अधिक प्राविधान = 8,085 घनमीटर में (24,255.88 घनमीटर - 16,170.88 घनमीटर)					5,512.50
डब्ल्यू०एम०ए० का अधिक प्राविधान की लागत = 8,085.00 मी ³ X ₹ 3242.00 = ₹ 2,62,11,570.00					9,800.00
कुल प्रीमियम की धनराशि पर 0.01 प्रतिशत कम करने पर = ₹ 2,62,08,948.84 (₹ 2,62,11,570.00 - ₹ 2,621.16)					16,170.88